राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का सत्ताईसवां दिवस [संख्या: 15

मंगलवार,

21 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्री भंवरसिंह।

एम. डी.आर. 35 सड़क का बीकानेर तक विस्तार

241. **श्री भंवरसिंह** (कोलायत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के ओसियां से बीकानेर जिले के गांव दासूडी की सीमा तक एम.डी.आर. 35 सड़क है?

(2) क्या सरकार उक्त एम.डी.आर. 35 सड़क का विस्तार ओसियां से दासूडी वाया खिन्दासर, हदां, झझू, हाडलां भाटियान, भोलासर व अक्कासर होते बीकानेर तक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त एम.डी.आर. 35 सड़क का विस्तार होने से बीकानेर से जोधपुर जाने हेतु सुगम व कम दूरी का मार्ग बन जाएगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान):

(1) जी हां।

(2) एम.डी.आर.-35 का विस्तार ओसियां से दासूडी के बाद खिन्दासर, हदां, झझू, हाडलां भाटियान, भोलासर, अक्कासर होते हुए बीकानेर तक किया जाना गुणावगुण पर निर्भर करेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं। वर्तमान में बीकानेर से जोधपुर आने हेतु एन.एच. मार्ग (एन.एच.-89 व 65) उपलब्ध है, जो कि 248.00 किमी. है। एम.डी.आर.-35 का विस्तार बीकानेर तक हो जाने से बीकानेर से जोधपुर वाया ओसियां वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। बीकानेर से जोधपुर की दूरी वाया दासूड़ी तक कुल लम्बाई 257 किमी. होगी, जिसकी दूरी वर्तमान मार्ग से 9 किमी. अधिक होगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न एमडीआर 35, सड़क से संबंधित है, जो जोधपुर जिले के ओसियां से बीकानेर के दासूड़ी गांव तक, मेरे विधान सभा क्षेत्र तक आती है। उक्त एमडीआर को दासूड़ी से बीकानेर करने की मांग की गयी है, क्योंकि इस रूट में जो गांव अभी मेरे मूल प्रश्न में बताये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त गांव सहित कोलायत विधान सभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के लोगों को जोधपुर और बीकानेर जाने के लिए प्रमुख सड़क मार्ग यही है। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में उक्त सड़क को एमडीआर घोषित गुणावगुण पर करने की बात कही है। मंत्री महोदय, एमडीआर घोषित करने की आपने आगामी समय में बात कही है, लेकिन दासूड़ी से बीकानेर तक की जो सड़क है यह सड़क सैकड़ों गांवों को बीकानेर और जोधपुर जिले को जोड़ती है। इस सड़क की स्थिति अत्यन्त खराब है, यह चलने लायक नहीं है, बहुत ज्यादा टूटी-फूटी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उक्त सड़क को जिसमें सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं और दो जिलों को जोड़ने वाली यह सड़क है। क्या इस सड़क की स्थिति सुधारने का आप विचार रखते हैं जिससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो हमारी सड़क ओडीआर-1, दासूड़ी-खिन्दासर-हदां-बीकानेर तक जो 93 किलोमीटर है इसको एमडीआर बनाने की मांग की है। एमडीआर बनाने में सरकार को कोई विशेष कार्य नहीं करना है, लेकिन इसमें हमारी एक योजना और है प्रधानमंत्री सड़क योजना,

(श्री युनुस खान)

जिसमें अभी हमने डीआरआरपी तैयार कर ली है। इस सड़क का करीब 22 किलोमीटर हिस्सा, जिसमें अक्कासर से भोलासर के मध्य 5 किलोमीटर, झझू से हदां के बीच 9 किलोमीटर और हदां से देसूड़ी के बीच 8 किलोमीटर, कुल मिलाकर 22 किलोमीटर हिस्सा ऐसा है जो डीआरआरपी में आ गया और अप्रैल में पीएमजीएसवाई पार्ट-2 में इसके रिन्युएशन की स्वीकृति कर देंगे। अगर हम इसको एमडीआर घोषित करते हैं तो यह इस योजना से बाहर हो जाएगी। चूंकि इसका डीआरआरपी तैयार हो गया है, इसलिए इस 22 किलोमीटर का तो हम, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि निर्माण कर देंगे। कुछ योजनाएं हमारी और चल रही हैं उसमें भी बाकी हिस्से को हमने ले रखा है। निश्चित रूप से उसका काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही एक राज्य राजमार्ग 87-ए है जो रणजीतपुरा से ओसियां तक जाता है। उक्त स्टेट हाइवे, बज्जू से सांखलाफांटा कोलायत होते हुए झझू तक की जो सड़क है, उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। करीब 30 ग्राम पंचायतों को यह सड़क उपखण्ड एवं जिला मुख्यालय से जोड़ती है। राजमार्ग संख्या 87-ए जो कोलायत विधान सभा क्षेत्र के रणजीतपुरा से शुरू होकर बज्जू सांखलाफांटा, वहां से कोलायत, कोलायत से झझू होते हुए, नोखा विधान सभा क्षेत्र के गांवों से होते हुए ओसियां तक जाता है, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि उक्त स्टेट हाइवे को लेकर लम्बे समय से लोग आंदोलनरत हैं। यह स्टेट हाइवे डबल होने के बावजूद, इसकी चौड़ाई ज्यादा होने के बावजूद लम्बे समय से इस हाइवे की देखरेख नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन भी करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, सरकार ने स्टेट हाइवे अथोरिटी का गठन भी किया है, सीआरएफ से भी पैसा आता है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र और बीकानेर जिले में इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। चूंकि यह मुख्य सड़क है...

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए। योजनाओं की तरफ मत जाइये, आप अपना सवाल कीजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): यह तीन विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ती है, बज्जू से झझ्रू तक की सड़क बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है, क्या मंत्री महोदय उस सड़क को ठीक करने का विचार रखते हैं, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने स्टेट हाइवे नम्बर 87-ए की बात कही है। रणजीतपुरा-बज्जू-कोलायत, यह बात सही है कि बज्जू से कोलायत 52 किलोमीटर 7 मीटर चौड़ा है। शेष भाग है वह 3.75 मीटर चौड़ा है। बज्जू-कोलायत-झझ्रू, उसके बाद जांगलू नोखा का जो हिस्सा है वह पांचू-नोखा-काकू-सारडा-पंचोड़ी-कपूरिया तक की हमारी स्विस चैलेंज में ली हुई है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था, कुछ हिस्सा तो एमडीआर का आ जाएगा, कुछ स्टेट हाइवे 87-ए है उसका आ जाएगा। कुल मिलाकर यह योजना हमने स्विस चैलेंज में ली है, डीपीआर भी तैयार हो गई, प्रपोजल भी आ गया। अगले महीने तक इस योजना का कुल मिलाकर 145 किलोमीटर लम्बा हिस्सा, कुछ कोलायत का हिस्सा है, कुछ नोखा का हिस्सा है, कुछ नागौर जिले का हिस्सा है। कपूरिया तक यह सड़क जाएगी। लगभग 209 करोड़ रुपये की टोटल डीपीआर बनी है, उसकी बिडिंग हम नैक्स्ट मन्थ अप्रैल में कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पब्बाराम जी, इस प्रश्न से संबंधित है?

श्री पब्बाराम (फलौदी): बिलकुल मेरे क्षेत्र से होकर यह गुजरती है।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न है?

श्री पब्बाराम (फलौदी): हां, एमडीआर 35 नंबर से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो एमडीआर 35 है यह ओसियां से शुरू होती है, उसके बाद लोहावट, उसके बाद फलौदी, उसके बाद कोलायत और नोखा के कुछ गांव आते हैं, उसके बाद सीधी बीकानेर जाती है। मेरे क्षेत्र में और ओसियां तक यह रोड इतनी खस्ता हालत में है, वैसे तो यह 12 फीट चौड़ी बनी है, परन्तु यह टूटते-टूटते 10 फीट, कहीं 9 फीट रह गई है। क्या इसको चौड़ी करने का या इसको सही करने का

(श्री पब्बाराम)

आपका कोई प्लान है? इसमें 3-4 विधान सभा क्षेत्र जुड़ते हैं। जोधपुर के भी और तीन विधान सभा क्षेत्र बीकानेर के जुड़ते हैं। इसको दूरी से न आंककर इसकी महत्ता को देखते हुए इसके उच्चीकरण का कार्य, इसको चौड़ा करने का कार्य करने का क्या आप मानस रखते हैं, यह माननीय मंत्री महोदय बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह बात सही है कि जो एमडीआर है इसका कुल हिस्सा 164 किलोमीटर जोधपुर जिले में पड़ता है और 93 किलोमीटर हिस्सा बीकानेर जिले में पड़ता है, जिसका माननीय कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एमडीआर के रूप में मांग की थी। बाकी जो शेष हिस्सा 164 किलोमीटर का बचा हुआ है वह अभी आलरेडी एमडीआर है, जिसमें से फतेहपुर-नागौर-जोधपुर सड़क का 15 किलोमीटर हिस्सा है, फलौदी-ओसियां-जोधपुर-भीलवाड़ा रोड का 48 किलोमीटर हिस्सा है। ओसियां-खींवसर-लोसल रोड का इसमें तीन किलोमीटर का हिस्सा है। ओसियां-आवू-दासूड़ी तक का 98 किलोमीटर का है। इसका भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा स्टेट हाइवे प्रोग्राम है उसमें इन सड़कों को हमने ले रखा है। कुछ एशियन डवलपमेंट बैंक से हमने लोन लिया है, उसका हिस्सा है, कुछ वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। निश्चित रूप से इसके शेष हिस्से को भी हम विकसित करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री हबीबुर्रहमान।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो 89 बीकानेर से नागौर जाती है उसमें मेरा गोगोलाव गांव भी है जिसमें दो किलोमीटर की सड़क उस ठेकेदार ने नहीं बनाई और उस सड़क से निकलना ही बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां 24 घंटे पानी भरा रहता है तो वो सड़क आप कब तक बना देंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): ठेकेदार वहां से भाग गया है और अध्यक्ष महोदय, वहां चल ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। जवाब दिलवा देता हूं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो नागौर से गोगोलाव पार्ट की बात की है वह लैफ्ट आउट है। माननीय सदस्य से भी इस बारे में पहले चर्चा हुई थी तो निश्चित रूप से इसको फोरलेन सी.सी. बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्री, छोटू सिंह।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि एम.डी.आर. जैसलमेर से झिंझनियाली और झिंझनियाली से बाड़मेर और बाड़मेर से डायरेक्ट दूसरे प्रदेश में अहमदाबाद जा रही है।

श्री अध्यक्ष: आप कहां चले गये? सवाल जनरल कर दिया। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका केवल एम.डी.आर. नाम है और तीन मीटर चौड़ाई में है तो क्या मंत्रीजी, उसको साढ़े पाँच मीटर करने का विचार रखते हैं? यह पूछना चाहता हूं कि वो एक दूसरे प्रदेश से लिंक कर रही है। जैसलमेर से झिंझनियाली एम.डी.आर. है तो माननीय अध्यक्षजी, मंत्रीजी इसके बारे में बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाकर परीक्षण करके उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री, राजेन्द्र सिंह भादू।

सूरतगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्र

242. श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती अनिता भदेल): अध्यक्ष

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)
महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/ राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु जिला श्रीगंगानगर को 50 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 2-2 लाख रुपये प्रति केन्द्र के आदेश क्रमांक 112212 दिनांक 24.08.2016 को स्वीकृत किये गये। जिला परिषद, श्रीगंगानगर को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण जिला परिषद द्वारा महात्मा गांधी नरेगा कन्वर्जेन्स के तहत किया जायेगा। 2 लाख रुपये विभाग द्वारा देय एवं शेष 5 लाख रुपये प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र जिला परिषद द्वारा देय है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 29 आंगनबाड़ी केन्द्रों की प्रशासनिक स्वीकृति जिला परिषद द्वारा दिनांक 16.03.2017 द्वारा जारी की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रश्न लगने से पहले ही स्वीकृति जारी करा दी और वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी हो गईं। हमारे क्षेत्र के जो 29 आंगनबाड़ी केन्द्र बनेंगे उनकी तो स्वीकृतियां हो गईं पर उसके बावजूद लगभग 35 पट्टे हमने सरकार को और भिजवायें हैं तो उनकी भी स्वीकृतियां जारी हो जाएं तो बच्चों को बैठने के लिए सुविधा रहेगी। उनका जल्द से जल्द निर्माण हो इसलिए उनकी भी स्वीकृतियां जारी कर दें, इस तरह की मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इनके सूरतगढ़ विधान

(श्रीमती अनिता भदेल)

सभा क्षेत्र में लगभग 26 ऐसे केन्द्र और हैं जो किराये के भवनों में संचालित हैं। तो यदि आप पट्टे उपलब्ध कराएंगे तो हम आने वाले वित्तीय वर्ष में नरेगा से कन्वर्जेन्स करके उनकी स्वीकृति भी जारी करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): धन्यवाद। आ गया मेरे प्रश्न का जवाब।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्रीमती द्रोपती। यह इस विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): हां, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित ही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो पूरे दिन पूरे गांव में सर्वे करती है और बच्चों की देखरेख करती है, गर्भवती महिलाओं का भी वो ध्यान रखती है तो क्या उनका मानदेय बढ़ाने का भी विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: आपने जनरल कर दिया, बैठिये, नहीं। दे दीजिये, जवाब हो तो दे दीजिये। नहीं, नहीं, बैठिये। वो सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र का है। बैठिये, नहीं-नहीं।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): एक मिनट अध्यक्ष महोदय। दूसरा, जो सरकार छुट्टियां देती है। मैं सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के माध्यम से ही बोल रही हूं और पूरे राजस्थान का मुद्दा है यह।

श्री अध्यक्ष: ऐसे नहीं, मैं जवाब दिलवा देता हूं लेकिन बैठिये आप। बैठिये, आपने पूछ लिया, मैं जवाब दिलवा देता हूं।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी छुट्टियों का भी पूछना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी छुट्टी भी दी जाती है क्या? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मैं फिर जवाब नहीं दिलवाऊंगा। नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। द्रोपती, बैठ जाओ। बैठो। आपके पास जवाब हो तो दीजिये। उन्होंने जनरल कर दिया इसको।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन से सम्बन्धित था परन्तु माननीय सदस्या ने जो पूछा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक स्वैच्छिक सेवा पर मानदेय कार्मिक हैं न कि सरकारी कर्मचारी हैं। पिछले ही बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने मानदेय में बढ़ोतरी की है और इस बार भी उन्होंने इंसेंटिव बेस्ड, कार्यकर्ता के काम के आधार पर 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक मानदेय में अभिवृद्धि होगी यदि वो काम करती है तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगी कि कार्यकर्ता निश्चित रूप से काम करती हैं और उसके काम से बहुत सारे परिवर्तन भी आये हैं लेकिन समय पर आंगनबाड़ी केन्द्र खुलें और नियमित खुलें ताकि कार्यकर्ता को जिस काम के लिए हमने रखा है वो बिलकुल प्रोपर तरीके से, सक्रियता से हो सके। वहां हम छोटे बच्चों का जो प्री-स्कूल एजुकेशन प्रारम्भ कर रहे हैं उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमने यह इंसेंटिव बेस्ड इसी बजट में शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्रीमती शिमला बावरी।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष: सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र है।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): हां जी। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आंगनबाड़ी के कितने पद रिक्त हैं और कब तक भरने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, नोट अलाऊं। श्री संदीप शर्मा।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): बिल्कुल पास में ही है अध्यक्ष जी, अनूपगढ़। सूरतगढ़ के पास में ही है और उसका ही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा, यह सूरतगढ़ से सम्बन्धित है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं उनमें से काफी जर्जर अवस्था में हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो किराये के होने के बावजूद कभी भी उनमें टूट-फूट हो सकती है तो ऐसे भवनों को भूमि आबंटित करवाकर सरकार स्वयं के भवन बनाने का कार्य कर रही है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इसमें मंत्री महोदय, मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बात कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष: विराजिए-विराजिए। जवाब दिलवा रहा हूं न। वैसे रिलेवेंट नहीं है। सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित था लेकिन फिर भी मैं जवाब दिलवा रहा हूं, आप बैठिए। आप बैठिए, विराजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उससे सम्बन्धित है साहब। विद्यालय जो हमारे चल रहे हैं उन विद्यालयों में अगर ये शिफ्ट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार का पैसा भी बचेगा और वहां पर आंगनबाड़ी केन्द्र हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, मैं सवाल का जवाब दिलवा रहा हूं। (व्यवधान) नहीं, बिलकुल नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं तो जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में ही बताया था कि पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय और राजस्व विभाग से भूमि आबंटन करने पर पैसा तो हम जारी कर सकते हैं लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होती है उसके कारण से शहरों में यह सबसे ज्यादा समस्या है। पूरे प्रदेश के लगभग 11 हजार के आस-पास आंगनबाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जो किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं और उनमें से भी फिफ्टी परसेंट भवन ऐसे हैं जो शहरों में किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं। शहरों में भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण से हम ये स्वीकृतियां जारी नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आप नगर निगम से भूमि उपलब्ध करा सकते हैं तो शहरों में भी हम चार लाख रुपये की राशि से वो भवन बनाने की स्वीकृतियां जारी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने मेंटिनेंस की बात कही है तो यदि आप एस्टीमेट बनाकर प्रोपर सीडीपीओ कार्यालय के

(श्रीमती अनिता भदेल)

माध्यम से डायरेक्ट्रेट में हमें भिजवाएंगे तो उन आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत का काम पिछले साल भी हमने कराया था और इस साल भी हम कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री श्रीराम भींचर। (व्यवधान) बैठो, श्रवण जी, आप तो बहुत पुराने विधायक हो। तीसरा सवाल हो चुका है और मैंने उनको पुकार लिया है श्रीराम भींचर को।

मकराना नगर परिषद् के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने की योजना

243. श्री श्रीराम भींचर (मकराना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् मकराना के कार्यालय के भवन का निर्माण कार्य कराया गया है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों व इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नगर परिषद् के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी):

(1) जी हां। नगर परिषद मकराना के कार्यालय भवन का आंशिक निर्माण कार्य वर्ष 2013-14 में करवाया गया था। कार्यालय भवन निर्माण के संबंध में महालेखाकार कार्यालय के अंकेक्षण दल द्वारा आक्षेप गठित करने के कारण अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है। राज्य सरकार के स्तर से प्रकरण का परीक्षण कर महालेखाकार कार्यालय को करवाये गये निर्माण कार्य का औचित्य अंकित करते हुए अनुपालना प्रेषित की गई है।

(2) राज्य सरकार के द्वारा महालेखाकार कार्यालय के आक्षेप पर अनुपालना रिपोर्ट राजस्थान विधान सभा की स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है। समिति के स्तर पर निर्णयार्थ विचाराधीन है। समिति के निर्णय उपरान्त नगर परिषद मकराना में बजट उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो भवन बनाया गया है इसकी स्वीकृति कब जारी हुई और इसका टेंडर कब किया गया?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): वर्तमान में यह भवन जो बना है यह किस मद से बना है? यह बताए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद मकराना के भवन की जर्जर एवं खस्ता हालत, जिसके गिरने से जान-माल की हानि होने का खतरा पैदा हो गया था, आशंका थी। उस समय वहां पर सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट के कार्य के अन्तर्गत जो बचत हुई थी, उस बचत के विरुद्ध में नगर परिषद का नया भवन बनाया जाना आपको भी जानकारी में है। इस कार्य के लिए वित्तीय व्यवस्था माननीया मुख्य मंत्री महोदया के बजट प्रावधान रुपये 1.00 करोड़ एवं शेष राशि आरयूडीएफ से ऋण नगर परिषद की स्वयं की आय के द्वारा वहन किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे? आ गया सवाल का जवाब।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): नहीं, इसका टेण्डर कब किया गया? जो यह निर्माण कार्य की स्वीकृति की बात है, इसकी स्वीकृति इस मद से नहीं हुई, अलग मद से इसका पैसा लिया गया है। तो किस अधिकारी ने यह अपने पावर, अधिकार को काम में लेते हुए यह जो भवन बनाया गया है, तो उनके खिलाफ में आप क्या कार्यवाही करेंगे? वह ठेकेदार, उसने तो क्या गुनाह किया, उस बेचारे का आज तीन साल से पैसा बाकी पड़ा है तो उनको कम से कम भुगतान कराए आप।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें माननीय सदस्य से यही निवेदन है, हालांकि जिस मद से इसका

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

काम होना चाहिए था, उस मद से इसका काम नहीं हुआ। उस समय जो सीवरेज का कार्य चल रहा था, उसकी बचत के आधार पर यह कार्य हुआ, लेकिन इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा दी गई है। रही बात उस ठेकेदार की, जो आप पेमेंट की बात कर रहे हैं, यह मामला चूंकि विधान सभा की समिति के समक्ष प्रस्तुत है। उनका फैसला आते ही उस ठेकेदार का भी पेमेंट कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह जी। पूरक प्रश्न इसमें आप क्या करोगे? कहां आहौर से आप मकराना में घुस रहे हो, यह बताओ।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा। यह जो भवन..

श्री अध्यक्ष: मकराना।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मकराना में नगरपालिका भवन..

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): चाहे किसी भी अधिकारी की गलती से डिले हुआ है, जो भवन दो लाख रुपये में बनता, वह साल भर बाद चार लाख रुपये में बनेगा, वह दो लाख रुपये का घाटा आप कहां से लाओगे? तो जिस किसी भी अधिकारी की गलती से मकराना और प्रदेश में और कई जगहों पर भी यह इस प्रकार से अधिकारी की नरमाई से अगर लेट होता है, उसमें सरकार का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है तो जो आपकी समय सीमा तय है, उसके बाद अधिकारी पर क्या कार्यवाही करेंगे या जो भी कार्मिक है, उस पर क्या कार्यवाही करेंगे? इसकी बात है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये। विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत शासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रकरण की मैं जांच करवा लूंगा और जांच करके उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: ठीक ठीक। अगला सवाल। श्रीमती अमृता मेघवाल।

सायला उपखण्ड मुख्यालय पर बालिका छात्रावास की स्थापना

244. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

(1) राजकीय बालिका छात्रावास खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? निर्धारित प्रकिया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जालौर में सायला उपखण्ड मुख्यालय पर बालिका छात्रावास नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जनहित में बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) राजकीय छात्रावास स्वीकृत किये जाने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम-4 के अन्तर्गत नवीन छात्रावास खोले जाने की प्रक्रिया निर्धारित नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जालौर के उपखण्ड सायला में बालिका छात्रावास नहीं है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में छात्रावास खोले जाने की संभाव्यता के परीक्षण उपरान्त तत्संबंध में नियम संगत कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बालिका छात्रावास खोले जाने की संभाव्यता के परीक्षण उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर तत्संबंध में नियम संगत कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, अमृताजी।

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया, मैं उनसे यह कहना चाहूंगी, हम एक तरफ बात करते हैं कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। सायला उपखण्ड हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। सभी उपखण्डों में बड़ा एक उपखण्ड है तो वहां पर क्यों छात्रावास उन्होंने सोचा नहीं कि वहां पर भी बालिका छात्रावास खुलना चाहिए। तो, मैं तो उनसे यह अनुरोध करूंगी, एक ही प्रश्न करूंगी कि अभी यह सवाल लगा है और अभी मैं कहूंगी उनसे, अभी अगर घोषणा कर दें इस प्रश्न के माध्यम

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

से। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी, अगर वह घोषणा करें तो क्षेत्र की बालिकाओं के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप एक बालिका छात्रावास वहां खुलवाने की घोषणा यहां से करें। जालौर जिला बेटियों की शिक्षा, बालिका शिक्षा को लेकर बहुत पीछे हैं हम अभी तो उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकें, किस तरीके से हम महिलाओं को सशक्त कर सकें और अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम सशक्त कहां से होंगे? तो मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप इस सवाल के माध्यम से एक बहुत अच्छी सी जालौर के लिए सायला उपखण्ड में घोषणा कर दीजिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर से आने वाली माननीय सदस्या ने अपने यहां छात्रावास खोलने की बात की है। इसके लिए हमारे कुछ नियम बने हुए हैं। उन नियमों में नियम क्रमांक-4 "तहसील/ पंचायत समिति मुख्यालय से नीचे के स्तर पर कोई छात्रावास नहीं खोला जाएगा। उसके पश्चात् 20,000 की जनसंख्या तथा ऐसे मुख्यालय जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित हों, पर छात्रावास स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसी ग्राम पंचायत मुख्यालय जिसके आसपास कम से कम पांच माध्यमिक स्तर के विद्यालय हों..." हालांकि यह बात सही है कि इनका जो सायला उपखण्ड है, वह उपखण्ड आता है और वह पहली बात को पूरी करता है। और दूसरी बात, मैं इतना ही कहूंगा कि जालौर जिले में पहले से ही कन्या के तीन छात्रावास हैं, उनमें से एक तो कालेज स्तरीय छात्रावास है और दो विद्यालय स्तरीय छात्रावास हैं। फिर भी जालौर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो विषय रखा है, मैं इतना कह सकता हूं कि अभी कल ही बेटियों का दिन गया है और आपके बेटी भी अभी कुछ दिन पहले हुई है, इसलिए यह नियमों की परिधि में तो आता है, अगर वित्तीय उपलब्धता की स्थिति बनती है तो उस विषय को...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह बेटी जब पढ़ने जाएगी, तब बनाएगे न?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं नहीं, यह नहीं। बेटी की चिंता और महिला के नाते चिंता है...

श्री हीरालाल (निवाई): बेटी हुई तो पालना गृह खोल दें माननीय सदस्या के लिए। मंत्रीजी, पालना गृह खोल देंगे।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ...और सरकार इस विषय पर, "कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ"... वह मैंने अमृताजी को क्रेच के लिए बात की है। यह नियम की परिधि में तो आती है, वित्तीय उपलब्धता के आधार पर इस विषय के ऊपर हम गम्भीरता से विचार करके सकारात्मक इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। करेंगी आप?

श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): जैसा कि मंत्रीजी ने बोला कि है, पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, जालौर और सायला की दूरी बहुत ज्यादा है, 35 किलोमीटर दूर है जालौर से सायला, तो आप यह मानिये कि अगर किसी बालिका को 12वीं क्लास पास करके आगे की पढ़ाई करनी हो, कोई छात्रावास में रहकर पढ़ाई करनी हो, आठवीं तक स्कूल होते हैं, ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां पर आठवीं तक स्कूल हैं और वहां से वह बालिका बाहर ही नहीं जा पाएंगी, वह पढेंगी नहीं क्या, उसका हक नहीं है पढ़ने का? मैं तो आपको कहूंगी कि आप इसको अच्छी तरह विचार-विमर्श करके, आप इसी बजट सत्र में इसकी घोषणा करवाइये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्या की भावना के ऊपर पूरी गम्भीरता के साथ, पूरे एकाग्रचित्त होकर हम विचार करेंगे और विचार करके, वित्तीय उपलब्धता के आधार पर इसविषय पर निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री मामन सिंह। मास्टर मामन सिंह।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश भर में...

श्री अध्यक्ष: यह प्रदेश का सवाल नहीं है। कृपया नहीं। न, यह प्रदेश का नहीं है।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): यही बात है। बालिका छात्रावास...

श्री अध्यक्ष: यह सायला उपखण्ड का सवाल है। सायला उपखण्ड के बारे में सवाल है।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): इसी सन्दर्भ में है। बालिका छात्रावास जो पूर्व सरकार के समय से ही बंद पड़े हुए हैं, एनजीओ के द्वारा चलाये जाते हैं, अनियमितता होने के कारण जो बंद पड़े हुए हैं, उनकी कितनी संख्या है, उनको चालू करने का क्या मंत्री महोदय विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: यह अलग सवाल है। नहीं, नहीं, यह अलग सवाल है। मास्टरजी, बैठिये आप।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): इसी सन्दर्भ में, इसी तरह मेरे यहां तिजारा में भी दो बंद पड़े हैं केरोली और ग्वालदा में।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। नहीं, यह अलग सवाल है। आप बैठिये। यह रिलेवेंट नहीं है। विराजिए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): प्रदेश भर में इस तरह के छात्रावास कितने बंद हैं?

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, इसका जवाब नहीं आएगा।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): बंद की सूचना तो मंत्री महोदय के पास होगी न। कितने छात्रावास बंद हैं? उनको चालू करने का या उनको वहां अनावश्यक है तो अन्य जगह स्थानान्तरित करने का विचार रखते हैं मंत्री महोदय, यह निवेदन है मेरा।

श्री अध्यक्ष: नहीं आएगा जवाब इसका। नारायण सिंह देवल। नहीं, नहीं, जवाब नहीं आएगा इसका। नहीं नहीं नहीं, यह रिलेवेंट नहीं है। मास्टरजी, बैठिये। रिलेवेंट सवाल हो तो कीजिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जालौर जिला महिला साक्षरता में पूरे राजस्थान में अंतिम पायदान पर है और यह कलंक हमारे जिले पर लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में रानीवाड़ा एवं जसवंतपुरा उपखण्ड में...

श्री अध्यक्ष: सोरी, यह रिलेवेंट नहीं है। अगला सवाल। श्रीमती शकुन्तला रावत। यह आप कहां का करेंगी? कहां पहुंच गईं आप? अगला सवाल। श्री कैलाश चौधरी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वहीं का करूंगी। अध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी से जिक्र किया, अध्यक्ष महोदय, सुन तो लीजिये..

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं नहीं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वही का है।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अमृताजी के क्षेत्र का है। सायला का है, अध्यक्ष महोदय।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): जालौर जिले का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: नो नो नो। श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): प्रश्न संख्या 245.

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्रीजी ने जिक्र किया, कन्या रत्न प्राप्त हुआ, तो इनको गिफ्ट ही कर देते मंत्री महोदय एक आवासीय छात्रावास।

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं है। केवल इस पर कुछ बोलना है, इस तरह आड़ा-टेढ़ा मैं अलाऊँ नहीं करूंगा। सीधा सवाल है, उस पर सीधे जवाब चले गये और उसके बाद भी, नहीं, यह है, वह नहीं है। श्री कैलाश चौधरी।

बायतू तहसील क्षेत्र को डार्क जोन से मुक्त करवाने की कार्यवाही

245. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2006 में कवास-बायतू क्षेत्र में भीषण बाढ़ आने के पश्चात् पानी का जल स्तर बढ़ा है और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है? यदि हां, तो इसके उपरान्त भी बायतू तहसील को डार्क जोन घोषित करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार उक्त तहसील का पुन: सर्वे करवाकर इस क्षेत्र का डार्क जोन से मुक्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

भू-जल मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) यह सही है कि वर्ष 2005-06 में अप्रत्याशित वर्षा के कारण कवास पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया था जिसके कारण भू-जल स्तर बढ़ना व गुणवत्ता में सुधार नहीं होना पाया गया। कवास व आसपास का क्षेत्र बाड़मेर शहर तक भू-जल धारक इकाई मिट्‌टी व क्ले एवं जिप्सीयस फोर्मेशन है जौ कि अपारगम्य फोर्मेशन होने के कारण कई महीनों तक पानी भरा रहा व नीचे की ओर नहीं गया व कृत्रिम मार्ग बनाकर अन्यत्र उक्त एकत्र जल की निकासी की गई व उक्त क्षेत्र खारे पानी का जोन है, जहां पर पुनर्भरण का लाभ नगण्य है। भू-जल आकलन रिपोर्ट, 2011 के अनुसार बायतू ब्लाक की भूजल विकास दर 242 प्रतिशत है जिसको केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित (Notified) क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(2) भू-जल विभाग द्वारा वर्ष में दो बार मानसून पूर्व एवं मानसून पश्चात् भू-जल सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा गठित भू-जल आकलन समिति, 1997 के अनुसार वर्ष 2011 में भू-जल आकलन के आधार पर बायतू ब्लाक को अधिसूचित (Notified) किया गया। किसी भी क्षेत्र को नोटिफाइड श्रेणी से मुक्त करने का निर्णय केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न नं.एक।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा जैसा कि डार्क जोन क्षेत्र के बारे में बताया गया है तो डार्क जोन क्षेत्र आज पूरे राजस्थान की समस्या है और उसी के साथ मुख्य मंत्रीजी भी जल स्वावलंबन के द्वारा इसका प्रयास कर रहे हैं कि उसमें सुधार हो। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है, लेकिन बायतू क्षेत्र की परिस्थितियां कुछ अलग हैं, क्योंकि बायतु क्षेत्र में जो डार्क जोन किया गया है उसमें मात्र पाँच-छह पंचायतों में ही डबल क्रोप एरिया है बाकी पूरे क्षेत्र में पानी की भी कमी है, लेकिन जो क्षेत्र माना गया है जो 6-8 पंचायतें हैं जहां पर डबल क्रोप एरिया है वहां पानी का जल स्तर जो 2011 में केन्द्रीय भूजल अधिकरण द्वारा उसका सर्वे करवाया गया तो उस समय भी जितना पानी था आज भी उतना ही पानी है। न तो उसमें एक मीटर भी कम हुआ है न ज्यादा हुआ है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि वहां पर

(श्री कैलाश चौधरी)

वर्षा के आधार पर न तो पानी ऊपर आता है न नीचे जाता है। वहां नीचे सरस्वती नदी चलती है जिसकी वजह से जल स्तर हमेशा उतना ही रहता है और वो क्षेत्र फैल रहा है इसलिए वहां पर भविष्य में भी कभी पानी कम नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से इसमें यह पूछना चाहूंगा कि जिस समय इसका सर्वे हुआ, उस समय बायतू और गिड़ा पंचायत समिति दोनों ब्लॉक को साथ में मान कर सर्वे किया गया। अब पंचायत समिति गिड़ा अलग हो गयी है तो अब बायतू छोटी पंचायत समिति हो गयी है तो उसमें क्या अभी आप यहां से प्रस्ताव बना कर केन्द्र सरकार में यह प्रस्ताव भिजवाने का श्रम करेंगे कि आने वाले समय में वापस इसका सर्वे करवा कर इसका पुन: केन्द्र सरकार से यह निवेदन करेंगे कि सर्वे कराया गया उसकी दुबारा जांच कराने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बायतू ब्लॉक को डार्क जोन से मुक्त करने के बारे में जिक्र किया है, मैं आपके मार्फत निवेदन करूं कि राजस्थान के अन्दर 295 ब्लॉक्स हैं और 194 ब्लॉक्स अति दोहित क्षेत्र हैं, दस ब्लॉक्स क्रिटिकल हैं, 38 ब्लॉक्स सेमी क्रिटीकल हैं। पचास ब्लॉक्स ही सुरक्षित हैं और 34 ब्लॉक्स अधिसूचित हैं। यह बायतू ब्लॉक अधिसूचित है और 2011 में जब इसका सर्वे हुआ था उस के अन्दर 242 परसेंट जल की विकास दर थी और 2013 में वापस सर्वे किया उस समय भी 226 जल की निकासी की विकास दर थी तो जब किसी को डिनोटिफाई करना होता है तो डिनोटिफाई करने के पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखना पड़ता है कि वहां पर जल का दोहन किस प्रकार से हो रहा है। उस सौ की इकाई को मानते हुए जहां पर सत्तर परसेंट दोहन होता है तो उसको सुरक्षित मानते हैं, सत्तर से नब्बे तक होता है उसको हम सेमी क्रिटिकल मानते हैं। नब्बे से सौ होता है उसको क्रिटिकल मानते हैं और सौ से ज्यादा दोहन होता है तो उसको अति क्रिटिकल मानते हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर 242 और 228 आया है तो अति दोहित की श्रेणी में है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि ये जोन कोई एक ग्राम जैसे 5-6 पंचायत हैं इन्होंने कहा, कोई 5-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

6 पंचायतों के आधार पर उसको नोटिफाई या डिनोटिफाई नहीं किया जाता, न 5-6 पंचायतों के आधार पर उसका सर्वे होता है पूरे ब्लॉक को या जल ग्रहण क्षेत्र को आधार मान कर उसका सर्वे किया जाता है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें, वापस 2016 में सर्वे की रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है और उस सर्वे की रिपोर्ट में और आने वाले समय में, क्योंकि यह कोई एक-दो साल के सर्वे के आधार पर नोटिफाई या डिनोटिफाई नहीं होता है, लगातार पाँच-दस साल तक उसमें सर्वे होता है उसमें सौ से नीचे अगर जल दोहन या जल रिचार्ज की रिपोर्ट आएगी तो मैं राज्य सरकार की तरफ से सेन्ट्रल भू-जल प्राधिकरण को चिट्ठी लिखूंगा और डिनोटिफाई कराने के लिए कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नं. दो। इतना लंबा-चौड़ा जवाब आ गया, फिर भी पूछना है?

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): बिलकुल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि बायतू और उसके पास बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र के अन्दर सरस्वती नदी चलती है उसका सर्वे भी पहले करवा चुके हैं और सर्वे के द्वारा हमारे पूर्व मंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी द्वारा यह कहा गया था कि इसकी डीपीआर तैयार करवाई जाएगी, तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में वहां पानी का जिस तरह से अभी बताया गया कि वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है। जहां सरस्वती नदी चल रही है वहां पर पानी का पिछले आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो पन्द्रह साल के अन्दर एक मीटर भी पानी नीचे नहीं गया है। एक मीटर या तो ऊपर या नीचे जाता है, इससे ज्यादा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना अथाह पानी नीचे है तो मेरा निवेदन है कि अगर वो सरस्वती नदी की खोज करने के लिए डीपीआर बनाने का अगर मंत्री महोदय इसकी कोई प्लानिंग करते हैं तो उस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में एक बहुत बड़ा काम होगा और जिसकी वजह से सरस्वती नदी की एक खोज भी हम सब चाहते हैं कि सरस्वती नदी की खोज हो तो निश्चित रूप से वहां पर सरस्वती नदी नीचे चल रही है तो उसकी खोज के लिए क्या डीपीआर बनाने की योजना मंत्री महोदय करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है सरस्वती नदी के बारे में, मैं इनको बता दूं कि भारत सरकार द्वारा कुछ प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से सरस्वती नदी के पूरे मार्ग का अध्ययन करवाया गया था वर्ष 1996 से 2004 के बीच में। विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये गये अध्ययन एवं उनके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सरस्वती नदी का पूरा मार्ग राजस्थान के टिब्बी, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़, किशनगढ़, तनोट, लूंगियावाला, शाहगढ़ से बाड़मेर जिले के सीमान्त क्षेत्र कैरला सुन्दर रोहिनी, मुनाबाव, हमीररानी से होती हुई कच्छ के रण में जाने का उल्लेख है। इस अध्ययन की प्रकाशित रिपोर्ट में बायतू क्षेत्र सरस्वती नदी के मार्ग में पाये जाने की संभावना का कोई उल्लेख नहीं है। माननीय सदस्य, जैसा आपने कहा डीपीआर बनाने का तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि राजस्थान सरकार की ओर से भू-जल विभाग द्वारा सरस्वती की खोज हेतु एक परियोजना 68 करोड़ 87 लाख की तैयार की जाकर भारत सरकार को फरवरी, 2015 में प्रेषित की जा चुकी है जो भारत सरकार के स्तर पर परीक्षणाधीन है तो उसके ऊपर जो भी आएगा उसके आधार पर आगे अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री छोटू सिंह जी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वैसे डार्क जोन के बारे में आदरणीय मंत्री जी ने बताया, लेकिन जैसलमेर क्षेत्र के बारे में मंत्रीजी के खुद के द्वारा यह कहा गया है कि ...।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जैसलमेर का जवाब नहीं आएगा।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मेरी अर्ज सुनो। मेरा निवेदन सुनो। फिर भी पंचायत समिति सम को डार्क जोन किया है। वैसे वहां आईजीएनपी नहर है। नहर से पानी का रिसाव आया है फिर भी उस पूरे क्षेत्र को आपने डार्क जोन किया। हमारा निवेदन यही है कि पंचायत समिति सम और नहरी क्षेत्र के जल को आप डार्क जोन से मुक्त करवाना चाहते हो या नहीं चाहते है? यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। निवेदन आ गया। विराजिए। सवाल केवल बायतू के बारे में है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बायतू के बारे में है लेकिन आप कहें तो मैं जवाब दे दूं इनका।

श्री अध्यक्ष: हां, जवाब दे दीजिये, लेकिन ये इर्रिलेवेंट है। दे दीजिये। आप बैठिये छोटू सिंह जी, जवाब दिलवा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मेरा निवेदन इतना ही है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे माननीय सदन को अवगत करना चाहता हूं, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि राजस्थान के अन्दर 295 ब्लॉक्स में 194 ब्लॉक्स डार्क जोन की श्रेणी में आते हैं उनमें सम क्षेत्र भी आता है तो डार्क जोन घोषित किया वो एक-दो के आधार पर तो होता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो पूरे राजस्थान में हर ब्लॉक में या जो जल ग्रहण क्षेत्र में है वहां पर सर्वे होता है सर्वे होने के बाद सर्वे रिपोर्ट तैयार कर के वापस देते हैं। जैसा मैंने कहा कि डिस्चार्ज रिपोर्ट सौ से कम आती है वो सुरक्षित की श्रेणी में है मतलब सत्तर से नीचे आती है तो वो सुरक्षित की श्रेणी में आती है बाकी क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल और अति दोहित की श्रेणी में आती है।

श्री अध्यक्ष: छोटू सिंह जी, अब नहीं। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 295 में से 245 डार्क जोन में आ चुके हैं। बायतू विधान सभा क्षेत्र में सैकड़ों हैंडपंप और ट्यूबवैल ऐसे नाकारा पड़े हुए हैं अगर उनको भी वाटर रिचार्ज के रूप में आप काम में लो तो आज पूरे प्रदेश के अन्दर जो डार्क जोन है और आपके पचास सेफ हैं ये हो सकता है बढ़ कर इनकी संख्या अधिक हो जाए तो क्या मंत्री महोदय, बायतू विधान सभा क्षेत्र में सैंकड़ों हैंडपंप और बोरिंग जो नाकारा पड़े हुए हैं नरेगा योजना से इनको जोड़ कर और वाटर रिचार्ज का सिस्टम डवलप करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा साल में 15 मई से 15 जून, 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

बीच में हर ब्लाक का सर्वे किया जाता है और हर ब्लाक में हमारे 15-15, 20-20 पाइंट है, उन पाइंटों में सर्वे आता है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री चन्द्रभान सिंह, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बायतू विधान सभा क्षेत्र में काफी डार्क जोन की स्थिति है, पानी का लेवल भी काफी ऊपर है, चित्तौड़ आपकी भी राजधानी रही है, चित्तौड़ आप भी काफी वर्षों तक विराजे हैं, अभी भी चित्तौड़ पधारते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: चित्तौड़ का जवाब नहीं देना।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): नहीं, मैं चित्तौड़ की बात नहीं कर रहा हूं, बायतू की ही बता रहा हूं। बायतू में पानी का लेवल इतना ऊपर है, आप देख लो 10-20 फीट पर पानी है, राजस्थान सरकार उसका वापस सर्वे क्यों नहीं करवा ले। एक उदाहरण के तौर पर कपासन, भोपालसागर वह सब एरिया जहां आप भी पधारते रहते हो...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, अगला सवाल श्री जोगाराम पटेल।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मैं बायतू की ही कह रहा हूं उसका वापस एक बार सर्वे करवा लें, मंत्री महोदय एक बार पुन: सर्वे करवा लें।

श्री अध्यक्ष: नहीं। अगला प्रश्न, श्री जोगाराम पटेल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया पंचायत समिति या जल ग्रहण क्षेत्र, उस पूरे जल ग्रहण क्षेत्र में जहां पानी मीठा होता है, जहां पानी होता है, उसका सर्वे किया जाता है, जहां खारा पानी होता है उसका सर्वे नहीं किया जाता है। पांच छह गांव जैसा आप बता रहे हैं, पांच छह गांव के लिये स्पेशल सर्वे नहीं होता है, पूरा ब्लाक को इकाई मान कर सर्वे किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

पंजाब सरकार द्वारा एस.वाई.एल. नहर से की जा रही पानी की आपूर्ति

246. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2004 में पारित 'टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट' को रद्द कर दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाब विधान सभा के बुलाए गये विशेष सत्र में एस.वाई.एल. नहर मामले में 01 नवम्बर, वर्ष 1966 से तीनों गैर रिपेरियन राज्यों से उक्त राज्यों को दिये जा रहे पानी की कीमत वसूलने का बिल पास किया है? यदि हां, तो इस पेटे कितना भुगतान राजस्थान सरकार से क्लेम किया जा रहा है तथा क्या सरकार इसे चुकाने के लिए उत्तरदायी है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अब तक इसके लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई?

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री (डा. रामप्रताप): (1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2016 को दी गई राय के अनुसार "पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट-2004 एवं इसके प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2016 को दी गयी "ओपिनियन" की छाया प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इस संदर्भ में राज्य सरकार को पंजाब सरकार से कोई पत्र/मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के हितों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण विषय है। राजस्थान को भाखड़ा कैनाल से जो पानी मिल रहा है, उससे संबंधित मेरा पहला प्रश्न है क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31.12.1981 को राजस्थान, पंजाब और

(श्री जोगाराम पटेल)

हरियाणा प्रदेशों के मध्य किस नदी या बाँध के पानी के बंटवारे या हिस्से को लेकर क्या एग्रीमेंट निष्पादित हुआ था। इसके मार्फत राजस्थान प्रदेश को कितना एमएएफ पानी मिलना तय हुआ था। तब से वर्ष 2004 तक और वर्ष 2004 से वर्ष 2016 तक राजस्थान प्रदेश को कितना एमएएफ पानी मिलता रहा। कृपया यह भी स्पष्ट करें कि क्या पंजाब विधान सभा को उक्त अनुबंध दिनांक 31.12.1981 व सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री दिनांक 15.1.2002 के मौजूदगी के बावजूद भी पंजाब सतलज यमुना लिंक केनाल ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी राइट बिल 2014 को पारित करने का अधिकार था।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रावी और व्यास नदियों का प्री-पार्टीशन यूज़ेज को हटाकर जो सरप्लस पानी था उसका आकलन किया गया 1921 से लेकर 1960 तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जो टोटल पानी था वह 17.17 एमएएफ था, उसमें से राजस्थान के हिस्से में 8.6 एमएएफ आया। लेकिन चूंकि राजस्थान केनाल या इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट अपने इनिशियल स्टेज पर था, यह उस एग्रीमेंट में है कि राजस्थान अपने हिस्से का पूरा पानी यूज नहीं कर सकेगा और 8 एमएएफ पानी ही यूज कर सकेगा, इसलिए .6 एमएएफ पानी जब तक राजस्थान अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता, पंजाब इसको यूज करता रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आपने फरमाया कि इसका 8 एमएएफ के हिसाब से, हर साल पूरा 8 एमएएफ नहीं मिल सकता क्योंकि जो डेम की स्थिति होगी, जितना स्टोरेज होगा संबंधित स्टेट का शेयर भी उसी हिसाब से होगा, जैसे अपना 8 एमएएफ है तो उससे घट कर कम हो जायेगा। दूसरा आपने और क्या पूछा था?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा यह निवेदन था...

श्री अध्यक्ष: यह दूसरा पूरक प्रश्न कर रहे हैं?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दूसरा नहीं है, वह प्रश्न भूल गये इसलिए वापस याद दिला रहा हूं। मेरा निवेदन यह था कि यह जो एग्रीमेंट था वह एग्रीमेंट किस नदी या किस बाँध के पानी के हिस्से या बंटवारे को लेकर था और जब 2004 का सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय था, डिक्री थी तो उस निर्णय और डिक्री की मौजूदगी में बाईलैटरल एग्रीमेंट था उसके बावजूद भी

(श्री जोगाराम पटेल)

पंजाब विधान सभा ने पंजाब सतलज यमुना लिंक कैनाल ट्रांसफर ऑफ प्रोपटी राइट बिल, 2014 पारित कर दिया। जिन जिन लोगों की लैंड एक्वायर हुई थी पंजाब सरकार ने हरियाणा और राजस्थान को पानी नहीं देने की नीयत से उनको वापस जमीन सुपुर्द करने का जो बिल पारित किया है इसकी आवश्यकता क्या इन सबकी मौजूदगी में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की मौजूदगी में बाईलैटरल एग्रीमेंट होने के बावजूद भी उनको बिल पारित करने का राइट था या नहीं था और राजस्थान सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की, यह पहला प्रश्न था।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भूला तो नहीं था लेकिन माननीय सदस्य ने दो तीन चीजें इकट्ठी मिला दीं। आपने फरमाया है कि यह टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पारित करने का क्या औचित्य था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट ने 4.6.2004 को फैसला दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को डाइरेक्शन दी थी कि एसवाईएल कैनाल का एक महीने में इसको टेक ओवर करके इसका काम शुरू किया जाये। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया तो इससे मेरे खयाल से बचने के लिये पंजाब गवर्नमेंट उस एक महीने में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट लेकर आई। आपकी जो क्वेरीज है उसको मैं यही पूरी कर देता हूं, इसमें झगड़े की जड़ है एक्चुअल एसवाईएल कैनाल। एसवाईएल कैनाल के साथ साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, एग्रीमेंट एक्ट में अगर आपने पढ़ा होगा तो जो इसका पाँच नंबर का क्लाज है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट तो नहीं है लेकिन मैं हिंदी में बता देता हूं, उसमें हमारे इंटरेस्ट है वह इन्होंने सेव किये हैं। तो, 81 के एग्रीमेंट से पहले जो हमारे यूजेज थे, यानी कि 8 एमएएफ तक और उधर एसवाईएल कैनाल बिलकुल नहीं भरे, इसके लिये उन्होंने यह एक्ट पारित किया, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें 8 एमएएफ के हिसाब से लगातार पानी मिलता आ रहा है और .6 हमारा इस एग्रीमेंट की वजह से प्रभावित था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपनी हिदायत दी है उसमें पंजाब के इस एग्रीमेंट को संविधान विरोधी बताते हुए इसको नकारा माना है। अगर आप कहो तो मैं इसको पढ कर सुनाऊं क्या?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप कॉपी दे देना। थोड़ा राजस्थान विधान सभा को आप स्पष्ट करें कि राजस्थान को जो पानी मिलने वाला हक था, यह इंडस ट्रीटी 1960 की थी या बाईलैटरल 1981 का था या 2002 की सुप्रीम कोर्ट की डिक्री थी। यह सब होने के बावजूद भी राजस्थान को अपने हिस्से के पानी से वंचित रखा जा रहा है, उनका अपना इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन राजस्थान की जनता आपकी ओर देख रही है, राजस्थान की जनता यह मांग करती है कि हमारे हक का पानी चाहे 8.6 दो या जो पानी मिलने वाला है, वह उनको क्यों नहीं मिले, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान स्टेट के इंटरेस्ट का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में इस एग्रीमेंट के खिलाफ 14.07.2004 को एक प्रस्ताव/संकल्प ध्वनि मत से पारित किया गया और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर उच्चतम न्यायालय की राय हेतु मामला दिनांक 22.07.2004 को संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भेजा। राजस्थान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट यूनियन लॉ मिनिस्टर और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को इसके संविधान के पीठ के गठन के लिये लगातार प्रयास करती रही। फिर उसके बाद 10.11.2016 को संवैधानिक पीठ द्वारा इस प्रकरण में सुनवाई पूर्ण कर ओपीनियन दी। जिसके अनुसार टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यह अपने लिए एक बड़ी जीत थी कि 2004 से 2016 तक यह सुप्रीम कोर्ट में चलता आ रहा है। जो राय दी थी, उसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं-

“For the aforesaid reasons, in our opinion, the Punjab Act can not be said to be in accordance with the provisions of the Constitution of India and by virtue of the said Act the State of Punjab can not nullify the judgment and decree referred to hereinabove and to terminate the Agreement dated. 31st December, 1981.”

(डॉ. रामप्रताप)

यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया है। अगला सवाल आपका सिंधु नदी से है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ट्रीटी 1960 की थी, वह क्या थी? उस ट्रीटी का आपके टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट में क्या प्रभाव है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी जब उन्होंने इसके खिलाफ। वह 1960 में थी, फिर 1981 में थी।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आमने-सामने नहीं। इसके जवाब के बाद नरपत सिंह जी पूरक प्रश्न करेंगे।

डॉ. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): इसका मैं जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष: हां, इसका जवाब दे दीजिए।

डॉ. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी सिंचाई मंत्री रहे हो। टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट और सिंधु नदी जल समझौता दोनों अलग चीजें हैं। इनका कोई लेना-देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री नरपत सिंह जी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी एक बात कही कि इराडी ट्रिब्यूनल की 1981 में फाइंडिंग थी और लोंगोवाल एग्रीमेंट था, उसकी इस विधान सभा में चर्चा हुई। इराडी ट्रिब्यूनल ने जो अपनी फाइंडिंग दी, वह राजीव लोंगोवाल अकोर्ड के रूप में हुआ। अगर वह टर्मिनेशन होता है तो तब तक तो राजस्थान का कोई बहुत बड़ा अहित नहीं होने वाला है। जो इंडस ट्रीटी हुई है, उसमें 52.52 परसेंट राजस्थान का शेयर है, लेकिन अभी सिर्फ 49.5 परसेंट मिल रहा है। वह परसेंटेज घटाने का, प्रो-रेटा रिडक्शन बढ़ना तो एग्रीमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर प्रो-रेटा नहीं होगा। उस समय का आपको भी ध्यान होगा। इस को पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से चैलेंज किया था कि 1981 लोंगोवाल अकॉर्ड में राजस्थान के हितों को बेचा है। 0.6 एम.ए.एफ. पानी केवल तब तक कंजम्पटिव यूज कर सकता है, जबकि राजस्थान में उसको यूज करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप नहीं हो। आज राजस्थान में पानी की कमी है। सूरतगढ़ व अनूपगढ़ में जगह-जगह अपने हितों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गंग कैनाल का

(श्री नरपत सिंह राजवी)

1.11 एम.ए.एफ पानी प्री-पार्टिशन शेयर था, वह प्रोटेक्टेड है। वह 8 एम.ए.एफ से over and above है। गंग कैनाल में भी इस बार पानी की कमी हुई थी और गंग कैनाल में रोटेशन और रैगुलेशन में अनियमितता होने के कारण लोगों ने आंदोलन किया और तब जाकर वह स्थिति सुधरी है। मंत्री जी के खुद के क्षेत्र में आंदोलन हुए हैं। अभी भाखड़ा वाले तो आराम में हैं। क्योंकि ये सारी स्थितियां इस प्रकार की हो गईं कि 49 परसेंट और उसके बाद 1370, 1369 से जब लेवल नीचे आता है तो पंजाब को हाथ जोड़ना पड़ता है। वॉटर रिसोर्सेज मिनिस्टरी में 1978 में, जब आप भी यहां पर मंत्री थे, तब उसमें कम्पलीट प्रोफाइल जिसमें बी.वी.एम.बी. केन्द्र राजस्थान अपने हाथ में लेगा और उसका नोटिफिकेशन करीब-करीब तैयार था। किन्हीं कारणों से, प्रकाश सिंह जी बादल, तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा निवेदन करने पर उसको डिले किया। मंत्री जी ने उसके बाद मुख्य मंत्री के माध्यम से कहीं पर भी किसी भी स्तर पर चर्चा तो की होती कि राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है। पीने को पानी नहीं है। आप सीकर और झुंझुनूं तक राजस्थान कैनाल का पानी लेकर आ रहे हैं, उधर बाड़मेर तक जा रहा है। पूरे नागौर में जा रहा है। पीने को पानी उपलब्ध कराना फर्स्ट चार्ज है। पीने के पानी में कमी आ रही है। पीने का पानी नहीं होगा तो सिंचित क्षेत्र विकास का जो डिपार्टमेंट है, वह बंद करने की स्थिति में आ जाएगा। मंत्री महोदय ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

डॉ. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सिंचाई के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। मेरे खयाल से इनकी जुबान स्लिप हो गई। 52.52 सिंधु नदी के समझौते से नहीं है, 1981 के एग्रीमेंट से है। आपने जैसा फरमाया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप एक बार चैक कर लेना, इसमें गलती निकले तो मैं दुबारा सिंचाई पर नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आपने पाइंट आउट कर दिया।

डॉ. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 17.17

(डॉ. रामप्रताप)

में 8.6 का भाग दो तो आपका हिसाब निकल जाएगा। दूसरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): एक मिनट मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: आपस में सवाल-जवाब नहीं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, 52.52 परसेंट शेयर 15.15 एम.ए.एफ मानते हुए किया है।

श्री अध्यक्ष: आप अपना जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं अगला पूरक प्रश्न पुकारता हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, 15.15 एम.ए.एफ पानी का फ्लो मानते हुए, 52.52 था, 17.17 करके..। 52.52 परसेंट शेयर है, लेकिन 6 एम.ए.एफ बार है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डॉ. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पार्टी पर नहीं बोल रहा हूं। चाहे कांग्रेस का राज रहा है, चाहे बीजेपी का राज रहा है। हम हमारे शेयर के लिए सचेत हैं और इराडी कमीशन में जैसे आपने 81 बताया, वह भी 87 है। आप करेक्ट कर लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें दो लाइनें पढ़कर सुनाता हूं। इराडी कमीशन का नोट है। “The share of Rajasthan in the surplus water fixed at 8.6 m.a.f. and that of Delhi, water supply fixed 0.20 m.a.f. under the 1981 Agreement shall be made unaffected.” shall है। इराडी कमीशन ने भी माना है और बाद में इन्होंने जो किया है। मैंने आपको स्पष्ट बताया है। मैंने इसे पूरे ध्यान से देखा है। माननीय सदस्य आप जो फ़रमा रहे हैं, वह सारा का सारा झगड़ा एस.वाई.एल. की वजह से है। हमारा 0.6 है। वह हमें नहीं मिल रहा है, उसके प्रयास में कोई कमी नहीं है। चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे हमारा राज रहा हो। जब से आई.जी.एन.पी. का सिस्टम डवलप हुआ है, तब से लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चिंता आपने सिंचाई के बारे में जाहिर की तो मैं डिमांड के टाइम बताऊंगा कि किस किस्म के कबाड़े किए हैं, जिस वजह से यह सिस्टम खराब हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के हिस्से का जहां तक इन्दिरा गांधी नहर के पानी का प्रश्न है और जो स्थिति आज इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के किसानों की बनी हुई है, निश्चित रूप से हम उसके लिए चिंतित भी हैं। जिस तरह से पंजाब की सरकार..।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए। सवाल कीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): चाहे पूर्ववर्ती सरकार थी या अब जो सरकार बनी है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी हमें हमारे हिस्से का 0.6 एम.ए.एफ. पानी पूरा नहीं दिया और अब मौजूदा सरकार बनी है। जिस दिन मुख्यमंत्री निर्वाचित हुईं, उसी दिन उन्होंने बड़े साफ शब्दों में घोषणा की कि हम पंजाब के अलावा किसी को एक बूंद पानी नहीं देंगे। निश्चित रूप से यह राजस्थान के लिए चिंता का विषय है। मैं मांग करता हूं कि यह पवित्र सदन इस बारे में चिंता करें और पंजाब से हमारे हिस्से का पूरा पानी ले। बाकी सारे जवाब माननीय मंत्रीजी से ठीक ढंग से आ गए। हमें हमारे हिस्से का पूरा पानी चाहिए। ताकि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के किसानों को पूरा पानी मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उस एग्रीमेंट के अंतर्गत रोपड़, फिरोजपुर और हरिके के हैडवर्क्स जो हैं, वे केवल पंजाब के नियंत्रण में नहीं रहे हैं, वे भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट के नियंत्रण में हैं। उसके लिए हमने क्या कार्यवाही की? ताकि उन हैडवर्क्स पर संयुक्त स्वामित्व होने से हमको हमारा पानी समय पर मिल सके, इसके संबंध में सदन को जानकारी दे दें।

डॉ. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम सवाल है। अगर हैडवर्क्स का कंट्रोल किसी कॉमन एजेंसी के पास आ जाए तो फिर ये सारे झगड़े ही दूर हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से 0.6 एम.ए.एफ. नहीं मिल रहा, उसी तरीके से मैं यह नहीं समझ पा रहा कि कौनसे कारण हैं? पॉलिटिकल तो डेफिनेटली है, चाहे किसी का राज रहा हो।

(डॉ. रामप्रताप)

अन्यथा जब एग्रीमेंट में यह प्रोविजन रखा गया है। हैडवर्क्स का कंट्रोल का बी.वी.एम.बी. के पास रहना चाहिए। यह अभी तक पंजाब के अंडर में है।

श्री अध्यक्ष: 14 सैकिण्ड के लिए कोई सवाल करना चाहे तो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि यह अन्तरराज्यीय जल विवाद है। वास्तव में पानी की बहुत ज्वलंत समस्या है। इसके लिए सदन चाहे तो आधे घंटे का समय..

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांचौर के ब्लॉक चितलवान एवं सांचौर में नर्स श्रेणी द्वितीय को वेतन नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से कोटा के नयापुरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवन को नियमों के विपरीत उम्मेद क्लब संस्था को दिए जाने से सरकार को हुई राजस्व हानि के संबंध में।
3. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में नव चयनित व्याख्याताओं को नियुक्ति नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से बुहाना तहसील में स्थित ग्राम मांडी में असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर डालकर मुख्य रास्तों को बंद करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
5. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से श्रमिक कल्याण सुविधा केन्द्र को बाडमेर जिला मुख्यालय पर नहीं बनाया जाकर बालोतरा में शुरू करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पेयजल समस्या समाधान के लिए कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना शीघ्र प्रारंभ करने के संबंध में।

7. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में जन प्रतिनिधियों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अपराधियों द्वारा धमकी दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री श्रवण कुमार, श्री मेवाराम जैन, श्री पूरणमल सैनी एवं डा. किरोड़ी लाल को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए मूंगों का भुगतान तत्काल किसानों को करने व अन्य फसलों की खरीद हेतु क्रय केन्द्र बनाने के संबंध में।

2. श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षित श्रेणी में कृषि कनेक्शन दिए जाने के संबंध में।

3. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहौर के कस्बा सियाणा को उप तहसील बनाये जाने के संबंध में।

4. श्री गोपाल कृष्ण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के सुजानदेसर में पानी की निकासी की व्यवस्था तथा करमीसर क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण कराने के संबंध में।

5. श्री तरुण राय कागा, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौहटन में शय्याओं की संख्या बढ़ाने के संबंध में।

6. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से कोटपूतली क्षेत्र में

(श्री अध्यक्ष)

ओवरलोड वाहनों को चलने से रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने के संबंध में।

7. श्री रामपाल, सदस्य की ओर से अटरू उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्‌यालय खोलने के संबंध में।
8. श्री कन्हैयालाल, सदस्य की ओर से टोडारायसिंह में राजकीय सामुदायिक केन्द्र में शय्याओं की संख्या में वृद्‌धि किए जाने के संबंध में।
9. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से कृषि उपज मंडी समिति, गंगापुर सिटी में सरसों की नीलामी को बंद किए जाने से किसानों के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में।
10. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में मुख्य मार्गों की क्षतिग्रस्त सड़कों को स्वीकृत कर बनाये जाने के संबंध में।
11. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्‌यालय राजगढ के खेल स्टेडियम की जर्जर स्थिति के संबंध में।
12. श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर में गौसंरक्षण किए जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्‌वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आज भी तीन मांग हैं और दो मंत्रियों को जवाब देना है, 35 माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो समय की बचत होगी। कल भी रात दस बजे तक सदन चला था, इसलिए मेरा निवेदन है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 21 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 64 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गई जो निम्नांकित है:-

1. श्री कैलाश भंसाली, जोधपुर शहर में यातायात को व्यवस्थित किए जाने हेतु अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग का निर्माण किए जाने के संबंध में।
2. श्री बच्चू सिंह, विधान सभा क्षेत्र बयाना में बन्ध बारेठा से निकलने वाली नहरों को पक्का करने के संबंध में।
3. श्री जगदीश मीणा, जमवारामगढ़ बाँध से उप तहसील मुख्यालय आंधी तक क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण किए जाने के संबंध में।
4. डॉ. मंजू बाघमार, नागौर में पशु अनुसंधान केन्द्र खोलने के संबंध में।

श्री श्रवण कुमार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बुहाना के ग्राम मांडी में असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्य रास्ते का अवरोध

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से 6 माह पूर्व ग्राम मांडी में असामाजिक तत्वों ने पूरे ग्राम के चारों तरफ रास्तों में पत्थर डाल दिए। यही हालात उसके देखकर, ग्राम गाड़ाखेड़ा में 50 गांवों का रास्ता है, उस पर दो व्यक्तियों ने दीवार खड़ी कर दी। कलेक्टर साहब का नाइट हाल्ड था बुहाना में, गांव के लोग जाकर भी मिले कि साहब यह क्या हो रहा है, हमारी हालत खराब हो रही है। उसके बाद उन्होंने आदेश भी दिया, एसडीएम ने जाकर भी देखा। एसडीएम ने जाकर देखा, कहा ठीक हैं मैं बात करता हूं। फिर बीडीओ को भेजा, बीडीओ ने कहा यह अवैध है, इसको हटा देंगे। इस प्रक्रिया को चलते हुए 6 महीने हो गए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सोई हुई सरकार है, कोई काम करने में इच्छुक ही नहीं है। उसके

(श्री श्रवण कुमार)

बाद बीडीओ ने मना कर दिया, मेरे ऊपर दवाब है। एसडीएम ने कह दिया मेरे ऊपर दवाब है। अब कलेक्टर ने तो यह कहा नहीं कि दवाब है, यह दवाब कहां से आता है, मुम्बई से आता है, कलकत्ता से या मद्रास से आता है, मुझे मालूम नहीं है। पर वह काम नहीं हुआ।

उसके ठीक तीन महीने के बाद में गाड़ाखेड़ा में रास्ता बंद कर दिया। न तो गाड़ियां जा सकती और न ही लोग उधर से गुजर सकते हैं। हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। यहीं हालात रहे तो कोई आदमी नहीं जा सकता। कलेक्टर साहब को कह दिया, एसडीएम, बीडीओ को कह दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं है। तहसीलदार बोलता है मेरी तो हैसियत ही क्या है, जब कलेक्टर ही नहीं कर सकता। तो यह कोई जवाब है क्या? मैं तो यह सोचता हूं, मैंने तो 36 साल में ऐसा देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूं कि सरकार के नीचे वाली मशीनरी एकदम लैप्स हो गई। वह काम ही नहीं करना चाहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल आप पर ही आशा है कि आप आदेश दें कि वह कार्यवाही तत्काल हो। मैं यह नहीं कहता कि गलती किसकी है। गलती जो भी करता है उसको दण्ड मिलना चाहिए। मेरा प्रश्न यह नहीं है कि कौनसे आदमी ने गलती की है। मेरा प्रश्न यह है कि रास्ता खुलना चाहिए और काम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आपने ध्यान खींच लिया। कोई रेस्पोंड करेगा?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीड़ पर्वत से भारी हो गई। एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए।...(व्यवधान)... मेरा मकसद हंगामा मचाना नहीं है। मेरा मकसद व्यवस्था में सुधार करने का है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... शांत रहें, कृपया शांत रहें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सूचना मुझे प्राप्त हुई है वही मैं बता रहा हूं। यह शिकायत है कि रोडी गिट्टी डालकर उन्होंने अपने मकान के आगे कुछ बना लिया उसके कारण से रास्ता अवरूद्ध हो गया, ऐसी शिकायत है। पुलिस ने जो रिपोर्ट मुझे भेजी है, क्योंकि आपका

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रस्ताव आने के बाद मैंने मंगाया इसमें से। परिवाद करने वाले व्यक्ति, जो परिवादी है वह रामेश्वर जाट, माथूराम, झुन्झुनूं के लोग है, इन्होंने शिकायत की महावीर जाट, दयाल जाट, रामकिशन जाट, महिपाल जाट, मानसिंह जाट इनके खिलाफ। परिवाद की जो जांच की गई उसमें पाया गया कि 5-6 साल पूर्व आरोपीगण के खाली प्लाट थे जिसमें से पानी जाता था। अब वहां आरोपियों द्वारा अपने पक्के मकान बनाए जाने से पानी का रास्ता चेंज हो गया। घटना स्थल पर नाली जैसे कोई साक्ष्य मौजूद नहीं पाए गये। महावीर के मकान के आगे ताजा रोडी सीमेंट डालकर पक्का रास्ता बनाया हुआ है। घटना स्थल पर ताजा पानी अवरूद्ध करने, नाली अवरूद्ध करने का, अतिक्रमण करने का कोई तथ्य वहां उपस्थित नहीं है। रास्ते में वर्तमान लोगों के आने जाने, किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं है। जो मुझे दी गई वही मैं बता रहा हूं अगर आपको इसमें संदेह है तो मैं दुबारा कलेक्टर को भेजकर, एसडीओ को भेजकर, वहां वस्तु स्थिति को दिखवा लेंगे। वास्तव में अगर उसका अधिकृत रूप से प्लाट है और पहले उसने मकान नहीं बनाया तो आज वह अपना मकान बनाने के लिए अधिकृत है तो मकान तो बनाएगा। पहले उसमें से होकर पानी चला जाता था इसलिए किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी। अब उसने अपना मकान बना लिया है इसके कारण से पानी दूसरे रास्ते से जा रहा है। फिर भी आपको किसी प्रकार का संदेह है तो आज आपके इस आधार पर मैं कलक्टर को भेजकर, जो भी एसडीओ मौके पर जाएगा वस्तु स्थिति को लेकर आएगा। गलत होगा तो कार्यवाही कर लेंगे और गलत नहीं होगा तो उसको किसी प्रकार से छेड़खानी हम नहीं करेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गाड़ाखेड़ा और है न।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दो साथ में हैं न। यह तो मांडी की वस्तु स्थिति को आपने अवगत कराया है। यह गाड़ा खेड़ा दूसरा पंचायत हेड क्वार्टर है, जो आपकी सांसद ने गोद ले रखा है, स्वच्छ अभियान में। उसके बाद यह स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपकी सासंद संतोषजी अहलावत ने उस गांव को गोद ले रखा है। उसके बाद भी यह स्थिति है। उस गांव के अन्दर से आदमी नहीं गुजर सकता।

श्री अध्यक्ष: श्रवणकुमारजी, विराजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह जो प्रश्न आपने दिया है, यह बुहाना तहसील के गांव मांडी में असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर डाल कर मुख्य रास्ते को बंद करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में, इसकी मैंने आपको सूचना दी है। जो आपने लिखा है, उसकी सूचना मैंने दी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मांडी, ग्राम गाडाखेड़ा, दो लिखे हैं मैंने, साहब। मांडी भी लिखा है और गाडाखेड़ा भी लिखा है। हो सकता है, आपको सूचना गलत दी है। आपकी कहीं भी गलती नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कोई बात नहीं है। आपने जो कहा है, उसको सुधारते हुए ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सरकार को अंधेरे में डालने के लिये, सरकार के नुमाइंदे डालते हैं। आप थोड़ी गलती करते हो। आप के नीचे जो मशीनरी है वही तो अंधकार में डालती है। यह गाडा खेड़ा गांव का नाम लिखा है मैंने।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप विराजो। ...(व्यवधान)... आपने जो लिखा है उसको ले करके कलेक्टर को फिर भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। ध्यान खींच लिया आपने। उस पर कार्यवाही होगी। गृह मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कलेक्टर को रिपोर्ट भिजवा करके, जो नाम आपने लिखा है उसको दुबारा दिखवा देंगे, अधिकारी को भेज करके, मौके की वस्तु स्थिति जो है, वहां देख करके, अगर उसने इल्लीगल कोई अतिक्रमण किया है तो निश्चित रूप से हटाएंगे। अगर वह लीगली है, अगर उसका प्लाट है, और उसने बनाया है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): लीगल हो तो मैं कहूँगा ही नहीं। लेकिन इल्लीगल हुआ तो कार्यवाही करवा देना।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में श्रमिक कल्याण सुविधा केन्द्र की स्थापना

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला मुख्यालय है और श्रम विभाग का कार्यालय बालोतरा में खुला हुआ है। बाड़मेर में तेल के अथाह भण्डार हैं, लिग्नाइट के भण्डार हैं। हजारों श्रमिक बाड़मेर में कार्य कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये हजारों संगठित श्रेत्र के मजदूर जो बाड़मेर में काम कर रहे हैं उनके लिये बालोतरा के अन्दर कार्यालय तो खोला हुआ है, परन्तु जो श्रमिक कल्याण केन्द्र है, वह श्रमिकों के हित के लिये बाड़मेर में खोला जाये ताकि बाड़मेर के इन मजदूरों को राहत मिल सके। जो बालोतरा का कार्यालय है, उसमें न तो श्रम विभाग का कोई अधिकारी तैनात है, न कोई इंस्पेक्टर है, वहां पूरे पद खाली हैं।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में जो श्रमिक हैं, उनकी बेटी, जिनको 50 हजार रुपये शादी के लिये देते थे, एक अगस्त, 2011 को सर्कूलर, जिसमें था कि श्रमिक, जो मकान, पुल, सड़क आदि में जो काम कर रहा है, उसके लिये 50 हजार रुपये सरकार देती थी।

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं करें। बैठिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उस नियम को 21.09.2015 में बदल कर शुभलक्ष्मी योजना शुरू की, जिसके अन्दर एक शर्त लगाई कि आठवीं पास बच्ची को ही वे पैसे मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि गांव के अन्दर गरीब की बच्चियां, जो मजदूरी करके पेट पालते हैं, वे आठवीं पास नहीं मिल रही हैं, उनको पैसों का लाभ नहीं मिल रहा है। 2015 में लोगों के आवेदन किये हुए हैं और सवा सौ से ज्यादा आवेदन कार्यालय में पेंडिंग पड़े हैं। वहां हालत यह है कि जोधपुर से अधिकारी दो दिन के लिये बालोतरा आते हैं। उनके एजेण्ट बैठाये हुए हैं, जिनकी इच्छा हो, जो पैसे दें, उनका तो फार्म पास हो जाता है। बाकी सवा सौ, जिनको साल हो गया, डेढ़-डेढ़ साल हो गये, दो-दो साल हो गये, उनके बच्चे तक हो गये उनको लाभ नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो श्रमिक ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप रेज कर दीजिये, जल्दी जवाब दे देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कर रहा हूं, साहब। जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, श्रमिकों के लिये सरकार ने इतनी कल्याणकारी योजनाएं योजनाएं प्रारम्भ की हैं, श्रमिक को किस प्रकार लाभ मिले, श्रमिक का रजिस्ट्रेशन कराने के लिये, जिनको बार बार बालोतरा जाना पड़ रहा है, वहां ई-मित्र के माध्यम से इनके दलाल बैठे हैं, सीधा कोई जाना चाह रहे हैं तो उनका पंजीयन होता नहीं है। जो ई-मित्रों के जरिये और वहां जो कर्मचारी हैं, उनको पैसे मिलते हैं तो वह रजिस्ट्रेशन होता है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आपने ध्यान आकर्षित किया।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है। मंत्रीजी इस पर जवाब भी दें और इस पर कार्यवाही करें कि इन गरीबों को राहत मिले। मजदूरों से ज्यादा कोई हित की बात होगी नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह जवाब दिलवायें। ...(व्यवधान)... बहुत गम्भीर विषय है, साहब।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हां, बहुत गम्भीर है। देखिये, मंत्रीजी खड़े हो गये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार तो मजदूरों के प्रति बहुत ही ज्यादा गम्भीर है। माननीय सदस्य ने जो स्थगन लगाया है, वह इनका उद्देश्य था कि बाड़मेर के अन्दर कार्यालय खुलवाने की बात हो। वस्तु स्थिति इस प्रकार से है, अब आप सुनिए जैन साहब। प्रारम्भ से ही श्रम विभाग का कार्यालय, आज का नहीं है, श्रम विभाग का कार्यालय बालोतरा में स्थित है। बाड़मेर जिले की 90 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले 80 प्रतिशत श्रमिकों की संख्या बालोतरा में है। यह सब होने के कारण श्रमिकों का ध्यान रखने के लिये, उनकी सुविधा देने के लिये हमारा विभाग बना हुआ है। तो जहां श्रमिक होंगे, वहीं सुविधा दी जाएगी। तो श्रमिक वर्ग को अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रम संगठन, कर्मचारी संघ, अभिभाषक संघ, जिनके हमारे पास समय-समय पर पत्र भी आते रहते हैं, संघ आदि द्वारा समय-समय पर बालोतरा में श्रम विभाग की सुविधाएं बढ़ाने की मांग आती रहती है। अत: सहायक श्रम आयुक्त के पद को बालोतरा, जिला बाड़मेर में ही रखने का हमने निर्णय लिया।

(डॉ. जसवन्त सिंह यादव)

श्रमिक कल्याण सुविधा केन्द्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार की वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के अनुक्रम के प्रथम चरण में 16 जिलों में ये केन्द्र खोले जा रहे हैं। उनमें से एक केन्द्र, धन्यवाद देना चाहिये जैन साहब को, बाड़मेर जिला हमने सबसे पहले लिया है, एक केन्द्र श्रम विभाग के बालोतरा, जिला बाड़मेर में खोला जाना प्रस्तावित है। ...(व्यवधान)... अब आप सुनिये पहले।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह बाद में हुई है, इसलिये बाड़मेर जरूरी हो गया।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): जिला मुख्यालय होने से बाड़मेर का भी अपने आपमें महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर श्रम विभाग का कोई कार्यालय नहीं है। न ही कोई स्टाफ इत्यादि स्वीकृत है। जैसे ही हमारे पास वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे, निश्चित रूप से जिला हैडक्वार्टर हम खोलने की कोशिश करेंगे। ...(व्यवधान)...

अब, माननीय, आपने जो दो-तीन बातें कही हैं, यह जो भ्रष्टाचार की बात है, मेरे खयाल से आपको अपनी सरकार का कार्यकाल याद है। ...(व्यवधान)... हमने सारा ऑन लाइन कर दिया है। जहां ऑन लाइन सुविधा हो जाती है। ...(व्यवधान)...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अबकी बात है। ...(व्यवधान)... मांग कर रहा हूं, जांच कमेटी बैठाओ और जांच करो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आप सुनिए, कोई भी आदमी ई-मित्र में जाए, पंचायत समिति में जाए, पंचायत में जाये या सीधा हमारे कार्यालय में जाए, चार कागजों की जरूरत होती है। ऑन लाइन कर दिया जाता है तो भ्रष्टाचार बीच में कहां से आ गया।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ऑन लाइन वाले हो नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मेवारामजी, नहीं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सवा सौ फार्म बालिकाओं के पेंडिंग हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपकी बात आ गई, आप जवाब आने दीजिये। ...(व्यवधान)...मैं या तो जवाब को बंद करवा दूंगा। नो, नो, नो, यह तरीका नहीं है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को थोड़ा सा इस बारे में ज्ञान यह होना चाहिये कि आदमी अगर अपने पूरे कागजों की पूर्ति नहीं करेगा तो कम्प्यूटर का यह सिस्टम होता है कि कोई भी कागज उसके अन्दर उपलब्ध नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर उसमें भ्रष्टाचार की बात बीच में कहां से आई।

(12.19 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रहा, 31 दिसम्बर तक की हमारी जितनी पेण्डेंसी थी, वह सारी की सारी हमने क्लीयर कर दी है। फिर भी अगर आपको यह लगे, खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। एक केस भी अगर आप मुझे लाकर देंगे, जिसमें भ्रष्टाचार हो तो निश्चित रूप से उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करुंगा और उस पीड़ित को न्याय दिलवाऊंगा। पर ऐसे ही कहने से ...(व्यवधान)...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 2015 के सवा सौ केस पेंडिंग पड़े हैं, बच्चियों की शादी के पैसे के, इनकी जांच कराओ न। ...(व्यवधान)... और 15 दिन से साइट नहीं खुल रही है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): रही बात, आप अनपढ़ की जो बात कह रहे हैं, हमारी जो शुभ शक्ति योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तीकरण करना। कोई महिला अपना व्यापार करना चाहती हो, जब पढ़ी-लिखी नहीं हो तो व्यापार कैसे करेगी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): इतनी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हैं, उनको पैसे दे नहीं रहे हो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): 55 हजार रुपये देते हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): 2015 से, आज उनको कितने साल हो गये। उसकी तो कराओ, जांच कर लो ना, कागज पूरे हैं या अधूरे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आप अपने मन की स्थिति को ठीक करो और इस सरकार में कितना आपके कार्यकाल में जो बिगड़ा हुआ खेल था उसको सुधारा है। ...(व्यवधान)...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप ठीक करने की बात कर रहे हो। आप कमेटी क्यों नहीं गठित कर रहे हो। ...(व्यवधान)... आप कमेटी गठित कर दो। अगर मैं गलत हूं तो कमेटी गठित कर दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तैयारी करके नहीं आये क्या आप। ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आपके कार्यकाल में जो स्थिति खराब हुई थी, उसको सुधारने में हमारी सरकार को निश्चित रूप से समय लगा है और हमारा विभाग भ्रष्टाचार रहित विभाग है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप कमेटी क्यों नहीं गठित कर रहे हो? आप कमेटी गठित कर दो। भ्रष्टाचार रहित है तो आप जांच करवा दो न, खतम हो बात।....(व्यवधान)....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप तैयारी करके नहीं आये क्या?

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी, जो जवाब मांगा वह जवाब आपने दिया नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री रमेश (सपोटरा): बालोतरा, बाड़मेर की बात थी, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर की और बात आप दूसरी कर रहे हो। आप भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास कर रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप माननीय सदस्य को डरा रहे हो क्या? आप माननीय सदस्य को डरा रहे हो क्या? माननीय मंत्री, डरा रहे हो क्या आप? नहीं, आप डरा रहे हो क्या? डरे रहे हो न आप?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): किसको?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सदस्य को डरा रहे हो न कि आप अपनी मंशा को ठीक करो। मंशा क्या गड़बड़ है इनकी?

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आप क्या मेरे को डरा रहे हो क्या? मुझे धमका रहे हो क्या?

खेतड़ी में पेयजल समस्या का समाधान

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर अपने खेतड़ी नगरपालिका के उन प्यासे लोगों का ध्यान माननीय मंत्री महोदय का खेतड़ी की ओर करने के लिए जो समय दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी कैनाल आधारित चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी खेतड़ी में आने वाला था, झुन्झुनूं में आने वाला था, उसकी ड्यू डेट जुलाई, 2016 थी और आज तक वह आ नहीं पाया है और अभी भी यूं लग रहा है कि साल-छह महीने उसमें आते-आते और लगेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कि देरी से पानी आएगा और पानी की जरूरत चाहे वह नगरपालिका हो या चाहे कोई गांव हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई पशु-जानवर हो, हर दिन की जरूरत होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के पानी आने में जो देरी लगे उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि नगरपालिका खेतड़ी बीस वार्डो की है, उसमें दस-दस दिन से पानी की सप्लाई हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं माननीय मंत्री महोदय ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2012 की 278 लाख की एक स्वीकृति पड़ी है कि 2000 से पहले के जो पाइप लाइन डली थी, जो सीमेंट की पाइप लाइन थी, वह जर्जर अवस्था में है और खेतड़ी नगरपालिका है, वह ऊँचाई पर बसी हुई है और पानी नीचे से हौद में जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि उन पाइप लाइन को दुरुस्त करने के लिए जो 278 लाख की सेंक्शन पड़ी है, दो बार टेंडर तक चली गयी और टेंडर अपरिहार्य कारणों से क्या पता क्यों लगता नहीं या पारित नहीं होता, संवेदकों को नहीं जाता तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मांग है, एक तो उस नगरपालिका के लिए 278 लाख की जो सेंक्शन जारी हुई पड़ी है उसके अविलम्ब टेंडर करवा कर कार्यादेश जारी करें।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी एक व्यवस्था विधान सभा क्षेत्र

(श्री पूरणमल सैनी)

खेतड़ी के चार गांव जो चार हजार की पापूलेशन को पूरा करते हैं और पी.एच.ई.डी. के उन नोर्म्स में पूरा आते हैं कि जिनमें पेयजल सप्लाई हेतु स्कीम बनाई जाती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2013 की स्वीकृत पड़ी है, जिनमें वित्तीय प्रबंधन भी है लेकिन रेटों के बढ़ जाने से और समय पर संवेदक कम्पनियों के नहीं आने से, टेंडर नहीं होने से रेटें रिवाइज्ड आ गयीं, उसके चलते रिवाइज्ड टी.एस. के लिए एस्टीमेट के लिए भेजा गया और दूसरा यह भी आरोप लगाया था कि जब चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का सतही पानी आ रहा है तो और सोर्स क्यों? उसमें यह सोर्स काट कर दुबारा एस्टीमेट करके और चीफ इंजीनियर कार्यालय, जयपुर में वे लंबित पड़ी हैं, चार स्कीम्स- नानूवाली बावड़ी, संजय नगर, पपूणा और ग्राम दूधवा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन चारों स्कीम्स के लिए भी अविलम्ब करें।

तीसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोटी-सी बात है कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में 85 ग्राम लिये थे। उन 85 ग्रामों में काफी जगह ऐसी रह गयी है, एक कमेटी का निर्धारण किया गया था और उन कमेटियों ने पी.एस.पी. का निर्माण जहां-जहां पर होना था, वहां-वहां कर नहीं पाये हैं। काफी पापूलेशन और हैबिटेशंस बच गये हैं, उनके लिए भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका प्रोविजन दुबारा से करवाकर संवेदक कम्पनियों को आदेश दिया जाए और जिनके लिए यह परियोजना बनी है, उन गांवों के समस्त लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से खेतड़ी और उनके 85 गांवों को पानी देने के संबंध में यहां जिक्र किया है, मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि मलसीसर हैडवर्क पर टैस्टिंग का काम चल रहा है, वह जुलाई तक पूरा हो जाएगा और बाकी प्रथम पैकेज और सैकिण्ड पैकेज, प्रथम पैकेज में 91 परसेंट काम हो गया और सैकिण्ड पैकैज में 81 परसेंट काम हो गया है। 954 करोड़ की सेंक्शन के अगेंस्ट में 856 करोड़ रुपये खर्च हो गये हैं।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगस्त तक खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के चालीस गांव और दो कस्बों खेतड़ी और गोठड़ा को पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा और नवम्बर तक खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के 20 गांवों को नहरी जल से लाभान्वित कर दिया जाएगा और मार्च, 2018 तक बाकी बचे 25 गांवों को पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, नम्बर वन।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने दो-तीन स्कीम्स के बारे में जिक्र किया है। जब वृहत्त पेयजल योजना से पानी सप्लाई करने की स्कीम्स बनी हुई हैं तो यह रीजनल स्कीम्स का कोई महत्व नहीं रहता है। फिर भी अगर माननीय सदस्य आकर मिलेंगे और बताएंगे कि कौन-कौन सी स्कीम्स हैं तो उन स्कीम्स के बारे में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय मंत्री महोदय, आपकी बात सही है लेकिन मेरा जो निवेदन था, उस पर गये नहीं। एक तो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में निर्धारित गांवों में पी.एस.पीज. का अभाव रह गया कमेटियों के चलते, उनका क्या होगा?

दूसरा, माननीय, बजट का प्रावधान आलरेडी फरमाया हुआ है और सरफेस वाटर जो आ रहा है, उस वाटर के लिए सोर्स नहीं बनाये जाएंगे, वे इन स्कीम्स से काटे गये हैं। यह राइजिंग लाइन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो राइजिंग लाइन का उस प्रोजेक्ट में समायोजन नहीं किया गया है, इसीलिए इनकी डिमांड 2013 में ही लिफ्ट परियोजना का प्रपोजल था और 2013 में ही इनकी स्वीकृति जारी हो चुकी थी इसलिए यह जरूरतमंद की चीजें हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल मीणा।

प्रदेश में जन-प्रतिनिधियों को मिल रहीं धमकियां

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे की ओर माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रदेश में कुछ दिनों से, कुछ समय से जन-प्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकी, मौत के घाट उतारने की धमकी, जन-प्रतिनिधियों पर

(डॉ. किरोड़ी लाल)

हमले, करीबन पाँच-छह तो सत्ताधारी दल के विधायकों पर भी हमले हो चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा विस्तृत नहीं जाकर मैं एक हाई-प्रोफाइल धमकी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक आरोपी बलवीर जाट ने नागौर के सभापति और बेनीवाल को व्हॉट्स एप पर धमकी दी कि लास्ट पैगाम है, आगे दोष मत देना, दो दिन का इंतजार करूंगा, फिर मुकाबले को तैयार रहना। धमकी दे दी। इसने पहले भी सभापति को धमकी दी थी। चौंकाने वाली बात यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरोपी बलवीर पहले सभापति को जुलाई, 2016 में पहले भी धमकी दे चुका है और न्यायालय में भी बयान दे चुका है, सुपारी देने के भी बयान दे चुका है। अब इसके पीछे कौन है, वह न्यायालय में भी बयान दे दिये। सुपारी देने वाले का नाम बता दिया और पुलिस को भी बता दिया। उसका नाम हरिराम जाट है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल यहां सदन में अभी किया गया था, जिस पर सदन के पटल पर जो मुकदमे रखे, वह करीबन 21 हैं, मैं सूची लाया हूं, माननीय गृह मंत्रीजी का जवाब है और इसके साथ उसके बाद 7 मुकदमे और दर्ज हो गये, 28 मुकदमे हो गये। तीन मुकदमे एस.ओ.जी. में चल रहे हैं। 2017 में भी एक मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हो गया। इसके बारे में कोतवाल नागौर, एस.पी. साहब और कलेक्टर साहब को रिपोर्ट भेजते हैं। थाना कोतवाली, नागौर, अंतर्गत धारा-3, राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2008 के संबंध में, इसको पाबंद करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए राजपासा में।

और वह कोतवाल जी, सरकारी जमीन, विवादग्रस्त जमीन पर कब्जा कर अवैध धन की कमाई का आदी है। इस व्यक्ति की कार्य प्रणाली का कोई भी विरोध करता है तो इनके पास गैंग है, उससे चाहे जो हरकत करवा देता है। अपराधी का नागौर शहर की जनता में इतना आंतक है कि कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध शिकायत देने के लिये तैयार नहीं है और शिकायत कर भी दे तो वह डरा-धमकाकर पक्षद्रोही करवा देता है, मुकदमे में एफ.आर. लगवा देता है। यह भू-माफिया कहीं पर सरकारी बेशकीमती जमीन, गरीबों की जमीन पर रातों-रात कब्जा कर दीवार खड़ा कर देता है और करीबन

(डॉ. किरोड़ी लाल)

करोड़ों रुपयों की जमीन पर इसने कब्जा कर लिया। चाहे गोचर हो, चाहे आगोर हो, चाहे सरकारी हो, चाहे किसी की निजी हो, इसको लेकर इनके खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हुए, 6 और हो गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस.पी. साहब नागौर लिखते हैं कि थानाधिकारी पुलिस कोतवाली थाना में गैर-सायल हरिराम जाट निवासी मानसर थाना नागौर के विरुद्ध राजपासा तीन का इस्तगासा 21 मुकदमों को लेकर दर्ज किया है, इसलिये इस व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने, बेचने, खरीद-फरोख्त करने के मामले को लेकर राजपासा में गिरफ्तार किया जाना, निरुद्ध किया जाना जरूरी है। कलेक्टर भी यही आदेश जारी कर देता है। मैं एम.एस.बिस्सा जिला मजिस्ट्रेट नागौर, ग्रुप-9 विभाग, जयपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.36(13)गृह/9/2011 दिनांक 09.12.2011 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर-सायल हरिराम पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी मानसर थाना नागौर को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर केन्द्रीय कारागृह अजमेर में एक वर्ष की अवधि के लिये निरुद्ध करने का आदेश प्रदान करता हूं। कलेक्टर होम डिपार्टमेंट को भी लिख देता है। यह डिप्टी सेक्रेट्री को पत्र लिखा है। इसमें है, गैर-सायल हरिराम पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी मानसर थाना नागौर के विरुद्ध राजपासा के अधीन कार्यवाही करने के संबंध में। अधिकतर मुकदमे सरकारी भूमि, आगोर, नाड़ी की भूमि पर अवैध कब्जा, सम्पत्ति हथियाने वाला भू-माफिया होने से राजपासा एक्ट की धारा 2(ग) खतरनाक व्यक्तियों की श्रेणी में आने से व धारा 2(6) अपराधी की श्रेणी में आने से आरोपी के क्रिया-कलाप से आम जनता को नुकसान, खतरा व असुरक्षा की भावना होने व सरकारी सम्पत्ति हड़पने का व्यापक खतरा होने से राजपासा एक्ट की धारा 3(4) में लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से आरोपी के विरुद्ध राजपासा प्रथम दृष्टया उचित बनता है। अब यह राज्य सरकार को भी लिख दिया। यह राज्य सरकार के यहां पर पड़ा है। मैं जानता हूं, गृह मंत्रीजी जवाब देंगे तो कहेंगे कि वह हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है, पर जिस आदमी का इतना भय है, इतना डर है, इतना आतंक है कि उसने एक बहुत बड़ी गैंग बना रखी है तो आखिर में सरकार हाई कोर्ट में क्यों नहीं गयी? नहीं जाने से उसने स्थगन ले लिया।

(डॉ. किरोड़ी लाल)

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको देखकर यह अफसोस होगा कि यह हिस्ट्रीशीटर तो है ही, और इतना बड़ा हिस्ट्रीशीटर होने के साथ-साथ, इतने मुकदमे हैं, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी इंटेलीजेंस क्या कर रही है? आपके सुरक्षा वाले क्या कर रहे हैं? जब बिजली की दर बढ़ती है तो बिजली की दर मुख्य मंत्रीजी ने, सरकार ने घटाई तो उसका धन्यवाद देने के लिये यह हार्ड क्रिमिनल, जिस पर 29 मुकदमे लगे हुए हैं, जो राजपासा का मुलजिम है, जो पहले जेल जा चुका है, वह 2 मार्च, 2017 को बाकायदा टाइम लेकर मुख्य मंत्रीजी के बंगले पर आता है। यह हरिराम जाट और मुख्य मंत्रीजी को फेंटा बंधाता है और मुख्य मंत्रीजी भी उसको फेंटा बंधा देती हैं। अफसोस इस बात का है कि यह खुले में मुख्य मंत्री निवास पर, गृह मंत्रीजी, आपकी सुरक्षा एजेन्सियों को आप निश्चित रूप से कोई न कोई प्रताड़ना देंगे? जो इंटेलीजेंस है, वह कितनी फेल्योर है कि एक इतना बड़ा अपराधी मुख्य मंत्री के निवास पर पहुंच रहा है और करीबन 50 लोग, जो उसकी गैंग है, उस पूरी गैंग को लेकर मुख्य मंत्री के निवास पर पहुंचकर फेंटा बंधा रहा है और मुख्य मंत्रीजी भी फेंटा उतारकर उस हार्ड क्रिमिनल के सिर पर रख रही हैं, तो क्या गृह मंत्रीजी, मैं इसको राजनीतिक संरक्षण मानूं? कैसे इसका भय निकलेगा, कैसे आतंक निकलेगा? वह विधायकों को धमका रहा है, वह सभापति को धमका रहा है और धमका-धमकाकर राजनीतिक दल के नेता ऐसे बड़े अपराधी से मिले हों तो मैं आशा नहीं कर सकता कि इतने बड़े अपराधी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात कहें, कोई ऐतराज नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सब लोगों से मिले, उसके माथे पर लिखा है कि वह कौन है? मतलब उस बात को अतिरंजित करने की कोशिश नहीं करें। आप अपने विषय पर आयें, आपको जवाब मिल जाएगा परन्तु यह किसने लिखा, डा. साहब, आप और हम लोग जाते हैं, लोग आपका स्वागत करने के लिये भी खड़े रहते हैं। अगर मैं भी खोजने लगूं तो मैं आपके साथ ही 15 लोगों की इस तरह की फोटो ला सकता हूं जिसमें आप उनकी माला पहन रहे हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय मंत्रीजी, जब एक व्यक्ति दो मुकदमे वाला प्रतिपक्ष के नेता से मिलने आता है तब तो आप उसका बंवडर खड़ा कर देते हैं और इतने 29 मुकदमे वाला घोर अपराधी मुख्य मंत्रीजी से मिलने आता है तो कोई बात नहीं। मिलने आ गया, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? वह उनके सिर पर फेंटा रख रहा है, मुख्य मंत्री को वह फेंटा बाँध रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह किस समय की फोटो यहां दिखा रहे हैं, इस पर कोई तारीख नहीं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, उपाध्यक्ष महोदय, जहां मुख्य मंत्री हजारों लोगों के बीच में जाती हैं, इतनी लोकप्रिय हैं, अगर वहां किसी आदमी ने माला पहना दी या किसी आदमी ने फेंटा बंधा दिया, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि मुख्य मंत्रीजी ने किसी अपराधी को संरक्षण दिया है। अपराधी-अपराधी है। सरकार कटिबद्ध है और सख्त कार्यवाही करेगी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उपाध्यक्ष महोदय, घर पर आकर फेंटा बांधा है। बाकायदा टाइम लेकर 50 भू-माफिया उनके साथ आये हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि अगर इस घटना को तारीखवाइज बोलते तो एकदम आप और यह सदन स्पष्ट हो जाता। मैं सोचता हूं कि जिस घटना को आपने आधार बनाया कि अगर किसी को कोई थ्रेट मिली है तो उसकी सुरक्षा की आप क्या व्यवस्था करते। सामान्यत: मेरे पास जब भी ऐसा कोई प्रकरण आया, चाहे हनुमान बेनीवाल जी का आया हो, चाहे मनोज जी का आया, चाहे और किसी सदस्य का आया, मैंने उसके बारे में संबंधित एस.पी. से रिपोर्ट लेकर उसकी कार्यवाही करने में आधा घंटा भी नहीं लगाया होगा। पूर्व में भी खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य का जब प्रकरण आया तो मैंने उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया। यह स्वयं खड़े होकर कह सकते हैं कि दिया या नहीं दिया। ...(व्यवधान)... एक सैकिण्ड, मैं बोल देता हूं फिर आप बोल लेना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें, ऐसे ही बोल दोगे।

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानित सदस्य, विराज जाओ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से प्रोटेक्शन दिया। मतलब इस विषय के बारे में और जो राजपासा का अभियुक्त है, उसके खिलाफ राजपासा का केस बनाकर हम सौ प्रतिशत अंदर डालते हैं। राजस्थान में पहली बार हुआ होगा, आज की तारीख में राजस्थान के ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, 45 लोग आज की तारीख में जेल में बंद हैं। केस बनकर आता है, केस का वैरीफिकेशन होता है। कई बार हम केस बनाकर उसको अंदर डालते हैं, लेकिन कोर्ट की राय उससे अगर भिन्न आ जाती है तो वह हमारे लिये एक मजबूरी हो जाती है। ये हरिराम वाला जो है, इसमें 12 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी गयी है। हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि मैं इस दृष्टि से कभी भी व्यक्ति में भिन्नता नहीं कर सकता हूं। अपराधी-अपराधी है, चाहे वह मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति हो। मैंने कभी दो चश्में से नहीं देखा व्यक्ति को और मैंने निश्चित रूप से उसका केस जिस ढंग से भी बनना चाहिये, उस ढंग से मैंने केस बनाया है। जहां तक सवाल है, वैसे आपका विषय तो बहुत लम्बा है, प्रोटेक्शन देने के अपने तौर-तरीके हैं। जिन लोगों को स्थायी रूप से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जिनको गार्ड मिली हुई है, वे सूचीबद्ध हैं। जिनको समय समय पर अगर कभी किसी ने भी, चाहे वह जन प्रतिनिधि हो या सामान्य व्यक्ति भी हो, अगर यह शिकायत करता है कि मुझे खतरा है तो निश्चित रूप से हमारे यहां से हम रिपोर्ट मंगाते हैं और रिपोर्ट मंगाने के आधार पर हमारी सी.आई.डी. की रिपोर्ट आती है, उसके बाद हम कार्यवाही निश्चित रूप से करते हैं। यह बहुत लम्बी-चौड़ी सूची है। हो सकता है कहीं सूचना आने में विलम्ब हो गया होगा, कुछ बात हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसको नजर अंदाज कर दें, क्योंकि एक तरह से असुरक्षा की स्थिति राजस्थान का कोई भी व्यक्ति महसूस करेगा तब भी हम सी.आई.डी. को भेजकर उसको कराते हैं। लेकिन केवल यह कि मुझे तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा इस बहाने, यह मेरे लिये संभव नहीं हो सकेगा।

मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। जैसे ही अभी इनको यह जो थ्रैट मिली, जिसके बारे में आपने कहा है और जो सुपारी की बात की है, मैंने उसी समय एस.पी. को कह कर एक एक्स्ट्रा गनमैन इनके साथ लगाया और मैंने कहा, इसकी पूरी रिपोर्ट बना कर आप मुझे भेजो, जिसके आधार पर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इनकी आगे की सुरक्षा की व्यवस्था और कुछ करनी होगी तो वह निश्चित करेंगे।

श्री मनोज जी यहां बैठे हैं, मैं सोचता हूं कि मनोज जी को हमने वाई श्रेणी की, आपको जिस थ्रेट के कारण से और जिसके कारण से आपकी घटना घटी, वाई श्रेणी में एक-चार के इनको गार्ड दे रखे हैं, दो पी.एस.ओ. दे रखे हैं। जांच होने के बाद और रिपोर्ट आने के बाद ही यह व्यवस्था की जा सकती है।

हर व्यक्ति यह चाहे कि इसके कारण से मैं इतनी पुलिस की सुरक्षा गार्ड इन पर लगा दूं, यह तो मेरे लिए संभव नहीं होगा लेकिन यह जिम्मेदारी तो मेरी जरूर है कि उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए मुझे जो भी डिपार्टमेंट की दृष्टि से करना होगा, वह निश्चित रूप से करूंगा।

जिस हरिराम के बारे में कहा है, हमने पूरा केस संगीन बना करके, उसकी जिस तरह से फाइल बन कर के, कम्प्लीट होकर आती है उसके आधार पर हम चलते हैं। ऐसा नहीं कि सडनली मेरे पास आया और उसके कोटा पूरा नहीं तो फिर कोर्ट में जाकर के वह चैलेंज हो जाता है और रिजैक्ट हो जाता है। मेरे जितने केस बने, दो-तीन जरूर रिजैक्ट हुए हैं, बाकी 45 में से 45 ही केस, कोर्ट की जो कमेटी बनी हुई है उसने भी उसको स्वीकार किया और राजपासा एक्ट के बारे में इन पिछले वर्षों में जितने लोगों को अन्दर बंद किया, आज की तारीख में, पहले के दस साल का भी टोटल लगा दो तो 45 लोग नहीं होंगे, जिसको मैंने करने का प्रयास किया।

फिर भी मैं इस बात को मानने को तैयार हूं, अगर कहीं चूक हुई है, कहीं समय पर सूचना नहीं आयी है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं आपकी नहीं, आपके माध्यम से राजस्थान की जनता, सामान्य व्यक्ति को भी अगर किसी प्रकार की थ्रेट है और वो मुझे जानकारी देगा तो सी.आई.डी. से उसका वैरिफिकेशन कराने के बाद जो भी सुरक्षा हम दे सकते हैं वो जरूर देंगे। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

यह मत सोचो कि मेरा चश्मा आपको देखने का कोई और है। दूसरा नहीं है। मुझे राजस्थान का गृह मंत्री बनाया तो केवल मेरी पार्टी का नहीं हूं। मैं सात करोड़ राजस्थान की जनता का गृह मंत्री हूं और उसका ईमानदारी से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पालन करता हूं और ईमानदारी से उस, काम को करने का प्रयास करता हूं।

यह राजपासा विरुद्ध जो केस बना था वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मैंने कहा है कई बार हम केस बनाते हैं लेकिन कई बार कोर्ट उसको स्वीकार नहीं करती। वहां जाकर के हम भी बेबस हो जाते हैं। मैं सोचता हूं, हमने बनाने की कार्यवाही में किसी प्रकार का नहीं, मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूं और आज भी आश्वस्त करता हूं आपको और आपके बाकी सदस्यों को। अगर किसी को भी किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। शौक के कारण से नहीं, कई बार क्या होता है कि मेरे साथ भी चार गनमैन चलें तो मैं आदमी बड़ा बनता हूं। इस शौक के लिए तो मैं राजस्थान की पुलिस का उपयोग नहीं कर सकता हूं, पर जहां आवश्यकता है वहां कमी भी नहीं करूंगा। इस बात को आश्वस्त करता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के एक अपराधी साफा बंधवाता है और आपकी इंटेलिजेंस फेल है ...(व्यवधान)... इससे बड़ी गम्भीरता और क्या हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जिस बात का जिक्र हुआ और उसका उत्तर आ गया। उसका आप अब उत्तर का उत्तर क्या लेना चाहेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आज मैं भी एक जनप्रतिनिधि के नाते सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाता हूं और आजकल सेल्फी का जितना शौक हो गया, अब कोई भी व्यक्ति उस भीड़ में मेरे साथ भी आ कर के सेल्फी ले ले, अब मैं कैसे पता करूं कि यह अपराधी है कि नहीं है? हम सार्वजनिक जीवन में जीते हैं। देखो, एक-दूसरे पर कटाक्ष करना तो बहुत आसान है पर दिमाग में अगर यह हो कि नहीं ...

श्री रमेश (सपोटरा): 20 केस हुआ हुआ सी.एम. हाउस आ जाए या सी.एम. रेजिडेंस आ जाए, उसकी जानकारी नहीं है आपकी पुलिस को।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): कब की तारीख का है, कहां का है, किस जगह का है? कह देने मात्र से नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मार्च का। इस दो मार्च को वसुन्धरा जी के घर का है, और कहां का है। मेरे घर का थोड़े ही है।

और, गृह मंत्री जी, आप कह रहे हो सुरक्षा दे दी, किस को दे दी? ऐसे ही आप पढ़े जा रहे हो, मैंने दे दी। कहां पर दे दी, किसको दे दी? अगर आपका एक एक्स्ट्रा गन मैन हो तो मैं अभी मेरी सदस्यता छोड़ने को तैयार हूं। ऐसे ही जो लिखकर दे दिया बोल दिया आपने। किस को दे दी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक आपके पास ऑलरेडी है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वो तो सब एम.एल.एज. के है, कोई मेरे एक्स्ट्रा नहीं है। आप ऐसे कह रहे हो मैंने हनुमान बेनीवाल को दे दी ...(व्यवधान)... आपने क्या दे दी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ठहरिये, ठहरिये, ठहरिये, ठहरिये। हनुमान बेनीवाल, माननीय विधायक खींवसर, राज्य स्तरीय सुरक्षा व्यू कमेटी ...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमें आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान)... खुद के अन्दर दम है, खुद के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक सैकिण्ड सुनो तो सही। जोर से बोलने से काम नहीं चलता। मैं आपसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है हमारे को। क्या सुरक्षा दोगे आप हमारे को?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप इस बारे में कमजोरी मत समझो। फेफड़े इतने कमजोर नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है हमारे को। आप मरवा देना हमारे को।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): तो फिर काहे को बुलाने के लिए कहा यहां?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो कौन बोला? कौन बोला? ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर जरूरत नहीं थी तो यहां खड़ा करने का विषय क्या रहा?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और आप इस पद पर बैठे हो न, आनन्द पाल को पकड़ लो, वो ही बहुत है। क्या हमारे को सुरक्षा दोगे आप? साढ़े तीन साल के अन्दर ...(व्यवधान)... वो बोल देते हो यहां पर। हनुमान बेनीवाल को यह दिया, वो दिया। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य। सम्माननीय सदस्य। आदरणीय सदस्य, अब कृपा कर के विराज जाओ। ...(व्यवधान)...

मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, कोई भी एडजोर्नमेंट मोशन आपने मूव किया है और आसन ने अगर आपको बोलने की इजाजत दी है तो जिस सदस्य का यह एडजोर्नमेंट मोशन था, उनकी तरफ से अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि किसी और विश्लेषण की आवश्यकता है या आपको उसकी है तो डेफिनेटली आसन आपको करेगा।

मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो भी कोई आशंकाएं और शंकाएं हैं, एक बार आप पूरी तरीके से स्पष्टीकरण दे दें फिर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 17.11.15 के अनुसार पदीय आधार पर एक पी.एस.ओ. सुरक्षार्थ उपलब्ध कराया जा रहा था। श्री हनुमान बेनीवाल को पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा प्रेषित सुरक्षा आकलन रिपोर्ट के आधार पर अस्थायी रूप से दो अतिरिक्त पी.एस.ओ. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.08.16 की पालना में उपलब्ध कराये गये थे, जिन्हें नवीन सुरक्षा आकलन के आधार पर राज्य सरकार के आदेश तारीख 03.01.17 को हटाया है।

इस रिपोर्ट को एक बार दिया, फिर से वापस सी.आई.डी. रिपोर्ट आयी, उसको हटाया। अभी इन्होंने मुझे एक दिन या दो दिन पहले ही यह कहा कि इनको थ्रेट मिली है। मैंने उसी समय एस.पी. को कहा कि इनको एक बार, जब तक रिपोर्ट तैयार होकर के नहीं आती सी.आई.डी. की, तब तक आप उन्हें उपलब्ध करा दें और सी.आई.डी. रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय करेंगे कि यह अतिरिक्त चाहिए, और चाहिए या नहीं चाहिए, उसका निर्णय करेंगे।

तो मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से मैं यह अन्तर नहीं करता हूं कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपने कहा और मैंने नहीं कहा। मैं इनको आश्वस्त करता हूं, इनके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं और राजस्थान की जनता को आश्वस्त करता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार का है तो हमारी सी.आई.डी. रिपोर्ट प्राप्त करके जो भी सुरक्षा की व्यवस्था मैं कर सकता हूं, वो निश्चित रूप से करूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गृह मंत्री जी से एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य सदन के अन्दर अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी की बात करें, इससे आपकी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? लोग क्या कहेंगे आपको? ...(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं यह नहीं कह रहा। यह नहीं कर रहा। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने तो नहीं मांगी है। मैंने कब मांगी? जबरदस्ती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप इतने डरपोक हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान)... खुद कर लूंगा मैं, मुझे आवश्यकता नहीं आपकी सुरक्षा की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप इतने डरपोक हो कि आप राज्य सरकार से सुरक्षा के लिए गुहार कर रहे हो? इतने डरपोक हो आप? ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): करनी पड़ेगी। छवि का क्या ...(व्यवधान)... छवि छोड़ेंगे ही नहीं, साहब।

डॉ. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की सुरक्षा, जब भी किसी को धमकी मिली तो माननीय गृह मंत्री जी ने, सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि बेनीवाल जी की आप सुरक्षा व्यवस्था करो। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं कि

(डॉ. किरोड़ी लाल)

जो हरिराम जाट हार्डकोर क्रिमिनल है, उसका कोर्ट ने पासा निरस्त नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट का स्टे है। तो सरकार क्यों चुप बैठी है, कोर्ट में क्यों नहीं गयी? एक।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आखिर सरकार की भी कोई इंटेलिजेंस होती है, मुख्य मंत्री जी की भी कोई सुरक्षा होती है। हमको तो मुख्य मंत्री जी की सुरक्षा की चिंता है कि हार्डकोर क्रिमिनल 50 व्यक्तियों को लेकर सी.एम. के रेजिडेंस में घुस गया और आठ घंटे तक वहां बैठा रहा और मुख्य मंत्री जी का स्वागत करता रहा, मुख्य मंत्री जी उसका स्वागत करती रहीं। इसका जवाब दो गृह मंत्री जी। यह जो माइनस पाइंट है इंटेलिजेंस का और आपकी सुरक्षा का, आप इंटेलिजेंस और सुरक्षा को लपकाएं, उनको प्रताड़ना दें कि मुख्य मंत्री निवास जैसे संवेदनशील घर पर पहुंच जाएं। यहां तो कोई आ नहीं सकता। एक भी मुकदमा किसी पर लगा हो तो यहां ऊपर से विधान सभा की कार्यवाही नहीं देख सकता तो वो कैसे पहुंच गया? मेरा सवाल यह है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने कहा था कि हमारे द्वारा केस बना करके देने के बाद भी हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): खारिज नहीं किया भाई साहब, स्थगन है, स्टे है। खारिज नहीं किया, आपको गलत सूचना है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक मिनट। उस हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो हमें करना है वो हम निश्चित रूप से करेंगे।

जो बात आप कह रहे हो, उसकी मैं एक बार पूरी जांच करवाता हूं। क्या वास्तव में वो इसी तारीख को, इन्हीं समय में गया है और गया है तो निश्चित रूप से हमारी कहीं न कहीं ढिलाई रही है। निश्चित रूप से उस पर जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो निश्चित ही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री कैलाश भंसाली।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर में भूमिगत पार्किंग का निर्माण

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने पर्ची के माध्यम से जो मैंने बात कही उसके लिए समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। 15 लाख लोगों की आबादी है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर ऐसे जाम लगते हैं, लोगों को आधा-आधा घंटा जाम में खड़े रहना पड़ता है और वाहनों से इतना पैट्रोल और डीजल का जलन होता है कि सारे पेड़ मुरझा गये हैं। विशेष कर आखलिया चौराहा, जहां सुबह हजारों की तादाद में श्रमिक आते हैं अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए। उसके बाद में बासनी रोड चौराहा, जिस पर सात सड़कें आकर मिलती है, सब जगह से लोग आते हैं। और स्थान नहीं होता है। न पुलिसकर्मी होते हैं कि उनको ठीक ढंग से डाइवर्ट कर के ट्रैफिक को ठीक कर सकें। उसके बाद में शनिश्चर जी का थान जहां पर 5 सड़कें मिलती हैं। वहां इतना चौराहा है कि केवल एक गुमटी लगी हुई है। उसके आसपास भी खूब भीड़ रहती है। मैं स्वयं डेली वहां जाता हूं। मुझे खुद को 15-20 मिनट वहां जाम में खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद में जालौरी गेट चौराहा, जहां पर 11 सड़कें आकर के मिलती हैं। उस चौराहे को हमने बड़ा बनाने की मांग की थी लेकिन उसको और छोटा कर दिया गया। जिसके कारण से ट्रैफिक की और अव्यवस्था वहां रहती है। उसके बाद सोजती गेट जहां पर 4 सड़कें मिलती हैं। चारों सड़कों पर ही ट्रैफिक का दबाव रहता है। मोहनपुरा से आते हैं। स्टेशन जाने वाली सड़क आती है। ऐसी सड़कों पर इतना जाम रहता है, जिसकी कोई हद नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनके संबंध में मैंने पहले भी नियम 295 के जरिये मांग उठाई थी कि वहां पर एक एलिवेटेड फ्लाई ओवर बनाया जाए। इसके लिए सरकार की मंजूरी दी जाए। हमने मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया था। हमारी सारी कोर कमेटी ने भी जब वह पधारी थीं तो इस बात को लेकर के उनसे आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देखूंगी। उसके बारे में इस बजट में कुछ नहीं आया। मैंने पुलिस कमिशनर साहब को यह भी

(श्री कैलाश भंसाली)
सुझाव दिया है कि एक पेरेलल सड़क जालौरी गेट से नई सड़क तक 30 फीट की बना दी जाए तो काफी ट्रैफिक मैन रोड का कम हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गांधी मैदान में पिछले तीन साल से काम चल रहा है अंडरग्राउंड पार्किंग स्थल बनाने का। वह ठप्प पड़ा हुआ है। उसका कारण यह है कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है, जेडीए के पास पैसा नहीं है। मैंने बार-बार निवेदन किया कि 500 करोड़ रुपया जोधपुर विकास प्राधिकरण को और 300 करोड़ रुपया जोधपुर नगर निगम को दिया जाए, तभी जाकर के काम होगा। अभी इनके ऊपर इतना कर्जा पूर्ववर्ती सरकार ने छोड़ा है कि उसको चुकाने में ही उनके हौंसले पस्त हो रहे हैं।

इसी तरह से जसवंत सराय इतना बड़ा एरिया है और वहां खूब जगह है। खाली चौक वहां पर पड़ा है। वहां अगर पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए तो स्टेशन पर जो पार्किंग के लिए अव्यवस्था होती है, वह कम हो जाएगी। बाई जी का तालाब बहुत बड़ा एरिया है। वहां पर एक योजना बनाकर पार्किंग स्थल का विकास कर दिया जाए तो स्टेशन का ट्रैफिक कम हो जाएगा और शहर में जाने वाले लोगों के लिए भी बड़ी सुविधा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि खांडा फलसा, आड़ा बाजार, कन्दोई बाजार, बाटा चौराहा पर रोज इतना जाम रहता है और कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है। चालान काटने के अलावा कोई काम नहीं है। मेरा निवेदन है कि ऐसे पुलिस कर्मियों का वहां से हटाया जाए। लोगों ने आंदोलन भी किया है। वहां अच्छे अधिकारियों को लगाकर के ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक की जाए। पावटा चौराहा, राईका का बाग में हमेशा बहुत भीड़-भाड रहती है। अगर यह ऐलिवेटेड फ्लाई ओवर बन जाएगा तो ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी बन जाएगी।

जोधपुर में रिंग रोड की योजना काफी समय से अटकी पड़ी है, उसकी घोषणा की जाए ताकि सारे शहर का ट्रैफिक सुव्यवस्थित हो सके। महामंदिर स्टेशन पर सुबह हजारों मजदूर लोग रोजगार के लिए आते हैं। वहां इतना ट्रैफिक रहता है कि 10 से 20 मिनट तक समय बर्बाद होता है। पैट्रोल, डीजल की भी बर्बादी होती है। मेरा गृह मंत्रीजी से, यातायात मंत्रीजी से और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि इन सभी बातों पर गौर करके

(श्री कैलाश भंसाली)

जनता को राहत दिलाई जाए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से एक बात और कहना चाहूंगा, रह गई। वह फेंटा बांधने के बाद हरिराम जाट, किसान मोर्चा प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी, इतनी निष्ठावान पार्टी, राठौड़ साहब, क्या इस पर भी कार्यवाही करोगे कि संगठन में इतना बड़ा पद दे दिया?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या मामला ले आए। कोई व्यक्ति किसी संगठन में काम करे, उससे इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं यह?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अपराधी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जोधपुर शहर में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए अंडर ग्राउंड पार्किंग के निर्माण के संबंध में पर्ची लगाई थी, लेकिन माननीय सदस्य ने इसमें कई मुद्दे रख दिए। गृह मंत्रालय का भी, यातायात विभाग का भी मुद्दा रख दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जोधपुर जिले में गांधी मैदान व नई सड़क जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, पर अंडरग्राउंड पार्किंग का कार्य सितम्बर, 2013 में रिडकोर को आबंटित किया गया था। गांधी मैदान पार्किंग की कुल लागत 21.57 करोड़ और नई सड़क की कुल लागत 6.62 करोड़ रुपए है। गांधी मैदान पार्किंग में 284 कार और 496 दुपहिया वाहन एवं नई सड़क में 21 कार एवं 140 दुपहिया वाहन पार्किंग की क्षमता है।

वर्तमान में गांधी मैदान की जो प्रगति है, इसका सिविल कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। वित्तीय उपलब्धता के आधार पर यह कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। जिस सड़क का जिक्र माननीय सदस्य ने किया, उसका भी 20 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय उपलब्धता के आधार पर यह कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब तक आप बजट प्रावधान नहीं देंगे तब तक यह काम नहीं हो सकता है। जेडीए के पास पैसे नहीं हैं। नगर निगम के पास पैसे नहीं हैं। जोधपुर शहर बहुत बड़ी तकलीफ में है। आप इसकी स्पष्ट घोषणा करें कि इतना पैसा इनको दे दिया जाएगा। जो उनके पास कमी है वह आप पूर्ति कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बच्चू सिंह।

बयाना में बन्ध बारेठा बांध की नहरों को पक्का किया जाना

श्री बच्चू सिंह (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बंध बारेठा बाँध में से तीन कैनाल निकलती हैं। उसमें छोटी-छोटी 16 माइनर भी हैं। उनकी टोटल लंबाई 66 किलोमीटर है। इनमें से कोई भी माइनर पक्की नहीं है। यह जगह-जगह से पानी जो चलता है, उसके कारण से यह डैमेज है। पानी की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा फसल में पानी पहुंचने पर फसल भी नष्ट हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, टोटल इससे 4243 हैक्टेयर में सिंचाई होती है। यह जब पानी जाता है तो जगह-जगह कच्ची होने के कारण जरूरत से ज्यादा पानी हो जाता है। इसको पक्की करने के लिए मंत्री महोदय से पिछले तीन बार से निवेदन कर रहा हूं कि बजट देकर के इसको पक्की नहर किया जाए।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस बंध बारेठा बाँध का जिक्र कर रहे हैं, यह बहुत ही पुराना बाँध है। बाँध भी काफी जर्जर हालत में है। इसकी तीनों नहरें जो कच्ची हैं, वह भी बहुत ही खराब हालत में हैं। अभी हमने इसका एस्टिमेशन कराया है 1320 लाख रुपए का। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक किस्म से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान वाटर सैक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में हम इसको लेकर के ठीक कराएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

(13.00 बजे)

जमवारामगढ़ बाँध से आंधी तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मेरे क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जो बरसों से खराब पड़ी है, उसके संदर्भ में बोलने के लिए आपने मुझे इजाजत दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जयपुर से गुढ़ा वाया जमवारामगढ़-आंधी, जो कि 55 नंबर का स्टेट हाइवे है। वह बरसों पुराना रोड है और यह रोड जयपुर से निकलकर दौसा और अलवर के प्रमुख मार्गों को जोड़ने का काम करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारागढ़ की लगभग 20 ग्राम पंचायतों के 125 गांव इस रोड से जुड़े हुए हैं और 125 गांवों की जितनी भी सम्पर्क सड़कें हैं वह सारी इस रोड से लिंक हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वही रोड जो दिल्ली हाइवे से निकल कर दौसा टू मनोहरपुर, जो 148 नम्बर का नेशनल हाइवे है, उसको भी जोड़ने का काम करता है। जमवारागढ़ तहसील से लेकर आंधी जो उप तहसील है, इन दोनों तहसीलों को भी कनेक्ट करता है और दोनों तहसीलों को भी जोड़ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी आबादी को जोड़ने के साथ-साथ इस रोड पर चार ऐसे धार्मिक स्थल भी पड़ते हैं जहां हर वर्ष लाखों-लाखों की संख्या में आस्तिक लोग जाते हैं। इनमें सबसे पहले जमवाय माता का मंदिर, यह जमवाय माता का मंदिर वह मंदिर है जहां देश के कोने कोने से निकलकर लोग हर वर्ष वहां आते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि लगभग दो-तीन बार तो हमारे देश के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी अपनी आस्था के फलस्वरूप दर्शनों के लिए आए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इससे दो किलोमीटर आगे गोपालजी का सुप्रसिद्ध मंदिर है वहां भी हर साल भव्य कार्यक्रम होता है और जयपुर से भी बहुत सारे लोग वहां जाते हैं। ठीक उसके एक किलोमीटर आगे साधाली हनुमानजी का पवित्र मंदिर है, जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कोने-कोने से निकलकर लोग वहां हर साल मेले के रूप में इकट्ठे होते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे दो किलोमीटर आगे जाकर अली खां

(श्री जगदीश नारायण)

मदरसा, एक प्रसिद्ध दरगाह है और हर साल बैसाख के महीने में लगभग 5 से 7 दिन तक वहां मेला चलता है और लगभग लाख से ऊपर लोग उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह वह रोड है जहां छह-बारह मास लोगों का आना जाना बना रहता है, बहुत भयंकर ट्रैफिक चलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़वा मोड से लेकर जमवारामगढ़ बाँध है वहां तक का लगभग 25 किलोमीटर रोड जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा फोर लेन के रूप में उसको स्वीकृत भी कर दिया गया है। उसके टेंडर भी हो चुके हैं और विधान सभा सत्र के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा उसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया जाना है, मेरी माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात हो चुकी है और उन्होंने समय भी तय कर दिया है कि विधान सभा सत्र के बाद आप अपना समय तय कर दें और चल कर उसका शिलान्यास कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंधी जो उप तहसील है, उससे आगे मनोहरपुर टू दौसा का हाइवे है। हाइवे से आंधी उप तहसील का कार्यालय भी डबल रोड से जुड़ा हुआ है, वहां भी डबल रोड बन चुका है और आंधी से लेकर थौलाई तक भी डबल रोड बना दिया गया है। मात्र जमवारामगढ़ बाँध से थौलाई मोड़ तक पाँच किलोमीटर का रोड बचा हुआ है, यह बरसों से टूटा पडा है, बरसों से इस रोड की मरम्मत नहीं हो पाई, बन भी नहीं पाया। न बन पाने का कारण रहा है, जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 33 गांव सैंक्चुयरी से प्रभावित हो चुके हैं, 33 गांवों के किसानों की जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लग चुकी है, किसान अपनी जमीन बेच नहीं सकता, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता उसी भाग में से थोड़ा सा इस पाँच किलोमीटर भाग गुजरता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग से कई बार प्रार्थना की, दरख्वास्त लगाई, माननीय रिणवां साहब मंत्री थे तो इनसे डेलीगेशन भी मिला, मैं भी कई बार मिला, विधान सभा में भी मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया और लास्ट में जाकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से इसकी गुहार की, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सेक्रेटरी साहब से बात करके, उनको बुलाकर

(श्री जगदीश नारायण)
इसको दिखवाया और दिखवाने के बाद इसकी कार्यवाही हुई और पिछली फरवरी में, 7.2.17 को इसकी एनओसी भी प्राप्त हो चुकी है रोड बनाने के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह लगभग 10-15 बरसों से रोड खराब पडा है, मात्र पाँच किलोमीटर, पाँच किलोमीटर की वजह से पूरा रोड उपयोग में नहीं आ रहा है। वहां की बीस पंचायतों के सवा सौ गांवों की जनता परेशान है, वहां से दौसा और अलवर जाने में दिक्कत पैदा हो रही है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस रोड को शीघ्रातिशीघ्र बनवाने का कब तक विचार रखते हैं और कब तक आप इसको बनाने का काम करेंगे? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण रोड है जमवारामगढ विधान सभा क्षेत्र के विकास की दृष्टि से देखें तो यह विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की रीढ़ की हड्डी का काम करने वाला रोड है। इसकी तो आज ही आप घोषणा कर दें तो उस जनता के लिए आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, बहुत बड़ा आपका एक एहसान होगा, माननीय मंत्री महोदय। धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ से आने वाले सदस्य ने जिस सड़क का जिक्र किया है। यह सही बात है कि यह सड़क कुल 11 किलोमीटर है और इस 11 किलोमीटर में सड़वा मोड़ जयपुर से जमवारामगढ़, नकची घाटी तक 5 किलोमीटर तो वन्य क्षेत्र में आता है जिसका आपने अभी जिक्र किया कि उसकी एनओसी 7.2.17 को हमें प्राप्त हो गई है। इसका पहले एक्चुअल में रिनोवेशन भी नहीं हुआ था इसी कारण से कि वन्य क्षेत्र में थी, दूसरा पार्ट नकची घाटी से आंधी तक का है, वह है 6 किलोमीटर। उसमें से कुछ पार्ट 7 मीटर चौड़ा है। चूंकि हमें अभी-अभी इस वन विभाग की अनुमति मिल गई है, तो आपकी चिंता भी सही है कि आगे मनोहरपुर से दौसा वाली हमारी जो नेशनल हाईवे है वह भी 10 मीटर चौड़ी हो रही है, उससे आगे जाकर कनेक्ट भी होती है यह सड़क, अनेक कारणों से, धार्मिक कारणों से भी महत्वपूर्ण है तो हमको जो एस्टीमेट मिला है एक करोड़ रुपए, तो मैं आज ही घोषणा करता हूं कि एक करोड़ रुपए हम शीघ्र ही जारी कर देंगे और इस सड़क को नया बना देंगे।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): मंत्री महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डॉक्टर मंजू बाघमार।

नागौर में पशु अनुसंधान केन्द्र

डॉ. मंजू बाघमार (जायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि नागौर जिला मुख्यालय पर पशुधन अनुसंधान केन्द्र खोला जाए, क्योंकि नागौर जिला एक ओर हस्त औजार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसके साथ-साथ ही नागौरी नस्ल के जो बैल हैं वह विश्व में अपनी उन्नत किस्म के लिए और खेती के कार्यों के लिए काम आते हैं, इसके अलावा बोझा ढोने के काम में आते हैं उसके लिए भी विश्वप्रसिद्ध माने जाते हैं।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नागौर जिला मुख्यालय के नागौर के आसपास के जो भी गांव हैं, बासन, कुमारी, अलाय और नागौर मुख्यालय के पास में वहां पर भैंस पालक काफी मात्रा में हैं और भैंस पालक इस देश में ही नहीं बल्कि एशिया में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हजारों की संख्या में वह भैंस पालन करके, दुग्ध दोहन करके महाराष्ट्र के बहुत बड़े महानगर, मुम्बई जैसे महानगर में दुग्ध सप्लाई करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। इससे पशुपालन गतिविधियों में ही नहीं, बल्कि आर्थिक व्यवसाय में भी अपना विशिष्ट भागीदारी वह निभा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि नागौर जिले के जो भैंस पालक हैं उनके पास औसतन पचास से सौ भैंसें और बड़े भैंस पालक हैं उनके पास दो से लेकर पांच हजार तक की मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है, लेकिन इन भैंसों का जो पालन पोषण हो रहा है, जो प्रबंधन हो रहा है वह आज भी ट्रेडिशनल तरीके से ही किया जा रहा है, जिससे उत्पादकता में भी आशातीत लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। पशुपालन विभाग उनका उपचार भी करता है, उनका टीकाकरण भी करता है,

(डॉ. मंजू बाघमार)
लेकिन फिर भी अनुसंधान अनुसार उन्हें उचित मात्रा में लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इनकी समस्याओं के अनुरूप भी वहां पर शोध कार्य नहीं हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा नागौर जिले के अंदर भेड़ भी लाखों की संख्या में हैं और सभी समाजों के लोग भेड़ पालन का व्यवसाय भी करते हैं। साथ ही साथ नागौर जिले में पूरे राजस्थान का देखा जाए तो सर्वाधिक गौशालाएं हैं, नागौर जिले में करीब 298 गौशालाएं हैं। जिसमें से 154 तो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि नागौर जिला मुख्यालय पर शीघ्र ही एक लाईवस्टॉक रिसर्च सेंटर खोला जाय और इसे यूनिवर्सिटी से लिंक किया जाय ताकि गौवंश के नवीन अनुसंधान तथा गौशालाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके और पशुपालकों के उत्थान के लिए कोई विशिष्ट कार्य कर सके ताकि यह नागौर जिले के पशुपालकों के लिए उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप शीघ्र ही पशु अनुसंधान केन्द्र नागौर जिले में खोलने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जायल से आने वाली माननीय सदस्या ने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र पशुपालन विश्वविद्यालय के माध्यम से खोलने का जिक्र किया। मेरा निवेदन है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह तय किया गया था कि प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र विश्वविद्यालय खोलेंगे। अभी तक राजस्थान प्रदेश में 12 जिलों में ये प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र खोले गये हैं। नागौर जिले में भी लाडनूं तहसील के ग्राम बाकलिया में डीडवाना मुख्य मार्ग पर पहले से ही खुला हुआ है।

इसलिए एक जिले में एक ही प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्र खोला जाता है। इसलिए अब नया प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र खोलना संभव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती अलका सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर स्थित अमरूदों का बाग कच्ची बस्ती में अवैध विद्‍युत कनेक्शन

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अमरूदों के बाग स्थित बस्ती है वहां पर अवैध कनेक्शनों के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक बार जो आपका विषय है वह कहकर मंत्री का जवाब आने के उपरान्त आप कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले मैं उत्तर दूंगा, फिर आप पूछेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने अमरूदों के बाग़, जयपुर स्थित कच्ची बस्ती में अवैध विद्‍युत कनेक्शनों के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसे अवसर आये, कल माननीय राजपालसिंह जी जवाब देने के लिए तैयार थे, आपकी तरफ इशारा भी किया और ये बोलने खड़े हो गये। आज गुलाबजी बोलने के लिए तैयार थे, बीच में खड़े हो गये। ये ठेका ले लिया, चक्कर क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको अच्छा नहीं लगता न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो बोल रहा हूं। जब दूसरे मंत्री के बोलने ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से बोल रहा हूं, आप कहें तो नहीं बोलूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने कहां एतराज किया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): तो ये +++ कहां से आ गये?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह +++ नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हो तो वो ही।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये +++ के बारे में बता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, नहीं, +++ के बारे में नहीं। अभी हाल-फिलहाल तो हालत अपनी वो ही है। विराजो, एक मिनट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): +++ उनके बारे में बता रहा हूं मैं तो। राजपालजी कल बोलने वाले थे, आप खड़े हो गये। आज गुलाबजी बोलने वाले थे, फिर बीच में आप खड़े हो गये। इतना ठेका मत लो भैया। इससे नम्बर बढ़ते नहीं, कम ही होते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मुझे न तो आपसे नम्बर बढ़वाने और न ही मुझे आपसे प्रमाण-पत्र लेना। आसन की मेहरबानी होगी तो बोलूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अब इतनी तो मेहरबानी आसन ने कर दी कि आपको बोलने की अनुमति दे दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दे दी, और क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इससे ज्यादा मेहरबानी की कोई आवश्यकता ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो वैसे ही उदार हो!

श्री उपाध्यक्ष: वैसे आसन नियमों से बंधा हुआ है, इसलिए मेहरबानी जैसी बात ही नहीं है। नियमों में आपको बोलने का अधिकार है। आसन इसके लिए निवेदन कर रहा है कि आप फरमाओ, अपने श्रीमुख से जो फरमाना चाहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा राज्य मंत्रीजी की दादीजी का देहान्त हो गया है, वे कई दिनों से सदन में आ नहीं रहे हैं। इसलिए यह कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है गवर्नमेंट की, उसके नाते मैं जवाब दे रहा हूं और आपकी अनुमति से जवाब दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जिस कच्ची बस्ती, अमरूदों का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बाग़ में अवैध कनेक्शन की बात ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठायी है, जो भूखण्ड है यह विवादित भूखण्ड है। एक मामला चला उच्चतम न्यायालय में महाराजा जगतसिंह बनाम महाराजा भवानीसिंह। अपील संख्या 4492/92, 13.11.92 में इस भूखण्ड पर गुजरात के पूर्व न्यायाधीश वी.जे. दीवान को रिसीवर कम एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उसके बाद उसी क्रम में 9.5.1995 को यू.बी.बछावत, रिटायर्ड जस्टिस, गुजरात को इसका एडमिनिस्ट्रेटर कम रिसीवर नियुक्त किया। श्री राजेश कर्नल, एडवोकेट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से ऑफिसर इंचार्ज इस रिसीवर के नियुक्त हुए है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई भी विद्युत कनेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बिना एनओसी के नहीं लिया जा सकता। सबसे पहले इनके रिसीवर कम एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये इसकी एनओसी जारी करते हैं, क्योंकि इस भूखण्ड में कई बार कई मेले और दूसरे भी प्रोग्राम होते हैं। इसमें टेम्परारी तौर पर विद्युत कनेक्शन देते हैं वह इनकी एनओसी लेने के बाद विद्युत विभाग देता है। इसमें अब तक मात्र दो कनेक्शन हैं, एक कनेक्शन विजय कुमार लादूराम, हनुमान मंदिर के नाम से है, एक एक्सईएन, पीएचईडी का है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार वहां के वाशिंदों के द्वारा भी वहां जो अवैध रूप से कुछ लोग रह रहे हैं, कई बार कच्ची बस्ती के लोगों ने भी यह मांग की कि हमे यहां कनेक्शन दो। ए.जी. एन.एम.लोढ़ा से उसके बारे में विभाग ने राय ली। 13.5.2016 को जो उनकी राय आयी है उस राय के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटर कम रिसीवर से एनओसी लेकर ही यहां कनेक्शन दिये जाएंगे। आज की तारीख में मात्र दो कनेक्शन हैं, कोई अवैध कनेक्शन वहां नहीं है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यही ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि डिपार्टमेंट कह रहा है वहां कनेक्शन नहीं हैं। यहां सैक्रेटेरियट है, विधान सभा है, आरएसईबी का ऑफिस है। इनकी नाक के नीचे अवैध कनेक्शन वहां है। आप वहां देखिए घर के बाहर छतरियां लगी हुई है, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, सारी चीजें वहां पर हैं, सिर्फ शौचालय नहीं है। यह सारा डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है।

(श्रीमती अलका सिंह)

बिजली चोरी की जो घटना हो रही है उसके लिए मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि जो राजस्थान का आम व्यक्ति है वह इस बिजली चोरी की वजह से त्रस्त है। उसका भुगतान आम आदमी कर रहा है। मैं मंत्री महोदय से यही जानना चाहती हूं कि क्या इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे और अगर करेंगे तो कब तक करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विभाग ने जो उत्तर दिया है उसके अनुसार वहां दो ही कनेक्शन है, एक हनुमान मंदिर का कनेक्शन और एक्सईएन, पीएचईडी का, पानी सप्लाई के लिए जो ट्यूबवैल बना हुआ है उसका कनेक्शन है। उसके पश्चात् भी अगर कोई कनेक्शन माननीय सदस्या के संज्ञान में हैं और माननीय सदस्य अगर लिखकर देंगे तो उस पर जांच करवा लेंगे। अवैध कनेक्शन हैं उनको कटवाएंगे और किस आधार पर क्यों जारी हुए उसके बारे में मालूम करेंगे।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): लिखकर देने की जरूरत नहीं है। मंत्रीजी, आप इस रोड से निकलिए, हर घर पर छतरियां दिख जाएंगी। वह कच्ची बस्ती नहीं है, सारे पक्के मकान है। यूडीएच मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं वहां पर गैंग सक्रिय है जो 40-40 हजार में कब्जा करवाते हैं। हर साल मकान बढ़ते जाते हैं। उसका कारण यह है कि सरकार का नियंत्रण, विभागों का नियंत्रण नहीं है। अधिकारी-कर्मचारी मिले हुए हैं। पानी का कनेक्शन मिल जाता है। जो प्राइम लोकेशन है, जो अरबों की सरकार की सम्पत्ति है उसे पर ये लोग काबिज हैं। एक संगठित गिरोह है। काफी बांग्लादेशी वहां पर हैं जिसकी वजह से अपराध भी हो रहा है।

इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही उन अधिकारियों के विरुद्ध की जाए जो इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं।

आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि आप कार्यवाही करेंगे या नहीं और करेंगे तो कब तक करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विभागीय उत्तर के अलावा दो कनेक्शन के अलावा और कोई कनेक्शन होंगे, उसकी जांच भी कराएंगे, डिस्कनेक्ट भी करेंगे और जिस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधिकारी ने कनेक्शन जारी किये हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): कनेक्शन जारी नहीं है, अवैध हैं, मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर अवैध कनेक्शन है तो उसके लिए सतर्कता दल को भेजकर उन कनेक्शनों के बारे में पूरी जांच करके जो आवश्यक कार्यवाही है वह सब करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री प्रभूलालजी सैनी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

कृषि विभाग

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कृषि विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या:एफ.4(22)कृषि/गुप-II/2008 दिनांक 12 मई, 2016, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 15 जुलाई, 2016, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जारी विभागीय विज्ञप्ति संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 23 अप्रैल, 1977 के क्रम में उक्त अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 23 अगस्त, 2016, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जारी विभागीय विज्ञप्ति संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 23 अप्रैल, 1977 के क्रम में उक्त अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है; एवं
4. अधिसूचना संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 05 अक्टूबर,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

2016, जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जारी विभागीय विज्ञप्ति संख्या:एफ.10(2)कृषि/गुप-II/75 दिनांक 23 अप्रैल, 1977 के क्रम में उक्त अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री गजेन्द्रसिंहजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। अनुमति है? आपकी अनुमति से (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब एक मिनट आप विराज जाओ।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अनुमति मांगी है उपाध्यक्ष महोदय।

व्यवस्था

विभागीय प्रतिवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने पर सख्त कार्यवाही की जाए

श्री उपाध्यक्ष: अनुमति तो मैंने आपको दे दी, लेकिन इसके पहले आसन को कुछ निवेदन करना है। आपके संबंध में नहीं है, न इस विषय के संबंध में है। एक मिनट, विराज जाएं आप।

संसदीय कार्य मंत्री महोदय, वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15 का प्रस्तुत हो रहा है। वन और पर्यावरण की मांग शायद 25 तारीख को है। नियम तो यही कहता है कि वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15 का तो पिछली बार आ जाना चाहिए था। 2015-16 का अब आ जाना चाहिए था और 7 दिन पहले आना चाहिए था जिससे सदस्य उस प्रतिवेदन को पढ़कर इस चर्चा में शामिल हो सकें। अनेक बार कहने के उपरान्त भी इस प्रकार प्रतिवेदन समय पर नहीं आते।

इसलिए अब सख्त कार्यवाही की हिदायत देते हुए यह स्पेशल परमिशन दी जाती है और दो दिन के अंदर 2015-16 का प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किया जाय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन से पहले भी इस प्रकार के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और इस बार भी हमने विधान सभा आहुत होने से पहले सर्कुलर जारी किया था कि सारे प्रतिवेदन समय से पहले आ जाने चाहिए और करंट ईयर के आ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाने चाहिए। यह कहां चूक हुई, किस आधार पर हुई, किस स्तर पर हुई, निश्चित तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं के अनुसार कार्यवाही करके आपको अवगत करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) (श्री गजेन्द्रसिंह वन एवं पर्यावरण मंत्री के स्थान पर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। श्री कालूलालजी गुर्जर।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2017-2018 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।
2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या

(श्री कालू लाल गुर्जर)

में से प्राक्कलन समिति 'क', 2017-2018 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2017-2018 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, वित्तीय समिति के गठन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2017-2018, प्राक्कलन समिति "क", 2017-2018, प्राक्कलन समिति "ख", 2017-2018 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018, प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य

(श्री कालू लाल गुर्जर)

संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।"

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

हां, आप फरमाओ।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, सूचियां तो अभी बन जाएंगी, मैं तो आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं मुख्य सचेतक को कि मैंने एस्टीमेट कमेटी से रिजाइन किया था पिछले काल में और पूरा एक वर्ष निकलने के बाद उस सूची में मेरा नाम दूसरी किसी कमेटी में नहीं रखा दो साल निकलने के बाद भी। मैंने तो उस साल में, क्योंकि मेरे से जो जूनियर है उसके अधीन मैं काम करना नहीं चाहता था इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया था पर दूसरी में नाम नहीं रखना, यह मुख्य सचेतक को किसी नियम में अधिकार तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें। वैसे मैं सम्माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि यह आदरणीय अध्यक्षजी के विशेषाधिकार का विषय है और इसकी चर्चा सदन में न करके आप सम्माननीय अध्यक्षजी से कर लें तो उचित रहेगा।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18, अनुदान की मांगों पर विचार व पारण। श्री युनुस खान।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,77,10,10,000/- (उन्नीस अरब सतहत्तर करोड़ दस लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 19 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

मांग संख्या 20 - आवास की प्रस्तुति

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20-आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90,31,71,000/- (नब्बे करोड़ इकत्तीस लाख इकहत्तर हजार) रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 20 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,82,58,64,000/- (इकसठ अरब बयासी करोड़ अठावन लाख चौसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 21 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसारामजी चौधरी। मैं सदन और सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि सूची तकरीबन कुल मिलाकर 35 सदस्यों की है। दस मिनट लगाएंगे तो 350 मिनट होंगे और दो मंत्री हैं तो 60 मिनट का समय उनके लिए भी है। तो अपने-अपने समय का आप ही ध्यान रखें। आसन को परिश्रम करने का अगर आप अवसर न देंगे तो उचित होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप ही समय सीमा कर दें। आसन ही समय सीमा निर्धारित कर दे। माननीय सदस्य अपनी विषय वस्तु उसी समय में कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: दस मिनट का समय है और बहुत अच्छी बात कर रहे होंगे तो 2-4 मिनट का और दे देंगे।

मांग संख्या 19, 20 व 21 पर विचार

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य, 20 - आवास और 21 सड़कें एवं पुल सदन की मेज पर रखी गई हैं और इन पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश का सर्वांगीण विकास उस प्रदेश की सड़कों और रास्तों की सुन्दरता पर डिपेंड करता है। पुराने जमाने में भी पूना से लेकर पेशावर तक ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध सड़क थी और उसी की बदौलत देश में व्यापार होता था। आज भी हमारे प्रदेश में सरकार ने 2003 से 2008 तक जिस तरह से सड़कों का जाल फैलाया और सड़कों का जाल फैलाने से उस सरकार की जिस तरह की वाह-वाही हुई उसी का कारण था कि हमारी सरकार ने जो काम किया उसको आज भी याद किया जाता है। बीच में 5 साल तक जो सरकार आई उसने इस प्रदेश में सड़कों के नाम पर कुछ भी नहीं किया.....

उसकी वजह से पूरे प्रदेश की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं और विशेषकर पाली जिले में, हमारे पाली जिले की सारी सड़कें इस तरह से बर्बाद हो गईं कि आज उन पर पैदल चलना भी अति मुश्किल हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें क्षतिग्रस्त होकर, वे पैदल चलने के लायक भी नहीं रही हैं। वह मात्र कारण था कि पाँच साल तक कांग्रेस की सरकार ने राज किया, उसके कारण से इन सड़कों की दुर्गति हो गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आते ही आगामी वर्ष के लिए जो बजट रखा है, इसमें 6,657 करोड़ 32 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है। यह 2016-2017 के संशोधित अनुमान से 58.47 परसेंट बजट अधिक रखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में

(श्री केसाराम चौधरी)

राजस्थान की सड़कों की, गांवों की जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनकी जिस तरह से दुर्दशा हुई हुई है, उनको ठीक करने में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।

गत तीन सालों में 20,822 करोड़ रुपये व्यय करके 4,281 गांव, ढाणियां एवं मजरों को सड़क से जोड़ा गया है जबकि गत सरकार ने 9,157 करोड़ रुपये व्यय करके 661 गांव ढाणियों को मात्र पाँच वर्ष में जोड़ा। इन तीन वर्षों में हमारी सरकार ने 4,281 गांवों एवं ढाणियों को सड़कों से जोड़कर अपना विजन दिखाया है। हमारी सरकार ने राजस्थान में सड़कों की जो खराब हालत है, उसको ठीक करने का काम किया है, उसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद और उसका आभार व्यक्त करता हूं।

गत तीन वर्षों में हमारी सरकार ने 15,278 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कों के निर्माण और 4,637 करोड़ रुपये व्यय किये हैं जबकि गत सरकार में पाँच वर्षों में हुए मात्र 12,554 किलोमीटर लम्बाई तथा 2,993 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। वह हमारी सरकार के तीन वर्ष के जो पैसे खर्च किये हैं, वह भी पाँच साल के काम से भी अधिक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार की इसलिए सराहना करना चाह रहा हूं कि इन्होंने गांव की तरफ ध्यान दिया और गांव की गलियों और कूचों में जिस तरह से सड़कें थी, गांव में घुसते ही सड़कों में कादा कीचड़ भरा रहता था, उस कादा कीचड़ वाली सड़कों को आपने ग्रामीण गौरव पथ देकर एक आदर्श प्रस्तुत किया है और आपने प्रथम चरण की स्वीकृति में मेरे क्षेत्र की 16 सड़कें कीं और द्वितीय चरण में आपने 18 सड़कों की स्वीकृति की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके मार्फत निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में 75 ग्राम पंचायतें हैं और वह ग्राम पंचायतें दो वर्ष में पूर्ण नहीं होंगी, इसलिए उनमें गौरव पथ की स्वीकृतियां, अब जो स्वीकृति जारी की जाए, उनमें ज्यादा से ज्यादा पंचायतों को लिया जाए ताकि मेरे शेष रही 36 ग्राम पंचायतों में गौरव पथ बनें।

आज वह गौरव पथ, हर गांव का व्यक्ति कहता है कि इतनी सुन्दर सड़कें बनाकर, गांवों में कादा-कीचड़ साफ किया है। यह हमारी राजस्थान

(श्री केसाराम चौधरी)

सरकार का विजन है कि गांवों को भी कैसे सुन्दर और अच्छा बनाया जाए। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने गौरव पथ की नई योजना लाकर गांवों का विकास करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

नाबार्ड योजना आरआईडीएफ-22 के तहत इस वर्ष 825 करोड़ रुपये के 5,000 किलोमीटर के कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे और आरआईडीएफ-23 के तहत आगामी वर्ष में 800 करोड़ रुपये की लागत से 5,000 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किये जायेंगे। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरह से जो 5,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा, उसमें मैं निवेदन करता हूं कि हमारे गांवों में जो पूर्व में जो 2003 से 2008 तक में जो सड़कें बनी थीं, उनको आज दिन तक कभी रिपेयर नहीं किया गया, उनका पेचवर्क भी नहीं हुआ। आज वह सड़कें जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस आरआईडीएफ-23 के तहत इन ग्रामीण सड़कों का वापस सुदृढ़ीकरण किया जाए जिससे वह सड़कें चलने लायक बन जाए।

राज्य राजमार्गों को विकसित किये जाने की दिशा में 1,580 करोड़ रुपये की लागत से 796 किलोमीटर लम्बाई की 15 परियोजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी। ये 15 परियोजनाओं की सड़कें हैं, वह इस प्रदेश का बहुत ही सुन्दर और सौन्दर्यीकरण करने के लिए पूरे प्रदेश का सड़कों के मामले में भी विकास करने के लिए बहुत ही अच्छा काम है। इसमें इस क्षेत्र से स्टेट हाइवे नम्बर 61 व 62 को भी सम्मिलित करना चाहिए था, जिसकी घोषणा मंत्रीजी एवं मुख्य मंत्रीजी ने कर रखी है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी मेरे ऊपर बहुत उदार हैं और जब भी मेरे क्षेत्र में आती हैं, पधारती हैं तो कोई न कोई नई घोषणा सड़क के लिए करके जाती हैं। उन्हें मालूम है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कें बहुत ही खराब हैं। माननीय मंत्रीजी मेरे ऊपर बहुत उदार हैं। कल मैंने एक सड़क के लिए कहा, उन्होंने दो सड़कें कल ही स्वीकृत कर दीं। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र को

(श्री केसाराम चौधरी)
देखा है और पीपलाज के अंदर जो धार्मिक समारोह था, वह उसमें पधारे और उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी, जहां पर जयरामजी और नितिनजी गडकरी भी उपस्थित थे, उन्होंने मारवाड़ जंक्शन की जो सड़क स्टेट हाइवे 61 नम्बर है, उसके लिए जोधपुर से जोजावर तक के लिए काली घाटी तक की सड़क के लिए 290 करोड़ रुपये की घोषणा की थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह सड़क, जो जाडन से लेकर मेरी डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड सड़क भी है और उस मेजर सड़क की वजह से मारवाड़ से पाली जाने के लिए भी बहुत कठिन रास्ता है। मात्र 3.750 किलोमीटर की सड़क है, उस पर डिस्ट्रिक्ट मेजर सड़क और स्टेट हाइवे भी है तो उस पर पाली जाना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। तो उस सड़क के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस स्टेट हाइवे को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके, इस फलौदी से लेकर जोधपुर और जोधपुर से लेकर भीलवाड़ा तक का नेशनल हाइवे के रूप में करने की जो सरकार की मंशा थी, उस सरकार ने आज 2026 के अकाल के अंदर भी इस सड़क को मिलिट्री सड़क बनाने की जो घोषणा की थी, मगर वह सड़क आज दिन तक इस स्टेट हाइवे के रूप में आई है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि नितिनजी गडकरी और जयरामजी ने जो घोषणा की थी, इसको नेशनल हाईवे के रूप में विकसित किया जाए।

राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम के माध्यम से 410 किलोमीटर लम्बाई की आठ सड़कों का निर्माण जिसमें पाली जिले की बाली से पिंडवाड़ा तक सड़क को लिया गया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने पाली जिले में कम से कम एक सड़क और एक सड़क सांडेराव से लेकर मुण्डारा तक दी है, दो सड़कों को पाली जिले में आपने स्वीकृति प्रदान की, इसके लिए पाली जिला आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता है।

मिसिंग लिंक सड़कों की योजना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है कि जो लम्बाई की सड़कों के बीच में मात्र तीन किलोमीटर या चार किलोमीटर की सड़क मिसिंग होती है और उस मिसिंग के कारण से पूरा रास्ता अवरूद्ध होता है। हमारी सरकार ने निश्चित रूप से दो

(श्री केसाराम चौधरी)

फेज दिये। दो फेजों में जिस तरह से मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया है, उससे क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का विकास होगा और जो महती सड़कें हैं, जो मात्र दो और तीन किलोमीटर के कारण से बिना जुड़े हुए रह जाती थीं, उनके लिए आपने जो कार्य योजना बनाई है। उसमें मैं निवेदन करता हूं कि आपने मेरे यहां घोषणा की है, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बांटा से पांचेटिया मिसिंग लिंक की घोषणा पीपलाज में की थी और केसूली से लेकर डायलाना तक की सड़क की घोषणा बाली पधारते वक्त माननीया मुख्य मंत्रीजी ने की थी। इन सड़कों को भी इसमें मिसिंग लिंक सड़क योजना में लिया जाए ताकि ये सड़कें बनने से मेरे क्षेत्र का कार्य अच्छा होगा।

प्रथम चरण के 2,246 किलोमीटर सड़क का कार्य चालू वर्ष के अंत में पूर्ण कर लिया जाएगा। मेरे क्षेत्र की चारों सड़कें मिसिंग लिंक पूर्ण हो गई। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। द्वितीय चरण में 1,800 किलोमीटर लम्बाई की 808 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य भी आगामी वर्ष में किया जायेगा। मैं निवेदन करता हूं कि ये दोनों मिसिंग लिंक सड़कों की इसी बजट में स्वीकृति प्रदान करें... ताकि जो मुख्य मंत्रीजी और आपके द्वारा की गयी घोषणा है वो पूर्ण हो सके, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश में 1480 बसावटों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री सड़क योजना में आज जहां-कहीं भी अच्छी सड़कों का नाम आता है तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी को याद किया जाता है उन्होंने इस नाम से प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से प्रदेश में सड़कों की योजना लागू की और उसके कारण से प्रदेश में जो सड़कें दिखायी दे रही हैं, आज पाली से जयपुर आने के लिए मात्र चार घंटों में रास्ता तय हो जाता है। यह उन्हीं की देन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाँच मिनट और लूंगा। मेरे क्षेत्र की जो सड़कें मुख्य रूप से खराब हैं, उनका निवेदन करना चाह रहा हूं। जितनी भी मेरे क्षेत्र की नॉन पेचेबल सड़कें हैं जो 2003 से 2008 में बनी थी उन नॉन पेचेबल सड़कों को जिन पर आज भी चलना बिलकुल मुश्किल हो रहा है। ऐसी सड़कें जैसे खाड़ी से सिल्ला, अखावास से मारवाड़ जंक्शन। इसी तरह से

(श्री केसाराम चौधरी)

कंटालिया से घोलाई और धूंधला फाटक से कंटालिया होते हुए जुंझारड़ी, सोमेश्वर से लेकर के खिमाड़ा तक ये सड़कें अत्यधिक खराब हैं और इन सड़कों के कारण से आना-जाना भी दूभर हो रहा है।

इसी तरह से जो सड़क कैनपुरा मोड़ से लेकर से राणी जो उपखंड स्तर का है और वहां पर मेरे क्षेत्र की मात्र एक नगरपालिका है और डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड भी है वो सड़क एसआर में स्वीकृत की थी और एसआर में स्वीकृत करके काम शुरू कर दिया और काम शुरू करके उस पर जेसीबी चला दी जिससे आज चलना मुश्किल हो रहा है और एसआर मद बंद कर दिया है

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कैनपुरा से राणी तक की सड़क 11 किलोमीटर है उसको स्वीकृत करें, ताकि डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड की सड़क पूर्ण हो सके और राणी के लिए आने-जाने का रास्ता अच्छा हो सके।

इसके साथ ही एक सड़क जवाली से लेकर राणी तक की जो अत्यधिक खराब है उसको भी इस बजट में लेकर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो अबकी बार बजट रखा है उनमें इन ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को लेकर के निश्चित रूप से इस बजट में मेरे मारवाड़ जंक्शन की विशेष करके, मेरे को किसी मद में बजट दूसरा मत दो, पूरे साल में कोई भी कार्य मेरे क्षेत्र में विकास का नहीं हो, मगर मेरे क्षेत्र की जो सड़कें खराब हैं, जो नॉन पैचेबल हैं, जो टाइम बार्ड हो चुकी हैं उन सड़कों को इस बजट में पूरा करें। मेरे ऊपर बहुत महती कृपा होगी। मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय आपकी उपस्थिति में, मैंने पर्ची के माध्यम से जो मांग की थी उस पर भी आपने मेरे यहाँ सड़कों की स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया था, उन सड़कों को पूर्ण करके मेरे क्षेत्र का विकास करेंगे।

इन्हीं आशा और भावनाओं के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महती सड़कों पर बोलने का जो समय दिया, आपसे एक और निवेदन है कि स्टेट रोड डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना का उद्देश्य राज्य में विशिष्ट निर्माण संस्था होना एक बहुत गौरव की बात है जो मुख्य रूप से आधुनिक पुलों, सड़कों तथा भवनों का कुशलतापूर्वक निर्माण कर सके। उसके लिए यह डिपार्टमेंट बना और इन्होंने जो भवनों का कार्य किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। तापीय विद्युत

(श्री केसाराम चौधरी)

गृह, सूरतगढ़, उच्चस्तरीय एवं सबमर्सीबल पुल, बहुमंजिला इमारतों तथा सड़कों के उच्च स्तरीय निर्माण में सक्षम सिद्ध हुआ है। इसलिए जोधपुर में शहरी सड़कों का तिहरीकरण करके 6 लाइन की सड़कों में परिवर्तन करना, जोधपुर हाइकोर्ट का निर्माण करना, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी भवन, पुलिस मुख्यालय भवन, जयपुर और वन भवन का निर्माण करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इसी तरह से राणी तहसील कार्यालय भवन, एसडीओ कोर्ट राणी भवन, राणी में दस लाख की लागत से आईटीआई भवन और राणी में मॉडल स्कूल भवन का निर्माण, खिवाड़ा उप तहसील भवन का निर्माण और राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा सफलतापूर्वक किये जा रहे हैं इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके द्वारा किये गये कार्य जो अति गुणवत्ता के कार्य हैं इस विभाग के द्वारा किये जा रहे हैं इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करते हुए राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपके सामने ही विषय आया था, मैंने जानकारी की। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हरिराम किसान मोर्चे का पदाधिकारी है। किसान मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी से मैंने सूचना मंगायी है वो आज की तारीख किसान मोर्चे में किसी भी पद पर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: डॉ. फूल चन्द भिण्डा।

डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान 3.42 लाख किलोमीटर में फैला हुआ स्टेट है और भारतवर्ष का सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला स्टेट है। पिछले वर्षों में सड़कों पर काफी निवेश हुआ है। स्वर्गीय चरणसिंहजी कहते थे कि देश का विकास गांवों के माध्यम से होगा, लेकिन माननीय अटलजी ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने यह साबित कर दिया कि गांवों का विकास और देश का विकास सड़कों के माध्यम से होता है।

राज्य का विषय है सड़क, केन्द्र का विषय नहीं है केवल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं फिर भी अटलजी ने एक ऐसा संविधान से परे जाकर के देश का

(डॉ. फूलचन्द भिण्डा)

विकास करने के लिए तीन-चार कदम उठाये। एक सर्व शिक्षा का, एक एनआरएचएम का, एक बीमे का केसीसी का और चौथा प्रधानमंत्री सड़क योजना का और उसके माध्यम से चूंकि हमारे यहां बिखरे हुए गांव थे। राज्य सरकार चाह कर भी इतना निवेश नहीं कर सकती थी जितना निवेश प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत हुआ।

जब हम आजाद हुए थे तो 1949 में राजस्थान में केवल 794 किलोमीटर सड़क थी। मौसमी और ग्रेवल सड़कों को जोड़ें तो लगभग 13,553 किलोमीटर थी। औसतन सौ किलोमीटर पर 3.96, चार किलोमीटर का औसत ही नहीं था। एक लाख की आबादी पर 85 किलोमीटर सड़क थी। 15 जिले जुड़े हुए थे केवल। सौ एसडीओ कोर्टों में से केवल 54 जुड़े हुए थे। 241 तहसीलों में से केवल 102 जुड़ी हुई थी। आज हमारी स्थिति काफी अच्छी है।

(13.47 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

वर्तमान में 2,17,707 किलोमीटर राजस्थान में सड़कें हैं उनमें से 1,78,482 डामर की हैं। 36,262 ग्रेवल हैं और जो औसत हमारा 3.96 था वो 64.61 हो गया। सभी जिला हैडक्वार्टर्स तक हम पहुंच गये।

हमारा सौभाग्य रहा तीन-चार सपूतों के कारण से कि आज राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। 8,168 किलोमीटर हाइवे हमारे पास हैं। स्टेट हाइवे भी 15,606 किलोमीटर के लगभग हैं और एमडीआर सड़कें भी 7,646 किलोमीटर हैं, लेकिन अभी भी मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सौ की आबादी से अधिक की आबादी के 228 गांव अभी भी सड़कों से वंचित हैं। इनमें 78 तो ऐसे हैं जहां पर केवल डामर डालनी है। इसी प्रकार से कुल जिनकी आबादी सौ से कम भी है और सौ से ज्यादा भी है ऐसे 6,641 गांव वंचित हैं जिनमें से 1419 गांव तो केवल डामर के कारण से वंचित हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान बिखरा हुआ है और सब चाहते हैं कि सड़कें बनें। इस कारण से आगामी योजना में ये चीज जोड़ी जानी चाहिए कि सभी गांव केवल भारत सरकार या प्रधानमंत्री सड़क योजना में ही

(डॉ. फूलचन्द भिण्डा)

मिले, बल्कि कुछ योजनाएं हमें भी बनानी चाहिए। मुख्य मंत्रीजी के नाम से बनानी चाहिए जो पंचायत मुख्यालय, अभी भी 21 पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। 149 जनजाति क्षेत्रों के गांव हैं जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। हालांकि वर्तमान सरकार धन्यवाद की पात्र है जो पिछली सरकार के समय सड़कों का हमारा औसत ग्रोथ रेट 4.52 था उसको हम 6 परसेंट से ऊपर ले जाने में सफल हो गये और इस साल की जो घोषणाएं हैं उसमे तो हम 8 परसेंट के लगभग चले जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी को विशेष धन्यवाद दूंगा कि किसी भी मद में इतना पैसा नहीं बढाया जितना इस मद में बढ़ाया है, 54 परसेंट से भी ज्यादा पैसा इसमें बढ़ाया है।

मैं जयपुर जिले से आता हूं जो राजधानी है। जब औसत लगाते हैं, जब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं जो आजादी के समय भी थे, उनको जोड़ने के बावजूद भी हम 8 हजार किलोमीटर में से केवल 494 किलोमीटर नेशनल हाइवे जयपुर जिले में हैं। ऐसे ही स्टेट हाइवे केवल 646 किलोमीटर है जबकि 15607 किलोमीटर राज्य मार्ग है। इन चार पांच परसेंट में हम 19-20 विधायक हैं जो कि 10 परसेंट के लगभग हैं और उसमें राजधानी भी है। इस कारण मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में एक ऐसा क्षेत्र छूटा हुआ है जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ना चाहिये। शाहपुरा को अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग मिल गया, दौसा राजमार्ग मिल गया, जयपुर राजमार्ग मिल गया लेकिन शाहपुरा से नीमकाथाना, नीमकाथाना से खेतड़ी, खेतड़ी से चिड़ावा, चिड़ावा से राजगढ़, चूरू जिला पार करते हुए नोहर भादरा, हनुमानगढ़ और पंजाब, यह ऐसा क्षेत्र छूटा हुआ है जिसमें काफी महत्वपूर्ण जगह भी हैं जैसे खाटू श्याम जी हैं, त्रिवेणीधाम है, भर्तृहरि जी हैं, नारायणी माता है, बाणगंगा है, शाकम्भरी माता है, गोगाजी हैं, झुंझुनूं का क्षेत्र भी है। इस कारण से इसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित किया जाना चाहिये।

अब मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। मेरे यहां पिछले चार साल में एक राजमार्ग घोषित हुआ। ऐसा दुर्भाग्य है कि साट किलोमीटर वह कच्चा है, ग्रेवल भी नहीं है। स्टेट हाइवे है लेकिन साट किलोमीटर में ग्रेवल भी नहीं है। जयपुर जिले में केवल 13 किलोमीटर है, सीकर जिले में वह बन चुका, लेकिन जयपुर जिले में अभी नहीं बना। वह मेरे क्षेत्र से जाता है। तो

(डॉ. फूलचन्द भिण्डा)
मैं आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि इसी बजट सत्र में इसको शामिल करके उसको बनाया जाए।

इसी प्रकार तीन एमडीआर सड़कें हैं। सड़क का नाम है विराटनगर से हरियाणा सीमा और चालू हुई है हरियाणा सीमा से। वह अच्छी सड़क बन रही है लेकिन वह पावटा तक बनेगी, विराटनगर क्षेत्र में नहीं बनेगी। 26 किलोमीटर बन जाएगी, बहुत अच्छी सड़क बन रही है लेकिन आगे अभी डीपीआर भी नहीं बनी। इस बजट में एमडीआर में शामिल नहीं किया गया है।

इसी प्रकार से बीलवाडी से एनएच 248A से पालडी खोरा लाडखानी होता हुआ एनएच 57 ढ़ोढ़सर, जो शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र है, उसकी भी डीपीआर नहीं बनी। यह भी एमडीआर घोषित हो गया।

इसी प्रकार से राजनोता-करोना भी एक स्टेट हाइवे घोषित हुआ है, उसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।

इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से एक और एमडीआर की मांग करता हूं पांचूडाला-परागपुरा एनएच 8 से पांचूडाला और विराटनगर। इस सदन में उसके बारे में माननीय मंत्रीजी ने दो बार आश्वस्त किया था कि उसको एक महीने में ठीक करा देंगे, वह गारंटी पीरियड भी खतम हो गया, उसकी अभी तक डीपीआर भी नहीं बनी है। वहां खनिज की खानें हैं, ईंट भट्टे हैं, इस कारण से विभाग ने प्रस्ताव तो बनाया है लेकिन मैं मंत्री जी से विशेष आग्रह करूंगा कि जिसका आश्वासन आप दो साल से देते रहे हैं उसको अभी विचाराधीन नहीं लिया है। उसको जरूर लेंगे। परागपुरा से पांचूडाला आगे जाकर एनएच 248 ए को मिलाएगी, नेशनल हाइवे से नेशनल हाइवे को मिलाएगी और जो विराटनगर का मुख्यालय है, उसको भी मिलायेगी।

इसी प्रकार से एक 11 किलोमीटर का छोटा सा टुकड़ा एनएच 248 ए से पालडी एमडीआर जो 188 है, उसको जोड़ने के लिये केवल 11 किलोमीटर सड़क रहेगी। जो सड़क है केवल उसको एमडीआर में लेना है।

बालाजी सर्किट और कृष्ण सर्किट के नाम से कुछ सड़कों की योजना बन रही है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि द्वारका

(डॉ. फूलचन्द भिण्डा)

से मथुरा, कृष्ण भगवान द्वारकाधीश जी माने जाते हैं। मैं आपके माध्यम से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि विराटनगर में भगवान कृष्ण ने गणेशगिरी जी के यहां पूजा की थी और फिर पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र में गये थे। जब कुरुक्षेत्र से जुड़ेगा और द्वारका जी से आएगा तो निश्चित तौर पर विराटरनगर को उसमें जोड़ा जाना चाहिये।

राजस्थान में कई क्षेत्रीय विकास बोर्ड हैं, चाहे मरु क्षेत्र है, चाहे माण्डा, टाण्डा है, चाहे मेवात है, इस प्रकार के कई हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर है, कई विधान सभा क्षेत्रों में उनके माध्यम से उनको सड़कों का पैसा मिल जाता है, लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हैं जो ऐसी किसी स्कीम में नहीं आते लेकिन जब औसत होता है तो मंत्रीजी सबको 5-5 या 10-10 मिसिंग लिंक देते हैं। तो उस रूप में हम पिछड़ जाते हैं। उनको तो और एजेंसियों से पैसा मिल जाता है, मैं आपके माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिनको इन विशेष योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है, उन विधान सभाओं को विशेष तरजीह देकर उनको सड़कों के लिये और पैसा दिया जाए।

दो-तीन बातें और निवेदन करना चाहूंगा। एक तो आवास के बारे में, सरकारी आवास के रूप में जो मुख्यालय बन गये हैं, वहां क्वार्टर बन जाए वर्ना जो अधिकारी होते हैं वह अप डाउन के चक्कर में रहते हैं। प्रशासनिक सुधार के लिये चरणबद्ध तरीके से सरकारी आवास व्यवस्था की जाए।

मेरे क्षेत्रे में दो-तीन पुलों की आवश्यकता है। एक एमडीआर जो विराटनगर से हरियाणा सीमा को जा रही है वह एनएच 8 को क्रोस करता है, वहां पुल की व्यवस्था नहीं की गई। इस कारण हर महीने औसतन एक आदमी की वहां मृत्यु होती है, एक्सीडेंट होता है। एक तो वह पुलिया बनाई जाए। एक शाहपुरा में जहां मैं रहता हूं वहां प्रपोजल में एक पुलिया था लेकिन वह बनाई नहीं गई है। पावटा मेरे क्षेत्र में है, उसमें भी नहीं बनाई गई है। इसी प्रकार से जो दौसा हाई वे मनोरपुर को टच करता है, वहां पुलिया नहीं बनाई गई। इस कारण से एनएच का उतना लाभ नहीं हो रहा है जितना लाभ होना चाहिये।

आज सड़कों की जो स्थिति खराब हो रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान

(डॉ. फूलचन्द भिण्डा)

अतिक्रमण का मैं मानता हूं। राजस्थान सरकार की सड़कें, पीडब्ल्युडी की सड़कों का जो छूटा क्षेत्र है जिसको सड़क सीमा कहते हैं, उसमें पहले लोग दो चार फीट सरका कर दुकान बनाते हैं फिर मिट्टी डालते हैं और फिर पानी को कहते हैं कि तू जा सड़क पर। सड़क पर साधन आएंगे या नहीं आएंगे लेकिन पानी जरूर आएगा। क्या सरकार के पास इतनी ताकत नहीं है कि चाहे जो परिवर्तन कर दे। एक तो सडकों का अतिक्रमण हटना चाहिये और पानी का ढलान कच्ची मिट्टी में हो तो उसका लाभ मिलेगा और उस कारण से सड़कें भी कम खराब होगी।

मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सड़कों का खूब विकास हुआ है। विशेषकर माननीय जसवंत सिंहजी थे तब 1600 किलोमीटर का हाइवे उन्होंने दिया। इस सदन के सदस्य रहे श्री सीपी जोशी साहब के समय में भी हुआ। अभी वर्तमान मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा और गडकरी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इतना पैसा हमें हाइवे के रूप में मिला है, हजारों किलोमीटर का पैसा हमें मिला है। अभी भी 1177 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं, यह वास्तव में योजकता है और केन्द्र का पैसा सोखने का तरीका है। इसके लिये मैं वर्तमान मंत्रीजी को, प्रशासन को और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हम अधिक से अधिक पैसा दिल्ली से ला पा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बनवारी लाल जी सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): धन्यवाद सभापतिजी, सबसे पहले मांग संख्या 20 आवास पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात कहना शुरू कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनते ही हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला लेने की मैं माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, राजस्थान सरकार से भी मांग करता हूं कि प्रदेश में जिस तरह से गली-गली के कोने पर, मुख्य सड़कों पर, मुख्य मार्गों पर अवैध बूचड़खानों की भरमार लगी हुई है, इससे जनभावनाएं आहत हो रही है। राजस्थान की सरकार भी उत्तर प्रदेश की

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

सरकार की भावना की जैसी सरकार है, लोक कल्याणकारी और धार्मिक विचारों की सरकार है, राजस्थान भर में जिस तरह से यह बूचड़खाने हमको ठेंगा दिखा रहे हैं, हमारी कानून व्यवस्था को जिस तरह से चिढ़ा रहे हैं, इन बूचड़खानों को बंद करने का निर्देश, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं नगरीय विकास मंत्रीजी, अतिशीघ्र करेंगे।

(14.00 बजे)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आश्वासन दो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आश्वासन है, विश्वास है। माननीय सभापति महोदय, मैं नगरीय विकास आवासन मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी जिलों में जिस प्रकार से कृषि भूमि पर भू-खंडों को काट-काटकर इस प्रदेश के सुनियोजित विकास को खराब करने की जो स्थिति हो रही है, उससे पूरा जिला खराब होता है। सुनियोजित विकास प्रभावित होता है और हम दो सौ के दौ सौ माननीय सदस्यों के सामने यह समस्या खड़ी होती है कि अपने विकास कोष को किस प्रकार से उन क्षेत्रों में लगाएं? प्रदेश में कानून विद्यमान है, 90-बी पहले था, 90-ए की कार्यवाही अब है, लेकिन सरकारी मशीनरी की लचर कार्यवाही के कारण से जो व्यक्ति कालोनी को सुनियोजित तरीके से काटना चाहता है, उसका काम समयबद्ध नहीं होने के कारण वह व्यक्ति कानून से बचकर एग्रीकल्चर में प्लॉट काटकर जाता है। न सड़क, न नाली, न बिजली, न पानी। अगर समय पर कानून के मुताबिक 90-ए हो जाए तो सड़क भी बनाएगा, पानी भी उपलब्ध कराएगा, रोड़ लाइट भी लगाएगा, सीवरेज के कनेक्शन भी देगा। इस तरह से अगर 90-ए का सुनियोजित तरीके से पालन हो, इस नियम के तहत सुनियोजित तरीके से समयबद्ध निस्तारण हो जाए तो मेरा मानना है कि राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व तो मिलेगा ही, सुनियोजित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से हम सब विधायकों के सामने यह स्थिति आती है कि एग्रीकल्चर में रोजाना सड़क बनाइए, पानी लाइए, बिजली लाइए, रोड़ लाइट लाइए, सीवरेज लाइए। इससे हम लोगों को भी निजात मिलेगी। इसलिए माननीय आवासन मंत्रीजी इस बात पर भी ध्यान दें कि यह जो

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

मशीनरी समय-सीमा पर काम नहीं करके रोजाना नोटशीट चलाती रहती है, इनको समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश जारी किए जाएं।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना और प्रधानमंत्री जन आवास योजना, ये दोनों योजनाएं देश और प्रदेश की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्रीजी देश के प्रत्येक घर विहीन व्यक्ति को घर देना चाहते हैं। राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रत्येक घर विहीन व्यक्ति को घर देना चाहती हैं। लेकिन इस ओर मानना है कि जितनी तेजी से काम होना चाहिए था माननीय मंत्रीजी, उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है और उसका कारण भी यही है कि नियम-कानून में जो व्यवस्थाएं विद्यमान हैं, उनका पालन नहीं करना और पालन नहीं करके लगातार कामों को डिले करना। उसके कारण जो लोग राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के आसीन होते ही यह सपना देखने लगे थे। मोदी जी ने जिस तरह से घोषणा की कि हम हर घर विहीन व्यक्ति को मकान देंगे। आज उन लोगों के सपने धूमिल होते नजर आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब प्रकरणों को, जितने भी प्रकरण आज की तारीख में आवेदित हैं, उन सब को जल्दी से समय से निस्तारित करवाकर जिन लोगों को मकान उपलब्ध करा सकते हैं, उन लोगों को स्वागत करके राज्य सरकार एवं देश के प्रधानमंत्रीजी की इस योजना को जल्दी से सिरे चढ़ाने का काम करें।

मैं आपका ध्यान एक गंभीर बात की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछली सरकार के समय अलवर का मास्टर प्लान-2031 तैयार हुआ था। माननीय मंत्रीजी उस मास्टर प्लान में सारी ग्रीन बैल्ट को बदल दिया। सारी डेयरी, ओरचार्ड और नर्सरी की जमीनों को बदल दिया। बफर जोन को बदल दिया। जब हम लोग विधान सभा में प्रश्न लगाते हैं, चूंकि जवाब तो आप नहीं देते। जवाब तो अधिकारी लोग देते हैं। वे लिख देते हैं कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं इस उदाहरण से प्रमाण सहित यह बताने की स्थिति में हूं कि कहां-कहां बदलाव किए? वह मास्टर प्लान भी मौजूद है और वह जवाब भी मौजूद है। कम-से-कम इनकी यह जिम्मेदारी तय की जाए। पहले इनका अवलोकन किया जाए कि कहां-कहां मास्टर प्लान में गलत तरीके से चेंज हो गया। मैं इस अलवर के मास्टर प्लान-2031 के पुनरावलोकन की मांग करता

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

हूं कि आप इसका दुबारा से इंस्पेक्शन कराइए। जहां-जहां कानून के खिलाफ, क्योंकि जो गुलाब कोठारी वर्सेज राजस्थान सरकार का जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला अभी 2017 में हुआ है, उसको लेकर राजस्थान की सरकार भी काफी चिंतित रही थी और जो गलत तरीके से बदलाव हो गये थे, उन बदलाव को वापस रिस्टोर करने के निर्देश माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय ने दिये हैं। मेरी मांग है कि राजस्थान में जिस तरीके से भी ऐसे बदलाव हुए हैं। जो कि कानून के खिलाफ हैं, उन सब को पुन: रिस्टोर करने का काम करने के लिए भी मास्टर प्लान का दुबारा से पुनरवलोकन करने के निर्देश आप दें।

एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केंद्रीय भूमि अवाप्ति कानून, 2013, आज देश में भी हमारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश में भी हमारी सरकार है और देश के अधिकतम प्रदेशों में अगर आज भारत के नक़्शे को उठाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अधिकतम प्रदेशों में हैं। बहुत कम प्रदेश बचे हैं, जहां अगले कुछ समय में हमें उनमें भी आसीन होने का अवसर मिलेगा। माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं केंद्रीय भूमि अवाप्ति कानून, 2013, इसकी राजस्थान में वर्तमान में कोई मान्यता नहीं है। इसकी मान्यता होनी चाहिए। जो केंद्र का कानून आज देश में लागू है, वह प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। कोई भी ऐसा किसान जो अपने बेटे-बेटी की शादी अपनी भूमि को बेचकर करना चाहता है, अपने खेत में कोई साधन करना चाहता है या कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में लेना चाहता है। आज तीस-पैंतीस साल से अवाप्ति करके, किसी भूमि को अवाप्ति से मुक्त नहीं माने तो अवाप्त मान लीजिए, लेकिन अगर आप उसकी अवाप्ति मानते हैं तो वर्तमान कानून के तहत उसकी अवाप्ति कर लीजिए। चाहे उसको भूमि के बदले 25 प्रतिशत भूमि दीजिए या वर्तमान डी.एल.सी. दर पर उसको मुआवजा देकर उस किसान का पिंड छोड़िए, एक तरफ करिए, तीस-पैंतीस साल से इस कानून की धारा-24 जो कहती है। अभी जो भूमि अवाप्ति कानून है उसमें यह प्रावधान है कि अगर पाँच वर्ष तक किसी भूमि के खातेदार को अवाप्ति के बाद मुआवजा नहीं दिया, उसकी जमीन का कब्जा नहीं लिया और कोर्ट में रेफरेंस नहीं किया तो स्वत: ही भूमि की अवाप्ति कार्यवाही लैप्स मानी जाती है, सुओ-

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

मोटो लैप्स मानी जाती है। राजस्थान की मशीनरी मानने को ही तैयार नहीं है। माननीय मंत्रीजी आप बहुत विवेकशील हैं। आप इस कानून का पालन करवाइए और मैं यह बात कहना चाहता हूं। इसमें यह भी प्रावधान विद्यमान है। अगर आप इस अवाप्ति को दुबारा से करना चाहते हैं, वैसे तो यह अवधि पार हो चुकी है। क्योंकि अवाप्ति दो वर्ष के अंदर होनी चाहिए थी और अगर अब भी करना चाहते हैं तो नए सिरे से करें, लेकिन किसान कम-से-कम अपने परिवार का विकास करने की स्थिति में तो आए। परिवार का पालन करने की स्थिति में तो आए न वह अवाप्ति में है, न अवाप्ति से बाहर है। जबकि वह कानूनी रूप से अवाप्ति से बाहर है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस ओर भी आप ध्यान दें।

एक बात छोटी-सी है, लेकिन बहुत गहरी है। माननीय मंत्रीजी, राजस्थान में जब से मल्टीप्लेक्स का कल्चर आया है, तब से जो सामान्य लोगों के लिए सिनेमाघर थे, वे सारे सिनेमाघर बंद हो गये। वे इसलिए हो गये कि सामान्य सिनेमाघरों की स्थिति खराब थी। टैक्स बहुत ज्यादा था। टैक्सेज के कारण से इन सिनेमाघरों के बंद होने की स्थिति आई है। राजस्थान में मनोरंजन के साधनों का नितांत अभाव हो गया। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं, मांग करता हूं कि आम जन के लिए, गरीब आदमी के लिए, दस रुपए, पंद्रह रुपए में वह पिक्चर हॉल में सिनेमा देख सके। राजस्थान में मनोरंजन के साधनों की सुविधाओं को डवलप करने का हम काम करें। ऐसी मांग भी मैं आपसे करता हूं। माननीय मंत्री जी, एक बात ऐसी है जो हम और आप..।

श्री सभापति: आसन को संबोधित करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाह रहा हूं कि मोबाइल टावर का मामला पूरे राजस्थान में चल रहा है। स्थानीय निकाय इसकी अनुमति नहीं देते। स्थानीय निकाय के स्तर पर गैर-अनुमति होने के बाद ये मोबाइल कंपनियों के लोग बिना अनुमति के जाकर दादागीरी पूर्वक, बल्कि पुलिस बल की मदद लेकर कहीं भी जाकर टावर टिका देते हैं। जब मौहल्ले के लोग आते हैं, उसके क्लियर-कट जो नियम बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, उसमें लिखा हुआ

(श्री बनवारीलाल सिंघल)
है कि अगर स्थानीय लोगों का विरोध होगा तो उस क्षेत्र में टावर नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद पुलिस बल लेकर, धमकी देकर या लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करके कि आप को पुलिस बंद करेगी, मोबाइल टावर की स्थापना होती है। मुझे आपसे यह कहना है कि जहां बड़ा विरोध हो, वहां इस व्यवस्था को बदलने की भी मैं आपसे उम्मीद करते हैं।

थोड़ा-सी यह देखने की आवश्यकता है कि अमीरी और गरीबी। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जो कई संस्कृतियों का समावेश रखता है। राजस्थान में गरीबी का स्तर है तो इतना है कि एक महिला अपने बच्चे को अपनी पीठ पर या पेट पर बाँध कर नरेगा में मज़ूदरी करती नजर आती है और अमीरी है तो इतनी है कि घर की महिला गोद में कुत्ते को लेकर चल रही है और बच्चे को आया लेकर चल रही है। माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी, राजस्थान में आम आदमी की आय बढ़ाने के साधन किए जाएं, ताकि गरीबी और अमीरी का जो अंतर है, जो नक्सलाइट पोजिशन उत्पन्न हुई, जिस तरह से उल्फा की पोजिशन उत्पन्न हुई। इसका कारण यही रहा कि गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा अंतर हुआ और लोगों ने लोगों को लूटना ऐसे क्षेत्रों में अपना धर्म मान लिया, जिसके कारण से उन क्षेत्रों में नक्सलाइट और दूसरी हिंसाएं हुईं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे याद आता है। चूंकि समय की सीमा बांधी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक शादी में गया था। मैंने एक दृश्य देखा। मैं आप सब सदस्यों के बीच में यह बात कहना चाहता हूं। उस शादी में जो मालिक थे, जिनके यहां शादी थी। मैं जब अंदर गया तो एक बच्चे को वे धक्का देकर बाहर निकाल रहे थे। उस बच्चे के हाथ में कुल्फी थी। मैंने जब यह पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं अंदर गया, घूमकर आ गया। क्योंकि मेरा नियम है कि मैं सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता हूं, कुछ खाता नहीं हूं। जब मैं बाहर आया तो जिनके यहां शादी थी, वे मुझसे आग्रह करने लगे कि आपने कुछ खाया नहीं। आप तो ऐसे ही घूमकर आ गए, आप जरा कुछ तो देखते। मैंने उनसे लंबी बात नहीं की। मैं संक्षेप में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने उनसे कहा कि जिस बच्चे के पेट में आग लग रही थी, जिसको भूख लग रही थी, जो आपके पुत्र

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

की शादी को हंडों से सजाये फिर रहा था, अपने कंधे पर लेकर, उस से कुल्फी आपने छीन ली और जिस व्यक्ति को भूख नहीं है और जिसका नियम है सूर्यास्त के बाद खाना नहीं है, उससे आप आग्रह कर रहे हैं। तो यह एक बात है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस प्रदेश में इस तरह का कानून नहीं बने, अमीर और गरीब की खाई को पाटने के लिए जब तक रोजगार के साधन नहीं हों, तब तक हम कितनी भी बात करते रहेंगे। इन बातों से कुछ नहीं निकलेगा। माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी, मैं आपके माध्यम से, आज गांव के लोगों का शहरों की तरफ पलायन तेजी से है और शहरों में रोजगार के साधन नहीं मिल रहे हैं।

छोटे-छोटे बच्चे किसी की शादी में से बैग छीनते नजर आ रहे हैं तो किसी के यहां से गहने, अंगूठी लेकर पार हो रहे हैं। यह सब व्यवस्थाएं रोकने के लिए आम आदमी की आय के संसाधन बढ़ाने की...**(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

पीडब्ल्यूडी की जरा सी मेरी बात है इनको तो रख दूं फिर। आपने घंटी बजाना ही शुरू कर दिया, शायद दस मिनट भी नहीं हुए। ...(व्यवधान)... सड़कों की बात तो कर लें, शादियों की भी करना जरूरी था।

माननीय मंत्रीजी अभी शायद कहीं घूमने चले गये हैं। मेरे तिजारा फाटक पर एक आरओबी निर्मित ...(व्यवधान)...नहीं है, अच्छा आपको कर गये क्या? हमारे माननीय सदस्य श्री रामहेत सिंह यादव साहब के घर के सामने एक आरओबी निर्मित है जो पिछली सरकार के समय निर्मित हुआ था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस आरओबी की जांच अभी वर्तमान में एसीडी के पास भी है। विभागीय स्तर पर भी लंबित है। इस आरओबी की निर्माण सामग्री की जांच जब होने लगी थी तो सबसे पहले तीन विभागों ने सामग्री की जांच की। सबसे पहले यूआईटी ने जांच की, यूआईटी ने इस सामग्री को मानक के अनुरूप नहीं बताया, सब स्टैण्डर्ड बताया। इसके बाद इसकी जांच आरएसआरडीसी ने की, आरएसआरडीसी ने सामग्री को संतोषजनक बताया। उसके बाद एमएनआईटी

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

के द्वारा सामग्री की जांच की गई। एमएनआईटी ने इसको मानक के अनुरूप बताया। तीन-तीन एजेंसी ने जांच की, तीन एजेंसी अलग-अलग रिपोर्ट दे रही है। ऐसी लंगड़ी टांग का पुल अलवर में बना हुआ है जो कभी भी किसी दिन बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकता है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से मेरी मांग है कि इस पुल की जांच जितनी जल्दी हो सके, करवाएं। जो लोग इसमें घटिया निर्माण करवाने के लिए दोषी है, उन सब लोगों को दंडित करने का काम करें।

मेरे अलवर शहर में एक दाउपुर रेलवे फाटक है उस फाटक पर बहुत आवागमन है, आधा शहर उधर बसता है लेकिन संकरी जगह होने के कारण से इस पर किसी भी प्रकार के आर.ओ.बी. का निर्माण संभव नहीं है। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस दाउपुर रेलवे फाटक पर एक आर.यू.बी., रेलवे अंडर ब्रिज की स्थापना करवाने के लिए निश्चित तौर पर कोई न कोई प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे शहर में आरयूआईडीपी के द्वारा सीवरेज की और पीएचईडी के द्वारा पानी की लाइन डाली गई और डाली जा रही है। लगभग पूरा शहर तोड़कर डाल दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे शहर गांव से भी बुरी हालत में तब्दील हो गया है। पूरे दिन धूल और धुआं जैसे गुबार उड़ते रहते हैं। इससे आम जन का जीवन प्रभावित हो रहा है। चूंकि यह अलवर शहर की सड़कें हैं,स्वामित्व इनका पीडब्ल्यूडी का है लेकिन हमारी अलवर की यूआईटी की माली हालत अच्छी होने के कारण पूर्व में यूआईटी और पीएचईडी के बीच एमओयू हुआ, सड़कों का निर्माण पीडब्ल्यूडी की जगह यूआईटी ने करवाया। किन्तु अब यूआईटी की माली हालत खराब है। यूआईटी इन सड़कों को रिस्टोर करने की स्थिति में नहीं है। पीएचईडी और पीडब्ल्यूडी इनको रिस्टोर नहीं कर रही है। शहर की फिजां खराब हो रही है। राजस्थान का सिंहद्वार है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सड़कों को वापस पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में लेकर वापिस निर्माण करवाया जाए ताकि इस शहर की फिजां खराब होने से बचे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बड़ा मुद्दा है। अलवर शहर से होकर, हनुमान चौराहे से होकर

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

हरियाणा जाने वाली बगड़ तिराहे से जाने वाली सड़क है, जो रामगढ़ नोगावां होकर जाती है इस पर आए दिन जन हानि होती है। रोजाना लोग मरते हैं क्योंकि इस पर दवाब बहुत हो गया। टूलेन सड़क है, इसको फोरलेन करवाए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है। आए दिन शहर के लोग इस सड़क पर मरते हैं। मैं समझता हूं कि रोजाना कम से कम एक आदमी के मरने की स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सड़क को भी फोर लेन, हनुमान चौराहे से हरियाणा की सीमा तक करवाए जाने की मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं।

एक कम्पनी बाग़ की बात और है। कम्पनी बाग़ सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति है। मुझे लगता है सैंकड़ो वर्षो पुरानी सम्पत्ति है। कम्पनी बाग़ के अंदर एक शिमला है, यह कहा जाता है कि अगर लगातार 24 घंटे भी बरसात आती है तो शिमला में कभी पानी नहीं भरता, वह कम से कम सड़क से 50 फीट नीचे है। हमारी ऐतिहासिक इमारत है, शानदार है, देखने योग्य है।

पीडब्ल्यूडी विभाग के माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं शिमला जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है, अंदर शत विक्षत हो गया है, बाहर भी स्थिति खराब हो गई है, सारी जालियां खराब है, पूरा कम्पनी बाग़ बुरी हालत में है। कम्पनी बाग़ अलवर जिले की शान है। बहुत बड़े भू भाग पर यह बना हुआ है, इसको पुन: रिस्टोर कराए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मात्र आधा एक मिनट लूंगा। जितना जल्दी हो सकें माननीय मंत्री महोदय आप इसको करवाने का प्रयास करेंगे।

अलवर शहर में सैक्टर रोड मास्टर प्लान में दिखाए हुए हैं, उन सैक्टर रोड का निर्माण नहीं होने के कारण से उन पर एग्रीकल्चर, मकान बनने की जो स्थिति चल रही है, आने वाले समय में यातायात के दवाब को खतम करने के लिए हमारे पास यह एक विकल्प हो सकता है। अगर हम इनको काम में नहीं लेंगे और इन सैक्टर रोड पर कोई विकास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सब पर अतिक्रमण हो जाएगा और आने वाले समय में हम

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

किसी भी प्रकार से विकास नहीं कर पाएंगे। इन सैक्टर रोड का निर्माण कराए जाने की भी मैं नगरीय विकास मंत्रीजी से मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री बृजेन्द्रजी ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापतिजी, किसी भी राष्ट्र और राज्य के विकास में सड़कों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन आधारभूत संरचनाओं में सड़क सबसे महत्वपूर्ण कम्पोनेंट है। इस सदन में जब पहली बार बजट पेश किया गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफई केनेडी के एक कथन को भी सड़कों के संबंध में उद्धृत किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि हम धनवान हैं, बल्कि हम इसलिए धनवान हैं कि हमारी सड़कें अच्छी हैं। उसी समय, एक और बात, जब बजट की शुरूआत हुई उसमें पीडब्ल्यूडी के लिए कही गई, पीपीपी सड़कों के लिए कहा गया। यह कहा गया कि हम 20 हजार किलोमीटर सड़कों को पीपीपी मोड़ पर विश्व स्तरीय सड़कों के रूप में डवलप करेंगे। पीपीपी मोड़ की स्थिति यह है कि 2014-15 में पांच करोड़ रुपये उसके लिए रखे गए और एक करोड़ 52 लाख रुपये खर्च हुए। इसी तरह 2015-16 में भी पांच करोड़ ही रखे गए और बहुत कम खर्चा उसमें हुआ। 5 करोड़ से पीपीपी मोड़ के लिए सड़कें बनाने के लिए एक सैल का गठन कर दिया, हमारे अधिकारी मलेशिया भी गए। वहां के लोग यहां आये। पर अब इस सरकार का तीसरा बजट आ रहा है और यह इनका फ्लैगशिप प्रोगाम था। इन्होंने जो सूचना है, अवार्ड हो गए या फ्लोट कर दिए या एडीबी ने सहमति दी है वह सारी बात मिलाकर पीपीपी मोड पर यह एक हजार 53 किलोमीटर सड़क ही बना पाएंगे। उसमें भी एक किलोमीटर सड़क अभी तक बनी नहीं है। यह स्थिति तो इनकी फ्लैगशिप योजना की है।

सभापतिजी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की यहां बहुत बात आई। 2008 में बीजेपी की सरकार थी या मैं यह कहूं कि पूर्ववर्ती सरकार थी, तो भारत सरकार को यह प्रमाण पत्र दे दिया गया था कि हमारे सारे गांव जुड़ गए हैं। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में यह व्यवस्था थी कि मानव बसावटों को जोड़ना था। हमारी सरकार आई, हम उसको भारत सरकार के

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

पास लेकर गये। 2003 में ढाणियों का सर्वे हुआ था पीएचईडी के लिए। उन ढाणियों की योजना बनाकर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए और हमने उसको मंजूर करवाया। उससे बहुत सारी ढाणियों को, क्लस्टर भी बनाया गया, उनको लाभ हुआ। हमारी सरकार थी जब 300 तक की आबादी की ढाणियों के लिए वह सड़क बन गई थी। उस समय यूपीए की सरकार उसके लिए 100 परसेंट फण्ड देती थी। अब उसके लिए वर्तमान सरकार ने 60-40 का रेश्यो कर दिया है। यह बात कही गई कि हम ढाणियों को जोड़ रहे हैं, तो वह ढाणियों के प्रस्ताव तो सब हमारे समय में भारत सरकार को गए हुए थे। चूंकि जनसंख्या के अनुसार वह ले रहे थे, मरूस्थलीय जिले और रेगिस्तानी जिले हैं, पहाड़ी जिले हैं उनमें 250 तक की आबादी के वह बच गए थे जिनको अब मंत्रीजी बना रहे हैं। पर वह प्रस्ताव उसी समय के गए हुये थे। उस समय जनसंख्या-वाइज नीचे आ रहे थे। उस समय 100 परसेंट पैसे भारत सरकार से मिलते थे, अब उसमें आपको 60-40 पर करना पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निश्चित रूप से गांवों का बहुत जुड़ाव हुआ, बहुत विकास हुआ, पर यह ढाणियां बच गई थी जो हजारों की तादाद में थीं, उनको जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत महती योजना बनाई, इस पर बहुत काम किया। थोड़ी बहुत ढाणियां रह गई थी वह हमारे प्रस्ताव दिए हुए हैं, उन पर ही अब यह कार्यवाही हो रही है।

मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने कहा पीडब्ल्यूडी के लिए बहुत ज्यादा एलोकेशन कर दिया गया है, सड़कों के लिए कर दिया गया है।

मंत्रीजी को सिर्फ 7.86 प्रतिशत, जो बजट अलोकेशन है, जो प्लान का बजट है, उसमें से 7.86 प्रतिशत इनको दिया गया है। पूरे देश में राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। हमारा बहुत बड़ा भू-भाग है। बहुत सारे, अभी तक तो हमारे यहां कुछ पंचायत मुख्यालय भी जुड़े हुए नहीं हैं। एक पंचायत से दूसरा गांव भी जुड़ा हुआ नहीं है। इस स्थिति में पी.डबल्यू.डी. के लिये ज्यादा अलोकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिये थी, तो यह जो 7.86 प्रतिशत है, यह राशि काफी कम है। सड़कों के मामले में देश का जो प्रति सौ किलोमीटर घनत्व है, हम उससे बहुत नीचे हैं। देश का घनत्व तो है 166

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

किलोमीटर और हम सिर्फ 66 किलोमीटर पर हैं। इसलिये सड़कों के मामले में हमको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की बात आप लें। जब भी माननीय भूतल परिवहन मंत्री राजस्थान में आते हैं, तीन साल से तो वे यह घोषणा करके जाते हैं कि यह एक्सप्रेस-वे इस साल चालू हो जाएगा। अब भी करके गये हैं। वह एक्सप्रेस-वे तो कहां से चालू होगा, जमीन ही अवाप्त नहीं हुई है। जमीन लेने की कार्यवाही नहीं हुई है। जो दिल्ली से जयपुर को जोड़ता है, नेशनल हाइवे नम्बर 8, उन्होंने उसके लिये भी कई बार डेड लाइन दे दी। वह भी पूरा नहीं हुआ है। शाहपुरा में पुल अधूरा पड़ा है, पावटा में पुल अधूरा पड़ा है और कई जगह अण्डर-पास अधूरे पड़े हैं। वह सड़क भी, जो 2009 से चल रही है, आज तक पूरी नहीं हुई है। हमारी जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, उसका यह हिस्सा है। उस सड़क की यह हालत है तो फिर एक्सप्रेस-वे के लिये जो हमको सपने दिखा रहे हैं, वे मेरे हिसाब से तो एक तरह से सपने ही हैं।

सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, राजस्थान के चार जिले, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर, जालौर और हनुमानगढ़, एन.एच.ए.आई. के जो हाइवे हैं उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। झुंझुनूं के लिये यू.पी.ए. सरकार ने दो हाइवे घोषित किये थे। एक 11 नम्बर, जो रेवाड़ी-नारनौल-चिड़ावा-झुंझुनूं-फतेहपुर के लिये था। उसकी लम्बाई शायद 130 किलोमीटर है। वह 107 किलोमीटर तो झुंझुनूं जिले में है और 18 किलोमीटर सीकर जिले में है। सीकर जिले में जो मण्डावा से फतेहपुर के बीच में सड़क है, उसकी हालत तो ऐसी है कि आप उस पर चल नहीं सकते। मेरे विधान सभा के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने बताया था कि हम इसकी डी.पी.आर. बनवा रहे हैं। उस बात को भी डेढ़ साल हो गया। उस सड़क पर एक नया पैसा कहीं खर्च नहीं किया गया है। दूसरा नेशनल हाइवे भिवानी-लुहारू-पिलानी-राजगढ़ के लिये घोषित किया था। उसमें से 24 किलोमीटर एरिया तो झुंझुनूं जिले में पड़ता है। शायद उसकी 59 किलोमीटर पूरी लम्बाई है, बाकी का चूरू जिले में पड़ता है। उस हाइवे पर भी जैसी सड़क वह पहले बनी हुई थी, हाइवे डिक्लेयर करने से पहले, उसी स्थिति में वह सड़क आज है। इसी स्थिति में यह सड़क, जो नारनौल-चिड़ावा-सिंघाना-झुंझुनूं जो डिक्लेयर की है, वह है।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

यू.पी.ए. की भारत सरकार की यह नीति थी कि कोई भी जिला नेशनल हाइवे से जुड़े बिना नहीं रहना चाहिये। उस पर भी तीन साल से अधिक उन स्वीकृतियों को हो गया। उन पर कोई काम नहीं किया गया है। बहुत सारी यही स्थिति है। यहां मेरे साथियों ने कई तरह की बातें उठाईं। सड़कों की क्वालिटी की बात आप लें। आपने क्वालिटी कण्ट्रोल का सैल बना रखा है। मैं पहले उदाहरण दूं। झुंझुनूं और सीकर जिले में पी.डबल्यू.डी. का एक एक्स.ईएन. बैठता था, जो झुंझुनूं में बैठता था। अब तीन एक्स.ईएन. तो झुंझुनूं में वैसे ही डिवीजन कर दिये। फिर कोई टी.ए. है, कोई क्वालिटी कण्ट्रोल का है। एस.ई. आफिस वहां है, पर सड़कों में गुणवत्ता के लिये जो मॉनीटरिंग होनी चाहिए, उसकी बहुत कमी है। कोई भी सड़क अगर आप गुणवत्ता से बनाएंगे तो वह ज्यादा समय चलेगी। उसमें आपका ट्रैफिक स्मूथ रहेगा, आपका डीजल कम लगेगा। यहां आई.टी. की बहुत बात आई। तो क्यों नहीं आप आई.टी. की मदद लेकर उन सड़कों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करें, उनकी गुणवत्ता सुधारने की कोशिश करें।

ग्रामीण सड़कों की आप स्थिति लें। 15-15 साल हो गये सड़कों को बने हुए और उनका रिन्युअल नहीं हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सड़कें ऐसी हैं। एक तो झांजोत से खुड़ोत तीन किलोमीटर की, एक विढानिया से खेमूं की ढाणी, एक घूमणसर से हमीरवास लाम्बा, उन सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल है। उनमें से दो तो प्रधान मंत्री सड़क योजना में बनी हुई हैं। आज तक उनकी कोई नवीनीकरण की स्थिति नहीं ली गई है।

सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं वह हरियाणा से सीमा बनाता है। हम जब झुंझुनूं जिले में घुसते हैं तो गाड़ी की आवाज ही बता देती है कि अब आ गये। बोर्डर बोर्ड, यह देखने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति हमारी है। हमारे लोगों में वहां यह स्थिति है। हरियाणा में हर सड़क पर, जो स्टेट रोड है चाहे दूसरी तरह की रोड है, उस पर लिखा रहता है कि यह शिड्यूल रोड है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) इसकी इतनी बाउण्ड्री पर आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते। हमारे यहां तो सड़क की बाउण्ड्री कहां है, उसके निशान ही नहीं लगा रखे हैं। आपके पास इतना बजट है, उस पर आपका अतिक्रमण हो जाता है। अतिक्रमण होने के बाद उसको आप

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

तोड़ते हैं तो क्या यह राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि नहीं है। आप क्यों नहीं अपनी सीमा के साइन बोर्ड लगायें, क्यों नहीं आप उस पर यह लिखें कि यह शिड्यूल रोड है, इसके इतने मीटर में आप निर्माण नहीं कर सकते।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाइवे तो डिक्लेयर हो गया। पर सीकर-झुंझुनूं जो रोड है, सभापति महोदय, उसकी हालत बहुत खराब है। आपके जो ट्रैफिक के नार्म्स हैं, जो घनत्व ट्रैफिक का होना चाहिये, उसका आप सर्वे करवा लें। उसके अनुसार उसको चार लेन सड़क होना चाहिये। वैसे भी आपको हर एक जिला मुख्यालय को राजधानी से फोर लेन सड़क से जोड़ना चाहिये।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): मेरे यहां पुलिस लाइन के पास उस सड़क पर आर.ओ.बी. का भी निर्माण होना चाहिए।

सभापति महोदय, बोलना तो काफी था। पर उधर तो बहुत लिबरल हैं। थोड़ी आप इधर भी कृपा करें।

आपने बजट घोषणा में यह कहा था कि आई.जी.एन.पी. की जितनी भी सड़कें हैं, वह हम सी.ए.डी. से लेकर पी.डबल्यू.डी. को देंगे। उसमें भी एक इंच सड़क का भी कहीं पुनर्निमाण हुआ नहीं है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपके पास अभी दो साल का समय है, आप आंकड़ों के जाल में न जाकर कुछ काम धरातल पर करके दिखाओ, जिससे आमजन को लाभ मिले, राजस्थान की सड़कें अच्छी हों। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य हीरालालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज सड़कें और पुल, इस मांग संख्या 21 पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र निवाई में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जस्टाना-बोंली-निवाई, 32 किलोमीटर, सोयला-डिग्गी, लम्बाई 31 किलोमीटर की सड़कें बजट घोषणा के दौरान दी हैं। उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री महोदय युनुस खानजी का बहुत-

(श्री हीरालाल)

बहुत आभारी हूं। मैं मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी को और पी.डबल्यू.डी. मिनिस्टर साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

सड़कों के मामले में अभी पूर्व माननीय सदस्यों ने बताया, प्रधान मंत्री सड़क योजना के लिये भी अभी ओलाजी ने बताया। सबसे पहले सड़कों के लिये शेरशाह सूरी के समय में सबसे बड़ी सड़क ग्रांड ट्रंक रोड बनी। शेरशाह सूरी के बाद अगर सड़कों का विकास किया है तो माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी ने प्रधान मंत्री सड़क योजना, जिसके तहत प्रत्येक पंचायत को तहसील हैडक्वार्टर से जोड़ना, दूसरा चतुर्भुज स्वर्णिम योजना, उसके तहत पुलिया निर्माण करना। हमारी सरकार ने भी माननीया वसुन्धराजी के नेतृत्व में जब सरकार पिछली बार 2003 से 2008 तक बनी तो प्रधान मंत्री सड़क योजना, मिसिंग लिंक से काफी इस राजस्थान का विकास हुआ और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि दो साल है, तीन साल है, 60 साल आपको राज करने का मौका मिला, कितनी सड़कें बनीं? कितने आर.ओ.बी. बने? कितने पुल बने? यह जितने हैं- नेशनल हाइवे, फोरलेन, सिक्स लेन यह जो बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी के और माननीया वसुन्धराजी के शासन काल में यह सड़कों का जाल बिछा और पूरे देश और प्रदेश का विकास हुआ।

भाजपा सरकार ने तीन वर्षों में सड़क के क्षेत्र में 20822 करोड़ रुपयों का व्यय कर 4281 गांव, ढाणियों एवं मजरों में सड़कों का जाल बिछाया और सड़क से जोड़ा। 15278 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें, नवीन सड़कों का निर्माण कर 4637 करोड़ रुपये व्यय करना सुनिश्चित किया है।

माननीया वसुन्धराजी की सरकार में ग्रामीण गौरव-पथ, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना पहली बार राजस्थान में आई। शहरों में बहुत अच्छी सड़कें हैं। माननीया मुख्य मंत्रीजी का यह सोच था कि गांवों के लोग भी शहरों में जैसी सड़कें हैं, उस पर चले, उनको यह महसूस हो कि हमारे यहां यह अच्छी सड़कें हैं, इसके तहत प्रथम चरण में 1972 गांवों को जोड़ा गया और जो सड़कें हैं, करीब-करीब सभी जगह पर गौरव-पथ बनकर तैयार हो गयी है, जो सीमेंट-कंक्रीट की है और मेरा खुद का विचार है कि अगर उन सड़कों का

(श्री हीरालाल)

रख-रखाव किया जाए तो पचास साल तक उन सड़कों का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। द्वितीय चरण में 2 हजार 86 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को इन सड़कों से जोड़ा जाएगा जिसमें एक हजार 253 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

इसी प्रकार राजस्थान में सड़कों से जोड़ने के लिए, गांवों के सुधार के लिए, गांवों के आवागमन और गांवों का ग्रामीण तहसील हैडक्वार्टर और पंचायत हैडक्वार्टर से जुड़ जाए, उसके तहत मिसिंग लिंक योजना, उस जिले से जुड़ जाए, इस योजना के प्रथम चरण में 2 हजार 246 किलोमीटर लम्बाई की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया गया। चालू वर्ष के अंत तक यह पूर्ण हो जाएंगी। द्वितीय चरण में एक हजार 820 किलोमीटर लम्बाई की 808 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा जो वर्ष के अंत तक पूर्ण हो जाएगा।

राज्य के 9 हजार 894 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में से 5 हजार 907 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक स्वीकृत करके इनको जोड़ा गया है। शेष 3 हजार 987 ग्राम आगामी दो वर्षों में इन सड़कों से गौरव पथ के माध्यम से, मिसिंग लिंक के माध्यम से इन सड़कों से गांवों को जोड़ दिया जाएगा। आगामी वर्ष में 2 हजार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एक हजार दो सौ करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण गौरव-पथ का और मिसिंग लिंक का निर्माण करवाया जाएगा।

नाबार्ड योजना के तहत 825 करोड़ रुपये के 5 हजार किलोमीटर से अधिक लम्बाई के एक हजार 518 कार्य प्रारंभ किये जाएंगे, जो आगामी वर्ष में पूरे कर लिये जाएंगे।

NCRPB से ऋण प्राप्त कर 968 करोड़ रुपये की लागत से 600 किलोमीटर तक लम्बाई की सड़कों का विकास कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार एक हजार किलोमीटर लम्बाई की राज्य मार्गों एवं अन्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य करवाया जाएगा, जिस पर आगामी वर्ष में 500 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा आगामी वर्ष में 6 हजार 657 करोड़ 32 लाख रुपये

(श्री हीरालाल)

का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2016-17 के संशोधित बजट अनुमान से 58.47 प्रतिशत अधिक है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान माननीया मुख्य मंत्री महोदया भी वहां से गुजरी थीं और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति, इसमें पीपलू उपखंड की स्थिति बहुत जर्जर है क्योंकि कांग्रेस ने, कोई पांच साल रहे पहले, फिर पांच साल रहे, कोई इन्होंने काम नहीं किया और इन सड़कों का काम माननीया वसुन्धराजी के शासन में आने के बाद ही होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस पर गौर फरमा कर पीपलू उपखंड की सड़कें, मेरे विधान सभा क्षेत्र की हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

डांगरथल से बगड़ी चार किलोमीटर, नला से सिरस छह किलोमीटर, मेहताबपुरा से सिरस तीन किलोमीटर, गहलोद पुलिया पर रपटा, गहलोद पुलिया ऐसी है कि बरसात में वह रपट बारबार टूट जाता है क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर रपटा बनता है, वह टूट जाता है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि उस रपटे को मजबूती से पाइप डालकर बनाया जाए ताकि वह रपटा बार-बार टूटे नहीं। रपटा बनने के बाद सी.सी. रोड बनता है तो ऐसे ही उलट कर यूं का यूं आ जाता है, जैसे कोई चारपाई उलट कर इधर पड़ जाती है, गिर जाती है तो यह रपटा बनना आवश्यक है। राणोली से बिसालू चार किलोमीटर, लांग से खुरेड़ी चार किलोमीटर, ढूंढिया से देवरी तीन किलोमीटर, दूसरी से बगड़ी चार किलोमीटर, हनौतिया से अमीरपुर तक जो टोड़ा से जोड़ती है, एक ऐतिहासिक कस्बा है टोडा और पर्यटन की दृष्टि से अच्छा है कि वहां टोडा की बावड़ी और टोड़ा की दावड़ी और टोड़ा की गट्टी और टोडा की पट्टी मशहूर है इसलिए उस ऐतिहासिक कस्बे, वहां की बावड़ी बहुत मशहूर है आज भी, ढूंढिया से देवरी, दूसरी से बगड़ी, हनौतिया से अमीरपुर तक तीन किलोमीटर डामरीकरण करना, सड़क टूट गयी है।

झिराना से नानेर मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सुराज संकल्प यात्रा में आप भी पधारे होंगे। झिराना से नानेर ऐसी सड़क है,

(श्री हीरालाल)

जो सड़क ही नजर नहीं आती और वह टोडा से जोड़ती है। टोडा उपखंड से जोड़ती है। टोडा से उधर टोंक, टोडा से निवाई विधान सभा क्षेत्र तक तो वह सड़क जुड़ चुकी है लेकिन काफी वर्षों से दस किलोमीटर सड़क है, माननीय मंत्री महोदय, अगर झिराना से नानेर तक जुड़ जाती है तो टोडा का सीधा रास्ता हो जाता है नहीं तो आने जाने के लिए यात्रियों को और वहां की जनता को बहुत परेशानी होती है। टोंक से गहलोद, नानेर, ज्वाली होते हुए टोडा, सहोदरा नदी पर पुलिया टूट गयी है। तो, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सहोदरा नदी की जो पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है, उसका निर्माण करवाने का कष्ट करें। कुरेड़े से इस्लामपुरा दातां तक तीन किलोमीटर, बस्सी से बहड़ पांच किलोमीटर, बारेड़ा से बस्सी तीन किलोमीटर, वनस्थली से मनोहरपुरिया होती हुई जोधपुरिया जो एक देव धाम है, हमारे टोंक जिले का लक्खी मेला या तो श्रीकल्याणजी के भरता है या देवधाम जोधपुरिया में भरता है, जहां लाखों लोग पंजाब हरियाणा और दिल्ली, कोटपूतली राजस्थान से आते ही हैं, बाहर के प्रदेशों से भी बहुत आते हैं तो वहां तक जुड़ती है, इसलिए इस रोड को भी वनस्थली से मनोहरपुरिया और जोधपुरिया तक जोड़ा जाए जो पांच किलामीटर है। सिरस से बस्सी चार किलोमीटर रोड है, यह भी बहुत क्षतिग्रस्त रोड है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सहोदरा, हनौतिया, झिराना, नानेर, टोंक से गहलोद और क्षतिग्रस्त गहलोद पुलिया के रपट को निर्माण करवाने की कृपा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र को पिछली बार भी मिसिंग लिंक में कम पैसा मिला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली बार भी मेरे विधान सभा क्षेत्र को कम पैसा मिला है, कृपया आप समान दृष्टि रखते हुए कृपा करें और मुझे बराबर पैसा देवें, आपने मुझे दो सालों में कम दिया है। मिसिंग लिंक में भी कम दिया है। ...(व्यवधान) आप बोलें नहीं। आपका समय आए जब बोलना। मुझे बोलने दें, मेरा धारा प्रवाह टूट जाता है, कृपया माफ करें। मिसिंग लिंक में भी, आप बोलोगे कांग्रेस की स्थिति बताएंगे तो कुछ पेश ही नहीं किया और अभी आप यहां बोल रहे हो, अभी कांग्रेस के लिये भी बताऊंगा, आप बोले नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सभापति महोदय, कृपया मुझे संरक्षण की आवश्यकता है। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री हीरालाल (निवाई): इनके बोलने से मैं डिस्टर्ब होता हूं।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य इनको डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री हीरालाल (निवाई): आपसे निवेदन करता हूं कि इन सदस्यों को रोकें ताकि यह डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री सभापति: मैं रोकूंगा, आप बोलें। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री हीरालाल (निवाई): बताएंगे, अभी कांग्रेस का भी बताएंगे। मिसिंग लिंक में भी 2016-17 में मुझे कम पैसा दिया है और गौरव पथ में मुझे 2015-16 में 15 और 2016-17 में 11 दिये हैं, जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 66 पंचायतें हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं पांच मिनट और लूंगा। मैं तो वैसे ही समय से कम बोलता हूं। मेरे 66 पंचायतों में से 40 पंचायतें बच गयी हैं तो इन दो वर्षों के लिये मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें हीरालालजी।

श्री हीरालाल (निवाई): एक सैकिण्ड में समाप्त कर रहा हूं। जो बची हुई मिसिंग लिंक हैं उनको जोड़ा जाए। मेरे यहां निवाई में पर्याप्त भूमि है, करीब चार बिस्वा पड़ी है। वहां पर पी.डब्ल्यू.डी. का डाक बँगला नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. का डाक बँगला भी मेरे यहां शीघ्र बनाया जाए। मेरे यहां निवाई और मालपुरा, मालपुरा से पी.डब्ल्यू.डी. के आफिस को ज्वाइंट कर रखा है तो निवाई से मालपुरा 80 किलोमीटर है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि निवाई और पीपलू को मिलाकर एक्स.ईएन. आफिस का एक खण्ड कार्यालय वहां खोला जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हीरालाल (निवाई): इसके साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि मोलाईपुरा से मनोहरपुरा तक डामर सड़क से जोड़ा जाए, क्योंकि यह

(श्री हीरालाल)

जोधपुरिया को जोड़ती है और एक सैकिण्ड और लूंगा, कांग्रेस वाले माननीय सदस्य बहुत कह रहे थे कि इनके टाइम में सड़कों का कोई विकास नहीं हुआ। अभी पांच राज्यों के इलेक्शन हुए, माननीय मोदीजी और अमित शाह जी के नेतृत्व में पांच राज्यों में से चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ई.वी.एम. मशीन की बात करते हैं।

श्री सभापति: आज तो पी.डब्ल्यू.डी. का मामला है।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं तो एक बात कह रहा हूं जो यह बोल रहे हैं, आप सुनिए तो सही। पांच में से चार राज्यों में सरकार बनी। पंजाब में सरकार बनी आपकी, वहां तो ई.वी.एम. मशीन खराब नहीं थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। माननीय श्री फूलसिंह मीणा।

श्री हीरालाल (निवाई): एक सैकिण्ड - 'वह जब कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होती,

हम आह भी भरते हैं तो बदनाम हो जाते हैं।

जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री फूलसिंहजी, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे महत्वपूर्ण एवं आमजन से जुड़ी हुई मांग संख्या 19, 20 एवं 21 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि सड़कों का काम तो 2008 से 2013 के बीच में हमने कर दिया। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि फिर आप मांग क्यों कर रहे हैं? वह मंत्री महोदय थे, उनके वहां पर उन्होंने हो सकता है बना दी होगी, मैं उनको बताना चाहता हूं, वह अभी यहां पर हैं नहीं, कि उनके पाँच साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा मैं बताता हूं। 2008 से 2013 के बीच में उन्होंने पाँच साल में सार्वजनिक निर्माण विभाग में 3 हजार 261.49 लाख रुपये का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय प्रधान

(श्री फूलसिंह मीणा)

मंत्री नरेन्द्र मोदी साहब को और माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी को और हमारे माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री युनुस खान साहब को, कि हमारी नवम्बर, 2013 में सरकार आई उसके बाद में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण गौरव पथ योजना, मिसिंग लिंक योजना, इनके माध्यम से 2013 से 2017 के बीच में तीन वर्ष के अंदर 11 हजार 264 लाख रुपये स्वीकृत करके विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सड़कों का निर्माण करके आमजन के लिये सुगम आवागमन उपलब्ध कराने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं कि 10 मिसिंग लिंक सड़कें हमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे मंत्री महोदय ने दीं। इसके साथ ही 16 गौरव पथ दिये, नोन पेचेबल में तीन सड़कें दीं, साथ ही नवीनीकरण के लिये 10 सड़कें दीं तथा पी.एम.जी.एस.वाई. से 43 सड़कों का निर्माण वर्तमान सरकार में पूरा भी हो गया और कुछ चल भी रहा है। यह हमारी सरकार का विकास कराने का खाका मैं आपके सामने रख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, जो गांवों में आपस में आने-जाने का रास्ता नहीं था, उसमें मंत्री महोदय ने 10 मिसिंग लिंक दीं, वह बताना चाहता हूं कि चाँदनी से मेरे सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने का काम किया। यही नहीं मोहन डूंगरी, जो 10 किलोमीटर आने-जाने का जो रास्ता था, मोहन डूंगरी से स्वरूपपाल का, उस मिसिंग लिंक को जोड़कर वह 20 किलोमीटर की दूरी कम की। यही नहीं खजूरी से कुमारिया खेड़ा सड़क, जिसके अंदर कम से कम 70 किलोमीटर की दूरी थी, उसको मिसिंग लिंक रोड के माध्यम से जोड़ने का काम किया, भूजड़ा से नाई को जोड़ा, चोखड़िया से नाई को जोड़ा, कोडियाज से दडिचा को जोड़ा और छोटी ऊंदरी से चोखडिया को जोड़ा, काणपुर से खरबड़िया को जोड़ा, नाई से हॉस्पिटल तक जोड़ा। यह काम किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे मंत्री महोदय ने बहुत बड़ा काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्षों से मादड़ी अंडरपास, जिनमें निर्दोष व्यक्तियों की एक्सीडेंट से मौत होती थी, वहां हाइवे निकलता था, उसमें हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे गृह मंत्री गुलाबचन्दजी

(श्री फूलसिंह मीणा)
कटारिया, उदयपुर के विधायक, इन्होंने नगर निगम और यू.आई.टी. के माध्यम से चार करोड़ की लागत से अंडरपास बनाकर हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया। उससे हमारी आम जनता को लाभ मिला। वास्तव में वहां पर जिन निर्दोष लोगों की जान जा रही थी, उसको बचाने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बस स्टेंड से माली कालोनी होते हुए हिरण मगरी को जोड़ते हुए राणावत पोल्ट्री फार्म से जोड़ा, जो करीब 10 किलोमीटर की दूरी है। उसके लिये पहले एक घंटे का समय लगता था, अब ज्यादा से ज्यादा दस मिनट के अंदर इंडस्ट्री एरिया होकर बस स्टेंड या उदयपुर में कहीं पर भी जाए तो इस मिसिंग लिंक और इस अंडरपास से हमारा बहुत बड़ा काम किया।

यही नहीं, सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने और माननीय गृह मंत्री महोदय ने यू.आई.टी. के द्वारा प्रयास किया और इसी हाइवे लेन में अभी एकलिंगपुरा अंडरपास का भी अभी इस बजट में लेने के लिये प्रस्ताव रखा।

माननीय सभापति महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य सड़कें हैं जिनमें लगातार मांग कर रहा हूं। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में दिलाना चाहता हूं, मैं लम्बा-चौड़ा तो नहीं बोलूंगा मगर मेरी कुछ सड़कों का काम है, भाषण तो खूब दे रहे हैं विपक्ष वाले। हमारी विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पूर्व मंत्री महोदय कह रहे थे कि हमने कर दिया। मगर अभी वह भी डिमांड रख रहे थे कि मेरे फोर लेन नहीं बनी, मेरे वह रोड नहीं बनी। जब आप बना चुके थे तो अब मांग किस बात की कर रहे हैं? इससे ऐसा लगता कि इन्होंने बनायी ही नहीं। कुछ बनायी होगी तो खुद के विधान सभा क्षेत्र में बना दी होगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो काम किया गया इस सरकार द्वारा, वह मैंने आंकड़ों सहित बताया।

सभापति महोदय, में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि टीडी से जावर माइंस की 11 किलोमीटर की रोड़ है, जो माइंस है करोड़ों अरबों रुपये कमा रही है मगर इस रोड़ का मैंने तीनों ही विधान सभा सत्रों में इस मुद्दे को उठाया मगर अभी तक वो रोड नहीं बनी है, उसको किसी न किसी से, माइनिंग डिपार्टमेंट से कराओ। चाहे आप पी.डब्ल्यू.डी. से

(श्री फूलसिंह मीणा)

कराए क्योंकि माइनिंग के बड़े-बड़े सौ-सौ टन के ट्रोले निकल रहे हैं मगर उस रोड़ का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ।

दूसरा, गातोड़जी से आरीया फलां वाली रोड़, वह भी मैं तीन वर्षों से बराबर मांग कर रहा हूं और उसमें गांव वालों ने बहुत जोरदार वहां पर जाम भी किया, उसको हमने समझा-बुझाकर बंद करवाया कि अब हम करवा देंगे। माननीय, कानपुर से पारा खेत का चार किलोमीटर रोड़, बजड़ा से कोड़िया तीन किलोमीटर रोड, बचार से केली महादेव तक तीन किलोमीटर रोड और छोटी ऊंदरी से खरपीणा 11 किलोमीटर रोड, माननीय मंत्री महोदय, यह छोटी-छोटी रोड हैं, कोई बड़ी रोड नहीं हैं, इनको भी इस प्रस्ताव में लेकर हमारी जनता को राहत दिलाने की कृपा करें।

पूर्व सरकार के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में उदयपुर ग्रामीण के डिवीजन को उदयपुर से खैरवाड़ा हस्तान्तरण करवाकर ले गये थे, उस डिवीजन को। मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपने कहा भी था कि मैं जल्दी ही इसको करवा दूंगा, मगर अभी तक नहीं हुआ, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा, मंत्री महोदय, यह आपके ध्यान में भी है, जैसे गौरव पथ फर्स्ट में दिया था, 8 मिलने चाहिए थे मुझे 5 ही दिये, आपको धन्यवाद देता हूं जो फिर उसकी पूर्ति करके गत वर्ष में मुझे 11 गौरव पथ दिये, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उपखण्ड खैरवाड़ा होने के नाते अभी तक गत साल का गौरव पथ का मेरा भूमि पूजन भी नहीं हुआ क्योंकि एस.ई. साहब का ट्रांसफर हो गया, हो सकता है अधिकारियों को बोल दिया हो, और मेरे विधान सभा क्षेत्र में गौरव पथ का काम क्यों नहीं हुआ, इसका आप पता करके मुझे बताएं कि यह कब तक चालू हो जाएगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय मंत्री महोदय, मैं सभापति महोदय के मार्फत निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, 125 किलोमीटर की दूरी वाला छोटी ऊंदरी से खरपीड़ा जो रोड़ है, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि यहां पर हमारा एक जनजाति परिवार का रतन लाल मीणा, जो कारगिल के अन्दर लोहा लेते हुए शहीद हो गया था, उसके लिए दैनिक भास्कर ने लम्बी-चौड़ी न्यूज भी दी थी और यह 11 किलोमीटर की सड़क है, इस सड़क पर आवागमन में काफी परेशानी का

(श्री फूलसिंह मीणा)

सामना करना पड़ रहा है, अगर इस सड़क का निर्माण करा दिया जाता है तो हमारी अहमदाबाद से झाड़ौल वाली रोड़ जुड़ जाती है। इसके जुड़ने के बाद में रतन लाल मीणा, जो दिसम्बर, 2002 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए सी.आर.पी.एफ. जवान बटालियन में शहीद हुए थे लेकिन ऐसे वीर जवान के शहीद होने वाले गांव में भी आज तक किसी प्रकार से पूर्व सरकार ने भी, जो 2002 के बाद में हमारी सरकार आयी और फिर इनकी आयी तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट लूंगा।

इस सड़क को, हमारे जनजाति मंत्री महोदय भी आ गये हैं, हमारे जनजाति परिवार का एक जवान शहीद हुआ है, हो सकता है, हमारे टीएडी फंड से भी वो रोड हो जाए तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां के गांव में एक हमारी जनजाति के उस रोड को जोड़ देंगे तो पूरे संभाग में एक मैसेज जाएगा क्योंकि हमारा रतन लाल मीणा जिस गांव का है, वहां पर आज भी पैदल जाने के लिए रास्ता है वर्ना कोई गाड़ी या मोटर साइकल भी नहीं जा सकती है। माननीय, जब वो शहीद हुआ तो दो घंटे लगे वहां पर पैदल चलकर उनका दाह संस्कार करने में। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि यह रोड बहुत जरूरी है। हमारे माननीय जनजाति मंत्री महोदय और आप, दोनों मिल कर यह काम करा सकते हैं, यह बहुत बड़ा इश्यु बना हुआ है और आप इसको इसी बजट में लेंगे, यह मेरी उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है।

और यह जो मैंने बताया, जो मेरा पी.डब्ल्यू.डी. हैडक्वार्टर को खैरवाड़ा से हमारे यहां उदयपुर में लाकर मेरे को राहत दिलाएं। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 31)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 31वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(श्री मदन राठौड़)

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21 मार्च, 2017 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के वेश्म में हुई। समिति ने अपने 30वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017 से गुरुवार, दिनांक 30 मार्च, 2017 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए:-

बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017 गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2017 शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 2017	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
रविवार, दिनांक 26 मार्च, 2017	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017 मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2017	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 28 मार्च, 2017 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2017	बैठक नहीं होगी।
गुरुवार, दिनांक 30 मार्च, 2017	1- राजस्थान वित्त विधेयक, 2017 एवं 2- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण।

सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 31वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 31वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

माननीय सदस्य श्री खेमारामजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19, 20 व 21 पर विचार

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19, 20 और 21 पर बोलने का जो समय दिया है उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री युनुस खान साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अभी, हाल ही में सालासरजी में माननीय नितिनजी गडकरी, माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में वहां पधार कर एक बहुत बड़ी योजना का वहां से शुभारंभ किया। नागौर, जायल, डीड़वाना, मीठड़ी, गनेड़ी, सालासर, लक्ष्मणगढ़-मुकनगढ़ सड़क जो 196 किलोमीटर और 558 करोड़ रुपये की यह परियोजना है, उसका वहां शिलान्यास हुआ था। इसके साथ-साथ वहां सालासर-सुजानगढ़-लाड़नूं-डेह-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग 65, इसका भी वहां शिलान्यास किया गया, 119.60 किलोमीटर और यह 637 करोड़ रुपये कि परियोजना है, वो वहां स्वीकृत की गयी और वहां उसका शिलान्यास किया गया। यह एक इतनी बड़ी परियोजना है जिससे पूरे स्टेट को बहुत बड़ा लाभ होगा उस एरिया में। सालासरजी जो विश्व प्रसिद्ध है, बहुत दूर-दूर से देश के लोग वहां आते हैं, उन सब को वहां आने के लिए एक बहुत शानदार रोड़ की वहां सुविधा मिल जाएगी जिससे यात्रियों को आने में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी।

इसके साथ-साथ वहां जिस ढंग से हमारे सुजानगढ़ में माननीय युनुस खान साहब ने हमारे को जो रोड दीं, एक रोड ऐसी थी जो सुजानगढ़-छापर और बीदासर, वो रोड पिछले बीस साल से जिस ढंग से टूटी हुई थी और पिछले पांच-सात साल से तो उस रोड पर यह हालत थी कि कोई गुजर ही नहीं सकता था, उस रोड के बारे में बार-बार माननीय मुख्य मंत्रीजी को,

(श्री खेमाराम)

माननीय मंत्री महोदय के पास हम कई बार आये और मैं विशेष तौर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उस रोड को स्वीकृत कर के ...।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: कृपया खेमाराम जी का वक्तव्य गंभीरता से सुनें।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): बीदासर, सुजानगढ़ विधान सभा और रतनगढ़ विधान सभा में जिस शानदार ढंग से वह रोड बनी है, लोग उसको देखकर के कहते हैं कि ऐसी रोड हमने नहीं देखी। इतनी शानदार, इतनी मजबूत ढंग से वह रोड बनी है। इतना पैसा खर्च करके उस रोड को बनाया है। उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जब भी जाते हैं तो वह मुझे रोड के बारे में बताते हैं कि ऐसी रोड की हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। ऐसी रोड आपने बनाकर दी है।

सालासर के प्रोग्राम में माननीय नितिनजी गड़करी साहब पधारे थे। उस समय हमने मांग की थी कि हमारे यहां ओवर ब्रिज की बड़ी समस्या है। रणदेसर है, लोहवा है, सुजानगढ़ में सी-21 है। उसमें आपने उनसे घोषणा भी करवाई है, मैं चाहूंगा कि आप इसमें डीपीआर तैयार करके अतिशीघ्र उसको स्वीकृति दिलाने की कृपा करें। इस ओवर ब्रिज न होने के कारण से हमें वहां घंटे-घंटे भर लाइन में लगना पड़ता है। इस ओवर ब्रिज की बहुत जबरदस्त मांग है। यह 3 ओवर ब्रिज बन जाते हैं तो हमें जिला हैडक्वार्टर जाने में बहुत सुविधा रहेगी। इससे समय की भी बचत होगी। आप आज ही इसकी घोषणा करें ताकि जनता को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय खान साहब को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बजट में हमारे वहां उप कोष कार्यालय बनाने की घोषणा की है। वह बीदासर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। पिछली बार उप कोष कार्यालय की घोषणा हुई थी और इस बार उसका भवन बनाने की बजट में घोषणा हुई है।

हमारे यहां इतने शानदार गौरव पथ बने हैं और उसके साथ ही उनकी

(श्री खेमाराम)
नालियां भी बनी हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि ऐसी योजना आज तक नहीं आई। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार शहर का गौरव पथ बनाया था। इस बार उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जो गौरव पथ बनाए हैं वह वास्तव में सराहनीय हैं। जब भी ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर लोग जाते हैं तो उस गौरव पथ को देखकर के उस ग्राम के लोग अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। गावों में जो कीचड़ हुआ करता था, आज वह खतम हो गया है। गौरव पथों के माध्यम से गांव का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे कुछ गांव ऐसे थे जिनकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं थी। उनको मिसिंग लिंक के माध्यम से जोड़ा है। गांवों में 30-35 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता था। आज मिसिंग लिंक के माध्यम से वह गांव बहुत नजदीक आ गये हैं। हमें हमारे क्षेत्र में बहुत कम समय में जाने की सुविधा मिल गई है। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। रोडों की हालत बहुत खराब थी। माननीय मंत्री महोदय ने हमारी अधिकांश सड़कों को नॉन पेचेबल में लेकर के उनका शानदार ढंग से नवीनीकरण कर दिया। इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, अभी आप हमारे सुजानगढ़ पधारे थे। आपने हमारे शहरी गौरव पथ का भी शिलान्यास किया है। वह शहरी गौरव पथ जब बनेगा तो सुजानगढ़ नगर परिषद और बीदासर नगर पालिका की जो बरसों की मांग थी, उसकी आपने पूर्ति की है। उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी कुछ सड़कें अभी भी छोटे-छोटे टुकड़ों में कुछ कारण से वंचित रह गई हैं। वह कोई ज्यादा लंबी-चौड़ी नहीं हैं। कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 9 किलोमीटर हैं, आप इसके ऊपर भी गौर फर्माकर के जल्दी से जल्दी इन मिसिंग लिंक्स को पूरा करवाएं। घोटड़ा से चारिया, यह 3 किलोमीटर की रोड है। अगर यह 3 किलोमीटर की रोड बन जाती है तो सालासर के लिए, उधर रतनगढ़ से आने वालों के लिए सौगात मिलेगी। यह अपने आपमें बहुत आवश्यक रोड है। बींवसर से नोरंगसर, यह 5 किलोमीटर

(श्री खेमाराम)

की रोड है। यह भी अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण रोड है। इसकी भी मैं आपसे मांग करता हूं। कोलासर से भींवसर प्याऊ, 4 किलोमीटर, पारेवड़ा से सांडवा इस रोड की भी आपने जब डीटीओ ऑफिस का उद्घाटन था, तो अपने श्रीमुख से घोषणा की थी कि इस 9 किलोमीटर रोड को भी आप स्वीकृत कर देंगे। मैं चाहूंगा कि आज ही आप इसकी घोषणा करें। पहले जब गांव में पधारे थे, तब भी इसकी घोषणा की थी।

लुहारा से चरला 6 किलोमीटर, सारोठिया से लुहारा 3 किलोमीटर, बेरासर से धरेरु जो बीकानेर सीमा को टच करता है, 6 किलोमीटर, बालेरा से रुपेली 3 किलोमीटर, बाघसरा से एनएच 65, 3 किलोमीटर, यह बाघसरा से अगर बन जाती है तो सीकर, लक्ष्मणगढ़ से टच करती है। इसका भी हमें काफी फायदा मिलेगा। जोगलसर से नोहड़िया 5 किलोमीटर, बेनाता से दडिबा बीदासर 3 किलोमीटर, परावा से मालकसर 4 किलोमीटर, गोंदूसर से जिली 6 किलो मीटर, नाइयों की ढाणी से डूंगरगढ, बीकानेर सीमा में है।

इसके साथ-साथ बीदासर में, हम रतनगढ़ की तरफ जाते हैं तो बीदासर में बाई पास की बहुत आवश्यकता है क्योंकि हमें बीदासर शहर में से जाना पड़ता है। उसके कारण से हम शहर के जाम में फंस जाते हैं। यह बीदासर का बाई पास बन जाए तो उससे भी हमें काफी निजात मिलेगी। हमें बीकानेर जाने के लिए इधर से नोखा होते हुए जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि बीदासर का बाईपास बनाया जाए।

इसके साथ-साथ बीदासर से डूंगरगढ़ रोड बनी हुई है, उस रोड की हालत बहुत ही खराब है। वह रोड़ सीआरएफ में बनी हुई थी। कई बार उसके खड्डे भरे गये हैं, लेकिन पूरे रोड का नवीनीकरण नहीं किया गया। उसके कारण से हमें सुजानगढ़ से बीकानेर जाने के लिए, संभाग मुख्यालय जाने के लिए उधर से निकलना पड़ता है। उस रोड पर हमें डूंगरगढ़, बीदासर में 2 घंटे का समय लग जाता है और 1 घंटा आगे लगता है। इतना ज्यादा समय लगने के कारण से आने-जाने में राहगीरों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। डूंगरगढ़ और बीदासर के बीच में कुछ रोड तो ठीक हो गई है, लेकिन बाकी रोड अभी वंचित है। उसको भी आप शीघ्र ही ठीक कराए। एक

(श्री खेमाराम)
कल्याणसर से नागौर, यह 3 किलोमीटर रोड है। इसको भी आप कराने की कृपा करें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): इसके साथ-साथ सुजानगढ़, बीदासर में 2 थानों का निर्माण कार्य चल रहा है, वह बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस निर्माण कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करायें ताकि लोगों के काम आ सके।

बीदासर और सुजानगढ़ में डाक बंगले की हालत बहुत खराब है। मैं चाहूंगा कि आप इसी बजट में उसका विस्तार और मरम्मत कराया जावे ताकि आने-जाने वालों को उसकी सुविधा मिल सके। तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और बीदासर में उप कोष कार्यालय के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। इसको शीघ्र से शीघ्र कराने की कृपा करें। सुजानगढ़, बीदासर में आवास हेतु मुख्य मंत्री आवास योजना के अंतर्गत, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में भी गरीब लोगों को आवास दिलाने की कृपा करें ताकि उन लोगों को सुविधा मिल सके। विशेष रूप से सुजानगढ़, बीदासर में एक्स.ईएन. ऑफिस पीडब्ल्यूडी कार्यालय की आवश्यकता की मांग मैंने पिछली बार भी की थी। मैं मांग करता हूं कि वहां यह कार्यालय खोला जावे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री सुखरामजी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मांग संख्या 19, 20 और 21 पर मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रीजी अपने मंत्रिमंडल में नंबर वन हैं। वन किस बात के लिए हैं, मैं इसकी पूरी व्याख्या करुंगा। किस बात के लिए वन आए हैं?

सभापति महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में जो सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 166.47 है और राजस्थान में सिर्फ 63.61 है। इसके अलावा जो वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 पेश किया गया उसमें पीएमजीएसवाई का जो लक्ष्य रखा था, वह 800 के अगेंस्ट में 246.49 सिर्फ 28.31 परसेंट

(श्री सुखराम विश्नोई)
रहा। राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं 19.45 रहा है, 66 करोड़ में से सिर्फ 13 करोड़ ही खर्च किये हैं। शहरी जो सड़कें हैं उसमें 55 के अगेंस्ट में 27.75 यानी 50 प्रतिशत रहा है।

सड़कों का रख रखाव, जिसके लिए सभी विधायक तडपतें हैं कि हमारे नोन पेचेबल सड़कें हैं, ठीक करो, ठीक करो, उनकी जो राशि आवंटित की है माननीय मंत्रीजी 364.86 उसमें से 232.85 ही खर्च कर पाए, 63 परसेंट ही आपका रिजल्ट रहा और सड़कों, पुलों पर जो आपने वार्षिक योजना वर्ष 2016-17 में दी है, 5039.79 करोड़ का बजट था उसमें से आप 1799.18 ही राशि खर्च कर पाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि यह नम्बर किस हिसाब से मिलते हैं इस मंत्रिमंडल में? आप इनके कैबिनेट स्तर की बात करें, मंत्रिमंडल में तो इनके जो नागौर को राशि आवंटित की गई, उसमें से 49 परसेंट ही राशि खर्च कर पाए, आपकी मॉनीटरिंग रही और जो दस टॉप मंत्री थे उनमें इनका नाम तेरहवें नम्बर पर रहा, नागौर जिले का। अगर यह खुद अपना जिला ही नहीं संभाल पाए तो किस हिसाब से इनको नम्बर वन दिया जा रहा है, यह भी विचारणीय विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम भी विधायक हैं, हमारे साथी विधायक हैं, मंत्री बन गए लेकिन हैं विधायक, लेकिन हमारे से लिस्ट मांगी गई कि आप मिसिंग लिंक्स की जानकारी दो, हम आपके मिसिंग लिंक्स लेंगे। माननीय सभापति महोदय, एक विधायक से लिस्ट मांगते हैं और देने के बाद हमने कहा कि इन चार सड़कों की लिस्ट है, एक सड़क भी मेरी उन चार सड़कों में से नहीं की, पता नहीं कहा से लिस्ट लेकर आ गए। माननीय सभापति महोदय, वह जो सड़कें मिसिंग लिंक्स में स्वीकृत किए हैं, वह जो काम किया है, मिसिंग लिंक्स का मतलब होता है कि इस सड़क से उस सड़क के बीच की दूरी को जोड़ा जाएगा, उस सड़क से जोड़ा जाएगा दोनों के बीच की, उसको मिसिंग लिंक्स कहते हैं। माननीय सभापति महोदय, दो सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी बना दी कि सामने कोई सड़क है ही नहीं क्या पता किस हिसाब से स्वीकृत की, अगर इस हिसाब से फौजदारी मुकदमा किया जाए तो वाकई में जो

(श्री सुखराम विश्नोई)

अपने चीफ इंजीनियर हैं पीडब्ल्यूडी के वह बाकायदा मुलजिम बनते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो तरीका है मिसिंग लिंक का या तो रिपोर्ट हमारे से मांगनी नहीं चाहिए कि आप दो और अगर मांगे तो कम से कम की जानी चाहिए। पिछली सरकार में अशोक गहलोत ने, चाहे प्रतिपक्ष के सदस्य हों, रिपोर्ट ली बाकायदा मिसिंग लिंक्ष की उन्होंने सेंक्शन दी। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मिसिंग लिंक ही जब लेते हो तो कम से कम हमारे में से एक-दो तो हमारे कहे अनुसार डालनी चाहिए थी तो कम से कम दो रोडें ऐसी हैं जिनसे सामने किसी रोड को जोड़ा ही नहीं है, उन रोड्स की जांच की जाए कि किन अधिकारियों की बेइमानी हैं, जिन्होंने गलत काम किया है उन पर कार्यवाही की जाए ताकि आइंदा कोई गलत रिपोर्ट नहीं दे, लोगों को वाकई में जहां रोड बनी वहां के लोगों को उसकी उपयोगिता हो।

माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि एक इन्होंने रोड सेफ्टी कार्यक्रम चलाया। रोड सेफ्टी का ठेका जिसको दिया, उसमें नम्बर वन किस तरह से आए कि वहां उसकी शर्तें ही यह थी कि जो टीम का लीडर होगा वह रोड सेफ्टी का, फर्स्ट एड का, ट्रोमा के लिए सीनियर ट्रेनर का, सीनियर सोशल साइंटिस्ट का, सीनियर सेफ्टी एजुकेशनिस्ट, सम्बन्धित विषयों में शिक्षा एवं अनुभव जिस एनजीओ को होगा उसी एनजीओ का रोड सेफ्टी का ठेका दिया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आप अचम्भा करेंगे कि रोड सेफ्टी का ठेका किसको दिया, जोधपुर महिला मंडल, बाड़मेर को ठेका दे दिया, उनकी ड्यूटी क्या है, बच्चों की देखभाल करनी, महिलाओं की देखभाल करनी, जो छह-सात डिवीजन वाइज ठेके दिए गए थे रोड सेफ्टी के तमाम के तमाम एनजीओ उनके न तो कोई टैक्नीकल हैंड था न उनको कोई रोड सेफ्टी की जानकारी थी न उसमें कोई डिप्लोमा किया था, केवल और केवल मात्र इस आधार पर दिए, इसीलिए यह माननीय मंत्रीजी पहले नम्बर पर आए।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने पीपीपी की बात बहुत की, दूसरा बजट पेश किया, पीपीपी के अलावा कोई बात नहीं की, केवल मात्र पीपीपी 20 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाएंगे। यह जो बजट पेश किया गया,

(श्री सुखराम विश्नोई)
इस बजट में चार तरह की पीपीपी को डिवाइड किया गया है। पीपीपी वायबिलिटी गैप के फंड में सरकार पैसा देगी, उसमें सिर्फ 3 सड़कें रखीं, 99.10 किलोमीटर सड़कें, उसके बाद में पीपीपी वार्षिक जो होता है उसमें 80 सड़कें ली और उसके बाद पीपीपीईपीसी, मैंने एक एक्सईएन को पूछा की ईपीसी क्या होती है, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, यह मतलब सिर्फ 4 सड़कें लीं, इसके बाद पीपीपी अन्य, उसमें कुल 45 सड़कें लीं। कुल मिलाकर इसके सात-आठ हजार किलोमीटर सड़कें हुई हैं। यह मतलब पिछले तीन-चार साल से चल रही है केवल मात्र वह पीपीपी, 20 हजार किलोमीटर की जो घोषणा कर दी उसको कागजों में कैसे दिखाएं और केवल और केवल मात्र पीपीपी के नाम से बहाना है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह गारंटी पीरियड की जो रोडें होती है, मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही नहीं कहता, आप अपने विधान सभा क्षेत्र में चले जाएं भले हीं, गारंटी पीरियड की जो रोडें हैं न तो एक्सईएन उनसे रिपोर्ट मंगवाता है और न इनकी मोनीटरिंग है, मोनीटरिंग यदि उस रोड पर हो। मेरे वहां पर रोड बनी हुई है और वह रोड टूट गई है दो साल हो गए, एक खेजड़याली से रेबारी ऊंटयाली रोड टूट गई, उसके बाद में बनते-बनते टूट गई, इतना घटिया डामर डाला कि बनते-बनते टूट गई, मैंने खुद ने शिकायत की, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब किसको पूछे, जब मोनीटरिंग ही मंत्री की नहीं है तो किस बात को लेकर के ठेकेदार काम करेंगे, जब ठेकेदार काम नहीं करेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्यों नहीं ठेकेदार वापस उसको रिपेयर करते? अपनी गारंटी पीरियड के अंदर जब उनकी जिम्मेदारी बनती है तो मंत्रीजी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे प्रदेश के अंदर गारंटी पीरियड के अंदर जो रोडें बनी हुई हैं उनकी रिपोर्ट मंगवाओ और जो टूटी हुई रोडें हैं, बाकायदा रिपेयर करवाओ तब तो हम कहेंगे कि आप नम्बर वन के मंत्री हो, वर्ना आप किस बात के नम्बर वन के मंत्री हो? अभी जो मैंने पॉइंट बताएं उनके अनुसार काबिल हैं क्या?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गारंटी पीरियड की जो भी रोडें हैं पूरे प्रदेश में उनकी रिपोर्ट मंगवाई जाए और

(श्री सुखराम विश्नोई)

वाकई में टूटी हुई है उनको ठीक करवाया जाए तब तो नम्बर वन के हकदार हो वर्ना तो कतई हकदार नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि टोल की जब बात करते हैं तो मैं सांचौर से आता हूं, एक रिडकोर का टोल है, धांधण से फलौदी तक का है वह पूरा जगह-जगह टूट गया, कल मैं देहली से वापस आया, बाई रोड आया, कम से कम, दस जगह काम पर लगे हैं, हमारे सेंटर गवर्नमेंट के मंत्रीजी ने कहा कि यह रोड ठीक करा देंगे, यह रोड ठीक करा देंगे, ठीक क्या करा देंगे परंतु दस जगह जाम लग रहा है, काम नहीं हो रहा है, अधूरा काम पड़ा है, जब अधूरा काम है तो आपने किस तरह से एनओसी दी, किस तरह से काम चालू करवा दिया? कम से कम जब रोड अधूरी है, रोड पर काम चल रहा है या तो उस ठेकेदार को प्रतिबंधित करो कि वह टोल वसूल नहीं कर सकते, टोल में भीड़ ज्यादा होती है, एक तो टोल की भीड़, फिर काम नहीं हो रहा है, वहां की भीड़ और कुल मिलाकर जयपुर और दिल्ली के दो-तीन घंटे लगने चाहिए वह सात-आठ घंटे में पहुंचते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जो भी टोल रोडें हैं उन टोल रोडों पर व्यवस्थित काम हो, बिलकुल व्यवस्थित हों ताकि आराम से लोग चलें। एक तो पैसा देते हैं और रोड ठीक नहीं होती, तो निवेदन है कि इन रोडों को ठीक किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक रोडों का मामला है पीएमजीएसवाई का अभियान, पहले सीपी जोशी मंत्री थे उन्होंने शुरू किया हैबिटेशन जोड़ने का, गांव के छोटे-छोटे हैबिटेशन जोड़ने का, हैबिटेशन तो जुड़ गया परंतु वह जो गांव बने थे, गांव अभी तक नहीं जुड़े हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का कह दूं, 60 गांव थे, 60 गांव में से 12 गांव पिछली सरकार ने जाते-जाते जोड़े 48 गांव जिनकी आबादी 5 हजार से ज्यादा है। हैबिटेशन के अंदर 250 से ज्यादा आबादी वाले हैबिटेशन जुड़ गए। परंतु जिन गांवों की आबादी 5 हजार से ज्यादा है, वह गांव भी नहीं जुड़े तो आपके मार्फत चाहेंगे कि वह गांव भी जोड़ें जाएं ताकि बड़े गांव हैं, उन्होंने नुकसान क्या किया है, उनको भी फायदा मिले, यह भी किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि रिनोवेशन

(श्री सुखराम विश्नोई)

का काम, नवीनीकरण रोड का, रोडों का नवीनीकरण बिलकुल पक्षपातपूर्ण ढंग से होता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चले जाइए, माननीय सभापति महोदय, ऐसी रोडें, सांचौर मुख्यालय से लगाकर एक डांगरा रोड जाती है, अगार रोड जाती है, इतनी टूटी हुई है, नोन पेचेबल रोड है कम से कम रिनोवेशन का काम बिना पक्षपातपूर्ण जो रोड ज्यादा टूटी हुई है उस रोड को प्राथमिकता दी जाए, न कि यह दुभांत किया जाए, 200 एमएलए हैं, 200 एमएलए में से 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर, सभी रोडों का निर्माण करेंगे तो जो रोड ज्यादा टूटी हुई है उनका प्राथमिकता के आधार पर रिनोवेशन किया जाए ताकि सभी जगह व्यवस्थित रूप से काम हो जाए, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सोना देवीजी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19, 20, 21 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19 के माध्यम से मैं मांग करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जो डाक बँगला है उसकी मरम्मत की अति आवश्यकता है। वर्तमान में इसकी देख रेख सही तरीके से नहीं हो रही है और इसमें कोई भी वीआईपी ठहर नहीं सकता है। रायसिंहनगर एवं श्री विजयनगर में कोई अन्य ठहरने की सरकारी व्यवस्था भी नहीं है। अत: मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि श्रीविजयनगर में और रायसिंहनगर में एक-एक विश्राम गृह की स्वीकृति प्रदान कराएं।

मैं इसके साथ ही मांग संख्या 20 पर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वर्ष 2015 में मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में श्रीविजयनगर पंचायत समिति का गठन किया गया। पंचायत समिति बने हुए दो साल हो गये हैं। सभी जगह गौरव पथ बनाये गये, लेकिन वर्ष 2016-17 के अंदर जो गौरव पथ लिये गये उसमें श्रीविजयनगर ब्लॉक पर एक भी नहीं लिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि प्राथमिकता पर लेते हुए 12 सड़कों को गौरव पथ के लिए मांग करती हूं। ग्राम पंचायत 50 जीबी, 16 एएस (कुपली), 41 जीबी, 8 बीजीडी,

(श्रीमती सोनादेवी)

7 एपीडी, 4 बीएलडी, गोमावाली, बिलोचिया, 6 एपीडी, 3 केएसडी, 15 बीएलडी, 5 एएस में गौरव पथ बनाये जाए।

इसी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी पंचायत समिति श्रीविजयनगर के गठन के बाद जो भी सड़कें बनी हैं उनके ऊपर जो मिसिंग सड़कें हैं उनके विकास का कार्य है वह बहुत ही धीमा चल रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी है जिससे लोगों में अत्यधिक रोष है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण बहुत आवश्यक है। मैं 14 सड़कों की मांग करती हूं - 39 जीबी से 13 बीएलएमबी लम्बाई 1.75 किलोमीटर, 6 एपीडी से 7 एपीडी लम्बाई 1.25 किलोमीटर, 17 बीएलडीसी से रामसिंहपुरा वाया 17 बीएलडी लम्बाई 6 किलोमीटर, 7 एपीडी से 10 एपीडी लम्बाई 4 किलोमीटर, 6 एसटीबी से 6 एसटीबी 2 किलोमीटर, 1 जेकेएम से 4 जेकेएम 1.25 किलोमीटर, 5 बीएलडी से 10 बीएलडी 2.50 किलोमीटर, 41 जीबी से 52 जीबी तक 2.5 किलोमीटर, 16 बीएलडी से 3 एलजीएम 2 किलोमीटर, 18 एसडी से 20 एसडी तक लम्बाई 1.75 किलोमीटर, 3 केएसडी से 1 एपीडी तक लम्बाई 3.5 किलोमीटर, 41 जीबी से 42 जीबी तक लम्बाई 1.75 किलोमीटर, 3 एलपीएम से भातीवाला तक लम्बाई 5 किलोमीटर व 10 एएस से 15 एएस तक लम्बाई 3.5 किलोमीटर। मैं आशा करती हूं कि ये सड़कें, जो नई पंचायत समिति बनी हैं उसको माननीय मंत्री जी ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण करेंगे।

इसके साथ ही मैं श्रीविजयनगर की सड़कों का रीडामरीकरण व चौड़ाईकरण बढ़ाने बाबत निवेदन करना चाहूंगी। बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो दो वर्ष में टूट-फूट गई हैं जिसके कारण आवागमन में (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, बहुत गंभीरता का विचार-विमर्श हो रहा है। आप कृपया सुनें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): इन दो वर्षों में नई पंचायत समिति श्रीविजयनगर बनी है इसमें जो मिसिंग लिंक सड़कें हैं या जो भी सड़कें हैं जिनका रीडामरीकरण या चौड़ाईकरण नहीं हुआ है, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इन दो वर्षों में सड़क का काम नहीं कराया गया है। इनमें 5 सड़कें मुख्य

(श्रीमती सोनादेवी)

प्राथमिकता से ली जाय। इस मांग के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि श्रीविजयनगर से हरीपुरा होते हुए लिंक रोड जैतसर तक 20 किलोमीटर, कूंपली से गोमावाली तक 9 किलोमीटर, श्रीविजयनगर से बिलोचिया होते हुए 14 बीएलडी रोड 12 किलोमीटर, 38 जीबी से मल्ला टिब्बे तक लम्बाई 4.75 किलोमीटर, गोगामेड़ी से 5 बीएलएम की लिंक रोड 3 किलोमीटर। इसी के साथ मिसिंग लिंक की सड़कों के निर्माण के लिए मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था।

इसके साथ मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जो गौरव पथ बने हैं, वे गौरव पथ बनने के बाद भी श्रीरायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में 21 गौरव पथ अभी भी पेंडिंग हैं। श्रीविजयनगर में 18 गौरव पथ अभी भी पेंडिंग है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: हां बोलो। कंटीन्यू करें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगी कि श्रीरायसिंहनगर में आदर्श ग्राम पंचायत लेने के लिए एक नियम लागू किया गया था कि विधायक जो पंचायत गोद लेंगे उसमें आपका ससुराल या मायका नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे 59 एनपी है वह मेरा ससुराल श्यामगढ़ है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको हम गोद तो नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम वहां गौरव पथ तो बना दीजिए।

श्री सभापति: यह तो बहुत गंभीर विषय है।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारा रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र है वह सीमांत एरिया है, सीमावर्ती क्षेत्र है। इसमें बहुत सी पंचायतों में बीएडीपी प्लान में सड़कें बना सकते हैं। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि जिन सड़कों की हमने डिमाण्ड की है उसमें सलेमपुरा 4 पीएस है, बाण्डा कालोनी है, बाण्डा, 30 एपीडी व खोखरावाली है। इनको आप बीएडीपी में लेकर इन सड़कों को आप बना सकते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इन सड़कों को आप बीएडीपी प्लान में बनाएं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके ससुराल वाला बता दें, मैं आज ही घोषणा कर देता हूं।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): Thank you sir. इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहती हूं ग्राम पंचायत 6 एफडी है। इसमें खुरंजा सड़क निर्माण आबादी चक 3 एफडी से मोघे तक 3 एफडी की लम्बाई 2 किलोमीटर, खुरंजा सड़क निर्माण 2 एफडी बी पुल से एफडीएस नहर के साथ हैड तक लम्बाई 7 किलोमीटर की मैं मांग करती हूं। इसके साथ घग्घर पुलिया की मांग मैं पिछले तीन साल से माननीय मंत्री महोदय को बार-बार पत्र लिखकर, पूरी स्थिति बताते हुए निवेदन किया है। इतना गंभीर मुद्दा है। वहां जनता की समस्या है, 91 जीबी में घग्घर पुलिया बनाना बहुत आवश्यक है जो तीन साल की मांग के बाद भी आज तक नहीं बना है। आगे आशा करती हूं कि इन दो वर्ष में 2016-17, 2017-18 में हमारी घग्घर पुलिया की मांग को पूरा करेंगे और इस गंभीर विषय को देखते हुए, आम जनता की मांग को देखते हुए इसको आप बनाएंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूं।

इसके साथ ही मैं सरकार को बताना चाहती हूं कि एक बीएसएफ सड़क बनी थी अनूपगढ़ से रायसिंहनगर तक। वह सड़क कंपलीट हो गई, किन्तु फिर भी उस सड़क का साइड का कार्य है, जो बरम का कार्य है वह नहीं हुआ। एक लाख के लिए वह बरम का कार्य छोड़ दिया गया है। करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट लगाने के बाद इस सड़क का ध्यान रखना जरूरी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इस सड़क के बरम का कार्य किया जाय।

इसके साथ मेरी एक और डिमाण्ड है। चक 3 आईएसडब्ल्यूबी की सम्पर्क सड़क का खुरंजा निर्माण किया जाय और चक 43 आरबी से 83 आरबी से 85 आरबी तक 99 फुट का खुरंजा है। चक खुरंजा सड़क निर्माण 85 आरबी, मुख्य सड़क से गांव की फिरणी है 2100 फुट। ग्राम पंचायत 12 जीबी से 14 जीबी तक डामर रोड 2 किलोमीटर, 22 पीटीडी से 1 बीडब्ल्यूएम सड़क निर्माण की मैं मांग करती हूं। 1 बीडब्ल्यूएमबी से 19 पीटीडी हैड तक ग्रेवल रोड या खुरंजा जो भी आप बनाना चाहें उसके लिए मैं निवेदन करती हूं। विजयनगर से 3 जेकेएम की तरफ 3.5 किलोमीटर डामर सड़क बनायी जाय इसकी भी मैं मांग करती हूं। 2 एलएसएम से बाण्डा कालोनी डामर रोड 3 किलोमीटर की मैं मांग करती हूं। ग्राम पंचायत 16

(श्रीमती सोनादेवी)

पीएस चक 6 एमकेबी से 7 एमकेबी तक पक्की सड़क 3 किलोमीटर की मैं मांग करती हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): बिलकुल दिया है, इसमें कोई दोराय नहीं है। रायसिंहनगर की जो मेन रोड है 23 पीएसए से अनूपगढ़ रायसिंहनगर रोड का खुरंजा है, इसका डामरीकरण किया जाय, यह 2.5 किलोमीटर है, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहती है। यह सड़क 11 पंचायतों को जोड़ती है। खुरंजा बना हुआ है। मैं निवेदन करती हूं कि 2.5 किलोमीटर का इसका डामरीकरण किया जाय।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्रीजी को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे यहां खाटा से लाखा सड़क 6 करोड़ की बन रही है, स्वीकृति हो गई है, सड़क बन रही है।

लेकिन गुमराह किया गया है और मेरे ध्यान में नहीं है कि किन अधिकारियों ने गुमराह करके पहले जहां से बननी चाहिए थी वहां से नहीं बनाकर कहीं और से बनाई जा रही है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि खाटा से जो लक्खा 6 किलोमीटर की सड़क अब बन रही है और कल-परसों ही बनने के लिए इसका श्रीगणेश हुआ है उसको जनहित को ध्यान में रखते हुए पहले के नक्शे से बनाई जाए। इसके साथ बी.एस.एफ. की चौकी से भी कांटेक्ट है, छह पंचायतें भी इससे प्रभावित हो रही हैं तो यह सड़क नक्शेवाइज 116 मुरब्बे से, 110 मुरब्बे से होते हुए 154 नम्बर मुरब्बे तक 6 किलोमीटर सड़क बनेगी तो छह पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अर्जुन लालजी।

श्री अर्जुन लाल (बिलाडा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 19 और 21 जो पी.डब्लयू.डी. जैसे महत्वपूर्ण विभाग की डिमांड्स हैं इन पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

(श्री अर्जुन लाल)

सभापति महोदय, जैसा कि मानव शरीर के संचालन के लिए हृदय से खून का संचालन शरीर में आर्टरीज, वेंस और धमनियों के माध्यम से होता है और मानव शरीर का संचालन किया जाता है वैसे के वैसे देश के संचालन के लिए, देश के विकास के लिए सड़कों की बहुत ही महत्वूर्ण भूमिका रहती है। देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि है तो सड़कों की है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब 1934 में आई.आर.सी. का गठन किया गया था उस समय नागपुर प्लान बना और नागपुर प्लान बनने के बाद सड़कों का वर्गीकरण किया गया जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाइवे, एम.डी.आर., ओ.डी.आर., विलेज रोड्स इत्यादि सब का वर्गीकरण किया गया। इसके बाद बॉम्बे प्लान बना, लखनऊ प्लान बना और अब आप एक अति महत्वपूर्ण प्लान राजस्थान के लिए बनाने जा रहे हो, डी.आर.आर.पी., जिसके तहत इन सभी सड़कों के, किस-किस वर्गीकरण की कौन-कौन सी सड़क कब-कब बनी थी, इस पर वापस रिन्युअल कब-कब हुआ, कितने-कितने किलोमीटर में आपने रिन्युअल किया वो सारा डेटाज कम्प्यूटर बेस हो जाएग तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अन्दर किसी की डिमाण्ड यह नहीं रहेगी और क्षेत्रवाद या दलगत राजनीति की कोई बात नहीं रहेगी और निश्चित रूप से उन सड़कों का वापस समयावधि में रिन्युअल हो जाएगा।

मेरे कई माननीय सदस्यों ने अभी आपके सामने यह बात रखी थी कि हमारी सड़कें दस साल पुरानी हो गईं, बारह साल पुरानी हो गईं और उनका रिन्युअल नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 1961 के अन्दर जब ट्रैफिक ग्रोथ 4.5 प्रतिशत थी उस समय यह तय किया गया था कि 4.5 प्रतिशत ट्रैफिक ग्रोथ के हिसाब से दस साल बाद अमुक सड़क जो आज निर्माण हुई है उसका वापस रिन्युअल किया जाएगा, लेकिन आज वाहनों की संख्या करीब एक करोड़ 33 लाख है और ट्रैफिक ग्रोथ 1961 को 4.5 परसेंट की तुलना में 14 प्रतिशत बढ़ चुकी है और अभी भी जो सड़कों का रिन्युअल साइकल पीरियड वो 10 और 12 साल रखा गया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कोई कमेटी गठित करके इसका रिन्युअल साइकल पीरियड कम करने के लिए आप कोई न कोई कार्यवाही करें ताकि समयबद्ध तरीके से आपकी डीएलपी पांच साल की होती

(श्री अर्जुन लाल)

है उसके बाद उस सड़क पर कोई ध्यान ही नहीं देता है और धीरे-धीरे वो नॉन पेचेबल हो जाती है और नॉन पेचेबल पर आपके विभाग से बंदिश आ जाती है कि नॉन पैचेबल सड़क पर किसी तरह का पेच नहीं करेंगे तो नॉन मोटरेबल स्थिति में आ जाती है। इसके लिए आप कोई कमेटी गठित करके निश्चित रूप से इसके रिन्युअल साइकिल पीरियड को कम करेंगे तो पूर्व में बनी हुई सड़कों का समय पर सुधार हो जाएगा।

इसके अलावा मैं आपसे आग्रह करूंगा और बहुत-बहुत आपका आभार भी व्यक्त करूंगा कि हमारे देश में, जो अभी सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आपका नम्बर वन कैसे हो सकता है और झुन्झुनूं वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था कि आप पीएमजीएसवाई में पिछड़े हुए हैं। तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि देश में पीएमजीएसवाई में नम्बर वन हैं अपन, पूरे देश के अन्दर पीएमजीएसवाई सड़कों में प्रदेश नम्बर वन हैं। एन.एच., राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में प्रदेश नम्बर वन पर है। स्टेट हाइवे निर्माण में दूसरे नम्बर की पायदान पर हैं। सीआरएफ में जो पूर्ववर्ती सरकारों ने दस-दस साल तक जितना पैसा सीआरएफ में लेकर नहीं आये थे उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा यह सरकार लेकर आई थी इसलिए इस वजह से नम्बर वन है। इसके साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी जो एम.डी.आर., ओ.डी.आर. और विलेज रोड हैं उनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है तो चाहे आप पी.पी.पी. से करें, चाहे वी.जी.एफ. से करें या बी.ओ.टी. से करें, पर इन सड़कों की मरम्मत बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सारी सड़कें नॉन पेचेबल थीं वो आज की तारीख में नॉन मोटरेबल हो चुकी हैं, उनका अस्तित्व खतम हो चुका तो उसकी मरम्मत के लिए बाद में पैसा भी सरकार को ज्यादा चाहिएगा इसलिए आप इस पर जल्दी से जल्दी वापस रिन्युअल करवाने के लिए निर्देश देंगे।

मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी का भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो एक ऐसी योजना राजस्थान के अन्दर लेकर आए हैं जो गांवों के अन्दर उड़ती हुई धूल, कंटीले रास्ते और कीचड़ से भरे रास्तों से लोगों को जाना पड़ता था और वहां के लोगों को यह कल्पना कभी नहीं थी कि शहर की तर्ज पर हमारे यहां भी प्रत्येक गांव के अन्दर ग्रामीण गौरव

(श्री अर्जुन लाल)

पथ बनेगा। यह सोच जो मुख्य मंत्रीजी ने दी है उसके लिए पूरा राजस्थान उनका आभारी है। उन्होंने वास्तव में ये ग्रामीण गौरव पथ बनाकर प्रदेश और देश में प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मैं इनके लिए भी मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र की कुछ मुख्य डिमांड्स हैं। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि माननीय गडकरीजी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के केन्द्रीय मंत्री हैं उन्होंने हमारे बर से जोधपुर करीब 110 किलोमीटर लम्बाई में, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र की करीब 66 किलोमीटर लम्बाई है, उसमें फोरलेन के लिए 849 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी का भी बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने अपने अथक प्रयासों से यह राशि स्वीकृत करवाकर इस कार्य को प्रारम्भ करने का प्रयास किया है।

इसके साथ-साथ जो लेफ्ट पोर्शन है बिलाड़ा शहर का, बिलाड़ा बाइपास अलग से है और बिलाड़ा बाइपास बनने से जो 2-3 गांवों का बाइपास होने से जो पुराना नेशनल हाइवे जहां से गुजर रहा था उसके लिए भी आपने नेशनल हाइवे के माध्यम से 11 करोड़ रुपये सैंक्शन करवाये हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस लैफ्ट पोर्शन के अन्दर, क्योंकि अभी नेशनल हाइवे अथोरिटी ने भी बिलाड़ा बाइपास बनाने से इन्कार कर दिया और वो मामला कोर्ट के अन्दर चल रहा है तो जब तक कोर्ट में वो मामला चल रहा है और उसका निर्णय पता नहीं कब हो तो तब तक यह जो लैफ्ट पोर्शन है उसकी डबल लेन की 11 करोड़ में मरम्मत करेंगे तो सही होगा। वहां पर वो ब्लैक स्पॉट है, एक्सीडेंटल जोन है और गत 10 दिनों में वहां पर 14 मौतें हो चुकी हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जब तक वो बाइपास नहीं बन जाता है तब तक उस लैफ्ट पोर्शन को आप फोरलेन करवायेंगे तो निश्चित रूप से जो एक्सीडेंट होते हैं वो नहीं होंगे और जनता को फोरलेन सड़क की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

इसके अलावा मेरे बिलाड़ा शहर के अन्दर गत सरकार ने 2010-11 के अन्दर आर.यू.बी. स्वीकृत किया था। वह आर.यू.बी. आज तक नहीं बना है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप उस आर.यू.बी. के स्थान पर आर.ओ.बी.

(श्री अर्जुन लाल)

बनाए क्योंकि वो शहर का एक मुख्य रास्ता है, रेलवे स्टेशन के पास से नाला गुजरता है। जिससे रेलवे विभाग ने उस रेलवे क्रोसिंग को बंद कर दिया। बार-बार जनता खोलती है, वापस वह बंद कर देते हैं, उसके लिए कई बार धरना-प्रदर्शन भी हो चुके हैं। अब उन्होंने एक किलोमीटर रोड पीछे ले जाकर, क्रासिंग बनाकर छोड़ दी। मतलब 50 मीटर दूरी पार करने के लिए उन्होंने दो किलोमीटर की दूरी तय करवा दी। जिस कारण से कोई भी पेशेंट होस्पिटल ले जाते हैं तो उनकी डैथ मार्ग में ही हो जाती है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्रस्तावित स्थान पर आरयूबी के स्थान पर आरओबी बनवाई जाए। इसके साथ-साथ यह जो सड़क पोर्शन बना था, इस पोर्शन पर आरओबी वापस उसी स्थान पर बन जाएगी तो निश्चित रूप से वह दो किलोमीटर की दूरी का चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी।

इसके अलावा आरएसआरडीसी में हमारे गोटन से बिलाड़ा होते हुए सोजत तक मेगा हाइवे बनाया था। उसमें नेशनल हाइवे 112 का जो 10 किलोमीटर का पार्ट है, वह उसमें से गुजर रहा है। अब वहां मेगा हाइवे पर टोल में परेशानी आ रही है। उसका कारण है कि वह 10 किलोमीटर की दूरी पार करने का रास्ता खराब है, उसकी वजह से वह टोल देने में इन्कार करते हैं तो उस 10 किलोमीटर को मरम्मत या बिलाड़ा का बाइपास बनाकर, उसको बना देंगे तो निश्चित रूप से जो मेगा हाइवे से निकलने वाले वाहन हैं, उनको टोल देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और मांग है। विभाग का जो खण्डीय कार्यालय है, वह हमारे क्षेत्र से... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक मिनट। जो खण्डीय कार्यालय है, वह 35 किलोमीटर शहर की पेरीफेरी में स्थित है तथा कोई उसमें रोड्स भी बनी नहीं हैं और उनको वहां पर व्यर्थ में बैठा रखा है तो मैं मांग करता हूं कि इस खण्डीय कार्यालय को बिलाड़ा शिफ्ट किया जाये ताकि वहां के लोगों को 80 किलोमीटर के आने-जाने में परेशानी नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गोरधनजी।

श्री गोरधन (धोद): पूरी बनाएगे, तो क्यों नहीं बनाएगे, बना तो रहे ही हैं। माननीय मंत्री महोदय, देखो, कितनी तन्मयता से बात सुन रहे हैं सबकी,

(श्री गोरधन)

सभी सदस्यों की। (व्यवधान) क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट हैं इसलिए।

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 20 और 21 पर बोलने पर मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी के नेतृत्व में और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री माननीय युनुस खानजी के कुशल कार्यशैली के रूप में जिस प्रकार से राजस्थान में सड़कों की क्रांति आई है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है चाहे नेशनल हाइवे रोड हो, चाहे स्टेट हाइवे रोड हो, चाहे पीएमजीएसवाई रोड हो और चाहे ग्रामीण गौरव पथ हो, सभी में काम किया है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान प्रथम पायदान पर है क्योंकि पिछली गत सरकार ने जिस प्रकार से सड़कों के रूप में काम किया, कहीं भी हमें कोई स्टेट हाइवे या नेशनल हाइवे रोड देखने को नहीं मिली थी। आज जिस रास्ते पर हम गुजरते हैं, जहां पर कोई रोड नहीं थी, वहां पर आज डबल रोड, फोरलेन रोड हमें देखने को मिलती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को और माननीय युनुस खानजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सड़कों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है।

इसका एक ताजा उदाहरण माननीय गडकरीजी और माननीया मुख्य मंत्रीजी, जब सालासरजी पधारे थे तो हमारे बहुत सारे सदस्यगण और मंत्रीजी वहां पर विराजमान थे। वहां पर चूरू और झुंझुनूं और सीकर के सभी माननीय विधायक भी विराजमान थे। माननीय गडकरीजी को जो भी कहा गया, उन्होंने वास्तव में लगातार घोषणाओं का अम्बार बांध दिया और वे यह भी कहकर गये कि मैं जो भी बोलता हूं, वह करके दिखाता हूं। जब हमारे यहां जयपुर में मीटिंग हुई थी तो माननीय गडकरीजी ने बहुत सारी घोषणाएं की थीं और उन घोषणाओं को पूरा भी किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय कम है और मैं तो सीधा-सीधा मेरी डिमांड पर ही आ जाऊं तो काम ठीक रहेगा। वैसे माननीय युनुस खान जी ने उस क्षेत्र में काफी काम करवाया है। विधान सभा क्षेत्र धोद क्योंकि एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था जिसमें बहुत सारी सड़कों की मांग भी थी और इन्होंने बहुत सारी जो टूटी सड़कें हैं, उनको भी ठीक करवाया है और बहुत सारी नई सड़कें भी दी हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि वहां पर पिछले

(श्री गोरधन)

20 सालों से वह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि हमारी कुछ सड़कें ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं, उन सड़कों को ठीक करवायें।

हमारे दादिया से खूड़ी बड़ी जो वाया जेरठी, कूदन, थोरासी, खरसाडू व पलथाना, यह एक मुख्य मार्ग है जिसमें वह सड़क को ठीक करवायें और उसका नवीनीकरण भी करवाए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय के नागौर जिले से सटता हुआ क्षेत्र स्टेट हाइवे रोड, जो दयालपुरा तक वह सड़क बन गई है और मैं सोचता हूं कि उस सड़क को शाहपुरा से सेवद बड़ी तक क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने सीकर बाइपास से लेकर और सालासर तक स्टेट हाइवे रोड की घोषणा कर दी है। लेकिन जो शाहपुरा सेवद रोड है, वह बीच में बिलकुल टूटी हुई है तो उस सड़क का भी नवीनीकरण कराए जिससे आमजन को फायदा हो।

दूसरी मेरी मांग यह भी है। माननीय मंत्री महोदय ने मोलासर से लेकर सीकर की स्टेट हाइवे रोड है, उसका भी बहुत अच्छा काम करवाया और वह खानड़ी तक बनकर तैयार हो गई है। (व्यवधान) बाकी कुछ नहीं रहा है। अभी देंगे बहुत सारी तो, इसलिए बाकी नहीं रखेंगे। तो वह सड़क डबल रोड इन्होंने बनाई है तो मेरा निवेदन है कि उस सड़क को भी लोसल से सटते हुए और सिंगरावट, सरवड़ी से होते हुए धोद क्योंकि धोद तक वह स्टेट हाइवे रोड बनी हुई है। उसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दें क्योंकि वह काफी इलाके को जोड़ता है और बहुत सारे लोगों का भी उस क्षेत्र से आवागमन है तो मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय उसको बनाएगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है एक बहुत बड़ा आस्था का धार्मिक स्थल सांगलिया पीठ है, वहां पर माननीय मंत्री महोदय पधारे थे तो बहुत सारे लोगों ने वहां पर मांग की थी कि अड़कसर से सांगलिया धूनी तक टूटी हुई सड़क थी। माननीय मंत्री महोदय, छह किलोमीटर नवीनीकरण की घोषणा करके आए हैं तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि उस क्षेत्र से, उस सांगलिया धूनी से कोई एक विधान सभा क्षेत्र या सीकर जिला ही नहीं जुड़ा हुआ है। पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर

(श्री गोरधन)
प्रदेश से काफी लोग वहां पर आते हैं तो माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा काम वहां पर स्वीकृत करके किया है।

कुछ सड़कें जो मेरी मिसिंग लिंक में अभी बाकी है। मैं थोड़ी मांग करता हूं, पूरी तो नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ी करता हूं वह पूरी हो जाये तो वह बढ़िया है और करते भी हैं, वैसी कोई बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि काशी का बास से जो पूरा बड़ी का मार्ग है, वह तीन किलोमीटर सड़क है, वहां पर एक बालाजी का मंदिर भी है। वहां पर काफी बड़ा मेला भरता है तो उस सड़क को पूरा करवाए।

हमारी गोठड़ा भूकरान से जेरठी है जो तीन किलोमीटर सड़क है, उसको भी पूरा करवाए। एक सरवड़ी से बिंज्यासी है, जो छह किलोमीटर सड़क है जिससे सालासरजी का मार्ग और सेवद बड़ी है, उस रोड में जाकर मिलती है जिससे काफी यात्रियों का फायदा हो सकता है।

सांवलोदा धायलान से सांवलोदा लाडखानी जो तीन किलोमीटर है। भढ़ाडर से भूकरों का बास है, वह चार किलोमीटर है। अनोखू से बिंज्यासी जो चार किलोमीटर है। भैरूपुरा जागीर से गनाठू जो तीन किलोमीटर सड़क है और कदमा का बास से खोरी डूंगर यह तीन किलोमीटर है और कासली से पूरा छोटी, यह पांच किलोमीटर है और सांवलोदा पुरोहितान से परडोली, यह तीन किलोमीटर है। आकवा से गोठड़ा भूकरान, यह दो किलोमीटर है।

कुछ ऐसी भी सड़कें हैं क्योंकि हमारी सड़कें के नवीनीकरण अभी माननीय मंत्री महोदय ने दिये हैं, सीकर से लेकर भढ़ाडर बाइपास तक 8.50 करोड़ रुपये देकर पूरे उस स्टेट हाइवे को जोड़ा है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूं।

कुछ सड़कें और हैं जो नॉन पेचेबल हैं जैसे धोद से माण्डोली है वो आठ किलोमीटर की सड़क है और सिंगराउट से शाहपुरा नेछवा तक जो शायद एक स्टेट हाइवे रोड माननीय मंत्री महोदय की प्लानिंग में है शायद मैं सोचता हूं उसकी भी घोषणा हो जाए तो बढ़िया रहेगा। एक टाटणवा से बाइपास पालवास चौराहा ये भी काफी गांवों को जोड़ता है तो इस सड़क का भी नवीनीकरण करवाया जाए। माननीय मंत्री महोदय वैसे बहुत दयालु हैं, सबका ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी मैंने ये जो कही हैं कम से कम ...।

श्री सभापति: आपके ऊपर विशेष दया है।

श्री गोरधन (धोद): नहीं, विशेष सब पर रहती है साहब, तो मेरा निवेदन है कि कुछ न कुछ आज हमें देकर जाएंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। वन्दे मातरम।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज मांग संख्या 19, 20 और 21 पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मांगों पर चर्चा करने से पहले मैं अपनी ओर से तथा समस्त नागौर जिले की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदया का, हमारे केन्द्रीय पीडब्ल्यूडी मंत्री गडकरीजी का और राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मंत्री युनुसजी को धन्यवाद व आभार देना चाहूंगा कि मेरे नागौर से चार-चार नेशनल हाइवे निकले हैं और पूरे नागौर के चारों ओर मुख्य मंत्रीजी ने और मंत्रीजी ने एक रिंग रोड का मुझे बजट दिया था उसका भी काम चल रहा है तो मैं आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी तीन तारीख को गडकरी जी ने एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नागौर-जायल-डीडवाना, सालासर और लक्ष्मणगढ़-मुकुन्दगढ़ सड़क का शिलान्यास किया है। मैं इस सड़क के बारे में मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि ये सड़क जो हम वर्षों से मांग कर रहे थे जयपुर से खाटू, खाटू से तरनऊ ओर तरनऊ से फलौदी इसको हम नेशनल हाइवे की मांग वर्षों से करते आ रहे थे। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आपने नागौर तो इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया है इसको आगे बढ़ाते हुए फलौदी, रामदेवरा, पोकरण और जैसलमेर तक इसको नेशनल हाइवे करें, क्योंकि फलौदी-नागौर सड़क तो बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन नेशनल हाइवे करने से हमारे रामदेवरा में जो वहां सब दुनिया से लोग आते हैं और उस सड़क में पटरी भी आप जोधपुर से बना रहे हो तो एक पटरी आपको नागौर से फलौदी भी रामदेवरा तक बनानी पड़ेगी तो इसको आप नेशनल हाइवे डिक्लेयर करें, क्योंकि बहुत कम दूरी है 265 किलोमीटर ही है तो आप इसको भी नेशनल हाइवे डिक्लेयर करें और आपने जो लिखा है नागौर से ये जो सड़क है रोल से जायल तक यह सड़क कभी भी ठीक नहीं रही। हमने

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)
बीएसएस से भी इस सड़क को बनाया लेकिन लैफ्ट साइड में इसके आपने भी देखा होगा बड़े-बड़े खड्डे हो जाते हैं और बढ़ कर पन्द्रह-बीस दिन वो फोड़े हो जाते हैं। इसमें कोई पानी की सीम की बीमारी है तो ये रोल से लेकर जायल तक आप इसको सीसी रोड बनाए, क्योंकि आपने इसमें लिखा है नागौर से हम इसको चौड़ाई, 168 किलोमीटर लम्बाई की सड़क को डबल लेन में पेव सोल्डर बनायेंगे तो इसको आप सीसी रोड बनाए, क्योंकि ये डामर की तो टिकती है नहीं। अभी दो साल पहले बीएसओ ने बनायी थी वो सड़क खतम हो गयी और आप जानते हो एक साइड अपन चलते हैं तो एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है।

मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि रोल शरीफ से लेकर जायल तक आप इसको डबल सीसी रोड बनायें। इसी तरह जो अजमेर से बीकानेर नेशनल हाइवे 89 नम्बर चल रहा है आपने वहां टोल टैक्स भी चालू कर दिया, लेकिन मेरा जो बाइपास है पहला बढ़ाना बाइपास है दूसरा मूंडवा बाइपास है तीसरा श्री बालाजी बाइपास है। सभापति महोदय, अभी तक इन बाइपासों का काम शुरू ही नहीं हुआ और मंत्री महोदय, वहां टोल टैक्स भी शुरू कर दिया है और जो गांव के कट हैं जो नेशनल हाइवे पर आते हैं, 65 हैं उनका भी काम उस ठेकेदार ने नहीं किया है तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इन तीनों बाइपास का जल्दी काम शुरू कराए नहीं तो जनता भी कह रही है कि हम कुचैरा का टोल टैक्स क्यों दें जब बाईपास ही नहीं बने।

मेरा एक जो गोगोलाव का मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था गोगोलाव का भी दो किलोमीटर का एरिया है उसमें भी कुछ काम नहीं हुआ वहां सीसी रोड बनाए, नाला बनाए जिससे आने वाला नेशनल हाइवे पूरा हो सके। आगे मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने बिलाड़ा और पिण्डवाड़ा में नेशनल हाइवे डिक्लेयर किया उसको मूंडवा तक जोड़ें। मूंडवा, खजवाणा, रूण, गोटन टालनपुर होते हुए बिलाड़ा हम लोग रोज जाते हैं वहां इंडस्ट्रियल एरिया भी है। जे.के. सीमेंट है और भी वहां ये लाइम स्टोन का काम बहुत है तो इससे मूंडवा को भी लाइम स्टोन तथा और भी किसानों को बहुत फायदा मिलेगा तो इसको भी आप नेशनल हाइवे डिक्लेयर करें जिससे आपके डीडवाना, लाडनूं, सुजानगढ़ के लोग भी आसानी से पाली, माउंट आबू साइड जल्दी जा

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)
सके। ...(व्यवधान)... मैं कहना चाहूंगा कि इन तीन वर्षों में जो रोड्स के काम हुए हैं चाहे गौरवपथ हो, चाहे मिसिंग लिंक हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो ये हिस्टोरिकल कार्य हुए हैं ऐसे कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। गौरव पथ जो कार्य हुए अब तो साढ़े पांच मीटर कर दिया है उसमें साथ में नाला भी किया है तो ये हिस्टोरिकल कार्य हैं। इनको जनता कभी भूल नहीं सकती। मैं बधाई देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को और मंत्रीजी को कि इन्होंने जो काम किये हैं रोड सैक्टर में वो बहुत अच्छे हैं। मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि मेरे नागौर में जो सीवरेज का काम चल रहा है वो बहुत ढीला है तीन वर्ष हो गये अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं और ऐसा भी एरिया है जहां पर अभी जैसे ए रोड है, बी रोड है वहां भी अन्दर टोप में भी इसका काम नहीं हुआ है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): हाउसिंग की डिमाण्ड है।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): हाउसिंग का भी कह रहा हूं न। इसका भी कह दूंगा, यह भी है और हाउसिंग में भी हमारी मुख्य मंत्रीजी दो दिन के दौरे पर आई थीं। हाउसिंग बोर्ड के पूरे 1100 मकान तैयार हैं लेकिन लोग उनमें जाना ही नहीं चाहते। मुख्य मंत्रीजी ने भी घर में जाकर देखा था कि उसकी क्वालिटी इतनी खराब है लेकिन डेढ़ साल हो गये मुख्यमंत्री जाने के बाद उसमें कोई सुधार हुआ नहीं। सभापति महोदय, न अभी तक हाउसिंग बोर्ड वालों ने चाबी दी है और 1100 मकान खराब हो रहे हैं उसमें और मुख्य मंत्रीजी ने जांच के आदेश दिये थे उस जांच के बारे में बताएं आप कि क्या जांच हुई। अब आगे कौन हाउसिंग बोर्ड पर भरोसा करेगा मेरा यहां हाउसिंग बोर्ड में भी अभी पुराने आपके केस चल रहे हैं 25-50 बीघा जमीन लोगों ने कब्जा कर रखी है उसको आप कब छुड़ाएंगे तो ये इसमें मंत्रीजी आप देखें जब मुख्य मंत्रीजी ने जांच का आदेश दिया है तो उसको देखते हुए आप लोगों को लाभ पहुंचायें उनके घर दिलाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सभापति महोदय, कि जो भी काम हुए हैं चाहे सड़क के हैं, चाहे नेशनल हाइवे के हैं ये सब अच्छे काम हुए हैं। आपने जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंहजी यादव।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-19, 20 और 21 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कहना चाहता हूं। एनएचएआई से शुरू करता हूं। पूरे प्रदेश में एनएचएआई के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने और वर्तमान सरकार ने बहुत से प्रोजेक्ट दिये। मगर इसमें सबसे बड़ी जो विडम्बना रहती है वो ग्रामीण क्षेत्र में जहां से भी सड़क निकलती है गांवों के पास से वहां पर खेत एक तरफ रह जाते हैं गांव एक तरफ होता है और उसमें बहुत कम अण्डरपास या फ्लाई ओवर के प्रोविजन छोड़े जाते हैं एनएचएआई में और बहुत भयंकर एक्सीडेंट इससे होते हैं। इसी तरह मेरे क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने पाँच फ्लाई ओवर मंजूर किये थे। किसी कारणवश वो अब तक नहीं बन पाये और अभी जो ज्ञात हुआ है कि वो पांचों के पांचों फ्लाई ओवर केन्सिल कर दिये हैं जबकि बड़े फ्लाई ओवर थे दो, तीन अण्डरपास थे और 8-8,10-10 हजार की आबादी के गांव हैं हाइवे पर। रोजमर्रा के सामान के लिए रोड क्रोस करते हैं। रोज एक्सीडेंट होते हैं तो इस पर मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, क्योंकि राज्य सरकार का भी दायित्व है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता किसके पास जाकर इस चीज को कहे।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में सड़कों का विकास जिस गति से पिछले 10-15 साल में हुआ है, उसके साथ-साथ ओवर लोडिंग से सडकें टूटने से भी हमारे यहां बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं अपने ही क्षेत्र का बताऊं, ओवर लोडिंग से हमारे यहां 90 करोड़ की सड़कें टूटी हैं और आपको खनन विभाग में जो रेवेन्यू मिला है वह मात्र 77 करोड़ रुपये मिला है। मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी आपके पास है, ओवर लोडिंग को रोकने की या तो सरकार की मंशा नहीं है, आपने बार्डर पर बेवरेज लगाकर गुजरात मॉडल जैसा सोचा था, हमारे अन्तरराज्यीय बार्डरों पर करोड़ों रुपये की लागत के आपके बेवरेज खड़े हुए हैं जो अब तक शुरू नहीं हुए हैं। जो ट्रक हमारा डबल एक्सल में 16 टन पास होता है सैल्स मैन वहां खड़ा होकर कहता है

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

कि हमारा यह टन 50 से 60 टन वज़न लेकर चलता है। ऐसी ताकत के ट्रकों को हम पास क्यों करते हैं। उनमें जो टायर साइज हैं वह 8,25,16 उसमें 16 टन पास हो जाता है, तो उसके टायर 1020 और 1120 के डालकर अलाऊ क्यों किया जाता है, इससे हमारे यहां कितने भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। कोटपूतली में 2005 से लेकर 4 जुलाई, 2016 तक ओवर लोडिंग से जो एक्सीडेंट हुए हैं उसके आंकडे देता हूं। इसमें एक्सीडेंट की कुल 4054 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 1373 मृत्यु हुई हैं और 4549 लोग घायल हुए हैं। खाली कोटपूतली सर्किल में इतने लोग घायल हुए हैं, पूरे प्रदेश में आंकड़ें इससे बहुत ज्यादा होंगे। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि ओवर लोड़ के ऊपर सख्ती से कार्यवाही करें।

सड़कों के टूटने से हमारे पूरे क्षेत्र में अस्थमा से पीड़ित लोगों का आंकड़ा है, कोटपूतली हास्पिटल में 2005 में इंडोर में 35 और आउट डोर में पूरे साल में 1435 मरीज आये हैं। 2006 में आंकड़ा 1679 पहुंच गया, 2007 में 1700, 2013 में 4018, 2014 में 5576, 2015 में 6241 और जुलाई, 2016 तक 3569 मरीज दमे के यहां से घोषित हुए हैं। भयंकर धूल मिट्टी से पूरी तहसील परेशान रहती है। माननीय मंत्री इस पर पूरा ध्यान देकर, ओवरलोड, को रोकर जो टूटी हुई सड़कें हैं इनका पुन: निर्माण करायेंगे।

इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां बानसूर रोड से टापरी एनएच 8 से खेड़की वीरबांध, एनएच 8 से रघुनाथपुरा, चोलावा की ढाणी से द्वारिकपुरा, गोपालपुरा से जयसिंहपुरा, मांजूकोट से ककराना की सड़कें बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, इनकी भी मरम्मत कराने का निवेदन करूंगा। कोटपूतली एनएच 8 पर जयपुर दिल्ली के मध्य में है, वहां पीडब्ल्यूडी का एक रेस्ट हाउस है, जिसमें एक कमरा है। मैं निवेदन करूंगा कि हाइवे होते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज, दिल्ली और जयपुर से बहुत से वीआईपी लोगों का आना जाना रहता है इसलिए वहां दो कमरे और एक्सट्रा बनाने के लिये निवेदन करना चाहूंगा।

इसी तरह तहसील और एसडीएम भवन के निर्माण की भी वहां बहुत अधिक आवश्यकता है। मेरे यहां एमडीआर में एक रोड घोषित हुई है जो अलवर जिले के केराना से दांतीलोकर सीकर तक जाती है, राजलोता से चोखी

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

गोरधनपुरा होकर मोड़ दिया है। जबकि इसको राजलोता से पांथरेडी होकर, क्योंकि पांथरेडी पर एनएच 8 क्रोसिंग के लिये बड़ा फ्लाई ओवर पहले से बना हुआ है, वहां से अगर यह निकलेगी तभी इसकी सार्थकता होती है। चोखी गोरधनपुरा पर अगर यह क्रासिंग आती है तो यह ओवरलेप करके 3 किलोमीटर वापस पांथरेडी पुलिया से ही घूमना पडता है। इसी तरह बनार और देवता हरियाणा बार्डर पर है, जिसमें 3 किलोमीटर की सड़क है जो बिलकुल क्षतिग्रस्त है। आपने बोलने का समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रतनलालजी जलधारी।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में अनुदान की मांग संख्या 19- लोक निर्माण कार्य, मांग संख्या 20- आवास और मांग संख्या 21- सड़क एवं पुल के ऊपर चर्चा में भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, सड़क आवागमन का एक प्रमुख माध्यम है और जिस देश व प्रदेश में यातायात की सुविधा और साधन जितने अच्छे होंगे, उतनी जल्दी वह प्रदेश व देश विकास के पथ पर आगे बढ़ने में समर्थ बन सकता है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के नेतृत्व में राजस्थान राज्य सड़कों के मामले में अग्रणी स्थान पर आ गया है। गत तीन सालों में सड़क के क्षेत्र में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय कर 4 हजार 281 गांव और ढाणियों को सड़क से जोड़ना अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके लिए श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। ग्रामीण सड़क तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण गौरव पथ योजना के प्रथम चरण में 1972 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर निर्माण करवाया गया और द्वितीय चरण में 2086 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 1253 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण गौरव पथ के कार्य शुरू हुए हैं जिनको अगले साल तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार मिसिंग लिंक योजना, नाबार्ड योजना के तहत सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण किया गया है। इस बजट में 15 राज्य राजमार्गों

(श्री रतन लाल जलधारी)
और 32 मुख्य सड़कों के निर्माण की योजना सम्मिलित कर राज्य के सड़क विकास को गति देने की जो घोषणा की गई है उससे हमारा प्रदेश निश्चित ही उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकेगा।

इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग एक हजार किलोमीटर लम्बाई के राज्य राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के नवीनीकरण का कार्य किये जाने की इस बजट में घोषणा की गई है जिस पर आगामी वर्ष में 500 करोड़ रुपये व्यय किये जाएगे। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि सड़क विकास में राजस्थान अन्य प्रदेशों के मुकाबले काफी आगे हैं और इस साल की तुलना में अगले वर्ष डेढ़ गुना से अधिक राशि व्यय करने का बजट अनुमान रखा गया है।

अब मैं मेरे सीकर विधान सभा क्षेत्र और शेखावाटी की बात करना चाहता हूं। इस बजट में नागौर-जायल-डीडवाना-लक्ष्मणगढ़-मुकुन्दगढ़ की 196 किलोमीटर लम्बी सड़क, अजीतगढ़-चला की 33 किलोमीटर सड़क, सीकर से हर्ष पर्वत की 15 किलोमीटर की सड़क, दौलतपुरा से लोसल की 23 किलोमीटर सड़क, सीकर -झुंझुनूं-लोहारू 92 किलोमीटर सड़क की घोषणा से सीकर जिले की जनता बेहद खुश है और तहे दिल से मुख्य मंत्रीजी और परिवहन मंत्री युनुस खानजी का हार्दिक आभार प्रकट करती है।

कुछ निवेदन मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की आम जनता की ओर से इस सदन में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी के ध्यान में लाते हुए मांग करता हूं कि जयपुर से बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीकर शहर से पहले जो बाइपास रोड झुंझुनूं एवं बीकानेर के लिए जाता है उसको फोर लेन किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बीकानेर से जयपुर चलने वाला सारा ट्रैफिक इसी मार्ग से गुजरता है, यातायात का भारी दबाव है और हमेशा एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है।

इसलिए रामू का बास तिराहे से दासा की ढाणी, हरदयालपुरा, कुड़ली होते हुए फतेहपुर रोड पर सबलपुरा, जगमालपुरा, भैरूंपुरा, भादवासी होते हुए भडाढर तक के रिंग रोड के इस भाग को फोरलेन किये जाने के लिए मैं पुरज़ोर शब्दों में मांग करता हूं।

इसी तरह सीकर शहर में जो नवलगढ़ पुलिया बनी हुई है उसके लिए

(श्री रतन लाल जलधारी)

पूर्व में भी इस सदन में कई मर्तबा मांग रखी गई है। इस पुलिया के दो तरफ कोचिंग संस्थानों की भरमार है जिनमें हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, उस पुलिया की चौड़ाई क्षेत्रीय आबादी और ट्रैफिक के अनुपात में बहुत ही कम है, जिससे प्रतिदिन यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, आपस में लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, पुलिया पर सड़क की चौड़ाई कम होने से ट्रैफिक बहुत मुश्किल से इसके ऊपर से निकल पाता है। इसलिए मैं विनम्र शब्दों में मांग करता हूं कि सीकर शहर की जनता को राहत देने के लिए इस नवलगढ़ रोड पुलिया को चौड़ा करने की घोषणा आज ही सदन में की जाकर अनुगृहित करें।

अब मैं सीकर शहर के डाक बंगले की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कलेक्ट्री के पास बने इस डाक बंगले की हालत जीर्ण-शीर्ण है, रख-रखाव के अभाव में इसमें कोई अधिकारी और जन प्रतिनिधि रुकने के लिए भी राज़ी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सीकर के डाक बंगले में नये कमरों के निर्माण के साथ ही इसका जीर्णोद्धार करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि सीकर शहर में जो वर्तमान तहसील भवन है वह काफी समय पूर्व निर्मित हुआ था। यह राजा-महाराजाओं के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है। वह आज जर्जर हालत में है। झुंझुनूं बाइपास पर तहसील के लिए भूमि भी आवंटित की हुई है, परंतु बजट के अभाव में वह कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है, तो मैं मांग करता हूं कि सीकर के तहसील भवन का निर्माण करवाया जाए और नये भवन में तहसील कार्यालय को शिफ्ट करने की कार्यवाही की जाए।

मांग संख्या 20 पर मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए मांग करता हूं कि सीकर के शिवसिंहपुरा में जो हाउसिंग बोर्ड की आवासीय कालोनी विकसित की गई है उसमें अभी तक न तो नाली निर्माण हुआ, न ही कोई बाग़-बगीचे तैयार करवाये गये हैं और सड़कों की स्थिति भी ठीक नहीं है, कच्ची सड़कों पर वहां के बाशिंदों को चलने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसकी देखरेख एवं रखरखाव की पुख्ता व्यवस्था करवाया जाना अति आवश्यक है।

(श्री रतन लाल जलधारी)

मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रघुनाथगढ़ में डाबपनोरा रास्ते पर एक विशाल बगीची स्थित है, जो धार्मिक आस्था का केन्द्र है। बगीची जाने के लिए श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर चक्कर लगाकर घूम कर बगीची में जाना पड़ता है। यहां पर लोहार्गल का मैला और चौबीस कोसीय परिक्रमा भी साल में एक बार होती है और लाखों व्यक्ति इस परिक्रमा में आते हैं और इस बगीची में भी वे रूकते हैं। अतएव सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामवासियों और श्रद्धालुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए यहां एक पुलिया निर्माण करवाने की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता है ताकि बगीची में जाने वाले भक्त जनों तथा आसपास के ग्रामवासियों को आने-जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

एक और छोटी सी मांग मैं मंत्री जी से करना चाहता हूं कि सीकर शहर में धर्माणा बगीची से रामपुरा रोड बाईपास तक तीन किलोमीटर तथा सालासर बस स्टैण्ड के आगे से कंवरपुरा रोड बाईपास तक सड़क दो किलोमीटर और चांदपोल दरवाजे से लेकर होम्योपैथिक अस्पताल तक सड़क की स्थिति दयनीय है। यहां चलने-फिरने व आने-जाने में बहुत खड्डे हैं। इन सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने और चौड़ाई बढ़ाने की भी मांग मैं इस पवित्र सदन में रखना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, अंत में, मैं यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार माननीय वसुन्धराजी के कुशल नेतृत्व में नये आयाम स्थापित करेगी और प्रदेश को खुशहाल राजस्थान बनाने का जो सपना है उसको साकार करने में कामयाब होगी। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। कभी-कभी आसन की ओर भी नजरें इनायत कर दिया करें। माननीय सदस्य श्री जयनारायण जी पूनियां।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): माननीय सभापति जी, हमारे चूरू जिले में नेशनल हाइवे बन रहा है और नया बनने के कारण उसके अंदर गांव के लिए समस्याएं हुई हैं। पहले पता नहीं था। उसके समानान्तर में रेलवे लाइन जाती थी, उसका इम्प्रूवमेंट हुआ, मीटरगेज से ब्रॉडगेज में। इससे उसकी ऊँचाई बढ़ गई। पहले पटरियां कम चौड़ी थीं, तो आवागमन चलता रहता था, अब बड़ा मुश्किलें हो गया है। इन योजनाओं से कई गाँवों में तो

(श्री जय नारायण पूनियां)

बड़ी मुश्किलें, बड़ी समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। जैसे तारानगर विधान सभा क्षेत्र में रतनपुरा और डोकवा में..। इसमें रेलवे से लड़कर तो दो-ढाई साल तक संघर्ष किया और अंडर ब्रिज बनवा दिया था। अब उसके पास ही वह हाइवे का चल रहा है। हाइवे की ऊँचाई बढ़ी है, ऊँचा हुआ है। आने-जाने के मार्ग रुक जाते हैं, तो डोकवा में पहले तो पता नहीं लगा। उनकी समझ में आया कि इसके नीचे अंडरब्रिज बनेगा।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अर्ज करता हूं। अभी पता लगा कि वह नहीं बन रहा है तो गांव वालों ने उसको रूकवा दिया। वे बोले कि हमारा तो रास्ता ही रुक गया। मैंने जिन दोनों गाँवों का नाम लिया है, इनकी विशेषता यह है कि दोनों तरफ की आबादी का आपस में आने-जाने, खेतों में जाने व गाँवों में जाने का मेल नहीं बैठता। गाँवों में जाने के हर रास्ते अवरूद्ध हुए हैं और राजगढ़ तहसील में इसके लिए बहुत संघर्ष चला था। उन लोगों ने 12-12 महीने तक संघर्ष किया था। कुछ तो उनमें से बने हैं, लेकिन पूरे नहीं बने हैं। राजगढ़ तहसील में कांधराण है। कांधराण में रेलवे की वजह से हुआ है और लसेड़ी में भी रेलवे की वजह से हुआ है। इसमें नेशनल हाइवे की वजह से प्रोब्लम नहीं आई, लेकिन रेलवे की वजह से आ गई। ये गाँवों के रास्ते जितने भी हैं। उनके रास्ते बंद हो गए। उनके बहुत-से काम नहीं होते। खेती-बाड़ी का काम है, आने-जाने का खेत का काम है, रखवाली का काम है। पशुधन भी ले जाते हैं, माल भी ढोते हैं और वहां से ले जाते हैं। काश्त करने के लिए भी जाते हैं। ट्रैक्टर वगैरह भी चलते हैं। इनमें रूकावट आने लग गई है। लसेड़ी गांव के अंदर वह आंदोलन फिर खड़ा होगा। यही कांधराण की हालत है। इसमें तो नुकसान भी हो गया और रतनपुरा और डोकवा में मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे पता लगा लें कि अभी बना नहीं है। बनने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक अंडरब्रिज की व्यवस्था करके दें। यही रतनपुरा की हालत है। दोनों तरफ आबादी हो गई। दोनों तरफ गांव हैं। उनको हर गांव में जाना पड़ता है और जाने-आने के अंदर सारे रास्ते रुके हुए हैं। छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े गांव के रास्ते भी रुके हुए हैं। उनकी किसी ने परवाह नहीं की। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। इन प्रोजेक्ट के अंदर ही व्यवस्था देनी चाहिए थी कि गाँवों के रास्ते

(श्री जय नारायण पूनियां)

अवरूद्ध न हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्ग के ऊपर तो पुल बना दिया, लेकिन अब गाँवों के रास्तों पर कौन पुल बनाए या फिर अंडरब्रिज बनाएं। ये बनाने पड़ेंगे। उपेक्षा करने से कोई फायदा नहीं है। गांव के आदमी बहुत दुख पाते हैं। इस परेशानी में उन लोगों ने कई बार कहा है, मुझे भी कहा है, मेरे से मिले हैं। मैं उनके गांव भी गया था, मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। उनकी पीर के ऊपर सरकार गौर फरमाए। आपके माध्यम से मेरी अर्ज है कि यह चार गाँवों की समस्या है। इन चार गाँवों की समस्या के लिए ओवरब्रिज तो नहीं बनेंगे लेकिन अंडरब्रिज बन सकते हैं, उसकी व्यवस्था की जाए। इसके ऊपर अभी तक लोगों को आश्वासन मिला हुआ है कि नई सरकार बना सकती है। हम आशा रखते हैं कि अपनी नई सरकार में यह बन जाना चाहिए।

सभापति महोदय, सड़कों के संबंध में आपसे एक ही निवेदन है कि गांवों में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्कीम के अंदर, कि प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा जाए, उसमें यह रख दिया कि कम से कम एक साइड से तो जोड़ा जाए। बाकी उसकी साइड, बाकी जितनी हैं वह सब रह गईं। सभी गांवों की यही हालत है। उनमें आवागमन नहीं हो सकता। कच्चे रास्ते हैं। रेतीला मार्ग है, अवरूद्ध हो जाते हैं। कोई व्हीकल नहीं चलता। आज गांवों में विकास हुआ है। सभी साधन गांवों में आ गए हैं, ट्रक, ट्रैक्टर, कार, जीप, मोटरसाइकिल यह सब गांवों में आते जाते हैं, सवारियां ढोते हैं। वहां बसें चलती है। इनके लिए आवागमन बहुत मुश्किल हो गया है। यह गांवों के बीच में छोटे-छोटे गेप है। ज्यादा नहीं है दो-दो, तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर के हैं। इस गैप को भरने के लिए विशेष योजना, विशेष कार्यक्रम करना पड़ेगा वर्ना अब यह गांवों की समस्या बनती जा रही है। प्रत्येक जगह जाते हैं, हमारा गांव बीच में आपने छोड़ रखा है, यह तो जोड़ दो, यह तो छोटा सा है, दो किलोमीटर का है, यह तीन किलोमीटर का, यही नहीं होता क्या। दूसरा एक तहसील से दूसरी तहसील का जो बोर्डर है, दोनों तहसीलों के, उसके बीच में, साइड में बसने वाले गांव भी उन गांवों से जुडना चाहते हैं ताकि दूसरी तहसीलों में भी उनका आवागमन बढ़े। जिले की सीमाओं के अंदर होता है। जिलों के ऊपर भी प्रत्येक गांव जो बोर्डर पर बसते हैं, वह

(श्री जय नारायण पूनियां)

गांव चाहते हैं कि हमारे गांव को दूसरे जिले से जोड़ दिया जाए। यह सारी समस्याएं हैं। मोटी बात नहीं है। मैं तो आपको फैक्ट, दो ही शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सरकार इस काम के ऊपर बहुत संजीदगी से काम करें। डोकवा वाली प्रोब्लम तो इतनी खड़ी हुई है कि अभी से सुधर सकती है। ठेकेदार को रोका हुआ है कि आप बनाना मत, हम सरकार से प्रयत्न कर रहे हैं। वहां कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम तक को वहां उन लोगों ने कहा है, और सभी कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि यह बनाकर दो।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस स्कीम को आप हाथों हाथ लेकर, अपने डिपार्टमेंट को फोन करें और पूछे कि डोकवा में किस बात की आवश्यकता है। वह आपको बता देंगे कि गांव में यह समस्या आई हुई है। इसका निराकरण करने के लिए प्रयत्न करें। मेरी बात सुनी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पूराराम जी चौधरी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, जब भी इस देश का विकास हुआ पूरा भारत इस राजस्थान के विकास के आधार पर ही चला। राजस्थान के अंदर पहली नीति बनी। अगर पहली कोई सड़क नीति बनी तो 1994 में, उस समय मैं भी एमएलए था। सदन के नेता माननीय शेखावत साहब थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी थे। पहली सड़क नीति बनाई कि गांवों को सड़क से जोड़ना है। उसकी नकल भारत सरकार में हुई। 1995 में उसकी नकल महाराष्ट्र सरकार ने की। मनोहर जी जोशी, शिव सेना के मुख्यमंत्री थे। नितिन जी गडकरी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। पहली बार उन्होंने एक ऐसी सड़क बनाई। जब मैं 1998 के अंदर खण्डाला जा रहा था लोनावाला होते हुए तो मुझे वह फौरन याद आ गया जब मैं 1986 के अंदर, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष सो रहे हैं, 1998 के अंदर पहली सड़क बनाई थी पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन गडकरी ने। जिसके ऊपर आज भी हवाई जहाज उतर सकता है, मैं गारंटी देता हूं, पहली सीमेंटेड सड़क भारत की वह थी।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य आ रहा है। पूरे भारत के...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सुन रहा हूं।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, 1986 में जब मैं पहली बार फोरेन गया था, इशुकुराम साहब मेरे मित्र थे, वहां के एसपी थे दुबई से, अभी भी है, रिटायर हो गये। उन्होंने ईद के समय मेरे और मेरे मित्र के लिए टिकट और वीजा भेज दिया। जब मुझे घूमने के लिए 7-8 दिन का टाइम मिला तो मुझे सबसे ज्यादा पोर्ट देखने थे। सबसे लंबा दुबई से कौनसा पोर्ट है, कि फूजीरा और कुरफा। मैंने कहा मुझे पोर्ट ही देखने है और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जब मैं बीएमडब्ल्यू गाड़ी में, मुम्बई के ड्राइवर नासिर भाई ड्राइवर थे, 100 से ऊपर स्पीड में गाड़ी चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं गिरा देंगे। उन्होंने 120, 125 और 150 तक कर दी। मैं चलते- चलते विचार कर रहा था कि क्या हमारे भारत के अंदर ऐसी सड़कें बनेगी क्या। हमारे भारत में ऐसी सड़कें बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह सपना पूरा कर दिया। तब ललित किशोर जी चतुर्वेदी कहते थे कि मैं सड़क मंत्री हूं, सड़क साफ मंत्री नहीं हूं। हमारे मंत्री जी भी, युनुस खां जी भी वैसे ही है।

श्री सभापति: कैसे है?

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): यदि कह देते हैं तो काम करके ही देते हैं। वास्तव में ललित जी भी बहुत ओनेस्ट आदमी थे। जैसे युनुस खानजी है वैसे ही थे। पिछली सरकार के अंदर मैं भी इस सदन में था, विपक्ष में था। ...(व्यवधान)...सब रहे हैं। आपके पिता जी भी मेरे साथ रहे हुए हैं, चिंता मत करो। माननीय शीशराम जी ओला साहब भी मेरे साथ सदस्य रहे हुए हैं 1993 में, फिर बाई इलेक्शन हुआ और वह एमपी बन गए।

सभापति महोदय, उस समय की जो सड़कें बनी हुई थी, हकीकत में आज भी कई ऐसी सड़कें हैं जो माननीय भैरोसिंह जी और ललित किशोर जी के टाइम बनी थी, अभी तक नोन पेचेबल सड़क है वह, अभी भी 30 से 35-40 किलोमीटर ऐसी है। मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, करीबन 100-125 किलोमीटर सड़कें तीन साल में बना दी। पिछली सरकार में मैं तप-

(श्री पूराराम चौधरी)

खफ के तैयार हो गया, दो-तीन बार विधान सभा में क्वेश्चन भी लगा लेकिन सड़कें 20-25 किलोमीटर के ऊपर बनी ही नहीं।

मेरा माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी से निवेदन है कि जो नोन पेचेबल सड़क है, आपको धन्यवाद दूंगा आपने 35 किलोमीटर पिछली साल भी दी थी, इस साल जो भी बाकी है वह दे दें। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि भीनमाल से सोसला फाटक तक 68 किलोमीटर सड़क है, एमडीआर रोड बनी तो है लेकिन उसमें 11 किलोमीटर रोड़ ऐसी है जो एमडीआर रोड के बीच में से बनी ही नहीं है, सड़क अधूरी रह गई है, 11 किलोमीटर रोड़ है। एक किलोमीटर भीनमाल आगे सात और तीन, बागोड़ा के आगे तीन किलोमीटर, टोटल 11 किलोमीटर रोड़ है, वह बिलकुल टूटी हुई रोड़ है। हालांकि वह स्टेट हाइवे में अभी सैंक्शन है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेरा एक ही क्षेत्र ही नहीं आता, उसमें माननीय जोगाराम जी का भी कोई आता है। नेशनल हाइवे स्वीकृत हुआ है रोड़ से लेकर सांचौर तक। सभापति महोदय, स्वीकृत हुआ है उसकी भी सर्वे कराकर, डीपीआर बनवाकर जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं।

विशेषकर एक बड़ी सड़क है भीनमाल से लेकर, उसमें भी दो विधान सभा क्षेत्र आते हैं भीनमाल और जालौर। भीनमाल से लेकर जीवाणां तक स्टेट हाइवे में सैंक्शन तो हो गई लेकिन उसके बीच में आज भी हम जब उस रोड के ऊपर से निकलते हैं, भीनमाल से जैसे-जैसे निकलते हैं तो खजूरिया नाला आता है। यही नहीं, उसके पहले जो बरसात हुई थी, बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में खजूरिया नाले का पुलिया था पूरा बहकर चला गया था। जब भी भीनमाल से लोग निकलते हैं, खड्डे में गिर जाते हैं। सभापति महोदय, जैसे ही लोग भीनमाल के अंदर एंट्री करते हैं तो फिर खड्डे में गिर जाते हैं। पुलिया निर्माण करना, माननीय मंत्री महोदय जालौर पधारे थे, उन्होंने यस भी किया था लेकिन वह महत्वपूर्ण रास्ता इसलिए है कि वहां से चाहे रामदेवरा हो, चाहे नाकोड़ा जी हो, बड़े-बडे तीर्थ हैं।

चाहे शिकारपुरा जाना हो, तो बड़े-बड़े जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में जाने के लिए वह एक ही रास्ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस पुलिया की स्वीकृति दें और 11 किलोमीटर जो रोड है, भीनमाल से लेकर बागोड़ा रोड है,

(श्री पूराराम चौधरी)

उसमें 11 किलोमीटर बागोड़ा से लेकर सोसेड़ा तक टूटी हुई है, उसमें एम.डी.आर. रोड है, उसकी स्वीकृति दें। ...(व्यवधान)... आज ही दे दें तो बहुत बढ़िया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को और भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दो-तीन एम.डी.आर. सड़कें और स्वीकृत कर दीं। शायद उनकी डी.पी.आर. भी बन गयीं, कोई बात नहीं है, उसके लिये बजट की थोड़ी व्यवस्था कराए। एक स्टेट हाइवे सायला, जो जालौर विधान सभा क्षेत्र से होते हुए गुढ़ामालानी तक, मतलब तीन विधान सभा क्षेत्रों को और दो जिलों को जोड़ता है। वह स्टेट हाइवे है, उस स्टेट हाइवे को भी आप, उसकी भी डी.पी.आर. बन गई है, वह भी जल्दी से जल्दी चालू कराए। जो गौरव पथ हैं, धन्यवाद दूंगा आपको गौरव पथ के लिये भी कि काफी गौरव पथ बनाये हैं, लेकिन जो जसवंतपुरा पंचायत समिति है, उसमें 18 गांव भीनमाल में आते हैं, उनमें से केवल तीन में ही गौरव पथ बने हैं, 15 अभी बेलेंस रह गये हैं। तीन पहले बने थे, एक इस साल बना है शायद, चार, मतलब 14 बाकी रह गये हैं। उन 14 की स्वीकृति, भले इस साल आधी दें, आधी अगले साल दे करके पूर्ण करें। और भी मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि आई.टी.आई. कॉलेज के लिये उन्होंने दस करोड़ रुपये भीनमाल के लिये दिये और जसवंतपुरा में तहसील बनाने के लिये भी उन्होंने दो करोड़ रुपये दिये। इसके लिये मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। ये एक नम्बर के मंत्री हैं और वास्तव में एक नम्बर के मंत्री हैं। आपने मुझे समय दिया, इसलिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती अंजू धानका। माननीय सदस्या श्रीमती अंजू धानका। (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री दर्शनसिंहजी।

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 19, 20 व 21 पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पर पहाड़ी एरिया होने के कारण आवागमन की बहुत अधिक परेशानी है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय,, एक मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इनका कटमोशन नहीं है।

श्री सभापति: है। रिपोर्ट मंगा ली। आप कंटीन्यू करें।

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, जहां पर पहाड़ी एरिया होने के कारण आवागमन की बहुत अधिक परेशानी है। प्रथम तो साधनों का अभाव, और उससे भी अधिक सड़कों की दयनीय स्थिति है। मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम ही नहीं, बल्कि तहसील, जिला हैडक्वार्टर की सड़कें इतनी खराब हैं कि आये दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान चली जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम मासलपुर से ताली, ताली से पीपल खेड़ला, जगनेर रोड से जमूरा, जमूरा से डांडा, केसपुरा से पिपरानी, सायपुर से तुलसीपुरा, शेरपुर से खानाका जगर, मण्डरायल रोड से भंवरपुरा ससेड़ी, मासलपुर रोड से कंचनपुर सीलोती, बांधुवा से रूधोड़, मासलपुर से सेंगनिया, सांकड़ा से महू भाकरी, पारासरी, मासलपुर रोड से हकीमपुरा। हकीमपुरा की बाढ़ से सड़क खराब हो गई थी, वह सड़क आज दिन तक ठीक नहीं हुई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस गांव का आवागमन पूरी तरह बंद है, उसे आप ठीक कराए।

सांकड़ा से खूबनगर तथा मासलपुर रोड से हकीमपुरा, गुड़ला से आड़ी, ऊंचे गुड़ला से उचेकापुरा, टीकेतपुरा से बारे के हनुमानजी तक सड़क खराब है, इसको ठीक कराने की कृपा करें। करौली जिले के प्रमुख तीर्थ स्थल मेंहदीपुर बालाजी, महावीरजी, मदनमोहनजी, घटवासन देवी, जगदीश कैभरी, इन तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों की हालत भी दयनीय है। इन्हें भी ठीक कराने की व्यवस्था करें। यहां लाखों लोग दर्शन के लिये हर महीने आते हैं। ...(व्यवधान)...

इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली के निम्नलिखित ग्रामों में

(श्री दर्शन सिंह)

पुल निर्माण करवाया जाना भी अति आवश्यक है, जिनमें ग्राम बिचपुरी से महाराजपुरा, करीब 50 साल से आवागमन बंद है, बड़े-बड़े पहाड़ों में, जहां लोग आ नहीं सकते, उनका पुलिया निर्माण करवाया जाए। दूसरा यह है कि मासलपुर के ग्राम कोरीपुरा में भी पुलिया का निर्माण कार्य करवाया जाए।

इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में जो गौरव पथ निर्माण के कार्य सरकार द्वारा करवाये जा रहे हैं, जिसमें हालत ऐसी है कि उक्त निर्माण पूर्व में बनी सड़कों के ऊपर ही निर्माण कार्य करवा कर सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज इनकी जांच करवाई जाए तो मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, ग्राम रघुवंशी में कराये गये गौरव पथ योजनान्तर्गत कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए तो आपको इस योजना की सारी स्थिति का पता चल जाएगा कि दोनों तरफ से सड़क बना दी, सभापति महोदय, दोनों बनाने के बाद में बीच में सड़क छोड़ दी। मैं मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा कि उसकी भी जांच कराएं, उस रोड को बनवाएं। आपको सारी स्थिति का पता चल जाएगा कि विभाग द्वारा कितना घटिया कार्य करवाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र करौली के करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित तहसील मासलपुर में विभागीय अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों को रात्रि विश्राम हेतु कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण विभागीय अधिकारी वहां रात्रि विश्राम नहीं कर सकते। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) एक मिनट लूंगा, साहब, बस।

मासलपुर में एक विश्राम गृह का निर्माण करवाया जाए ताकि विभागीय अधिकारी वहां रुक कर समस्या का समाधान कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में धौलपुर से करौली तक स्टेट हाइवे सड़क का निर्माण कराया गया है, जिसमें करौली शहर के मासलपुर मोड़ से बरखेड़ा पुल तक विभाग द्वारा नालियों का जो निर्माण करवाया गया है, वह न तो मापदण्डों के अनुसार है, न ही उनका कोई लेवल निर्धारित किया गया है, जिससे बरसात के समय में शहर की कालोनियों में पानी भर जाता है। रोड पर कीचड़ होने के कारण आमजन का निकलना दुर्लभ हो

(श्री दर्शन सिंह)

जाता है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में सड़क निर्माण कम्पनी व ठेकेदारों की जांच करवाई जाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही कराए तथा नालियों का पुन: लेवल कर पानी की निकासी का कार्य करवाया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दर्शन सिंह (करौली): एक मिनट, बस एक मिनट लगेगा।

श्री सभापति: पढ़ने के लिये नहीं होता है।

श्री दर्शन सिंह (करौली): नालियों का पुन: लेवल कर पानी की निकासी का कार्य करवाया जाए।

श्री सभापति: यह टेबल कर दें।

श्री दर्शन सिंह (करौली): आर.यू.आई.डी.पी. के ठेकेदारों द्वारा जो पाइप निकाले गये, वह सरकारी कोष में जमा न कराकर ठेकेदार द्वारा सीधे ही उन्हें बेच दिया गया है, जिससे करीब 30-40 लाख रुपये की राज्य सरकार के राजकोष को हानि हुई है। मेरा आपसे पुन: अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवा कर सम्बन्धित ठेकेदार व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराए, जिससे राज्य सरकार को होने वाली हानि से बचाया सके। ...(व्यवधान)... बहुत-बहुत धन्यवाद। ओरनी से मदनपुर तक नवीन सड़क का निर्माण करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयरामजी जाटव।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापतिजी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018 की अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान, मांग संख्या 19 और 21 के बीच में आवासीय मंत्रीजी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि सारे सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों ने अपनी बात रखी, जैसे हम लोग गांवों में जाते हैं, जन समस्या सुनने के लिये, और वहां का जो जन प्रतिनिधि सरपंच हैं या कार्यकर्ता हैं वे अपनी सारी बातें लिख कर लाते हैं। वे कहते हैं कि यह मेरी मांग है, यह मेरी सड़क है, यह मेरी गली है, यह मेरी पानी की टंकी है और यह मेरा बोरिंग है। तो गांव के लोगों से यह कहते हैं कि मैंने

(श्री जयराम जाटव)

अपनी सारी बात कह दी, विधायकजी को अपनी सारी बात बता दी और अब मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है। सारे विधायक इस आशा और उम्मीद से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से बात कर रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी बार बार यह सोच रहे हैं कि ये सारी बातें मेरे पास आ रही हैं और मैं नम्बर एक से लगाकर अंत तक यह कोशिश करूं कि सारे विधायकों को खुश कर दूं, सारी सड़कों को बना दें, जो बच गयीं। कांग्रेस के कई विधायक तो कह रहे थे कि सड़कें तो 2008 से 2013 के बीच में सारी बन गई थीं, बची नहीं।

कई लोगों ने कहा, कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा कि हमारे कहने से ग्रामीण गौरव पथ नहीं दिये माननीय मंत्रीजी ने, मिसिंग लिंक भी नहीं दिये, एम.डी.आर. भी नहीं दिये। आपका पी.पी.पी. रोड भी नहीं दिया तो अब यह रोड गये कहां? रिकार्ड यह कहता है कि यह ....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, पेच-वर्क भी नहीं दिया कांग्रेस वालों ने तो।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): यह जो अपना बजट सत्र चल रहा है, माननीय सभापति महोदय, इसके आकड़े यह कहते हैं कि पिछले पांच साल में जो सड़कों का काम हुआ कांग्रेस की गत सरकार में उससे डबल काम, लागत को टोटल कर लें और किलोमीटर को टोटल कर लें तो तीन वर्षों में डबल काम इन सड़कों के माध्यम से, सड़कों का निर्माण, चाहे वह कंक्रीट की सड़क ग्रामीण गौरव पथ हो या मिसिंग लिंक हो या अन्य मद की सड़कें हो। इसलिए मैं इस प्रदेश की हमारी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी, उनके साथ-साथ सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने बड़े लवाजमे को लेकर चल रहे हैं।

अभी कांग्रेस के एक माननीय विधायक थे राजेन्द्र सिंहजी यादव, उन्होंने आपकी ट्रांसपोर्ट की बात भी कही, वह भी बड़ा डिपार्टमेंट है। मैं ज्यादा लंबी बात तो नहीं कहूंगा लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि इन तीन वर्षों में जो हम महसूस करते हैं, हम तुलना कर लें पिछले कई सालों की, गांव की तुलना करते हैं कई सालों से तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो माननीय सभापति महोदय, एक भी साबुत रोड मुझे नहीं मिला। मैं अलवर ग्रामीण से

(श्री जयराम जाटव)

पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना हूं। पहले सदा वहां पर कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे और मुझे साबुत सड़क एक नहीं मिली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी को कि हमारे अलवर शहर से जब हम जयपुर आते हैं तो एक घोड़ा-फेर चौराहा से अहिंसा सर्किल रोड है, दूसरा रोड है कटी घाटी से जयपुर के लिए अहिंसा सर्किल, उस रोड के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी से हमने मांग की, शहर विधायक और मैंने इसलिए उन्होंने हमारे कहने से साढ़े तीन करोड़ रुपया दिया और वह फोरलेन रोड बनी।

दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन रोड्स की बहुत डिमांड थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नटनी का बारा से बाया मालाखेड़ा और लक्ष्मणगढ़ रोड जाता है। वह एम.डी.आर. रोड था, वह सी.आर.एफ. का रोड, सी.आर.एफ. के माध्यम से वह स्टेट हाइवे नम्बर-44 रोड बना हमारे वर्ष 2007-08 के उस वित्तीय स्वीकृति में था लेकिन हमारी सरकार नहीं आई, कांग्रेस के लोगों ने उस नटनी के बारा पर पत्थर लगा रखा है, कोरी वाहवाही लूटने के लिए। वर्ना वर्ष 2003 से 2008 के बीच में जो सड़कों का निर्माण राजस्थान में जितना श्रीमती वसुन्धराजी के टाइम में हुआ था, पहले भी कभी नहीं हुआ। आज उसी रोड के ऊपर मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि हमको दो करोड़ का आपने पुल दिया, वहां नटनी के बारा में जो जयसमंद को नहर जाती है, नदी जाती है, वहां जब पानी का बहाव थानागाजी के पहाड़ों से पानी आता है तो वह पहले वाला जो पुल है, वह अवरुद्ध हो जाता था मलबे से, वहां पर दो करोड़ रुपये आप लोगों ने हमारे कहने से दिये, उस पुल का निर्माण हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं और माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): भाई, आप इधर आ जाओ, पहले हमारी बात सुन लेने दो। मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक गांव है मेरे क्षेत्र में इन्द्रगढ़ से सालपुर, वर्ष 2013 अक्टूबर में आज भी पूर्व

(श्री जयराम जाटव)

विधायक का पत्थर लगा हुआ है। वर्ष 2013 का अक्टूबर का पत्थर कि आपका गांव का पुल स्वीकृत हो गया, आ जाओ लड्डू खा लो और मिठाई खा लो, पुल हो गया। पत्थर लग रहा है, आज भी। पूर्व विधायक, जो कांग्रेस का विधायक था, वह आज भी वर्ष 2013 का अक्टूबर का पत्थर लगा हुआ है। इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने चुनाव से पहले झूठे वादे करके, झूठ बोल कर, लड्डू बांट कर, गुड़ बांट कर लोगों को गुमराह किया, काम नहीं किया।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी को कि इन्होंने हमारे कहने से वह पुल का निर्माण हो रहा है, वह कमप्लीट होने वाला है। उसमें एक करोड़ चालीस लाख रुपये दिया, आज वह रोड बन गया है, वह पुल बन गया है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह रिकार्ड की बात है, आप भले ही जानकारी करवा लें।

माननीय मंत्रीजी, मैं ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा पर आपसे दो-तीन बात मेरे विधान सभा क्षेत्र की कहूंगा। चूंकि, मैं इस बात को देख रहा था कि कोई भी विधायक बोले तो वह मंत्री की तरफ जरूर ध्यान दे रहे थे कि हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मुझे पता नहीं कि किसी की सुनी या नहीं सुनी लेकिन मेरी बात जरूर सुन रहे हैं। हमारे जयपुर रोड से नटनी का बारा से जो स्टेट हाइवे नम्बर-44, उस रोड से लक्ष्मणगढ़ भरतपुर को रोड जा रहा है, माननीय मंत्रीजी, वह रोड सी.आर.एफ. का रोड वर्ष 2007-08 में बना था। इसलिए उस रोड के ऊपर आप रोड दे दें तो बहुत अच्छी बात है, चाहे पी.पी.पी. मॉडल पर दें या बाहर की कम्पनियों को दें, चाहे नाबार्ड से दें, उस रोड के ऊपर लोड बहुत है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, सीधा रोड वहां भरतपुर से सीधा जयपुर को जुड़ता है, शार्ट भी है जयपुर वालों के लिए और भरतपुर वालों के लिए और अलवर वालों के लिए भी। अब उसमें अगर यह बात नहीं तो दो-तीन पुलों का निर्माण होना जरूरी है। जब नदी आती है, रूपारेल नदी जो भरतपुर जाती है, उस रूपारेल नदी में यह जो नटनी का बारा से सारंगपुरा परसा के बीच में एक ढलान है, उसमें पुल नहीं बना माननीय मंत्रीजी, वह रास्ता कई- कई दिन तक अवरुद्ध हो जाता है, जब भारी बरसात आती है तो एक तो वह पुल दे दें।

दूसरा, उसी रोड के ऊपर एक सूकड़ी नदी बोलते हैं, श्याम गंगा से

(श्री जयराम जाटव)

पहले वहां एक पुल का आप निर्माण करवा दें तो उससे क्या है कि गांव के लोगों में बरसात के दिनों में बहने का डर नहीं रहता, अवरुद्ध होने का डर नहीं रहता।

माननीय मंत्रीजी, मैं पिछले तीन साल से एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो गांव बच गये थे, पी.एम.जी.एस.वाई. का एक रूपवास गांव है, उस रूपवास को पी.डब्ल्यू.डी. के कर्मचारियों ने पी.एम.जी.एस.वाई. में जोड़ कर दिखा दिया। एक मोरड़े गांव को जोड़ कर दिखा दिया रिकार्ड में, जबकि रूपवास गांव शहर में लगता था और उनको पता नहीं था कि ग्रामीण क्षेत्र में मालाखेड़ा तहसील में एक रूपवास गांव भी है। मैंने तीन बार माननीय मंत्रीजी आपसे कहा, उस गांव के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तीन किलोमीटर का रोड है, आप पी.एम.जी.एस.वाई. से जुडवाएं या, जो आपका मिसिंग लिंक का हमारा बजट आपने दिया, उसमें सेविंग का जो पैसा बच रहा है, उससे आप बनवा दें या किसी अन्य मद से बनवा दें, वह रोड आप दो गांवों का दें।

मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पी.एम.जी.एस.वाई. के जो रोड्स हैं, उनमें हमारे क्षेत्र में माननीय मंत्रीजी 15-20 नए राजस्व गांव बने हैं। यह बहुत लंबे अर्से से ढाणियां थीं जिनकी आबादी पांच सौ से हजार के बीच में थी। माननीय सभापति महोदय, आज वह गांव बन गये हैं और उन गांवों में रड़का जैसा गांव है, गुर्जरों का गांव बहुत दूर तीन किलोमीटर, इसी तरह गोपी सिद्ध का बास है, मालीवास है, हल्दीनाबास है। इन गांवों में आप पी.एम.जी.एस.वाई. के प्रपोजल में आप सहायक अभियंता या अधिशासी अभियंता, अलवर से प्रस्ताव मंगवाकर इनका आप भेज दें।

मैं आप लोगों से, मेरी एक छोटी मांग है, यह जो अलवर से जयपुर, जयपुर से अलवर और अलवर से भिवाड़ी रोड जा रहा है, इसमें यहां से लगाकर सिकंदरा से अलवर के बीच तक कोई डाक-बँगला नहीं है। मालाखेड़ा में हम जमीन आपको देंगे। स्टेट हाइवे नम्बर है, वहां मलाखेड़ा में एक डाक-बँगला होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आपका माधोगढ़ जयपुर रोड से, अलवर से जयपुर से जाते हैं और वहां आपका शाहपुरा से सीधा निकल जाते

(श्री जयराम जाटव)

है, उसके लिए, वहां भी एक डाक-बंगले की आवश्यकता है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो रेलवे अंडर ब्रिज है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, हमारे दूसरे मंत्री बैठे हैं, आवास मंत्री। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि किसी विधायक ने अपनी बात नहीं कही। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपका तो हो गया। बोल दिया मैंने, सबसे पहले वही बोला है बीच में। आपका तो तीसरा नम्बर, चलो दुबारा बोल देता हूं कि मांग संख्या-20 पर माननीय आवास मंत्री बैठे हैं, मेरा माननीय मंत्रीजी आपसे यह निवेदन है कि हम 2003 से 2008 तक जो विधायक थे, हमने विधायक और सांसदों ने जो फार्म भरे थे, आवासीय मकान के लिए, उसमें जो राशि जमा करवायी थी तो उसमें हमें 2003 और 2005 के बीच में हमने यह फार्म जमा करवाये थे। उसकी लागत क्या लिखते थे कि विधायकों को लागत, कीमत पर आवास देंगे और आवास का प्रावधान था, इस पर भी माननीय मंत्रीजी प्रश्न चिन्ह है।

हमारे 2006 में हाउसिंग बोर्ड में फार्म सब्मिट हुए, जो 2008 में जीतकर आये, उनको पहले आवासीय भू-खण्ड दे दिये और हमारी उस प्रायोरिटी को तोड़कर दिये। दूसरा, हमारी अब जो रेट आयी है, जो आपके आवासन मंडल ने रेट दी है, वह 50-52 लाख रुपये की दी है। यह गलत बात है, आप इसकी जांच करा लें।

माननीय मंत्रीजी, आप यह बताइये कि भूमि विकास शुल्क बहुत अधिक वसूला जा रहा है, जिससे भू-खण्ड का पट्टा अगर हम बाजार की कीमत से लें तो उसकी आधी कीमत में बाजार से हमें भू-खण्ड मिल रहा है, यह जानकारी करा लें। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ की आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर टेलीफोन की लाइन नहीं, वहां पर बिजली की लाइन नहीं, वहां सड़क नहीं, वहां पानी नहीं। इस तरह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार है, इस पर आप ध्यान दें। मेरा यह निवेदन है कि आप इनकी जानकारी करके हमारे जो भूखण्ड हैं, हमारे 2003 के फार्म भरे हुए हैं, 14 साल तक हमको भू-खण्ड नहीं मिले, यह गलत है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं अब संक्षिप्त कर रहा हूं। इस सबके लिये आपको पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी जो मांगें रखी हैं माननीय आवासीय मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, दोनों आप पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19, 20 और 21 के पारित होने और आज की कार्य सूची पूर्ण करने तक के लिये समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19, 20 और 21 एवं आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य, श्री जगसीराम जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 19, 20 व 21 पर विचार

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19, 20 और 21, लोक निर्माण कार्य, आवास, सड़कें एवं पुल के संबंध में चर्चा हो रही है। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। सभापति महोदय, सड़क एवं पुल निर्माण की दृष्टि से प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से काफी मजबूत हुआ है। इसके लिये हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में तीन साल के कार्यकाल में इन्होंने अनूठा कदम उठाया है। पिछली जो सरकार थी, उसकी तुलना में 31 मार्च, 2016 तक प्रदेश में सड़कों की कुल लम्बाई 2 लाख 17 हजार 707 किलोमीटर हो गयी। गत वर्ष के दौरान हजारों किलोमीटर सड़क बनायी गयी है और हजारों किलोमीटर सड़क निर्माणाधीन हैं।

(श्री जगसी राम)

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार में बहुत कम बजट और धीमी रफ्तार से वर्ष 2012-13 के दौरान मात्र 1673 करोड़ खर्च करते हुए केवल 5731 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। पिछले वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार निर्माण के प्रति बेहद उदासीन रही। मैं आज प्रदेश की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी को और मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने प्रदेश में सड़कों के क्षेत्र में चहुंमुखी विकास किया है।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात को इस सदन में कहना चाहूंगा कि आबू रोड टी.एस.पी. क्षेत्र से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी भाइयों को आवागमन के लिये बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मैं मंत्री महोदय को क्षेत्र की जनता की ओर से, मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि 43 सड़कों में से पूरे आबू रोड ब्लॉक के अंदर आज 75 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं और इसी मार्च के अन्त तक सारे आबू रोड क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सम्पूर्ण सड़कें पूर्ण हो जाएंगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने अभी आपसे व्यक्तिगत एस्टीमेट दिया है, वह अम्बाजी से होता हुआ जो कुईसांगडा, इधर ऊंचलागढ़ और निचलागढ़ है, वह 30 किलोमीटर को जो डिफरेंस रहता है और मैंने आपको जो दिया है सात-आठ किलोमीटर का, यदि वह सात-आठ किलोमीटर रोड बन जाये तो 35 किलोमीटर का दायरा खत्म हो जाएगा। इससे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों को आवागमन के अंदर काफी सुविधा उपलब्ध होगी।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अंदर सरकार ने आई.टी.आई. की घोषणा के साथ में इसका कार्य भी चालू कर दिया है। इसी तरह से पिछले 8 मार्च को हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसके अंदर हमारे मंत्रीजी ने आबू रोड से अम्बाजी वाली जो सड़क दी है, वह बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक सड़क थी। उसके अंदर अम्बाजी मंदिर, जो पूरे देश के अंदर प्रख्यात है, वहां पर पूरे देश के लोग आते हैं और अम्बाजी माताजी का मंदिर, जो गुजरात से लगता हुआ है, वह आबू रोड-अम्बाजी सड़क है। इसी तरह से रेवदर और आबू रोड वाली सड़क के लिये जो आपने बजट के अंदर घोषणा की है। मैं इस मौके पर मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री जगसी राम)

करना चाहूंगा कि मैं रेवदर वाले बाइपास के लिये मैंने आपसे कई बार निवेदन किया तो रेवदर बाइपास यदि इसके साथ में जोड़ा जाये तो मैं समझता हूं कि कई बार सड़क दुर्घटना हो जाती है तो इससे लोगों को बचाने के लिये बाइपास बनाया जाये ताकि आने वाले समय के अंदर रेवदर की जनता को सीधा-सीधा फायदा मिलेगा।

इसी तरह से समय के अभाव को देखते हुए मैं यहां पर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कई सड़कें ऐसी हैं, जहां पर माइनिंग विभाग के ट्रक चलते हैं, क्योंकि सड़क अच्छी बनी थी, उस पर पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इससे कई सड़कें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। आबू रोड सम्पर्क सड़क से भटाना और गुजरात मुनिजी की कुटिया तक जो सड़कें जा रही हैं, उनको यदि जोड़ दिया जाए और उसको ठीक करवाया जाए तो मैं समझता हूं कि क्षेत्र की जनता के लिये बहुत फायदा रहेगा। इसी तरह से आबू रोड सम्पर्क सड़क से रामपुरा खेड़ा वाली जो सड़क है मक्कावल, मारोल वाली और इसी तरह से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जर्जर सड़कों की जानकारी मंत्री महोदय को ध्यान में लाना चाहूंगा कि वहां पर छोटे-छोटे व्हिकल्स को भी चलने में दिक्कत रहती है। दादरला से चौधरी के गोल्या, भैंरूगढ़ से कम्बोइया, भैंरूगढ़ से मगरीवाड़ा, कितापुरा से मोरवाड़ा, नगाणा से हनुमतिया और जीरावत से खान, इसी तरह से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राजस्व गांव होने के उपरान्त भी जो सड़कें आज तक सैंक्शन नहीं हुई हैं, उन सड़कों को भी जोड़ा जाए ताकि क्षेत्र की जनता को फायदा मिले।

मैं मांग संख्या 19 के अंदर आबू रोड और रेवदर का डाक बँगला है, वह बहुत जर्जर स्थिति के अंदर है, उनके नवीनीकरण के लिये माननीय मंत्री को कहना चाहूंगा कि ठीक कराए जिससे वह व्यवस्थित हो जायेंगे। वहां पर जन प्रतिनिधि और अधिकारी जब भी आते हैं तो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से अराई सर्कल और पटवार जो हमारे रेवदर क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जावे तो बड़ी मेहरबानी रहेगी। रेवदर का बस स्टैंड है, वह मेन हाइवे पर आया हुआ है। उसके सामने पंचायत समिति परिसर है उसको इसके अंदर कन्वर्ट करवा दिया जाता है तो दोनों तरफ से अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी।

(श्री जगसी राम)

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए आवासन मण्डल की जो बात मेरे से पूर्व साथी विधायक जी ने भी बतायी है। आवासन मण्डल द्वारा किया जा रहा निर्माण कमजोर होता है उसमें सुधार करें ताकि मण्डल की प्रतिष्ठा बढ़े।

सस्ता जरूरी है अन्यथा प्राइवेट बिल्डर्स उसमें फायदा लेंगे। आवासन मण्डल भूमि, भवन की लागत, कीमत की वसूली, कमाई नहीं करे, सेवा विकल्प है।

(17.00 बजे)

मैं आज के इस मौके पर, माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि अपने क्षेत्र की जो बात रखी है उन पर आप गौर फरमाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अर्जुन लाल जी जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 19- लोक निर्माण, 20- आवास एवं मांग संख्या 21- सड़कें एवं पुल पर चर्चा हो रही है। इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री ने और हमारे लोकप्रिय मंत्री महोदय ने इस सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए राजस्थान में विशेष प्रयास किया है। आधारभूत ढांचा ठीक होगा तो अपने आप प्रदेश का विकास हो जायेगा। ऐसी परिकल्पना कर के हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 20 हजार 822 करोड़ रुपये व्यय कर के 4281 गांव, ढाणियों और मजरों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जबकि पिछली कांग्रेस की सरकार ने तीन वर्षों में 9157 करोड़ रुपये व्यय कर के मात्र और मात्र 661 गांव, ढाणी और मजरों को जोड़ने का काम किया। हमने पिछले तीन वर्षों में 15 हजार 278 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण कर के 4637 करोड़ रुपये का व्यय करना सुनिश्चित किया है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिन्होंने हमको

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

हमारे गांव के अन्दर डामर की पक्की सड़कें, सीसी की सड़कें पहुंचाने का काम किया। उन्होंने स्वर्ण चतुर्भुज सड़क दी, ईस्ट-वेस्ट कॉरीडोर सड़क दी। यानी कि अटल जी के आने के बाद ही गांव के अन्दर सड़क पहुंचने का काम हुआ है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं।

यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने और हमारे मंत्री महोदय ने गांवों के अन्दर गौरव पथ बनाने का काम किया। शहर के मुकाबले गांवों के अन्दर भी अच्छी, पक्की सड़कें बनें, ऐसा काम कर के एक अनूठी पहल जो राजस्थान को दी है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में गौरव पथ के अन्तर्गत प्रथम चरण में 972 ग्राम पंचायतों को पक्की सड़क से जोड़ा गया और दूसरे चरण में 2086 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम कर 253 करोड़ रुपये की लागत से गौरव पथ का निर्माण हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मिसिंग लिंक का भी काम हुआ और मिसिंग लिंक में पहले चरण में 2246 किलोमीटर पक्की सड़कें बनायीं। दूसरे चरण में 1820 किलोमीटर लम्बाई की 808 मिसिंग लिंक सड़कें बनाने का काम जारी है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए आरआरएसएमपी, आरएसआरडीसी, आरआईडीएफ-22, आरआईडीएफ-23 के माध्यम से भी सड़कों के निर्माण में और सड़कों के सुदृढ़ीकरण करने का काम किया है। मेरे क्षेत्र में 46 मिसिंग लिंक सड़कों का और आरआरएसएमपी के द्वारा गांवों को जोड़ा गया।

मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बजट में 6657 करोड़ 32 लाख रुपये का व्यय होना तय हुआ है जो कि पिछले बजट से 58.47 प्रतिशत अधिक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर पिछले बजट में हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने और यूनुस खान जी, हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री ने 56 किलोमीटर लम्बी 77 करोड़ रुपये की लागत से सड़क सेंक्शन की है, इसके लिए तो आपको बहुत-बहुत बधाई लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि आपने उस

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सड़क का शिलान्यास नहीं किया है, और मैं चाहूंगा कि सड़क बनने के बाद आप उसका लोकार्पण करने के लिए जरूर पधारें।

मेरे क्षेत्र में खनिज का एरिया है, बजरी का एरिया है, पत्थर दोहन का काम है और परिवहन विभाग भी आपके पास ही है। लोग मुझे कहते हैं कि सड़कें बनाओ, मैं लोगों को कहता हूं कच्ची सड़क होगी तो दुर्घटनाएं कम होंगी लेकिन लोग पक्की सड़क मांगते हैं। अब वो जो सड़क बन रही है, अभी तीन दिन पहले की घटना है कि नियमों का पालन नहीं करने के कारण आमने-सामने दो मोटर साइकिल रफ्तार से आयीं, टकराई और सड़क के किनारे एक आदमी और बैठा था, वो दोनों टकरा कर के तीसरे पर गिरे, तीनों की वहीं डैथ हो गयी। तो सड़क नियमों का पालन करना भी हम को अति आवश्यक है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो खनन क्षेत्र है उस खनन क्षेत्र के वहां पर से इतना ओवर लोडिंग ट्रैफिक निकलता है, लगभग-लगभग 25 ग्राम पंचायत मुख्यालय की जो सड़कें हैं जो बनास नदी के किनारे हैं, नेवरिया, हम्मीरगढ़, मरमी, मुरोली, राशमी लालपुरा, पटुॅना, सांखली, सोमी, आरणी, लगभग ऐसी 50 गांवों की सड़कें जो टूटी हुई पड़ी हूं हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नॉन-पैचेबल हो गयी हैं। इन सड़कों को आप ठीक कराने का काम करेंगे।

अभी मैंने आपसे निवेदन दिया था और धन्यवाद भी दिया कि सीआरएफ के अन्दर आपने मेरी दो सड़कें भेजी थीं, कीर की चौकी से फतेहनगर वाया आकोला, वो सड़क तो आपने स्वीकृत करा ली लेकिन एक कारोई से लगा करके भादसौड़ा वाया कपासन, यह आपने भेजी तो भी लेकिन बिना मन से भेजी इसलिए आपने उसको सैंक्शन नहीं करी है। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में इस सदन में निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क को आप आज ही स्वीकृत करेंगे तो उसमें भादसौड़ा सांवरियाजी सेठ जुड़ेंगे, शनि महाराज जुड़ेंगे, दिवानाशाह दरगाह, कपासन जुड़ेगी, मातृकुंडिया मेवाड़ का तीर्थ स्थल जुड़ेगा। यदि आप इतना बड़ा काम करेंगे तो आपको भी पुण्य मिलने वाला है।

एक दिलचस्प घटना मेरे साथ और घटी। मेरी बच्ची नाइन्थ क्लॉस में

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

पढ़ती है, वो एक दिन मेरे साथ चल रही थी तो उसने कहा, पापा, यह सड़कें आप ठीक नहीं कराते हो क्या? कुल मिला कर के यहां पेच तो निकलवा दो। मैंने कहा, बेटा, यह सड़क कहां है जो निकलवाऊं? सड़कों की हालत इतनी खराब है।

मैंने आपने निवेदन किया था और आपने भी सुना और चीफ इंजीनियर को कहा, एडीशनल चीफ इंजीनियर को आदेश दिया कि वास्तव में इनकी सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? और आपने वो रिपोर्ट भी मंगवायी और उस रिपोर्ट में लिखा एडीशनल चीफ इंजीनियर ने कि वास्तव में मेरे इस क्षेत्र में 128.88 किलोमीटर जो सड़कें टूटी हुई हैं, उनका कारण भी उन्होंने बताया। पहला कारण बताया कि इस साल बरसात ज्यादा हुई। दूसरा उन्होंने बताया कि बनास नदी के किनारे रेती के ट्रक गुजरने के कारण सड़कें टूटती हैं। तीसरा, यह काली मिट्टी होने के कारण से टूटती है और कृषि की उपज भी ज्यादा होने के कारण ओवरलोड ट्रक चलते हैं। उन्होंने ऐसे कई कारण हमारी सड़कें टूटने के बताये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: एक कारण यह नहीं बताया कि कांग्रेस वालों ने पांच साल से कुछ नहीं किया ...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हां, वो अब आ रहा है नम्बर।

यदि कांग्रेस वाले इन सड़कों की दशा सुधारना चाहते तो पांच साल में उनके पैच भी लगा देते तो पैच लगने के बाद सड़कें बच जातीं लेकिन पैच नहीं लगाने के कारण वो सारा का सारा भार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आकर के पड़ा है। यानी विकास कराने का जो भी जिम्मा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। सड़क बनाना का हो तो भारतीय जनता पार्टी का काम, स्कूल खोलने हों तो हमारा काम, कॉलेज खोलने हों तो हमारा काम, पेयजल योजना बनाना हो तो हमारा काम। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का काम तो लूट-खसोट कर के और फिर जब काले कारनामे बाहर आते हैं तो जेल जाने का काम भी इन्हीं का है।

इसलिए, मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर आपने बहुत ज्यादा काम कराये हैं। उन काम के आधार पर उनको ठीक कराने की भी आवश्यकता है। काफी सड़कें टूट गयी हैं, इनको तो आप ठीक करायें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कुछ सड़कें जो मैं चाहता हूं कि इनको आप स्टेट हाइवे घोषित करें। वो पत्र मैंने आपको दिया भी है। हम्मीरगढ़ से भादसौड़ा यह 88 किलोमीटर लम्बी सड़क है और इसमें कितने गांव आएगे, सब के सब गांव हैं, नेवरिया, मुरोली, मरमी, भीमगढ़, चटावटी, लांगचसिंहपुर, छापरी, रेवलिया खुर्द, सुरपुर, जेपुरा, लेसवा, इसकी 88 किलोमीटर की लम्बाई है। दूसरी मेरी सड़क है चंदेरिया से गंगापुर जो दो एन.एच. को जोड़ेगी, बोरदा, रूंद, मुरोली, राशमी, मातृकुंडिया, आरनी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीन मिनट और। आरनी, गोपालपुरा 65 किलोमीटर की लम्बाई की। इसमें दो विधान सभाएं जुड़ रही हैं और तीसरा, जोयड़ा से चित्तौड़, इसमें भी दो विधान सभाएं जुड़ रही हैं। चोरवड़ी, आकोला, भोपालसागर, बबराणा, दांता, कंरूगड़ा, उमंड, गुमानपुरा चौराहा, शनि महाराज, रामथली, उंदयाला, सुरपुर, सोनियाणा, सतपुड़ा और कपासन चौराहा, यह सड़क चित्तौड़ तक जाएगी, और एक मैंने आपको बतायी थी कारोई से कपासन और इसको भादसौड़ा तक एक्सटेंशन दे दें तो भी यह काम हो जायेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर चार उपखण्ड पड़ते हैं और चारों उपखण्ड पर एक डाक बंगला है, राशमी, भोपालसागर और भदेसर के अन्दर डाक बंगले बनाने की आवश्यकता है और कपासन के अन्दर जो डाक बंगला है उसको एक्सटेंशन देने की, दो कमरे और बनाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम सहभागिता योजना के तहत 50-50 प्रतिशत के हिसाब से जन सहयोग करके पैसा लगाते हैं। उसमें भी सरकार pro rata charge लगाती है। मेरा निवेदन यह है कि यह जो 13 प्रतिशत pro rata charge है, उसे माफ कर दिया जाए। इससे जनता पर भार कम पड़ेगा और सारा काम ठीक हो जाएगा।

सभापति महोदय, मेरे यहां कुछ बड़ी-बड़ी नदियां हैं, जो कि बारहों महीनें बहती हैं और उन पर छोटे-छोटे पुल बने हुए हैं। उन छोटे पुलों के कारण से बरसात के सीजन में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। बनास नदी पर सांखली

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

पुलिया और ऊँचा पुलिया, पहुँना पुलिया और मातृकुंडिया पुलिया, इन 4 पुलियाओं को ऊँचा करने और चौड़ा करने की जरूरत है। मेरे क्षेत्र में बाकली और बेड़च नदी का जो संगम है उस पर सुरपुर की पुलिया एवं बेड़च नदी पर शनि महाराज की पुलिया और एक विरोली पुलिया इनको ठीक कराने की जरूरत है।

सभापति महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की 128 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कें को ठीक कराने की अत्यंत आवश्यकता है। इनको ठीक कराया जाए जिससे सारा काम ठीक हो सके।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज कुमार जी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19, 20 और 21 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुए सबसे पहले मैं मांग संख्या 21 पर चर्चा करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, राजस्थान में सड़कों के बारे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के लोग हों, इन्होंने खूब अपने-अपने गुणगान किए हैं। यह भी नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोगों ने सड़क निर्माण में कोई भागीदारी नहीं निभाई हो। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी ने सड़क निर्माण के लिए अपने समय में बड़ा प्रयास किया होगा। लेकिन वर्तमान में पिछला जो सवा 3 साल का समय बीत गया, उसके लिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र पर ही आना चाहूंगा कि पिछले 2016 के बजट में डूंगरगढ़ से राजगढ़ पीपीपी मॉडल पर 159 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज दिन तक उस सड़क का ना तो निर्माण हुआ, न ही उसके टेंडर हुए और न ही उसकी कोई डीपीआर रिपोर्ट बनी।

आपके केन्द्रीय मंत्री नितिन जी गड़करी हमारे सालासर में पहुंचे थे। वहां सालासर में उन्होंने डूंगरगढ़ से लुहानी, मेरे राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र से होते हुए नेशनल हाइवे में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी। मैं माननीय मंत्री

(श्री मनोज कुमार)

महोदय से कहना चाहता हूं कि डूंगरगढ़ से जो राजगढ़ रोड बननी थी, उसी तरह से यह आपकी घोषणाएं केवल घोषणाएं ही नहीं रह जाएं। इस पर भी आप इस सरकार के रहते हुए ही काम करने का प्रयास करें।

इसके अलावा दूसरी नेशनल हाइवे की घोषणा सिरसा से रींगस वाया झुंझुनूं, उदयपुरवाटी होते हुए की। वह भी मेरे राजगढ़ विधान सभा से होते हुए गुजरती है। तीसरी हमारे चूरू जिले में सिरसा से वाया चूरू, तारानगर होते हुए भी नेशनल हाइवे की घोषणा हो चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारे पीडब्ल्युडी मिनिस्टर महोदय से कि आपने इन घोषणाओं से बड़ी वाहवाही लूटी है। तीन दिन तक इनके बारे में अखबारों में खूब छपा है कि चूरू जिले में बहुत सारी नेशनल हाइवे की सड़कें दी हैं। हमारे चूरू जिले के माननीय मंत्री विराजमान हैं। इनका क्षेत्र भी इसमें शामिल है। आप इसको गंभीरता से लेते हुए इनका निर्माण समय रहते करवाया जाए।

सभापति महोदय, एक हमारी राजगढ़ से पिलानी नेशनल हाइवे नम्बर 709 ए, जिसके लिए पिछले लंबे अरसे से मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोग आंदोलन कर रहे हैं। आठ महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इस सड़क का अभी तक निर्माण शुरू नहीं हुआ। इस सड़क का भी निर्माण करवाया जाए।

इसी तरह से नेशनल हाई वे नम्बर 65 पर सालासर वाया झूंपा तक सड़क का निर्माण होना है, जो कि वर्तमान में चालू है, लेकिन कुछ गांवों के बीचो-बीच ओवर ब्रिज बने हैं, उनके साथ में सर्विस लाइन नहीं बन रही है। इससे हमारे उस क्षेत्र के लोग वंचित हैं। जिस तरह से हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जयनारायण जी पूनिया कह रहे थे दोकुआ, रतनपुरा, गोठंया बड़ी, लसेड़ी, इन गांवों के पास में सर्विस लाइन नहीं है। इनमें सर्विस लाइन बनाई जाए, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हमारी गौरव पथ, मिसिंग लिंक सड़क, ग्रामीण पेचवर्क और ग्रामीण नॉन पेचवर्क सड़कों की चर्चा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि गौरव पथ और मिसिंग लिंक सड़कें बनाई तो जा रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बन रही हैं। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि जो डिमांड हम भेज रहे हैं, उन डिमांडों से हटकर कहीं न कहीं आपके अधिकारी बनाते हैं या

(श्री मनोज कुमार)

हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के हारने वाले लोग थे, हो सकता है उनकी अनुशंसा पर आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी गौरव पथ, मिसिंग लिंक सड़कें बनाएं, उसमें कहीं न कहीं हमारी भी भागीदारी हो जाए तो आप पर जो भेदभाव का आरोप लग रहा है, वह ना लगे और हमारी भी कुछ मंशाएं पूरी हो जाएं।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अच्छापुर से जगमाल की ढाणी शामिल है। गाइड लाइन में शामिल है, लेकिन प्रस्ताव गलत बनने के कारण से वह गांव आज वंचित है। इस अच्छापुर से जगमाल की ढाणी सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनाया जाए।

इसके साथ ही कुछ मिसिंग लिंक सड़कों की बात माननीय मंत्री महोदय के सामने रखूंगा कि इनको बनाया जाए। बाकी तो हमारी नेशनल हाइवे में जा रही हैं। इनमें से एक है राऊ टीबा से टमकोर, ढाणी मौजी से दंदेऊ मोहनसिंह वाया नीम का बास, भगवती जोड़ी से भगेला, कांजनबास से चैनपुरा बड़ा, भोजान से बिरान वाया जिरामबास, चुबकियागढ़ से रामसरा टीबा, भगवती जोड़ी से गवालीसर, सांखू से नेशल, डींगली से नौरांगपुरा यह मिसिंग लिंक सड़कों में हैं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन पर गंभीरता से विचार करें।

सभापति महोदय, दूसरी हमारी मांग पुल बनाने के बारे में है। तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी मेरे इस काम के लिए मांग की है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की उन्होंने मांग उठाई और मेरा समर्थन किया। मैं कहना चाहूंगा कि रड़वा से कांधरान, एक मात्र रास्ता गांव में जाने का है और दूसरा कोई रास्ता नहीं होते हुए भी बार-बार रेलवे विभाग उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज कर रहा है। उस गांव में अंडरपास बनाने की सख्त जरूरत है। इसकी आज ही घोषणा करें।

दूसरा, इसी तरीके से नेशनल हाइवे 65 से, लुटाणा सदासुख गांव में गवर्नमेंट की सड़क बनी हुई है। उस रास्ते के अलावा गांव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन अंडरपास नहीं होने के कारण से रेलवे विभाग नहीं जाने देता है। ऐसे ही किरतान रेलवे स्टेशन के पास एक-दो बार दुर्घटना हो चुकी है। वहां भी अंडर पास की आवश्यकता है। एक लसेड़ी बस स्टैंड के

(श्री मनोज कुमार)

पास, स्टेशन के पास, पूरी उस गांव की आबादी बाहर रह गई। रेलवे लाइन के पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गांव से दस फीट की ऊँचाई उस रेलवे स्टेशन की हो गई, वहां भी अंडरपास की आवश्यकता है।

इसी के साथ में एक मांग करना चाहता हूं कि हमारी एक नॉन पैचवर्क रोड है जो राजगढ़ से राघा छोटी तक मात्र 12 किलोमीटर की है। आधे हिस्से में तो रोड बनी हुई है और आधे हिस्से की शेष है। इसमें भी माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप इस राजगढ़ से राघा छोटी और एक राजगढ़ से मंडेला तक की रोड बिलकुल जर्जर अवस्था में है, इनको कारपेट करने की दुबारा आवश्यकता है। इनका निर्माण किया जाए।

मेरे राजगढ़ शहर में मात्र 6-7 किलोमीटर में रिंग रोड शेष बची हुई है। हमारी राजगढ़ से पिलानी जो नेशनल हाइवे बन रही है, उसमें बाइपास है और जो हमारी 65 नंबर हाइवे बन रही है, उससे बाइपास से रोड जुड़ गई। मात्र 6-7 किलोमीटर रोड की और घोषणा हो जाए तो मेरे पूरे राजगढ़ शहर में रिंग रोड बन जाएगी। इसकी भी आप घोषणा करें। जिससे कि राजगढ़ शहर के चारों ओर आवागमन का साधन हो सके। जिससे कि सारे रेलवे फाटकों से शहर मुक्त हो जाए।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं एक मांग जरूर करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक रेस्ट हाउस लंबे अरसे से, पुराना बना हुआ है, वह बहुत ही जर्जर अवस्था में है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे उस रेस्ट हाउस की भी मरम्मत कराकर के या नया निर्माण कराकर के आप उसको विकसित करें।

सभापति महोदय, अब मैं मांग संख्या 20 पर चर्चा करूंगा। माननीय मंत्री महोदय, पिछले बजट में RUIDP में हमारा शहर शामिल है। एक वर्ष का समय बीत गया। हमने आपको लिखित में भी दिया है, लेकिन अभी तक आपकी DPR भी नहीं बनी है। उस पर एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़े हो। इस पर भी आप गंभीरता से विचार करते हुए इसी वर्ष में आप जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करें।

आवासन मंडल में आप लोगों ने जो भूमि किसानों की अवाप्त कर रखी है, लम्बे अरसे से न तो विकास हुआ है और न भवनों का निर्माण हुआ है

(श्री मनोज कुमार)

और निर्माण जिनका हो गया है उनका भी आवंटन नहीं हुआ है। तो इस आवासन मंडल में और भूमि अवाप्त न करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और दे दें। दो मिनट में एक विषय है बहुत गम्भीर। किसानों भी भूमि अवाप्त न करें और इन बने हुए आवासों का आवंटन जल्दी से जल्दी करें और जर्जर स्थिति में हैं उनको आप निरस्त कराए।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में की जा रही वित्तीय अनियमितता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार को रुकवाने का मामला भी है। माननीय सभापति महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण में एक सहायक अधिवक्ता के नाम से लम्बे अरसे से आपके पूर्व जेडीसी, +++ ने एक आदेश जारी किया 22.05.14 को, जो ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, आप पैनल लॉयर सब जगह है, उसके बाद सहायक अधिवक्तागण के नाम से 15-20 लोगों को आपने सिर्फ आपके जेडीए से लेकर कोर्ट तक जाने के नाम पर इन्होंने 2 करोड़ रुपए का घोटाला किया है जिसका कोई भी वित्तीय स्वीकृति नहीं है, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बिना वित्तीय स्वीकृति के है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा कि जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 8(2) में प्रावधान निम्न प्रकार है, 'who shall not be below the rank of the Chief Accounts Officer.' लेकिन ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, नाम लिया है आपने, यह गलत बात की है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आरोप नाम का कहां है? ऑर्डर बता रहा हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आदेश बता रहा हूं। आपके अधिकारी नहीं होता है क्या जेडीसी?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपने

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)
कहा कि दो करोड़ रुपए खा गए। आपने नाम लेकर, जो विधान सभा का सदस्य नहीं है उस पर ऐसे ही कैसे आरोप लगा सकते हो? ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप जांच करा लेना। ...(व्यवधान)... वित्तीय स्वीकृति ही नहीं ली गई और 15 लोगों को आपने नियुक्ति दे दी।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, मनोज कुमारजी, एक बात आप सुनें, यदि आपके पास आधार है तो आप नियमों में आएं। ऐसे नहीं। ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते यहां। नियम प्रक्रिया है यहां पर।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपके जेडीसी ने आदेश जारी किए हैं, जेडीसी का ऑर्डर है। ...(व्यवधान)..।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नियम प्रक्रिया हैं, उन नियम प्रक्रियाओं में आएं। ...(व्यवधान)...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपके आफिशियल, जेडीसी का तो नाम ले सकता हूं? ...(व्यवधान)... जेडीसी का तो नाम ले सकता हूं, जेडीसी, पोस्ट है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप यहां किसी का नाम ऐसे ही नहीं ले सकते।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप उस नाम को विलोपित कर दीजिए। ...(व्यवधान)... जेडीसी, पोस्ट के द्वारा यह किया गया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): किसी का भी नाम नहीं लेना।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आप नाम विलोपित करवा दीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके पास आधार है तो नियमों में आएं। नियमों में आकर आरोप लगाएं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माफी मांगे माननीय सदस्य।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): नाम, जेडीसी, पोस्ट नहीं है क्या? ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपने जेडीसी +++ का नाम लिया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य या किसी ने नाम लिया हो तो उसे अपलिखित कर दें। नाम जो बोला है उसे डिलीट कर दें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जेडीसी की पोस्ट से है ऑर्डर। जेडीसी का ऑर्डर है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। माननीय श्री कैलाश जी भंसाली।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में और, एक और है इश्यू, एक मिनट में। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: अब अंकित न किया जाए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री सभापति: माननीय कैलाशजी भंसाली। ...(व्यवधान)... अब आप समाप्त करें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... आपने आज की मांगों पर चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): जोधपुर में भीड़-भाड़ बहुत बढ़ गई है, यातायात व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है उसके लिए ऐलीवेटेड फ्लाई ओवर राजबाग आखरिया चौराहे से लेकर पावटा तक बनाया जाए। इसको सुबह भी पर्ची के माध्यम से मैंने बात कहीं थी। जालौरी गेट से नई सड़क तक एक पैरेलल सड़क बनाई जाए। रामेश्वर नगर, बासनी, गौण मंडी से पाली रोड तक सड़क बनाई जाए, इसके लिए मैंने 10 लाख रुपए अपने विधायक कोष से दिए हैं कलेक्टर जोधपुर के कहने पर। यह सड़क बन जाएगी, जेडीए बनाएगा लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है और यह कहा जा रहा है कि हम

(श्री कैलाश भंसाली)

इसका तखमीना बना रहे हैं जबकि आपने पैसे मेरे से ले लिए 10 लाख रुपए। इसलिए आप उसको जल्दी से प्रारम्भ कराएं ताकि यह रोड पर खड्डे हैं, डेढ़-डेढ़ फीट के खड्डे हैं, कितने एक्सीडेंट्स हो गए हैं। डिलीवरी हो गई ऑटो रिक्शा में इनसे। सारे अखबारों में छपा था। तो मेरा विशेष निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, नव दुर्गा मंदिर, पाली रोड बाइपास की सड़कें बहुत जर्जर हालत में है, इनको नई बनाई जाएं। रिंग रोड का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए। महाचौक की मस्जिद से लेकर पन्ना निवास तक की सड़क बनाई जाए। सोजती गेट से कंदोई बाजार, माणक चौक तक की सड़क सीसी रोड बनाई जाए। सरवा बाजार से घास मंडी तक सड़क बनाई जाए। घनश्यामजी के मंदिर से लेकर सिंह पोल नवचौकियां तक सड़क बनाई जाए। सड़क इतनी खराब है कि शनिवार को जब भी इस वार्ड में जाता हूं तो लोग बहुत उलाहना देते हैं। जालौरी गेट से फतेहपोल तक की सीसी रोड इतनी बढ़िया बनाई थी परंतु पीएचईडी वालों ने गटर लाइन डालने के लिए उसको तोड़ दिया और वापस ठीक भी नहीं किया। मेरा निवेदन है कि इसको वापस डबल सीसी रोड बनाई जाए। मोती चौक से भिश्तियों के बास तक सड़क का निर्माण कराया जाए।

जोधपुर में कोई बड़ा टाउन हाल नहीं है, 2500 लोगों का कॉफ्रेंस हाल विवेक विहार में बनाया जाए जो कि हाई कोर्ट के बिलकुल नजदीक है और बहुत जन उपयोगी यह कार्य होगा। इसका मेरा विशेष निवेदन है।

इसी तरह जयनारायण व्यास टाउन हाल में अभी 750 की सिटिंग है उसको 1500 की जाए क्योंकि शहर के बीच इससे बढ़िया जगह नहीं मिल सकती।

जनाना पार्क में खाने पीने की सुन्दर व्यवस्था होती है। मैडम पधारी थीं पन्द्रह अगस्त पर जब राज्यपालजी का वहीं पर एटहोम हुआ था तो उस स्थान पर अवश्य निर्माण किया जाए।

(17:29 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 20 आवास, घटिया किस्म के

(श्री कैलाश भंसाली)
मकान बनाए जा रहे हैं। लोग मकान लेते हैं, प्लिंथ लेवल पर बनाकर देते हैं, पूरा मकान वह बनाते हैं तो नीचे से जमीन खिसक जाती है क्योंकि प्लिंथ लेवल पर जो नींव भरी जाती है वह बहुत कम डेढ़-डेढ़ फीट तक भरी जाती है। उसको तीन-तीन फीट तक भरी जाए। लागत से ज्यादा वसूली कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इतना खर्चा आता नहीं है लेकिन आप लोग कोस्ट वह रखते हैं जो आकाश को छूती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक विशेष निवेदन है कि एमएलए एमपी लैड का जगतपुरा में इन्दिरा गांधी स्कीम है उसमें जो इन्टरेस्ट का भार बहुत भारी है, पिछली बार आपने 50 परसेंट किया था और मार्च, तक सभी जो आवेदक पैसा भर देंगे उनको 50 परसेंट माफी दी थी ऐसा इस बार भी दी जाए। ऐसा मेरा विशेष निवेदन है।

कुड़ी भगतासनी में कम्युनिटी सेंटर नहीं है तथा एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए आप जमीन अलॉट करें, दानदाता स्कूल बनाने के लिए तैयार है, वहां पर सीनियर सैकेंडरी स्कूल प्रारंभ किया जाए जहां पर तीनों सब्जेक्ट हों, गृह विज्ञान, विज्ञान, साइंस और आर्ट्स।

मांग संख्या 21, सड़कें एवं पुल। नेहरू पार्क से ताज हैड तक जो ओवर ब्रिज बन रहा है उसका काम जल्दी से पूरा किया जाए, काफी काम हो गया, मेरे ख्याल से 90 परसेंट हो गया 10 परसेंट पूरा कर दे ताकि यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी सरकार कि हमने यह कार्य कर दिया और जोधपुर की जो हमेशा बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ होती थी, जाम हो जाता था, वह नहीं होगा। वैसे ऐलीवेटेड फ्लाई ओवर राजबाग से पावटा चौराहे तक बनेगा।

जोधपुर-बर मार्ग पर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करें, नितिन गड़करीजी और सीएम साहब ने शिलान्यास किया था, मैं दो दिन पहले उधर से निकला था तो वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। यह काम जितना जल्दी से शुरू होगा, कम से कम आधा से पौन घंटा जोधपुर-बर का जो राजमार्ग है उसमें बड़ी लोगों के समय की बचत होगी, डीजल भी बचेगा और समय आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है।

(श्री कैलाश भंसाली)

माननीय सभापति महोदय, विशेष निवेदन है कि जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसमें सीसी रोड जो बनती है उसमें जो माल डाला जाता है वह तीन इंच का होता है उसको कम से कम छह इंच डाला जाए ताकि मजबूत सड़क बने और यातायात आसान हो सके।

इसी प्रकार से, आपके जो भी सड़कें बनाई जा रही हैं, इनकी गुणवत्ता की गारंटी ली जाए, जो ठेकेदार काम ठीक नहीं करता है उसको आगे से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि लोगों ने बहत घटिया काम किया लेकिन किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया, न ही ब्लैक लिस्ट किया गया। ऐसे ठेकेदारों को पुन: काम नहीं दिया जाए। इसकी विशेष आपको सभी अथोरिटीज जेडीए, नगर निगम को नाम दिए जाएं।

पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि उनकी भी सड़कें कोई अच्छी नहीं बन रही है जबकि हम तो यह मानते थे कि पीडब्ल्यूडी का निर्माण अच्छे किस्म का होता है। क्वालिटी का होता है, परन्तु उसमें भी ढिलाई आ गयी है, इसको भी चैक किया जाए, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है।

जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, 15 लाख लोगों की आबादी है, लेकिन सुविधाओं के लिहाज से हम सबसे पिछड़े हुए हैं। आम आदमी में यह बात हो रही है कि इस बार मैडम ने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया जैसा पिछली बार गौरव पथ का जो निर्माण किया था, आज सभी मैडम को याद करते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया।

एयरपोर्ट सर्किल से शास्त्री नगर सर्किल तक बहुत बढ़िया रोड बनी। आज एक विशेष बात निवेदन है कि जब तक पानी के निकास की व्यवस्था न की जाय, शास्त्री नगर पर हमेशा बारिश होती है, एक ईंच बारिश हो जाती है तो 8-8 घंटे रास्ता रुक जाता है। पानी का भराव ऊपर से होता है और नीचे पानी आ जाता है। नीचे इतने खड्डे हो गये हैं कि अस्पताल जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। एमडीएम अस्पताल उसी रास्ते में है। शहर का आधा ट्रैफिक हाउसिंग बोर्ड से आता है, उसको जाने के लिए भी वही रास्ता है। मेरा निवेदन है कि सारे शहर में जितनी भी सड़कें आप

(श्री कैलाश भंसाली)

बनाएं उनमें नालियां साथ में बनाएं। आजादी के पहले जो निर्माण हुआ है उसकी सड़कें आज भी कायम हैं, उनके पानी की निकासी की सुव्यवस्था है।

उसके साथ जोधपुर का जल स्तर बढ़ रहा है। इसके लिए मैंने कहा है कि जल संसाधन मंत्री साहब नये नलकूपों की घोषणा करें, परन्तु ऐसा नहीं हुआ है।

बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम जोधपुर को अच्छा शहर बनाएं। अभी भाई साहब ने कहा कि आपने इसको स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए हमारा पूरा दावा था वह पूरा नहीं हो पाया। वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अमृत कलश योजना में जरूर हमें कुछ रुपये दिये गये हैं, लेकिन उसका भी अभी भुगतान नहीं हुआ है।

जयनारायण विश्वविद्यालय से नाला निकलने वाला है उसको हमने सिंडीकेट में पास कर दिया है, वह जल्दी बनाया जाय। उसमें लीज पर एसी मार्केट बनाने की परमिशन देंगे तो जयनारायण विश्वविद्यालय की स्थिति अच्छी हो जाएगी। एक हजार करोड़ रुपये का फण्ड पेंशन के लिए हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नाले का निर्माण भी होना चाहिए।

एक निवेदन और है। भदवासा चौराहा से लेकर एयरपोर्ट तक बनाड़ तक का फ्लाई ओवर बन रहा है उसका काम छह महीने से बंद पड़ा है। इसको पुन: प्रारंभ कराकर जल्दी से इस ओवर ब्रिज को बनाया जाए। इसके कारण से लोगों को आने-जाने में बहुत असुविधा हो रही है। बनाड़ से सारे रास्ते जाते हैं चाहे जयपुर जाओ, बिलाड़ा जाओ, सब रास्ते उधर से निकलते हैं। यह मेरा विशेष निवेदन है।

एक निवेदन और है। जोधपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की ओडीएफ योजना में जल्दी से जल्दी जोधपुर मार्च, 2017 तक आ जाएगा, परन्तु उसमें भी जो शिथिलता आयी है उसको भी दूर किया जाए।

एक और विशेष निवेदन है। जोधपुर का विकास हो उसके लिए जितनी भी धरोहर हैं उनके रख-रखाव का काम सरकार अपने हाथ में ले। बाई जी के तालाब को एक अच्छा एयरकंडीशंड मार्केट दें और भ्रमण पट्टी भी दें

(श्री कैलाश भंसाली)

क्योंकि शहर के बीच में कोई ऐसा स्थल नहीं है। राजहंस मंदिर पर लिफ्ट लगाने के काम की अभी तक सरकार ने घोषणा नहीं की, उसकी भी घोषणा करें।

इसके साथ-साथ कुंजबिहारी जी का मंदिर, अचलनाथ मंदिर हमारी धरोहर है। घनश्याम जी मंदिर सवा सौ साल पुराना मंदिर है, लेकिन उसके आसपास की सड़कें खराब हैं। लाइट की व्यवस्था अब थोड़ी ठीक हो गई है, लेकिन दूसरी नहीं हुई है। बास कृष्णदास की हवेली एक पूजनीय स्थल है उसमें भी सरकार अच्छी सहायता दे। पुजारियों को भुगतान करे, राजभोग के लिए सामग्री का पैसा महंगाई बढ गयी है उस हिसाब से बढ़ायी जाय ताकि राजभोग का आनन्द सब ले सकें।

ऐसे ही राणीसर, पदमसर में पानी की निकासी की समस्या है। हमेशा जब बारिश आती है तो नाला आ जाता है। 2-2 फीट, जालौरी गेट तक लोगों को जाने में तकलीफ होती है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पूरा करें।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): इन सब नालों की सफाई करायी जाय। नाले साफ कराने से काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विशेषकर शिवांशी गेट तक जालौरी गेट तक नाले की सफाई की जाय।

आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गौतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19, 20 और 21 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कार्यकाल के चारों बजट में जिस प्रकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए, मरम्मत के लिए, नवीनीकरण के लिए जिस प्रकार से बजट उपलब्ध कराया और पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा है वह अपने सबके सामने है।

(श्री गोतम कुमार)

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में जो दो महत्वपूर्ण सड़कें थीं, चाहे मंगलवाड़ से बड़ी सादड़ी तक की सड़क हो, चाहे होड़ा चौराहे से लगाकर बानसी तक की सड़क हो, ये दोनों सड़कें लगभग 125 किलोमीटर लम्बी थीं, इन दोनों सड़कों के लिए लगभग 140 करोड़ का बजट स्वीकृत कर, खाली घोषणा नहीं की, बजट स्वीकृति की। बजट स्वीकृत करके उन सड़कों का निर्माण कार्य लगभग 90 परसेंट पूरा हो चुका है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का, आदरणीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हमारे विधान सभा क्षेत्र की थीं उसके लिए इतना बड़ा बजट हमारे लिए स्वीकृत कराया उसके लिए तो उनका धन्यवाद है।

मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में प्रतापगढ़ क्षेत्र भी आता है, उस प्रतापगढ़ क्षेत्र में पहाड़ी होने की वजह से खूब सारे नदी-नाले हैं, उन नदी-नालों की वजह से बारिश के दिनों में जो पुलियाएं बनी हैं वे काफी छोटी बनी हैं। इनमें से एक पुलिया है सरीपीपली से ऊंटाखेड़ा के बीच जो पुलिया है, बारिश के दिनों में उस पुलिया पर 7-7, 8-8 दिन पानी नीचे नहीं आता है और सरीपीपली अपने आपमें एक पूरी पंचायत है। वहां लगभग 5 हजार लोग निवास करते हैं। उस नदी का 8-8, 10-10 दिन तक पानी नीचे नहीं आता है। तब तक वे लोग पूरी शेष दुनिया से कट जाते हैं। उनके लिए उस छोटी पुलिया को बड़ा करेंगे, 15-15 दिन तक ऐसी स्थिति रही है, 15 दिन तक स्वास्थ्य सुविधा या किसी भी तरह की सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि महत्वपूर्ण सरीपीपली से ऊंटाखेड़ा की पुलिया है, लगातार दो बजट से हर बार के बजट में आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस बार इस बजट में शाम को जवाब दें तो इसकी स्वीकृति की घोषणा करें।

इसी तरह से काजली से कनकटी के बीच में, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, रेतम नदी पर यह पुलिया है, यहां पुलिया नहीं होने की वजह से लगभग 50 गांवों के लोग जो पिपलिया वगैरह या एमपी में जाना चाहते हैं, एमपी

(श्री गोतम कुमार)

के लोग राजस्थान में आना चाहते हैं, प्रतापगढ़ भी बड़ी मण्डी है, पिपलिया भी बड़ी मण्डी है। कुछ लोग कुछ अनाज इधर लेकर आते हैं, कुछ लोग अनाज उधर लेकर जाते हैं। वहां पुलिया नहीं होने की वजह से 40-40, 50-50 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, ऐसे में वहां पुलिया स्वीकृत हो जाएगा तो निश्चित रूप से 50 गांवों के लोगों को राहत मिलेगी। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि कनकटी से काजली खेड़ा तक की पुलिया है उसके लिए अगर स्वीकृति हो जाएगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 75 पंचायतें हैं, उसमें कुछ क्षेत्र हमारा प्रतापगढ़ में है। कुछ बड़ी सादड़ी और डूमला में स्थित है। अधिकतर गांव पहाड़ी होने की वजह से कई-कई गांवों में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, एक पंचायत क्षेत्र से दूसरे पंचायत क्षेत्र में जाने के लिए अगर वहां मिसिंग लिंक सड़क हो तो आदमी थोड़ी कम कनेक्टिविटी की वजह से भी आराम से वहां आ जा सकता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले साल हमारे सांगरिया से कचूमरा जो दोनों पंचायत मुख्यालय हैं उनके बीच में एक तीन किलोमीटर की मिसिंग लिंक सड़क स्वीकृत की थी, वो तीन किलोमीटर की सड़क अब बन भी चुकी है और लगभग 8 पंचायतों के हजारों लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। उसी सांगरिया से कचूमरा जाने के लिए लगभग 17-18 किलोमीटर हमें चलना पड़ता था और आज वो तीन किलोमीटर मात्र की सड़क बनने से जो 12-13 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर है वो कम हो गया है। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले वर्ष मिसिंग लिंक दी थी लेकिन 75 पंचायतों को देखते हुए, लगभग 450 गांव हमारे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं उनको देखते हुए इस बार मैंने कुछ प्रस्ताव उनको दिये हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि उन मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्ताव स्वीकृत कर निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को आप राहत प्रदान करें।

इसी तरह से मांग संख्या 20 लोक निर्माण कार्य की है उसमें भी हमारे मंगलवाड़ से जयपुर तक जो फोरलेन सड़क आती है इस पर मंगलवाड़ चौराहा स्थित है और उस मंगलवाड़ चौराहे पर अगर कोई डाक बंगला

(श्री गोतम कुमार)

स्वीकृत होगा तो वहां से 80-80 किलोमीटर तक कोई रुकने की जगह नहीं है, तो वहां अगर डाक बंगला होगा तो आने जाने वाले अतिथियों को अच्छी रुकने की सुविधा मिलेगी। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि वहां पर भी मंगलवाड़ चौराहे पर अगर एक डाक बंगले की स्वीकृति हो जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले यात्रियों को उसकी सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ जिले को जोड़ने वाली निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़ सड़क जो एन.एच. 113 पर स्थित है, पिछले वर्ष उस पर निर्माण पूरा हुआ था और निर्माण पूरा होने के बाद में उस पर टोल भी चालू हो गया लेकिन सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उस पर टोल तो प्रारम्भ हो गया लेकिन कई जगह, ऐसा बताते हैं कि कई किलोमीटर वन विभाग की सहमति नहीं मिली इस वजह से वहां निर्माण कार्य अधूरा छोड़ रखा है। वो निर्माण कार्य उन्होंने अधूरा छोड़ रखा है जो कई किलोमीटर का है और उन किलोमीटर पर न तो पेचवर्क हो रहा है, न उनका नवीनीकरण किया जा रहा है और वो यथास्थिति में ही कितने ही सालों से पड़े हुए हैं। वो सड़क जो अधूरी पड़ी हुई है उसकी वैसी ही स्थिति है और जो निर्माण कार्य निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़ तक की सड़क का हुआ है, पिछली सरकार में बड़े यहां के राजनेता भी रहे हैं, उनकी कम्पनी द्वारा उस सड़क का निर्माण किया गया था। आदरणीय मुख्य मंत्री जी वहां उसका दौरा भी किया था। तब उसकी काफी शिकायतें पाई गई थीं। उस समय उनका काम भी रुकवाया गया था लेकिन फिर भी जो सड़क बन गई थी उसमें कई सारी तकनीकी खामियां रह गई थीं। जिस तरह से तकनीकी खामियों की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं हुईं और उनमें सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए हैं तथा काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वो जो प्रतापगढ़ से निम्बाहेड़ा एन.एच. 113 पर स्थित रोड बनाई है उसकी तकनीकी खामियां हैं उनको भी दूर किया जाए। वन विभाग से अगर परमिशन लेनी हो तो उनसे परमिशन लेकर वो जो अधूरी सड़क है उसको भी पूरा करवाया जाए। जिस तरह से वहां पर टोल वसूली की जा रही है और जो लोग वहां से गुजरते हैं, इतने खड्डों में से वो लोग निकलते हैं और इतने एक्सीडेंट

(श्री गोतम कुमार)

होते हुए देखते हैं तो लोग यह कहते हैं कि टोल वसूली के साथ हमारे साथ में जिस तरह से अन्याय हो रहा है उस अन्याय को देखते हुए निश्चित रूप से उस सड़क का निर्माण करके, उसकी तकनीकी खामियों को दूर करके जनता को राहत प्रदान करें।

इसी तरह से हमारे आरएसआरडीसी के द्वारा मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा रोड का निर्माण करवाया गया था और उस पर भी कई सालों से टोल की वसूली की जा रही है। इस पर एक चिकारड़ा का बाइपास स्वीकृत था लेकिन उस समय वो बनाया नहीं गया था। पिछली बार सार्वजनिक निर्माण मंत्री भरत सिंह जी थे तो उन्होंने उस समय वहां का दौरा भी किया और लोगों को यह कहा कि वहां बाइपास की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार जब मंत्री जी निम्बाहेड़ा में उद्घाटन करने पधारे थे तब उन्होंने वहां की स्थिति देखी थी और जिस तरह से वहां 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जाम लगा रहता है वह देखकर उस समय आदरणीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वहां बाइपास का निर्माण होगा। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वो आरएसआरडीसी की निम्बाहेड़ा से मंगलवाड़ 40 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है उसमें 8 करोड़ का बजट भी प्रस्तावित कर रखा है, बजट अभी तक पड़ा हुआ है जिससे सड़क के लिए राशि की भी जरूरत नहीं है। इसलिए उस पर शीघ्र बाइपास का निर्माण करें। अगर उस पर बाइपास का निर्माण हो जाएगा तो उस पूरे क्षेत्र में चिकारड़ा और मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा जाने वाले जो लोग है उनको राहत मिलेगी।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मंत्री जी अब पधारे हैं तो उनको एक बार पुन: धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने हमारे क्षेत्र जो महत्वपूर्ण सड़कें बनाईं उनके लिए तो धन्यवाद, पर एक जो हमारी महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक सड़क की मांग है उसको अगर आप ध्यान में रखकर शीघ्र ही जो 2-3 मांगें जो हमने रखी हैं उनको अगर आप पूरा करायेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी।

मैं ज्यादा न कहता हुआ एक बार पुन: मंत्री जी को, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 20 और 21 पर आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका आभार। सभापति महोदय, सरकार ने 3 वर्षों में सड़क के क्षेत्र में 20822 करोड़ रुपये का कार्य किया जबकि गत सरकार ने तीन वर्षों में मात्र 9157 करोड़ रुपये ही खर्च किये थे। हमारी सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ, मिसिंग लिंक, नॉन पैचेबल सड़कें, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्टेट हाइवे, सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है।

इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी में माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर युनुस खान साहब ने बूंदी से बिजौलिया की 50 किलोमीटर की सड़क दी जिसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन मेरे यहां जो मुख्य समस्या है वो बूंदी से नैनवां बाइपास की है क्योंकि बूंदी की 40 प्रतिशत आबादी नैनवां रोड पर रहती है और बूंदी से खटकड़, देई, नैनवां, लाखेरी, इन्द्रगढ़, सवाई माधोपुर जाने के लिए शहर के अन्दर से ही निकलना पड़ता है जिसकी वजह से रोज दुर्घटनाएं होती हैं। लाखेरी में ए.सी.सी. की सीमेंट फैक्ट्री है, उसके भी ट्रोले रोज वहां जाते हैं जिससे डेली एक्सीडेंट होते हैं। अब जो नई कृषि मण्डी बूंदी में बनी है जो अप्रैल में शिफ्ट हो जाएगी वो भी उसी एरिया में है, जिसकी वजह ट्रैक्टर ट्रोलियां का ट्रैफिक भी इतना बढ़ जाएगा कि वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बूंदी से नैनवां बाइपास जो मात्र साढ़े दस किलोमीटर का है, इसकी आज ही स्वीकृति की घोषणा करेंगे तो बूंदी की जनता इनका बहुत आभार प्रकट करेगी।

दूसरा, मेरे राजपुरा पंचायत के गुढ़ा गांव में ऐरू नदी पर एक पुलिया बनी हुई थी जो पिछले 4-5 साल से टूट गई। बच्चों के स्कूल जाने का वही रास्ता है, नदी के अन्दर से बच्चे निकलते हैं जिसकी वजह से पिछले तीन साल में छोटे-छोटे चार बच्चों की दुर्घटना में मौत हो गई। वो उसी में से निकलते हैं और पानी का पता नहीं लगता, क्योंकि वो माइनिंग एरिया है और लोग खानों से पानी तोड़ते हैं तो उस नदी में ही आता है। वो एक करोड़ से भी कम लागत की पुलिया है और उसको भी यदि मंत्री जी बनवा देंगे तो जनता को काफी राहत मिलेगी।

(श्री अशोक डोगरा)

उसके अलावा ग्राम अलकोदिया जो गुमानपुरा पंचायत में है, वहां वर्षों पहले पंचायती राज से एक पुलिया बनी थी जो टूट गई है। अब उसमें दिक्कत यह है कि गांव तो एक तरफ है और पुलिया के पार खेत है जिससे 25 किलोमीटर का चक्कर लगाकर लोगों को वहां जाना पड़ता है। उससे भी बहुत असुविधा हो रही है।

दूसरा, मेरे लक्ष्मीपुरा पंचायत में एक भवानीपुरा गांव है जिसमें आज से डेढ़ साल पहले प्रधान मंत्री सड़क योजना में रोड सैंक्शन हुई थी लेकिन उधर माइनिंग एरिया पड़ता है जिससे वहां डामर रोड चल नहीं सकती। इसलिए सी.सी. रोड के प्रस्ताव बनाकर डेढ़ साल से भेजे हुए हैं। तो उनकी भी सैंक्शन निकलवाए माननीय मंत्री महोदय।.....

दूसरा बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। बरसात के दिनों में वहां जो श्रद्धालु हैं, उनके आने-जाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं तो यह चाहूंगा मंत्री महोदय से, सभी विधान सभा क्षेत्रों के लिए कम से कम पाँच किलोमीटर की धार्मिक सड़कों की भी घोषणा करें।

बूंदी में डाबी एक कस्बा है जो 14 पंचायतों का मुख्यालय है, खनन क्षेत्र है। बूंदी शहर से उसकी दूरी 55 किलोमीटर है। वहां कोई डाक बंगला नहीं है। यदि वहां एक डाक बंगला बन जाये तो उससे भी, जो भी सरकारी अधिकारी वगैरह आते हैं, जन प्रतिनिधिगण आते हैं, सबको रुकने के लिए दिक्कत आती है, उन्हें भी सुविधा मिलेगी।

बूंदी में पिछले 25 साल से हाउसिंग बोर्ड की कोई भी कालोनी नहीं बनी हुई है। उसकी वजह से मकानों के, प्लाटों के रेट खूब बढ़ गये हैं। हाउसिंग बोर्ड ने करीब 15-20 साल पहले कुछ जमीन अधिगृहीत भी नहीं की, खाली नगर पालिका को लिखकर दे दिया कि इस-इस खसरा नम्बर के लैण्ड यूज चैंज नहीं किये जायें। ना तो वहां कालोनी बनाई और उस जमीन को फ्री भी किया नहीं और जमीन भी अधिगृहीत नहीं की, जमीन मालिकों को कोई नोटिस भी नहीं दिये। अब वह जनता परेशान हो रही है। उनको लैण्ड यूज के लिए नगर पालिका में जाते हैं तो नगर पालिका बताती है कि साहब, यह तो हाउसिंग बोर्ड ने लैटर दे रखा है। नगर पालिका की तरफ से हाउसिंग बोर्ड में चार-पांच बार पत्र लिख दिया कि या तो आप इस पर बनाए या

(श्री अशोक डोगरा)

इसको फ्री करें लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब भी नहीं आ रहा। उसको भी क्लियर कराए।

अंत में मैं माननीय हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान साहब से निवेदन करता हूं कि बूंदी-नैनवां बाइपास की आज ही घोषणा करेंगे तो बूंदी की पूरी जनता आपका आभार प्रकट करेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: डॉक्टर राजकुमार शर्मा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं, क्योंकि सभी सदस्यों ने धन्यवाद दिया है। तो उनको सबको उम्मीदें हैं तो मैं सोचता हूं कि मैं भी धन्यवाद से अपनी बात शुरू करूं।

नागौर से डीडवाना होते हुए और मुकुन्दगढ़ तक आपने रोड का शिलान्यास किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने डीडवाना को नवलगढ़ से जोड़ तो दिया है मुकुन्दगढ़ तक आपने, वह विधान सभा क्षेत्र एक ही हो गया, तो अब मैं सोच रहा हूं कि अब डीडवाना से विकास हमारी तरफ आ जाएगा।

अभी जितने भी मेरे साथी बोले हैं पक्ष और विपक्ष के, उन्होंने सब लोगों ने संदेह व्यक्त किया है आपके एक नम्बर होने पर, फिर भी आपने उनको सब कुछ दिया है। मैंने तो कभी संदेह भी नहीं किया कि आप एक नम्बर नहीं हैं, मैंने तो हमेशा कहा है कि आप एक नम्बर हैं, फिर भी मेरे साथ, मेरे नवलगढ़ के साथ इतनी बेरुखी क्यों? मैंने ग्रामीण गौरव पथ के लिए भी आपको कहा, मिसिंग लिंक के लिए भी कहा।

झुंझुनूं जिला, मंत्री महोदय, आपका खूब वहां पर आना जाना है। झुंझुनूं जिला, तीन-तीन देवियों की उस पर कृपा है। वह सरस्वती की भी है, दुर्गा की भी है और लक्ष्मी की भी है। आज पूरे देश-विदेश के अंदर झुंझुनूं जिले के अगर लक्ष्मीपुत्रों को अगर निकाल दिया जाये तो क्या बच जाता है, आप समझ सकते हैं। वीर भूमि इसलिए है कि शहीदों की सबसे ज्यादा अगर वीर

(डॉ. राजकुमार शर्मा)

भूमि मानी जाती है तो झुंझुनूं मानी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर शिक्षा नगरी, एजुकेशन के अंदर झुंझुनूं जिला उस जमाने से अग्रणी है कि पूरे राजस्थान के अंदर, ट्राइबल एरिया से लेकर उन इलाकों तक शिक्षा देने का काम हमारे वहां के बेटे-बेटियां करती हैं जो पूरा राजस्थान जानता है।

आज एक भी फ्लाईओवर हमारे झुंझुनूं के अंदर नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जब झुंझुनूं जाते हो तो पुलिस लाइन के सामने एक ही रेलवे क्रोसिंग है, उस पर आप फ्लाईओवर बनाओगे।

मण्डावा पर्यटन की दृष्टि से हमारा बहुत अच्छा एक कस्बा है तो मुकुन्दगढ़ से मण्डावा होते हुए बिसाऊ तक वह डबल रोड आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे, यह मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि मण्डावा को पूरे देश में ही नहीं, पूरे संसार के मानचित्र के ऊपर अच्छे रूप में देखा जाता है। जितने टूरिस्ट आते हैं वहां..

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जवाब तक रुकोगे न?

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): जवाब तक मैं रूकूंगा, भाई साहब। मैं तो उम्मीद के साथ बैठा हूं, आपका धन्यवाद इसीलिए तो कर रहा हूं।

झुंझुनूं प्रोपर शहर की बात मैं करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, जैसे ही झुंझुनूं पहुंचोगे, वहां से बगड़ की तरफ आप अगर जाओगे तो उस रास्ते के अंदर इतने खड्डे हैं कि पूरा झुंझुनूं, व्यापारी सहित पूरी जनता ने आंदोलन खड़ा कर रखा है और पिछले वीक के अंदर, पूरा झुंझुनूं बंद रहा है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप झुंझुनूं के ऊपर विशेष कृपा रखें।

मैं नवलगढ़ के लिए कहूंगा, क्योंकि ग्रामीण गौरव पथ से आपने वंचित किया है, हमारे यहां 40 पंचायतें हैं मंत्री महोदय, परसरामपुरा, मोहनवाड़ी, डूमरा, कोलसिया, नवलड़ी, चिराना, लोहार्गल, ढाका की ढाणी, ढेवा की ढाणी, गोठड़ा, झाझड़, पुजारी की ढाणी, सांगासी मांडासी, बाय, बिरोल, बड़वासी, घोड़ीवारा, पबाना, कुमावास, चेलासी, देवपुरा बणी, जेजूसर, तोगड़ा कलां, सोटवारा, देवगांव नुंआ, राणासर, कसेरू, खिरोड़, निवाई, कारी, जाखल, बुगाला, बागोरियों की ढाणी, टोडपुरा। माननीय सभापति महोदय और मंत्री

(डॉ. राजकुमार शर्मा)

महोदय, आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 40 पंचायतें हैं और 40 में से मैंने 37 के नाम आपको गिना दिये। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि सबको 20-20, 30-30 ग्रामीण गौरव पथ पांती आ गये और नवलगढ़ को आपने तीन या चार गौरव पथ मुश्किल से दिये हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब जवाब देंगे, जवाब तक आपका इंतजार करेंगे और ऐसा इंतजार करेंगे कि बारिश का जिस प्रकार से किसान इंतजार करता है।

मिसिंग लिंक के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मिसिंग लिंक आपने हमें कुछ भी नहीं दी है। उम्मीद है कि रिप्लाई के अंदर आप निश्चित रूप से इनके बारे में बोलेंगे। सब लोगों ने कहा है तो मैं भी एक सदस्य होने के नाते आपसे मांग करता हूं कि बिरोल से निक्कूदास की बगीची होते हुए झाझू रोड तक एक मिसिंग लिंक का निर्माण आप करवा दें। कोलसिया से कारी, निवाई से कुमावास, बसावा से धरमाणा होते हुए सीकर सीमा तक, पुजारी की ढाणी से कोलसिया, जेजूसर से देलसर और डाबडी से देलसर, डूमरा से कसेरू, खिरोड़ से सीकर सीमा तक, सीकर से हम लोग जब खिरोड़ के अंदर प्रवेश करते हैं, नवलगढ़ सीमा में प्रवेश करते हैं, झुंझुनूं जिला सीमा में प्रवेश करते हैं तो अंदाजा लग जाता है कि हम किस प्रकार से झुंझुनूं के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो वह थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, दो किलोमीटर का ही है, उसको आप डबल रोड बनायेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।

नवलड़ी से धरमाणा होते हुए ऐमन की ढाणी तक, जाखल से बल्लू खेदड़ की ढाणी होते हुए भोड़की सीमा तक, कैरू से कुमावास, क्योंकि भोड़की तक, हमारे उदयपुरवाटी के आने वाले माननीय सदस्य ने जोड़ दी है, तो वह थोड़ा सा एक जगह बाकी है, उसमें आप जोड़ेंगे। कैरू से कुमावास, चेलासी से चेलासी ढहर जो राजस्व ग्राम है माननीय सभापति महोदय, वह अभी भी वंचित है। चिराना से बागोरिया की ढाणी, ढिगाल से स्वामी की ढाणी, सोटवारा से जेजूसर, बाय से पुजारी की ढाणी, उदयपुरवाटी रोड से नोहरा किरोड़ी तक और नवलगढ़ झुंझुनूं रोड से माताजी की ढाणी, ये कुछ गिनती की सड़कें हैं माननीय मंत्री महोदय। 51 किलो की माला आपको पहनाऊंगा, यह मेरा वादा है। आप अपने मुखारबिंद से नवलगढ़ के साथ में यह जो थोड़ा सा भेदभाव हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है आप जिस प्रकार से मुस्कुरा

(डॉ. राजकुमार शर्मा)

रहे हो आप हमें नाउम्मीद नहीं करोगे। (व्यवधान) 101 किलो, डन, भाई साहब, 101 किलो की माला उनको पहनाएंगे क्योंकि नवलगढ़ के अंदर फूलों की खेती बहुत होती है और आज ही हमने नवलगढ़ का चेयरमैन बनाया है, वह फूलों का व्यापार करने वाला हमारा सैनी समाज का कार्यकर्ता है, इसलिए आपको 101 किलो की माला पहनाएंगे, वादा करता हूं आपसे। कुछ रोड्स हैं जो क्षतिग्रस्त हैं मंत्री महोदय। आप डूंडलोद फाटक से नवलड़ी तक...

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): राजकुमारजी पर राज़ी हैं मंत्री जी, यह बात सही है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): बाऊजी का आशीर्वाद है।

डूंडलोद फाटक से आप जब मुकुन्दगढ़ की और डीडवाना की तरफ जाओगे मंत्री महोदय तो डूंडलोद फाटक से नवलड़ी की तरफ आप जाते हो, वहां पर इतनी स्कूलें हैं, इतने बच्चे वहां से आते हैं, रोजाना वहां पर एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। वह क्षतिग्रस्त सड़क है। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि डूंडलोद फाटक से नवलड़ी की रोड, मुकुन्दगढ़ से लक्ष्मणगढ़ की सीमा तक, ये रोड्स बनी हुई हैं लेकिन क्षतिग्रस्त हैं, उनका जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। डूमरा से देलसर तोगड़ा वाली रोड एकदम क्षतिग्रस्त है। तोगड़ा से डाबड़ी, झाझड़ से परसरामपुरा से उदयपुरवाटी, झाझड़ तक डबल रोड है, उधर उदयपुरवाटी से धोला खेड़ा तक डबल रोड है, बीच में ये मात्र 15 किलोमीटर का एक पेच है जो सिंगल रोड तो बनी हुई है, वह क्षतिग्रस्त है। अगर आप उसको डबल रोड बनाएंगे तो वहां के आने-जाने वाले हजारों-लाखों लोगों को उसका फायदा मिलेगा। खिरोड़ से दादिया सीमा तक, खिरोड़ से कैमरी की ढाणी होते हुए सीकर सीमा तक, ये ऐसी सड़कें हैं, अभी हालत तो उनकी खराब है। मैं आपसे निवेदन यही करना चाहता हूं कि आप हमें निश्चित रूप से फायदा देंगे, जनता को देंगे, जनता आपकी है।

मंत्री महोदय, बीच में जब बजट के अंदर बहस हो रही थी, उस समय सभी सदस्यों ने एक मांग की थी, हम भी कर रहे हैं कि जब महाराष्ट्र सरकार एक मई से पूरे प्रदेश को टोल मुक्त कर रही है, एक भी टोल नाका नहीं होगा तो ऐसी हिम्मत तो आप तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, सबको उम्मीद है। अगर पूरे राजस्थान को भी टोल मुक्त नहीं कर सकते तो कम से कम

(डॉ. राजकुमार शर्मा)
जो छोटे साधन हैं, छोटी जो कारें हैं, जो कार खरीदते हैं कोई उपभोक्ता तो उस समय आप उन पर टैक्स ज्यादा लगा दीजिये, टैक्स वैसे ही बहुत ज्यादा लगा रखे हैं लेकिन थोड़ा पैसा उस समय बढ़ाकर, उसको न्याय दिलाइये और महाराष्ट्र सरकार जो फैसला ले रही है तो ऐसा आप भी फैसला ले सकते हैं क्योंकि केन्द्र में और राज्य तक कड़ी से कड़ी आप लोगों की जुड़ी हुई है...

तो हम उम्मीद कर सकते हैं, राजस्थान की जनता कि टोल मुक्त राजस्थान होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): राजकुमार जी। माननीय मंत्री महोदय, उस टोल से तो मुक्ति जरूर दिला देना, जिससे अपन तीनों पीड़ित हैं।

(18.00 बजे)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को पता है आप, मैं और तीनों, अपन तीनों ने बहुत सम्मान लिया है उस टोल रोड से। अपन तीनों ने बहुत सम्मान लिया है तो उस टोल से तो वास्तव में मुक्ति दिलानी चाहिए वरना फिर आप यह मत कहना कि आप सदन के अन्दर बैठने वाले लोग, क्योंकि रामलाल जी भी यूनिवर्सिटी के महासचिव रहे हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूं, आप कॉलेज छात्र जीवन से आये हैं तो फिर या तो हमें भूलना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे सार्वजनिक जीवन में हैं कि वहां पर कानून को तोड़ने का काम नहीं करें। लेकिन, आप भी जानते हो कि ये टोलकर्मी जो हैं वो माननीय सदस्यों के साथ, माननीय सभापति महोदय, आप भी ऐसी चीजों से रूबरू हुए होंगे, कई बार वो कार्ड हम देते हैं तो कार्ड देख कर कहते हैं कि कौन है, बोले कोई 14वीं विधान सभा का सदस्य बता रहा है अपने आपको। बोले नाम बता इसका, बोले नाम तो वो है, बोले जाने दे इसको, क्या याद रखेगा ये। उसको ये ही नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन अगर हमारा कांस्टेबल आगे बैठा है, हमारा सिपाही आगे बैठा है, उस सिपाही को अपना कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं है उसकी टोपी ही दिख जाएगी उसको तो फटाफट बैरीकेड हटा कर कहेगा कि वीआईपी लेन से जाओ। तो, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब अपने कार्ड को देख कर वो, और सब रूबरू हुए होंगे, मैं अकेला ही नहीं, आप सबको लग रहा होगा,

(डॉ. राजकुमार शर्मा)

सिर्फ उस जगह को छोड़ दो जहां पर अपन रोजाना आते-जाते हैं वहां तो सब लोग परिचित हैं, लेकिन अगर अपन राजस्थान के अन्दर, मैं राजस्थान के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं राजस्थान के अन्दर ही...।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य, कभी-कभी तो वो एटीएम का कार्ड बताते हैं उस आईडेंटिटी कार्ड को।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): तो ये सब माननीय सदस्यों की पीड़ा है माननीय मंत्री महोदय, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता बस उम्मीद आपसे कर सकता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि डीड़वाना से आपने मुकुंदगढ़ जोड़ा है तो ये सड़कें वहां तक लाकर हमें दे दोगे आप छोटे भाई को तो आने वाले समय उसका ऋण वापस ब्याज सहित चुकायेंगे यह वादा आपसे करते हैं सदन के अन्दर। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-19, 20 एवं 21 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार में जो भी रोड्स का काम हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र आबू पिण्डवाड़ा में सम्पर्क सड़क में कई सारी नयी रोड्स पास हुई हैं और काम चालू है। पहले भी हमारी सरकार में रोड्स बनी हैं और विपक्ष में पहले पाँच साल में ये जो सरकार चली थी इसमें एक भी कोई रोड का काम नया न तो शुरू हुआ था और जो ये रिपेयरिंग का काम भी किसी रोड का नहीं किया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मंत्री महोदय जी को कि कम से कम हमारे पिण्डवाड़ा आबू में इतने सारे रोड्स दिये हैं। एक मैंने इनको पुल के निर्माण का काम भी बताया था वो 2 करोड़ 76 लाख का था वह भी पूर्ण हो गया है। जब भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो काफी सारे पुलों का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार से पूर्व में भी हमारी 2003 से 2008 तक की जब सरकार रही थी तो उस समय भी काफी सारी पुलें हुई थी और उसके बाद में हमारे 8-9 ऐसे पुल थे जिन पर एक-एक पुल पर कम से कम पाँच करोड़ से ज्यादा लागत थी उसमें भी 8-9 पुल हमारे आबू पिण्डवाड़ा में हुए

(श्री समाराम गरासिया)

थे। आज मैं मंत्री महोदय को यह भी धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से मेरे से पूर्व रेवदर से आने वाले माननीय विधायक ने बताया था कि पूई, सांगणा और उपलागढ़ ये हमारे दोनों का मिला-जुला क्षेत्र है जो 35 किलोमीटर का रन होता है, मात्र 6 किलोमीटर का रोड है उसको कम से कम अगर कर दिया तो हमारे उपलागढ़ से आबू रोड आने वालों के लिए 35 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर में तय होगी। इसको तो मुझे लगता है शायद आज ही पास करें तो फायदा होगा। हमारी जनता आबू पिण्डवाड़ा की आपका बहुत आभार करेगी। हमारे जो नेशनल हाइवे-14 बना है पूर्व सरकार में 2010-11 में तो उसमें टोल कई बार बंद हो चुका है, उसकी क्वालिटी इतनी बेकार बनाई है और जो सुरंग बनी है, वह बिलकुल हल्की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है तो माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम उसकी जांच करें और जो ये सुरंग बनी है, किस तरह से बनी है और जिसकी साइड रोड भी दी हुई है वो साइड रोड भी नहीं बनाया है। अगर सिरोही से होते हुए उदयपुर जाना है तो सीधे सरूपगंज टोल नाके पर जाकर मालूम करेंगे कि ये तो आबू रोड आ रहा है तो उदयपुर जाने वाले के लिए उसका मतलब सर्किल भी नहीं बनाया गया है, तो कम से कम इसकी तो जांच होनी चाहिए कि पूर्व सरकार ने जिस प्रकार से ये जो सर्किल वगैरह ये जो इसका बजट आया उसका क्या किया और जो जिस प्रकार से साइड रोड्स देनी थी वो भी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि राज्य सरकार के अधीन हमारे एक्सईएन, एसई से बात करते हैं तो इनका सीधा-सीधा जवाब होता है। तो, मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहूंगा कि कम से कम इसकी पूरी जांच करके इसको सही करें, ताकि कोई भी यात्री अपना रास्ता न भटके और उदयपुर जाने वाले सीधे आबू रोड की तरफ न जाएं वो कम से कम बीस किलोमीटर की दूरी है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहूंगा कि अपना एक मोरस टोल नाका है और एक सरूपगंज है उसकी दूरी 20-25 किलोमीटर है, लेकिन टोल दोनों जगहों से लिया जाता है तो कम से कम जो ये उदयपुर से जाने वाले व्यक्ति अगर आबू रोड जाता है तो 25 किलोमीटर पर दो बार टोल कटते हैं तो इनकी भी जांच करके इसको बंद

(श्री समाराम गरासिया)

करवाया जाए और जो छोटे व्हिकल्स हैं जैसे सरूपगंज टोल प्लाजा है वहां पर आधा किलोमीटर की दूरी पर जो स्थानीय लोग हैं उनका भी टोल लगता है, तो कम से कम प्राइवेट गाड़ियों का टोल न लगे यह भी मेरा आपसे निवेदन है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी कहूंगा कि हमारी सरकार में कभी ओवरब्रिज नहीं बने थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र और राज्य में एक साथ बनी तो पहली बार आरओबी के जो दो पुल हमारे यहां स्वीकृत हैं एक तो सिरोही रोड वाला और एक जे.के. लक्ष्मी सीमेंट इनके काम बहुत ही धीमी गति से हैं। काम कभी करते हैं, कभी वापस बंद होते हैं तो सरकार का कम समय रहा है तो कम से कम इनको कह कर के तुरंत प्रभाव से उनको चालू करवाया जाए। नहीं तो ठेकेदार को बदल करके कहीं और भी निकाला जाए। बहुत ही धीमी गति से काम है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा और हमारे जैसे आबू पिण्डवाड़ा के जो पुल बाकी हैं इनमें हमारे भावरी का एक पुल है, एक कोजरा का पुल है और निचलागढ़ आबू रोड़ में करीब आठ पुल और बाकी हैं तो कम से कम इसमें हमारा भावरी, कोजरा और पंचदेवल का तीन पुल का अगर आप हमें दें तो हमारे दस-बारह गांव पड़ते हैं, बारिश के समय में काफी समस्या आती है तो लोगों को आवागमन में कोई दुविधा न हो और वैसे तो हमारी सरकार में जो खूब सारे काम हुए हैं मैं इसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकरलाल शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-19, 20 और 21 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आज सड़क, लोक निर्माण एवं आवास की मांग के ऊपर चर्चा चल रही है और मैं दौसा क्षेत्र से आता हूं जहां से पाँच मंत्री रहे हैं, लेकिन पाँच मंत्री होते हुए भी मेरे एरिया की दशा भी वो ही थी पिछली सरकार में जो नवलगढ़ से आने वाले विधायक अपना व्याख्यान कर रहे हैं। जो इनकी हालत थी वो हमारे दौसा क्षेत्र की थी और इसी हालत में ये हमें संभलाया था, जबकि हमारे यहां से पूर्व मंत्री भी इसी पीडब्ल्यूडी से थे,

(श्री शंकर लाल शर्मा)

लेकिन उसके बावजूद भी हालत आपके और मेरे एरिया के नवलगढ़ वाले विधायक साहब, बराबर ही छोड़ी थी, लेकिन हमारी मुख्य मंत्री जी ने और हमारे मंत्री महोदय ने ...(व्यवधान)... दौसा क्षेत्र में जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया उसके बाद में यह लग रहा है कि आज कुछ बड़ी चीजें इस मांग के आधार पर मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं है। केवल मात्र मैं मुख्य मंत्रीजी का और हमारे मंत्री महोदय जी का आभार ही प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने केवल मात्र तीन साल में 219.15 किलोमीटर लंबाई की 229.50 करोड़ रुपये की सड़कें और कार्य मेरे दौसा क्षेत्र में दिये हैं।

मैं आपके द्वारा हमारे केन्द्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री गडकरी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, आदरणीय गडकरी जी एवं मंत्री महोदय अभी 10 तारीख को दौसा पधारे, उस समय 1665 करोड़ की मनोहरपुरा से कोथून तक फोरवे हाइवे बनाने का शिलान्यास रखा। वह भी दौसा से लालसोट तक कमप्लीट सीसी रोड है। साथ ही पुलियाओं का निर्माण। उसके बाद हमने उनसे कुछ मांगा, हमारे मंत्री महोदय ने दो दिन पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि आपको दौसा में जो भी मांगना है, मांग लीजिए, गडकरी जी से पूर्णत: एलान करवा देंगे। हमारे सोचने से भी ऊपर है, हमारा एमडीआर 48 जो दौसा, गुण्डल, गुढ़ाकटला, बांदीकुई, मण्डावर, कठूमर सड़क वह भी मथुरा तक 150 किलोमीटर एमडीआर 48 सड़क की हम तो केवल चौडाईकरण और मरम्मत के लिये ही मांग रहे थे लेकिन मैं मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने 150 किलोमीटर का नेशनल हाइवे घोषित करके उसका काम जल्दी चालू करवाने का आश्वासन दिया। हमारा स्टेट हाइवे नंबर 2 चाकसू से कोटखावदा, तूंगा, लवाण होते हुए लालसोट हाई वे 11 ए पर आता है, हमने उसकी मरम्मत के लिये कहा और मंत्री महोदय ने उस स्टेट हाइवे नंबर 2 को नेशनल हाइवे में घोषित करवा कर उसमें काम जल्दी चालू करवाने का पूर्णत: आश्वासन दिया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से तीन साल में सड़कों का काम हो रहा है, यह आश्वासन नहीं यह काम होगा। हमने दौसा में 11 ए और 11 लालसोट रोड और आगरा रोड के लिये एक बाइपास की मांग की। आपने साढ़े दस किलोमीटर के उस बाइपास को घोषित करवा कर एनएच के द्वारा ही बनवाने का आश्वासन दिया। यह ऐसे काम हैं जिनको गिनाने के बाद हमारे

(श्री शंकर लाल शर्मा)

पास बड़ा कुछ नहीं बचा।

मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा लेकिन चूंकि आज मांग है, कोई 140 किलोमीटर मांग रहे हैं, कोई 100 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर मांग रहा है। मैं तो केवल मिसिंग लिंक जो गांवों के लिये बची है जैसे लवाण से पूरणवास, जसोता से खुर्री, होदायली से सिंगपुरा, सीतापुरा से खुर्री, चावण्डेडा पाँच दुकान से सैंथल रोड, लवाण रोड से डामर सड़क वाया बुआजी के बाग़, अभयपुरा से टोडावाली, धर्मपुरा से बिशनपुरा, जसोता से बिशनपुरा, मानपुरा से प्यारीवास, यह कुछ ऐसी सड़कें हैं जो मिसिंग लिंक में हो जायेगी तो हमारे पंचायत हैड क्वार्टर से यह सभी गांव जुड़ जायेंगे। आपसे मैं बहुत छोटी मांग कर रहा हूं। दौसा शहर में पहले एनएच 11 और 11 ए, दो हाई वे शहर में से निकलते थे। आपने उसकी मरम्मत और टाइल्स के लिये 6 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब एनएच 11 और 11 ए निकल रहा है और पूर्व में आपने उसमें नालों के निर्माण कराने का आपने आश्वासन दिया था। कुछ नाले तो आपने घोषित कर रखे हैं लेकिन हमारे मुश्किल से एक डेढ़ किलोमीटर के नाले बच रहे हैं। इसी के तहत अगर उन नालों का निर्माण कराना भी घोषित कर देंगे तो हमारे दौसा का कायाकल्प हो जाएगा।

हमारे नगर परिषद की बहुत हालत खराब है, दयनीय हालत है। ऐसे में नगर परिषद के पास पैसे की कमी होने के कारण मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से कुछ रोड है उनको अगर आप बनवा देंगे जिसमें बरकत स्टेच्यू से लालसोट बाईपास, गणेश मंदिर लालसोट से बस स्टैण्ड तक और खादी ग्रामोद्योग से गेटोलाव रोड तक, यह तीन रोड ऐसी हैं जो पीडब्ल्यूडी में आती है। अगर आप इसकी मरम्मतीकरण का कार्य भी कर देंगे तो दौसा शहर में हमारे पास केवल नगर परिषद की जो गलियां हैं, उनके अलावा कोई भी काम ऐसा नहीं बचेगा जिसके लिये हम गर्व से कह सकें कि हमारे यहां कोई काम पीडब्ल्यूडी का बकाया नहीं है।

साथ ही मैं गांवों की कुछ मिसिंग लिंक की मरम्मतीकरण का भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)... नवलगढ़ वालों ने कुछ नहीं करवाया, मैं तो करवा लूं। पांच लाल बत्ती थी फिर भी कुछ नहीं हुआ।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सदस्य, आप बड़े भाई हैं, मैं तो सोच रहा था पहले ऐसे सदस्य मिले जिन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिये, मेरा दौसा चमन हो गया। मैं तो इसलिए आपका भाषण सुन रहा था कि मैं आपके पास जाऊंगा, आप बड़े भाई को लेकर इनके पास जाकर सिफारिश करवा कर नवलगढ़ को भी चमन करवाऊंगा और आपने तो ऐसी लंबी कर दी कि अब तो यह खुद उदास हो गये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय सदस्य छोटे भाई हैं लेकिन पिछली बार जब सरकार थी तब क्यों नहीं करवाया, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा। उस समय थोड़ी कमजोरी यह रही। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दौसा कुण्डल सड़क से लोटवाड़ा लोहसरी तक, कुण्डल से खोहरा खुर्द सड़क, चोपड़ा बालाजी से भूडला भूतपुरा सड़क, भूडला भूतपुरा सड़क से पीपली चैनपुरा सड़क और बनियाना से गिरधरपुरा सड़क, इन सड़कों का थोड़ा मरम्मतीकरण का काम है, इनको भी अगर आप साथ में ले लेंगे तो हमारे यहां दौसा में बहुत बढ़िया काम होगा। चाहे आप मिसिंग लिंक दें या नहीं दें, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा जो आपने दिया। हमारी लवाण पंचायत समिति नई बनी है। आपने पंचायत समिति का पैसा तो दे दिया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नया हूं साहब, पहली बार कुछ मांग रहा हूं। विधान सभा क्षेत्र दौसा में आबकारी भवन तो बनकर तैयार हो गया लेकिन उसका गोदाम नहीं है। साथ ही हमारे लवाण में तहसील भवन नहीं बना। एक तहसील भवन के साथ पुरानी पंचायत समिति भी दौसा शहर में है, जो कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है जो कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। ऐसे में अगर दौसा पंचायत समिति को भी नई बनवा देंगे। साथ ही हमारा महिला थाना खुल तो चुका लेकिन केवल एक कमरे में चल रहा है। अगर महिला थाने की बिल्डिंग भी आप बनवा देंगे तो हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी होगी। साथ ही कोतवाली थाने की भी आजादी से पहले की बिल्डिंग थी जो कि बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में है। उसकी मरम्मतीकरण या नया बनवाने का आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो दौसा विधान सभा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होगा।

मांग संख्या 20 आवास, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से

(श्री शंकर लाल शर्मा)

आग्रह करूंगा कि मांग तो आवास की है, अभी बीपीएल योजना में 272 हाउस आपने अलाट किये हैं। आवास बन भी जाएंगे लेकिन जो आधारभूत सुविधाएं हैं, वहां पर नाली, वहां की सड़कें, गलियों की हालत इतनी खराब है, दौसा शहर पथरीला एरिया है, स्वच्छ भारत मिशन है, हमारे टॉयलेट भी बन गये लेकिन सोकपिट में पानी नहीं सोखता और पूरा पानी नालियों में आता है। उन नालियों के कारण बीमारियां और बदबू फैल रही है। हम यह चाहेंगे कि आवास की सुविधा तो आप देंगे ही लेकिन इसके साथ साथ इस दौसा नगर परिषद को स्वच्छ करने के लिये, वहां के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ....

हमारे हालात को देखते हुए अगर इसमें भी कुछ पैसा मुहैया कराकर इसमें सहयोग करेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। कई सदस्यों का बोलना बाकी है।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप लाल भील।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 20 और 21 पर मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं मुख्य मंत्रीजी एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इन तीन वर्ष के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 110 करोड़ रुपए के काम हुए हैं। पिछली सरकार के पांच साल में एक किलोमीटर सड़क भी मेरे यहां नहीं बनी थी और वर्तमान में 250 की जनसंख्या तक के गांव, ढाणी सड़क से जुड़ गए हैं और लगभग 68 सड़कों का कार्य वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में चल रहा है, जो प्रगति पर है। इसी प्रकार गौरव पथ में 33 ग्राम पंचायतें, जिनमें लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, मिसिंग लिंक में करीब 26 किलोमीटर की सड़क के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इसी प्रकार नॉन पैचेबल में मेरे यहां पर 9 करोड़ रुपए में 65 किलोमीटर सड़कों का काम हुआ है। इसी प्रकार सड़कों के काम में मेरे यहां पर लगभग दस सड़कें ऐसी थीं जो ऑनलाइन होने से रह गई थीं, 250 तक की जनसंख्या वाली। मैं मंत्री

(श्री प्रताप लाल भील)

महोदय से निवेदन करूंगा कि दस सड़कें जो ऑनलाइन होने से वंचित रह गईं, उनको भी ऑनलाइन कराकर उनका कार्य भी जल्दी प्रारंभ कराएं। इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष अगस्त की 23 और 24 तारीख को भारी बारिश हुई थी, मेरे यहां पर एक कालीबोर बाँध है, उस कालीबोर बाँध में अधिक पानी आने से उसका ओवरफ्लो टूट गया था। ओवरफ्लो टूटने से कोटड़ा जाने वाली मेन सड़क टूट गई और उसके नीचे लगभग दस ग्राम पंचायतें आती हैं, जिनके सारे पुल टूट गए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिंचाई मंत्री जी भी यहीं विराजमान हैं, सिंचाई मंत्री जी यदि पी.डब्ल्यू.डी. को पैसा दे देंगे तो कोटड़ा उपखंड को जोड़ने वाली सड़क ठीक हो पाएगी। 23 व 24, अगस्त को जो बारिश हुई थी उसकी वजह से गोगुन्दा से ओखड़ा रोड़ जो कि 19 किलोमीटर है, वह भी पूरी बह गई थी। उस रोड़ पर लगभग सात-आठ ग्राम पंचायतें आती हैं। सभी ने वहां पर हड़ताल भी की थी। माननीय गृहमंत्री जी के आश्वासन पर उस हड़ताल को तोड़ा था और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सड़कें भी स्वीकृत की जाएं। इसी प्रकार जो सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत हैं, उसमें कुछ एरिया वन विभाग का भी आता है। वन विभाग के होने की वजह से मेरे यहां पर पाँच-सात सड़कें ऐसी हैं जो रुकी हुई है। मैं वन मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनको एन.ओ.सी. मिले ताकि वह कार्य भी जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो सके।

इसी प्रकार मेरा यह भी निवेदन है कि अभी जो आवास की बात आ रही है। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, वह लगभग वन विभाग के एरिये में आता है, उसकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्य मंत्री आवास योजना हो। यह वन विभाग में जियोटैगिंग नहीं हो पा रही है और जो लाभान्वित होने हैं, वे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सभी को वन अधिकार के तहत वन अधिकार-पत्र दिए जाएं ताकि इनको भी लाभ मिल सके और आपने यहां पर बोलने का मौका इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री हीरालाल नागर)

मांग संख्या 19, 20 एवं 21 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश में शहर हो या गांव हो। अगर सड़कों का ढांचागत विकास ठीक से हुआ है तो निश्चित रूप से उस प्रदेश की प्रगति में, उद्योग हो, व्यापार हो सभी तरह का वहां योगदान रहता है। हमारी मुख्य मंत्री ने जिस तरह से चाहे वह हमारा पिछला कार्यकाल रहा हो या फिर अभी वर्तमान का तीन वर्ष का कार्यकाल रहा है, सड़कों के मामले में जिस तरह की खस्ता हालत हमारे इस प्रदेश की बीच के पाँच साल में रही और मैं तो हाड़ौती में मध्य प्रदेश से लगते हुए क्षेत्र से आता हूं। पहले जब हमारे यहां से मध्य प्रदेश जाते थे तो मध्य प्रदेश के बारे में हम यह कहते थे कि वहां जाते ही, खराब रोड़ आई और मध्य प्रदेश शुरू हो गया, ऐसा हम माना करते थे। लेकिन अब पिछले पाँच साल में उसका प्रतिबिंब उलटा हो गया। जब मध्य प्रदेश वाले राजस्थान में आते हैं तो यह कहते हैं कि राजस्थान शुरू हो गया है, जहां से टूटी-फूटी सड़क चालू होती है। इसका मतलब वे मानते हैं कि राजस्थान चालू हो गया। पिछले पाँच साल में सड़कों का कबाड़ा गहलोत जी की सरकार ने किया कि हमारा पूरा प्रदेश पीछे चला गया। डोटासरा जी देख रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं साहब। सड़कों की ऐसी हालत निश्चित रूप से हुई है कि रोड कम नजर आती थी, गड्ढे ज्यादा नजर आते थे और उसका कारण रहा कि हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो पाया और निश्चित रूप से उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जब से हमारी इस सरकार ने कार्य सँभाला है, निश्चित रूप से वह हमारे राज्य के, चाहे स्टेट हाइवे हों, चाहे वे नेशनल हाइवे हों, एक रोड़ों का ऐसा जाल बिझाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप गर्दन हिला रहे हैं। मैं कहता हूं आपके यहां से पहले देश के सड़क मंत्री रहे थे, सी.पी. जोशी जी मंत्री थे और मेरे विधान सभा क्षेत्र से आपके भरत सिंह जी पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री थे, लेकिन कोटा से दर्रा हो, दर्रा से झालावाड़ हो, वे उस रोड को नहीं बनवा पाए और न ही मंजूर करवा पाए। आज मैं हमारे मंत्री जी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कोटा से दर्रा रोड को चालू करवा दिया। आज वहां से झालावाड़ हो या फिर तीनधार है, उसका भी प्रगति से कार्य चल रहा है। निश्चित रूप से आने वाले लोगों की राज्य के बारे में अब सोच बदलने लगी है। चाहे वे

(श्री हीरालाल नागर)

मध्य प्रदेश से आने वाले हैं, वे भी अब यह कहने लगे हैं कि राजस्थान निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर अब सड़कों के मामले में उनके समकक्ष आने लगा है और निश्चित रूप से आज प्रतिदिन जितनी भी सड़कें बन रही हैं, उनमें पूरे देश में हम नंबर-वन हैं। हमारे प्रतिपक्ष के कई लोग पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में कहते हैं कि नंबर-वन हैं। वे यहां के मंत्री मंडल में नंबर-वन हो या नहीं हो, लेकिन देश में सड़कों के मामले में, विकास के मामले में नंबर-वन है। इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूं। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से, यह हमारे प्रदेश को आज जिस तरह से, चाहे वह राज्य की सड़कों का मामला हो और केंद्र से आने वाली सड़कों का मामला हो, आपके समय लोग नहीं जानते थे कि सी.आर.एफ. का पैसा क्या होता है? लोगों को पता नहीं था। पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री होते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नया पैसा सी.आर.एफ. का नहीं लग पाया।

अभी इस राज में 65 करोड़ रुपये की सड़कें केवल मेरे विधान सभा में सीआरएफ से बनी हैं। बड़े-बड़े पुल हैं, बड़ी-बड़ी सड़कें हैं, सीसी रोड बन रही है। पूरी रोड सीसी बन रही है। रोड के मामले में ऐसा परिवर्तन निश्चित रूप से पिछले 70 सालों में नहीं हुआ उतना परिवर्तन इन तीन सालों में हुआ है। हमारे यहां नेशनल हाइवे की घोषणा के बारे में आप देखिए, बड़े-बड़े रोड की घोषणा हुई है। हमारे केन्द्रीय मंत्री कहते हैं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेने वाले चाहिए और लेने वाले मामले में हमारे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जी दिन भर बैठकर, रात-रात भर सोते नहीं है, योजना बनाते हैं कि कैसे हमारे प्रदेश के लिए हम केन्द्र से पैसा लेकर आएं और इस प्रदेश को देश का नम्बर वन राज्य बनाएं। निश्चित रूप से इसके लिए आज योजनाबद्ध तरीके से हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी प्रयास कर रहे है उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मेहनत आने वाले समय में इस राज्य को औद्योगीकरण हो, चाहे व्यापार हो, चाहे किसानों के लिए, यह नहीं कि केवल नेशनल हाइवे बना रहे हैं, स्टेट हाइवे बना रहे हैं, गांवों में भी रोड़ की दशा सुधारने का काम अगर कर रही है तो यह हमारी सरकार कर रही है, गांव वाले व्यक्ति को शहर की तर्ज पर

(श्री हीरालाल नागर)

कैसे अच्छा सीसी रोड दिया जा सकता है। गांव वाले कीचड़ में रहते थे, आज जिस गांव में गौरव पथ बन रहा है उस गांव की पूरी शक्ल बदल रही है। उसकी बढ़िया नालियां बन रही हैं। बढ़िया सीसी रोड बन रहा है। वह कहते हैं कि ऐसा सीसी रोड तो 70 साल में हमने गांवों में देखा नहीं, यह तो आने वाले 20-30 साल तक टूटने वाला नहीं है, ऐसी क्वालिटी का रोड बन रहा है। इस तरह का काम कांग्रेस की पुरानी सरकार भी कर सकती थी, वह भी 70 साल में ऐसे गौरव पथ की योजना ला सकती थी लेकिन उनके दिमाग में कभी नहीं आया, उन्होंने जनता को केवल वोट बैंक समझा।

हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, गांवों में कैसे एक एक किलोमीटर जोड़ने के लिए, लोगों के जूते घिस जाया करते थे, गांव से लोग चलकर आते थे, आपकी कांग्रेस सरकार के समय यह भीख मांगते थे एक किलोमीटर रोड दे दो। 20-20 लोग गाड़ियों में भरकर आते थे लेकिन उनको एक किलोमीटर रोड नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री अटल जी ने बिना भेदभाव के एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसका लाभ उन्होंने आबादी के हिसाब से दिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि कौन है, पार्टी का वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आबादी के हिसाब से उन्होंने क्राइटेरिया तय किया। आज रोड के मामले में पूरे देश में अगर विकास करने का काम किया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया।

स्वर्ण चतुर्भुज योजना देश को दी है। नेशनल हाइवे का एक विजन दिया है। यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। वह तो वापस आ जाते तो आज देश नदियों से जुड़ जाता और आप देखते कि खेती के मामले में कैसे हमारा देश विश्व में नम्बर वन है। ऐसी कांग्रेस सरकार जो 70 साल से रही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो और रोड्स के मामले में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। अगर इसके बारे में सोचा है तो हमारे देश की भाजपा की सरकार, चाहे वह अटल जी की रही हो, चाहे वसुन्धरा जी रही हो, अभी मोदी जी की सरकार है, यह सोच रही है, निश्चित रूप से इसका बहुआयामी प्रयास पूरे देश पर पड़ेगा और हमारा यह देश, प्रदेश आगे जाने का काम करेगा। **(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)**

(श्री हीरालाल नागर)

माननीय मंत्री महोदय, इन सब बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यकाल में आपने मुझे रोड के मामले में काफी कुछ दिया है। उसके साथ-साथ आपने मुझे यह और कहा कि आपके यहां से चाहे पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हों लेकिन उनके कार्यकाल में जितने काम हुए हैं उससे दुगुने काम इस कार्यकाल में करके आपको दूंगा, यह हमारे मंत्री जी ने कहा है। मैं उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो कहा है उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। जहां भी, जो भी हम मांगते हैं उसकी आप पूर्ति कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा देश, हमारा प्रदेश रोड्स के मामले में आगे बढ़ेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ माननीय सभापति महोदय धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, सड़कों पर तीन साल में जो व्यय किया गया है उसके लिए इनकी सरकार और उसके मुख्य मंत्रीजी को लोरेल्स पे करता हूं। यह कोई धन्यवाद देने का मुद्दा नहीं हैI pay laurels for the huge expenditure made in roads. रोड हमारे आधारभूत ढांचे का एक प्रमुख अंग है। माननीय मंत्री महोदय, किसी जगह का विकास करना है वहां रोड पहली आवश्यकता है। 20 हजार करोड़ से ऊपर रुपये खर्च करके जिसमें 11 हजार प्रान्तीय सरकार है, 9 हजार 750 भारत सरकार का है। माननीय नितिन गडकरी जी का राजस्थान की तरफ जो ध्यान है उसके लिए निश्चित रूप से मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय, मैंने विधान सभा में एक सवाल पूछा कि राजस्थान में पिछले तीन सालों में कौन-कौनसे जिलों में कितनी-कितनी सड़क बनी। मुझे उसका जवाब मिला, यह 9 मार्च, 2017 का ही जवाब है। मैंने इसका बहुत परीक्षण किया। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं दो जिले जैसलमेर, सिरोही ऐसे हैं जहां 100 करोड़ से कम का बजट खर्च किया गया है, तीन साल में। तीन ज़िले ऐसे हैं, जयपुर, कोई भी सरकार हो जयपुर में तो अधिक खर्च होना ही है। जयपुर, नागौर और झालावाड़ तीन जिले ऐसे हैं जिनमें 400 करोड़ से ऊपर का खर्च है। बाकियों में 200 करोड़ के इर्द-गिर्द का खर्च है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय सभापति जी, निश्चित रूप से कुछ क्षेत्र पीछे हैं या कुछ क्षेत्र अन्य प्रान्तों के नजदीक हैं तो उनमें अंतरप्रान्तीय सड़कें, प्रान्तीय सड़कें बनाने के लिए सड़क बनाना जरूरी हो सकता है और वह पूरे प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है। मैं यह 100-50 करोड़ की बात इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं करीब-करीब समतुल्य व्यवहार, यह तीन और दो, पाँच जिलों को छोड़ दें तो 28 जिलों में समतुल्य व्यवहार आपने किया है। वहां जिले की आवश्यकता को देखकर सड़कों में नियोजन किया है।

सभापति जी, जहां तक भारत सरकार द्वारा बजट खर्च किए जाने का मुद्दा है, मुझे माफ करेंगे यह कहने के लिए, यह प्रश्न का जवाब आपने दिया है, 9 हजार 570 करोड़ माननीय गडकरी जी ने यहां सड़कों में नियोजन किया उसमें आपने 7 हजार 368 करोड़ का चार्ट दिया है कि कौन-कौनसे जिलों में लगे।

सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारा रूपया करीब-करीब जयपुर, जोधपुर, कोटा, झालावाड़, पाली, करौली यह छह जिले हुए जिसमें भारत सरकार के सारे धन का विनियोजन हुआ। मैं इस मान्यता का हूं कि राजस्थान के किसी भी हिस्से को विकसित किया जाए वह राजस्थान का पार्ट है। पर माननीय मंत्री जी अन्य जिलों को भी थोड़ा बहुत भारत सरकार के नियोजन में देख लें, यह मेरा निवेदन है। देखने से असंतुलन को संतुलन में लाया जाएगा। हर जिले को कुछ न कुछ बराबरी का मौका मिलेगा। मैं इस दृष्टि से यह कह रहा हूं कि यह छह जिलों में नियोजन है। अभी तो आपने इसमें हिसाब भी नहीं दिया है बाईस सौ करोड़ का, कि वह कहां लगा है, 9570 करोड़ में से यह चार्ट सिर्फ 7 हजार 300 करोड़ का है तो यह 2200 करोड़ कहां लगाया, आपने तो हमको बताया नहीं। जबकि प्रश्न का मतलब यह है कि सरकार अपने कार्ड्स, पूरी तौर से प्रश्न के माध्यम से सूचना दें।

सभापतिजी, इस मान्यता को मानते हुए कि किसी भी जिले का विकास आज होगा तो उसमें कल कम खर्च करना पड़ेगा। उस जिले का विकास है, इसमें कोई प्रतिद्वद्धिता की बात नहीं है।

पूरे प्रान्त की बात करने के साथ, सभापतिजी, मुझे इजाजत दीजिये कि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं बीकानेर जिले की बात करूं। माननीय मंत्री महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में, हालांकि उसको दो साल हो गये हैं, आपका यह जवाब 2014 का है, 18.07.2014 का, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल 30 हजार, मैं ऊपर के शब्द नहीं पढ़ता हूं, दो सौ, पाँच सौ को, 30 हजार वर्ग किलोमीटर है। चूरू का क्षेत्रफल 13700 किलोमीटर है, गंगानगर का क्षेत्रफल 11 हजार वर्ग किलोमीटर है, हनुमानगढ़ का 9600 किलोमीटर है। यह तो है भौगोलिक स्थिति। अब आप यह देखें कि चूरू में 2770 किलोमीटर सड़कें हैं। चूरू का क्षेत्रफल मेरे जिले से 40 प्रतिशत है। मेरे जिले को यदि इससे आप कम्पेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं। हमें जब तक 4500 किलोमीटर सड़क नहीं मिलती है तब तक हम चूरू और गंगानगर के मापदण्ड से पीछे हैं। क्योंकि गंगानगर और चूरू में करीब-करीब बराबर सड़कों की, कोई 10-20-50 किलोमीटर को छोड़कर सड़कों की लम्बाई बराबर है। मैं यह तथ्य इसलिये रख रहा हूं, माननीय मंत्रीजी कि मैंने कुछ कटमोशंस दिये हैं। मैं चाहता हूं कि बीकानेर जिले में आप आने वाले दो वर्षों में, एक वर्ष यह और एक अगला वर्ष, इनमें जो असंतुलन की बात मैंने कही है उस असंतुलन को संवेदनशीलता के साथ दूर करने का काम करें। आप खाजूवाला बनाएं, नोखा बनाएं, कोलायत बनाएं, बीकानेर बनाएं, लूणकरणसर बनाएं, पांचों में कहीं बनाएं, जहां असंतुलन है वहां बनाएं ताकि हमारे क्षेत्र का आवागमन बहुत सरल हो।

माननीय सभापतिजी, मेरे क्षेत्र की कुछ सड़कों के मैंने आपको कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं उन पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर आपने अलवर जिले में 960 करोड़ रुपये ऋण लेकर 600 किलोमीटर सड़कें बनाने का फैसला किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, बजट का पैरा 21 है या शायद 22 है।

श्री यूनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एन.सी.आर. में।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, एन.सी.आर. में।

आप 600 किलोमीटर सड़क बनायें, 968 करोड़, डेढ़ करोड़ रुपये में एक किलोमीटर सड़क माननीय मंत्रीजी, इस गरीब देश में 60-70 लाख रुपये किलोमीटर की सड़क की भी वही उपयोगिता हो सकती है जो आप डेढ़ करोड़ रुपये खर्च करके कर रहे हैं। डेढ़ करोड़ में वह ठेकेदार कितना कमायेगा, मैं

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। आप कम कीमत की बढ़िया सड़कें, कम का मतलब है 60-70 लाख से ऊपर नहीं। रुटीन सड़क 25-30 लाख की बनती है, तो डबल बना दीजिये। एक अलवर में 960 करोड़ देंगे तो मैं कहता हूं, चलिये, अगली बार हमको भी दे दीजिये 960 करोड़। हमारी भी 600 किलोमीटर बना दीजिये। पर मेरी 600 किलोमीटर के लिये मैं कहूंगा कि आप तो हमको 30 लाख प्रति किलोमीटर के हिसाब से दीजिये। हमारे तो 180 करोड़ में 600 किलोमीटर की सड़क बनाइये। ताकि हम राजस्थान में अन्य जिलों के मुकाबले आ सकें।

माननीय सभापतिजी, नरेगा में प्रावधान है कि किसी न किसी गांव को एक तरफ से जोड़ो। मैं कहना चाहता हूं, जहां भौगोलिक दृष्टि से एक सड़क बनने से वह दूसरे हाइवे तक जा सकती है, मेरे यहां 20 किलोमीटर महाजन सुई रोड है। उसके 08 किलोमीटर आगे हनुमानगढ़ से रतनगढ़, सरदारशहर जाने वाला हाइवे है, जो जयपुर आता है। आप वह 08 किलोमीटर सड़क हमको दें ताकि कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग से हो। राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्टिविटी महत्वूपर्ण है। इसलिये कृपया इसको भी ध्यान दें। मैंने यह भी निवेदन किया है कि अभी यह ओ.डी.आर. है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इसको आप एम.डी.आर. में कन्वर्ट करें। इसकी लम्बाई-चौड़ाई कुछ न कुछ बढ़ाए। यह मार्ग हमें इसलिये भी चाहिये ताकि पड़ौसी जिलों हनुमानगढ़ और गंगानगर से हमारे पशुओं के लिये जो चारा आता है, वह चारा इन्हीं सड़कों, या तो जयपुर से आता है या सुई की सड़क का कनेक्शन होगा तो निश्चित रूप से आएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापतिजी, दो-तीन मिनट। मैं इतना ही कहूंगा आपको कि ग्राम पंचायतों का जो बजट है, मेरे ध्यान में है, मैं वित्त आयोग का अध्यक्ष रहा हूं, कि अब उनके पास 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप 10 लाख, 15 लाख, उनका कुछ साधन, जो साधन अदरवाइज वेस्ट हो रहा है, मुझे सरपंच महानुभाव माफ करेंगे, जिसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, मैंने कहा था कि उसमें से 15 प्रतिशत गोचर के विकास में खर्च किया जाना चाहिये। मैं कहता हूं 15 प्रतिशत सड़कों के विकास में, जो सड़कें उसी पंचायत में कहीं से कहीं जा रही हैं, उसमें कोई

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कण्ट्रीब्यूशन देने का आप सिस्टम बनायें। जिससे एक किलोमीटर सड़क वह दे तो तीन किलोमीटर सड़क आप बनायें। ताकि उनके धन का भी सदुपयोग हो और राज्य के जो भी सीमित साधन हैं, उन सीमित संसाधनों में हम अधिक अर्जित कर सकें। मैं आपको बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का जो संवेदनशील रुख सभी जिलों के लिये है, उसके लिये उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। 17 अगस्त को, हमारे माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री सूरतगढ़ में दो दिन पहले पधारे और माननीय मुख्य मंत्रीजी और नितिन गडकरीजी को दिल्ली से बुलवाकर राजस्थान में पहली दफा एक ऐसा काम किया, सूरतगढ़ से अनूपगढ़ तक 78 किलोमीटर सी.सी. रोड निर्माण कराने का जो शिलान्यास किया, 292 करोड़ रुपये की लागत से, वह एक ऐसा ऐतिहासिक काम था, जो आज तक राजस्थान में कभी पहले नहीं हुआ। इसके साथ ही गंगानगर से सूरतगढ़ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से बना है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण, बीकानेर से सूरतगढ़ की 170 किलोमीटर सड़क का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम, न जाने ऐसे कितने काम हैं और खास तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में, जहां चाहे गौरव पथ हो, या मिसिंग लिंक रोड हो, सभी के अन्दर इतना अच्छे से आवश्यकतानुसार लोगों को वह सारी सुविधाए मिल रही हैं, जिनकी उनको आवश्यकता थी।

आज मैं इस मौके पर ज्यादा कुछ न कहते हुए, एक-दो बात करूंगा, जैसे माननीय मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं कि सूरतगढ़ एक बड़ा महत्वपूर्ण सैण्टर है। वहां देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्रजी मोदी आ चुके हैं। आप भी मंत्री महोदय, वहां लगातार चार दिन उस प्रोग्राम में थे। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का वहां चार दफा दौरा हो चुका है, लेकिन वहां बिजली विभाग का रैस्ट हाऊस बहुत बड़ा बना हुआ है, माणकचंद चौराहे पर सूरतगढ़ में। उसके जीर्णोद्धार की बहुत जरूरत है। निश्चित रूप से वहां वी.वी.आई.पीज. और हमारे सम्माननीय अधिकारी बंधु, चाहे वह केन्द्र सरकार के हों, चाहे

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

राज्य सरकार के हों, निरन्तर सूरतगढ़ उनका आना-जाना रहता है। उसका जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ सूरतगढ़ में एक अच्छा डाक-बंगला है, शहर के बीच में बना हुआ है, पी.डबल्यू.डी. विभाग का ही है। उसके भी जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारी तीन-चार सड़कों की प्रमुख मांगें बाकी रही हैं। मैंने माननीय मंत्रीजी को वह लिख कर दी हुई हैं, सूरतगढ़ से मोजेवाला तक के लिये, गोविन्दसर से बतलियाढेर तक वहां की एक सड़क है, उसका भी निर्माण कार्य है। एक हमारे सूरजनसर से 6-7 किलोमीटर की रोड गोमावाली रोड तक की है।

एक घमन्डिया से 196 हैड तक की है। यह तीन चार सड़कें ऐसी हैं जो अति महत्वपूर्ण सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र में शेष रही हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले इस बजट के अंदर इस बजट घोषणा में हमें वह सड़कें मिलेंगी।

इसके साथ-साथ प्रधान मंत्री सड़क योजना द्वारा एक पुल की स्वीकृति होनी है। घग्घर नदी पर एक ऐसा पुल है जो थर्मल से रोड होती हुई जब ठेठार होकर आगे सरदारपुरा खर्वा की तरफ निकलती है तो घग्घर नदी में जब दो-तीन महीने के लिए पानी आ जाता है तो लोगों को कम से कम 80 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय करना पड़ता है। वैसे तो माननीय मंत्री महोदय ने उस योजना को बनवाकर यहां से दिल्ली भेज दिया है क्योंकि वह प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत आती है और वही से स्वीकृत होनी है लेकिन फिर भी मैं इस सदन में आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया उसे भी ध्यान देकर बनाए।

निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से आदरणीया मुख्य मंत्रीजी का और आदरणीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-19, 20 और 21- सड़क एवं पुल पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं कि जिन गांवों, मजरों या ढाणियों या शहरों का विकास हम चाहते हैं तो उन गांवों, शहरों और मजरों

(श्रीमती संजना आगरी)

की सड़कें सुदृढ़ीकरण होना अनिवार्य है। जिन गांवों, शहरों और ढाणियों की सड़कें सुदृढ़ है, निश्चित तौर पर वह गांव विकास के लिए अग्रणी रहा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री महोदयजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह सड़कों की जो क्षतिग्रस्त हालत थी, उनको बहुत ही कम समय के अंदर सुधार कर आज कम से कम लोगों के चलने के लायक किया। इसके साथ ही राज्य राज-मार्गों, मिसिंग लिंक, नॉन पैचेबल सड़कें और ग्रामीण गौरव-पथ जैसे निर्माण जो एक नई सोच थी, जिसके कारण ग्राम पंचायत सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों में एक नई खुशी के साथ गांवों की कायापलट हुई है।

मेरे क्षेत्र-वासियों को भी 25 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव-पथ नाली सहित, उसका फायदा मिला है, इसका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं और इसकी मैं सराहना भी करती हूं।

मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीया मुख्य मंत्री महोदयजी को जिन्होंने सरकार बनने के बाद में दूसरी बार आपका सोजत में आगमन हुआ और पीपलास हनुमान मंदिर की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आपके साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और यूनुस खान साहब, हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री जी का भी आगमन हुआ था और मान्नीय मुख्य मंत्रीजी ने क्षेत्र-वासियों की मांग के आधार पर वहां पर जो सड़कों की कमी थी, वहां के कार्यकर्ताओं ने बोला कि 20 साल से यह सड़कें जो हम मांग कर रहे थे, नहीं हुई, वह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं पीपलास टू आखंडी बाया ईश्वरदासजी की छतरी जो ढाई किलोमीटर और इसके साथ ही पीपलास टू देवली-हुला बाया देवासियों की ढाणी जो आठ किलोमीटर की सड़क थी, आज कार्य प्रगति पर है। मैं इसके लिए भी हमारे माननीय मंत्रीजी को, आपको धन्यवाद देना चाहती हूं और इसके साथ ही मैं आपको जानकारी में देना चाहती हूं कि गागूड़ा टू मोड़ावास पाँच किलोमीटर और मेव टू रामासनी, यह पाँच किलोमीटर, यह दस किलोमीटर सड़क है, जब आप पधारे थे तो माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने मन से घोषणा की थी यह मैं आपकी जानकारी में देना चाहती हूं।

(श्रीमती संजना आगरी)

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की दो-चार समस्या है, जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। पूर्ववर्ती सरकार के समय में नेशनल हाइवे ब्यावर टू पिंडवाड़ा, जो इसका प्रपोजल बनाया गया था, इसके अंदर बहुत सारी तकनीकी खामियां जो आज भी हैं, मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि ब्यावर से पिंडवाड़ा जो लगभग इसमें आठ-दस विधायक आते हैं, इस एन.एच. 162 से जुड़ते हुए तो यूनुस खानजी ने यहां विधान सभा में सारे विधायकों को यह बताया था, उनके साथ में एक मीटिंग की थी कि एन.एच. से संबंधित, इनके एल.एंड टी., एन.एच.आई. और एन.एच. के सभी अधिकारी और पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी विधायकों के साथ जाकर इसका निरीक्षण करें और जो भी कमी पूर्ति रही है, उनको वह पूरी करें। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे मंत्रीजी को कि हाल ही में ब्यावर से पिंड़वाड़ा, सड़क का नवीनीकरण है, यह ब्रिज के लिए, यह साइड सड़कों के लिए, सर्विस लाइन के लिए 61 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। मेरे क्षेत्र में रायपुर, इच्छापूर्ण बालाजी, झूठा गांव मार्ग, बासिया गांव मार्ग, चंडाऊ जाने का रास्ता, रनिया बेरा कई सर्विस रोड और अंडर ब्रिज का कार्य भी इसके अंदर करवाया जाएगा।

इसके साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि सोजत शहर नगरपालिका की यह आबादी पचास हजार के लगभग है और यह नेशनल हाइवे 162 बनने के बाद में एक तरफ शहर की आबादी बस गयी है। एक तरफ शहर की पूर्व आबादी बसी हुई है और रोड के दूसरी ओर हमारे जुडीशियल न्यायालय भवन हैं, सभी समाजों के सरकारी छात्रावास हैं, खेल स्टेडियम हैं, आवासीय सरकारी कॉलोनियां हैं, जलदाय विभाग की डिग्गियां हैं और खेल स्टेडियम भी है तो यह शहर दो भागों के अंदर बट गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे शहर के चालीस हजार लोगों ने, उनकी एक ही मांग थी कि शहर दो भागों के अंदर बट गया, उन्होंने कई बार धरना-प्रदर्शन भी किया, कई बार डेलीगेशन भी गये, मंत्रियों को भी वह मिले हैं लेकिन अभी भी उनकी समस्या का समाधान कहीं भी नहीं हुआ। मैं आग्रहपूर्वक नागरिकों की यह समस्या आपके सामने रखना चाहती हूं कि आप केन्द्र के अंदर

(श्रीमती संजना आगरी)

हमारा प्रपोजल बनाकर भिजवाएं और सोजत नीमली नाड़ी विश्वकर्मा मंदिर के सामने यह ओवरब्रिज, यह अंडरब्रिज की मैं आपसे मांग कर रही हूं।

चूंकि, सबसे बड़ी समस्या हमारी यह हो जाएगी कि जुडीशियल कोर्ट है, जो पांच करोड़ रुपये की लागत से अभी नया भवन निर्मित हुआ है तो वह भी सड़क के उस ओर रह जाएगा तो नागरिकों की ज्वलंत समस्या को ध्यान में रखते हुए आप इसका प्रपोजल बनाकर भेजेंगे तो निश्चित तौर पर यह स्वीकृति भी हमारी मिलेगी।

माननीय मंत्री महोदयजी, मैं मेरे क्षेत्र की दस सालों से चल रही एक गंभीर समस्या आपके सामने रखना चाहती हूं। वैसे आपको जानकारी में भी है कि जोधपुर, राजोला, चाड़वास, रूपावास होते हुए सोजत शहर, जो यह 2006 के अंदर यह स्टेट हाइवे-58 स्वीकृत हुआ था और पी.पी.पी. मोड में सड़क के दोनों ओर गिट्टी भी बिछवाई गयी थी और आज भी यह रास्ता क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा है। इस राजमार्ग पर 20 से 25 गांवों के नागरिकों का आवागमन प्रतिदिन सोजत शहर और जोधपुर दोनों जगह पर रहता है। सोजत में महिलाएं मेहँदी की फैक्ट्रियों में मजदूरी के लिए आती हैं, छात्र अपने शैक्षणिक अध्ययन के लिए सोजत की ओर आते हैं और इसके साथ ही कई गांवों के लोग मजदूरी के लिए भी सोजत आते हैं और ट्रैफिक ज्यादा होने से इस सड़क पर कई बार कई तरह की हजारों दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं चूंकि, 2006 से हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं।

मैं आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाह रही हूं कि सोजत मारवाड़ जंक्शन का यह एक रोड है। हमारे यहां पर आपात-काल के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं तो उन मरीजों को जोधपुर रैफर किया जाता है। छात्र अगर अध्ययन के लिए जाते हैं, अपनी शैक्षणिक व्यवस्थाओं के लिए तो फिर उनको जोधपुर जाना पड़ता है तो हम लोगों को सोजत से बाया बिलाड़ा होते हुए जोधपुर जाना पड़ता है या फिर सोजत से हम लोगों को वाया पाली होते हुए जोधपुर जाना पड़ता है और जाना जोधपुर ही पड़ता है इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि मेरे क्षेत्र की यह एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है। जो दूर से मतलब वाया जाते हुए हम लोगों को 150 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ेगा। अगर आप इस रोड की स्वीकृति,

(श्रीमती संजना आगरी)

इस बजट में बहुत उम्मीदें थीं हम लोगों को कि आप इस बजट में सेंक्शन देंगे लेकिन मुझे अभी भी पूर्ण रूप से भरोसा है कि मेरे यह क्षेत्र की समस्या आपकी जानकारी में है तो निश्चित तौर पर आज की आपकी मांग रिप्लाई के अंदर इस पर आप हमें जरूर आश्वस्त करेंगे तो यह दस सालों की जो मांग है, क्षेत्र के अंदर एक नई खुशी आएगी।

(18.59 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को अवगत करवाना चाहूंगी कि बगड़ी टू सोजत रोड, ओ.डी.आर. एक सड़क है, हमारी बहुत पुरानी बनी हुई है, जिसकी चौड़ाई मात्र तीन मीटर है। हमारे वहां सोजत विधान सभा क्षेत्र के बगड़ी ग्राम पंचायत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और वहां पर प्रसिद्ध धाम बाबा रामदेवजी का मंदिर स्थित है, जहां पर प्रतिमाह ग्यारस को मेला भरता है, 20 से 25 गांवों के लोगों का आवागमन, वहां पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आता है और उसके अलावा वहां पर उप तहसील है, शिक्षण-प्रशिक्षण डाइट केन्द्र है, सामुदायिक चिकित्सालय है, समाज कल्याण छात्रावास है, पुलिस थाना है, रेलवे स्टेशन है और अभी रेलवे कोरिडोर का निर्माण भी वहां पर करवाया जा रहा है तो रेलवे स्टेशन की वजह से बगड़ी नगर और सोजत रोड के आस-पास के गांवों की जनता का व्यापार व बाजार से केन्द्र से ग्रामवासी लाभान्वित होते हैं।

माननीय मंत्री महोदयजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि जब आप पीपलास कार्यक्रम के अंदर पधारे थे तो हमने आपको इसका निरीक्षण भी करवाया था और बताया भी था कि इस सड़क की हमें जरूरत है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस तीन मीटर के इस रास्ते पर कम से कम 20 से 25 गांवों के लोगों का आवागमन रहता है तो इस रास्ते की चौड़ाई सात मीटर करके आठ किलोमीटर की लम्बाई वाले इस रास्ते को चौड़ा करके अगर आप यह बनवाएंगे तो मेरे क्षेत्र की जनता को और विशेष तौर से मगरा क्षेत्र-वासियों को इसका फायदा मिलेगा।

(19.00 बजे)

(श्रीमती संजना आगरी)

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगी कि वी.टी.रोड जाड़न से सुरायता, हमारे यह रोड है जिसके लिये गांव वालों की कम से कम 20 सालों से यह मांग है। चूंकि यह प्रधान मंत्री सड़क योजना में बनने के लायक सड़क है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रही हूं कि इस सड़क के ऊपर भी कम से कम पाँच से छह ग्राम पंचायतों के नागरिकों का आवागमन उपखण्ड कार्यालय सोजत और जिला मुख्यालय पर आने-जाने के लिये यह सड़क, जो सुरायता से आयेगी, वह सुरायता से एन एच 162 पर मिलेगी और यहां से सोजत और पाली मुख्यालय जिला स्तर पर जाने के लिये नागरिकों को सुविधा होगी। इस सड़क को हम मिसिंग लिंक में भी दे दें, लेकिन यह 10-10 किलोमीटर की सड़कें हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेरा विशेष आग्रह है कि यह सड़क कहीं न कहीं किसी न किसी योजना के अंदर लेकर आप स्वीकृत करें।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय को मेरे एरिये की दो-चार सड़कें हैं जो बड़ी हैं मगर 5 और 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मैं बताना चाहूंगी कि वी.टी.रोड जाडन से सुरायता, जो अभी मैंने पूर्व में बताया, यह 10 किलोमीटर और वी.टी. रोड शिवपुरा से जुपेला, यह 5 किलोमीटर है। इसके साथ ही लाणेरा से राजोला, यह 3 किलोमीटर, लुंटावास से बूटेला, रूपेवास मेव, यह 5 किलोमीटर, मेव से रामसनी, सी.एम. साहब जब पीपलास पधारे थे तो यह घोषणा में भी था 5 किलोमीटर का। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति जी, दो मिनट और चाहूंगी। खोखरा से पाचूंड़ाखुर्द यह 5 किलोमीटर है। माननीय मंत्री महोदय, यह खोखरा से पांचूडाखुर्द जो सड़क है, यहां पर 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को हमेशा आना-जाना पड़ता है। यह भी एक ज्वलंत विषय है। यह 5 किलोमीटर सड़क भी आपकी जानकारी में रहनी चाहिये और सोजत सिटी से मामावास है, यह 6 किलोमीटर है। जूटा से हरिपुर यह 6 किलोमीटर है, यहां पर भी पाँच ग्राम पंचायतों का आवागमन है और एक कुशालपुरा से रायपुर वाया साधो की प्याऊ होते हुए, यह 7 किलोमीटर है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): एक लीलाम्बा से विराटकलां 6 किलोमीटर है। माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट आपके और लूंगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि मिसिंग लिंक और नोन पैचेबल सड़कों के अंदर सम्पूर्ण राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छा काम आपने किया, उसके लिये भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हालत में जो सड़कें हैं, कम से कम किसी भी योजना के अंदर लेकर इनको स्वीकृत कराए। इसके साथ ही मैं आपकी जानकारी में यह कहना चाहती हूं कि सोजत शहर के अंदर विश्राम गृह बना हुआ है और पूरे पाली जिले के अंदर एक एयर स्ट्रिप मात्र सोजत शहर में बनी हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने 2015-16 के बजट के अंदर एयर स्ट्रिप के नवीनीकरण के लिये 2 करोड़ स्वीकृत किये थे जिसका काम भी पूर्ण रूप से हो चुका है और एन एच 162 पर यह विश्राम गृह होने के कारण बहुत से वी.वी.आई.पीज और नेताओं का आना-जाना रहता है तो सोजत विश्राम गृह की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री हमीर सिंह जी भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 19, 20 और 21 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान के मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में पिछले तीन साल में चाहे नेशनल हाइवे हो, ग्रामीण गौरव पथ हो, नोन पैचेबल हो, अच्छा कार्य किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना में गये पीरियड में कांग्रेस की सरकार थी, पर विधायक हमारे बीजेपी के थे। इसलिये मेरे विधान सभा क्षेत्र में न तो मिसिंग लिंक, न नोन पैचेबल का, कोई कार्य नहीं हुआ और पूरे जिले में जब मनरेगा के तहत 100 किलोमीटर जिले को जो रोड दी जाती थी, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं दी गयी इसलिये मेरा क्षेत्र विकास से वंचित रह गया।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे सिवाना क्षेत्र में सड़कों की हालत, आपने कार्य तो किया है तीन वर्षों में, परन्तु इतनी खस्ता हालत होने की वजह से अब इस बजट में ज्यादा से

(श्री हमीरसिंह भायल)

ज्यादा देने की मैं अपील करता हूं। सिवाना क्षेत्र में जिला से जिला जोड़ने वाली सबसे अहम सड़क पादरू से देवरा मार्ग जालौर जिला सरहद तक 9 किलोमीटर है, जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ 70 लाख आयेगी, जिसमें एक भी पुलिया या सीडी वर्क नहीं है। इस सड़क से सिवाना क्षेत्र से लगभग पाँच राजस्व ग्रामों को सुविधा मिलेगी इसलिये इसका निर्माण करवाया जाये। मेरी तीन वर्षों से मांग जो समदड़ी, सिवाना, कल्याणपुर मार्ग 51 किलोमीटर सात मीटर चौड़ाई में सिवाना क्षेत्र का आधा भाग है वह चाचोर से लगाकर, सायला से लगाकर जोधपुर को यह रोड जोड़ती है। इसके लिये मैं चाहूंगा कि इसी बजट में घोषणा हो।

इसके साथ ही समदड़ी रेलवे स्टेशन एक जंक्शन है और वहां आर.ओ.बी. नहीं होने की वजह से कई बार मरीज गाड़ी में परेशान रहता है। वहां हर बीस मिनट में ट्रेन आती है, मरीजों को वहां पर घंटे भर तक रुकना पड़ता है। इसलिये मेहरबानी करके एक आर.ओ.बी. समदड़ी रेलवे स्टेशन के पास में अति आवश्यक है। मेरे क्षेत्र का एक ऐसा गांव है, जहां पर बरसात के समय में दोनों तरफ नदियां आती हैं। कोटड़ी दो-दो माह तक चलती रहती है तो वह गांव टापू बन जाता है। इस हेतु भानावास गांव के पास एक पुल का निर्माण सूकड़ी नदी में लाखेटा और कोटड़ी के बीच पाइप डालकर पुलिया बनायी जाये तो लोगों को सुविधा मिलेगी। यह नितान्त आवश्यक कार्य हैं।

सिवाना क्षेत्र में इस वर्ष बरसात अच्छी हुई जिससे नदी-नाले चले। इसके कारण वहां की सड़कें काफी टूट गयीं और वह चलने लायक नहीं रहीं, इसलिए असुविधा रहती है। इसलिये वहां पर एक छोटी-सी पुलिया बनवा दें। सीडी निर्माण भानावाद-कोटड़ी-बर एक किलोमीटर, मिसिंग लिंक सीडी निर्माण मजल-ढीढसर-सामुजा 450 मीटर मिसिंग सीडी निर्माण जीणपुर एक किलोमीटर, मिसिंग सीडी मेव का बाड़ा से बटकंठ्या 500 मीटर, डंडाली करणा मार्ग लूणी नदी सीडी वर्क एक किलोमीटर। उपरोक्त पांचों कार्य अति आवश्यक हैं जिनकी मांग मय तकमीना सहित आपको प्रेषित की जा चुकी है। सिवाना क्षेत्र का भू-भाग काफी बड़ा है जिसमें तीन समितियां हैं, 69 पंचायत समितियां हैं, 212 राजस्व ग्राम हैं, इन सबमें सड़कों की हालत खस्ता है, जिसमें समदड़ी मार्ग रमणिया से पादरू मार्ग, चावण्डा से सेवाली

(श्री हमीरसिंह भायल)

मार्ग, लालाना मार्ग समदड़ी-रामपुर मार्ग, कुण्डल से वेरानाडी मार्ग, सिणधरी से ओडू मार्ग, मोकलसर से खंडू मार्ग, देवरा मांगला लालाना मार्ग, करमाबास से ठिढस मार्ग, सामुजा तक सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। इन सभी का नवीनीकरण करवाया जाए।

बजट सत्र 2017-18 में मेरे क्षेत्र की मिसिंग लिंक लगभग 50 किलोमीटर दिलावे। नवीनीकरण 60 किलोमीटर और देव स्थानों, धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिये 30-35 किलोमीटर सड़क दिलाए। जिले से जिले जोड़ने वाले मार्ग भी दिये जाए। साथ ही मेरे क्षेत्र में अभी तक 12 गांव ऐसे हैं जो प्रधान मंत्री सड़क योजना से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने हेतु प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए जिससे सड़क से वंचित राजस्व गांव हैं, उनको सुविधा मिल सके। सूली-भाकरपुरा, लादूनगर, रामदेवनगर, टीकमपुरा, बोरड़ी नाडी, रोजियो की ढाणी, झूनामेटा खेड़ा, भावनगर, महादेव नगर, परबत नगर, रावत नगर, गोगाजी का धोरा, केलरी नाडी आदि गांवों को प्रधान मंत्री सड़क योजना से जोड़ा जा सके। मिसिंग लिंक में राख्या से सावणदा पाँच किलोमीटर, मेगा हाइवे से सिणधरी एक किलोमीटर, रमणिया से राइथल मार्ग तीन किलोमीटर, जालौर जूड़या से गुढा नाल से इन्द्राणा छह किलोमीटर, टाकूबेरी से जोगासर तीन किलोमीटर, घासीड़ा से दाखां छह किलोमीटर, डण्डाली से करणा छह किलोमीटर, धीरा से रमणिया सरहद दो किलोमीटर, सूणा से अन्नपूर्णा तीन किलोमीटर। खनिज विभाग के माध्यम से मेरे यहां ग्रेनाइट की महत्वपूर्ण खानें हैं और सिवाना तहसील, राजस्थान में सबसे अच्छी है वहां भी आठ किलोमीटर का मैंने प्रस्ताव दिया है। देवड़ा से दुर्गापुर, दंताला, देवंदी और मऊड़ी यह भी आठ किलोमीटर बन जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, एक मेरा आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि सिवाना में तीन ए.ईएन. ऑफिस हैं सिवाना, सिणधरी और समदड़ी, तो अधिशासी अभियंता जो पीएमजीएसवाई का ऑफिस है उसको रेगुलर कर के रेगुलर एक्स.ईएन. ऑफिस भी वहां किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, समदड़ी तहसील मुख्यालय होने के कारण वहां सड़कों के विस्तारीकरण हेतु सहायक अभियंता ऑफिस कार्यालय स्वीकृत हैं, पी.डब्ल्यू.डी. की भूमि उपलब्ध है, यहां पर भवन बनवाने की आवश्यकता

(श्री हमीरसिंह भायल)

रहेगी, अगर यह भवन बन जाए तो ए.ईएन. का निवास वहां हो तो कार्यालय में बैठ कर विकास की ओर कार्य कर सकें।

सिवाना क्षेत्र का सिणधरी जो मेरा क्षेत्र है वो बड़ा क्षेत्र है, सिणधरी में जो डाक बंगला बना हुआ है उसमें एक ही कमरा बना हुआ है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि सिणधरी में डाक बंगले का विस्तार कर के एक रूम और बनाया जाए। समदड़ी के अन्दर अम्बेडकर भवन है, समदड़ी भी तहसील है, पंचायत समिति है वहां भी एक डाक बंगले की आवश्यकता रहेगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण गौरव पथ, रेगिस्तान में जहां रेती है वहां जरूरत नहीं होती है तो ग्रामीण गौरव पथ की जगह अगर ग्रामीण क्षेत्र में इसको मिसिंग लिंक डामर सड़क में दी जाए, अगर वहां मांगें तो उनकी दी जाए तो अच्छा रहेगा।

माननीय मंत्री महोदय, रोड़ का टेण्डर हो जाता है तो रोड़ का टेण्डर होने के बाद में जो निर्धारित राशि होती है उससे कम में होता है तो वो राशि उसी विधान सभा में मिसिंग लिंक में या दूसरी जगह उसी विधान सभा में दी जाए। शहरी क्षेत्र में जे.डी.ए., नगरपालिका वहां से रोड़ बन जाती है, तो इन शहरी क्षेत्र का बजट है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रोड़ का आराम से विस्तार हो। यही मेरा निवेदन रहेगा।

मांग संख्या- 20 में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भीमगोड़ा में कई वर्ष पुराना आवासन मण्डल के भवन का निर्माण करवाया गया था, वर्तमान में उनकी हालत सही नहीं है, जर्जर पड़ा है, विभाग ने जिला कलेक्टर, बाड़मेर को यह कार्य दिया है कि किसी भी सरकारी परियोजना में लिया जाये। जिला स्तर से तीन बार निरीक्षण हुआ पर उसको खुली जेल हेतु प्रयोग किया जाए, ऐसा कलेक्टर साहब ने बताया। तो मेरा निवेदन है कि वो एक धार्मिक स्थल है, वहां के महात्मा जी ने और वहां के आसपास रहने वाले लोगों ने भी यही कहा है कि इस कॉलोनी का उपयोग हो, या तो शिक्षा विभाग को दिया जाए या दूसरे विभाग को दिया जाए, वहां धर्म स्थल है इस वजह से खुली जेल वहां नहीं की जाए। यही मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा।

(श्री हमीरसिंह भायल)

सिणधरी तहसील मुख्यालय पर राजकीय भूमि उपलब्ध होने पर आवासन मण्डल भवन निर्माण की स्कीम बना कर कॉलोनी का विस्तार किया जाए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यही मेरी प्रार्थना रहेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री नवीन जी पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं आपने मुझे मौका दिया। आज जिस तरीके से सभी सदस्यों पर मेहरबान रहे हैं, मुझे पर भी कृपा बनाये रखेंगे।

श्री सभापति: समय की मर्यादा के अन्दर-अन्दर।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं तो मर्यादा में ही रहना चाहता हूं, साहब। कल माननीय मंत्री महोदय फरमा रहे थे कि जब मैं बोल रहा था, थोड़ा गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा नहीं आया था, कल गरीब किसानों की बात थी तो मेरे मन में पीड़ा थी और पीड़ा होती है तो आदमी बार भी घालता है। आज तो खैर महकमा ऐसा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आज आपके दिल का दर्द बाहर नहीं आएगा।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): न, बिलकुल नहीं आएगा, साहब। तो मैं चालू ही उस बात से करता हूं जिस बात की चर्चा थी क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग, सड़क एवं पुल, राजस्थान में इसकी बड़ी चर्चा है और माननीय मंत्री महोदय जो हैं उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया, इन तीन सालों में सड़कों का बहुत जाल बिछाया गया, अवार्ड भी मिले हैं तो उन्हें बधाई देता हूं।

लेकिन मैं आंकड़ों पर अगर न जाऊं, जो कुछ बताते हैं, तो यह उचित नहीं रहेगा तो सीधा मैं कुछ आंकड़ों पर आता हूं, ज्यादा पर नहीं जाऊंगा।

चर्चा बहुत हो चुकी। वार्षिक योजना 2014-15, इसमें जो प्रावधान था 4284, टेबल संख्या है 4.5, जो खर्च हुआ वो 3288, माननीय मंत्री महोदय, जो नहीं खर्च हो पाया 2014-15 में वो 996 करोड़ रुपीये थे। खर्च आपने बहुत किया, आपने सड़कें भी बहुत बनायी, मैं उस चीज का नहीं मैं तो सिर्फ

(श्री नवीन पिलानिया)

एक बिंदु बता रहा हूं। उसमें आपने फिर सुधार किया। यह मैंने 2014-15 का बताया था। 2015-16, जो टेबल 4.6 में है, वार्षिक योजना 2015-16 उसमें जो प्रावधान था वो 3883 करोड़ का था, खर्च किया 3302 करोड़, जो नहीं खर्च कर पाये वो 580 करोड़ था। तो पिछले साल के 996 करोड़ की तुलना में तो इसमें बहुत सुधार हुआ।

इस साल का आंकड़ा जब देख रहा था तब मुझे थोड़ा अचम्भा हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह क्या हुआ। क्या इस साल इन नौ महीनों में कुछ व्यस्तता ज्यादा हो गयी? इस साल का जो आंकड़ा है, टोटल आंकड़ा, पहले मैं वो बता देता हूं। टेबल 5 है विभागीय कार्य योजना, 2016-17 के लक्ष्य एवं उपलब्धियां। यह दिसम्बर, 2016 तक का आंकड़ा है, उसी को बता रहा हूं। इसमें जो पूरा प्रावधान है, लक्ष्य जो है वित्तीय करोड़ में वो है 6255.96 करोड़, माननीय मंत्री महोदय, इसमें जो उपलब्धि हुई है, जितना आप खर्च कर पाये हैं करोड़ों में 6255 में से 2306 करोड़ ही खर्च हो पाया है। ऐसा इस टेबल में लिखा है। जो इस साल नहीं खर्च कर पाये दिसम्बर तक वो, साहब, बड़ा चौंकाने वाला फीगर है, 3950 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ है। अब मैं भी अचम्भित हूं, यह टेबल तो बना कर आप लोगों की ही दी हुई है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं इस बात पर अचम्भा कर रहा हूं।

एक बात, क्योंकि ज्यादा समय आप देंगे, साहब, थोड़ा मेरे पर मेहरबान रहें, यह बड़ा गम्भीर है, मैं तो सिर्फ जानकारी चाहता हूं। मैं कुछ नहीं चाहता, मेरा यह क्रिटिसिज्म नहीं है। मैं चाहता हूं पैसे का सदुपयोग हो, पैसा सही लगे, हमारे गांव, ढाणी जो सड़कों से वंचित हैं..

श्री सभापति: पैसे और समय दोनों का सदुपयोग हो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): हैं? बिलकुल, साहब, मैं तो 30 सैकिण्ड भी फालतू में जाया नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूं लेकिन, साहब, मेरे को कुछ चीजें पेश तो कर लेने दीजिए न।

अभी माननीय सत्ता पक्ष के विधायक थे, वो कह रहे थे सी.आर.एफ. का कि पहले सी.आर.एफ. का अता-पता नहीं था। मैंने तो बैठे-बैठे यह टेबल देख ली, 4.5 की टेबल है 2014-15 की। सी.आर.एफ. में जो केन्द्रीय सड़क निधि

(श्री नवीन पिलानिया)
है 2014-15 में 238 करोड़ का प्रावधान था, 44 करोड़ खर्च नहीं कर पाये। 2015-16 में 140 करोड़ था, 106 करोड़ खर्च कर पाये, 34 करोड़ खर्च नहीं कर पाये।

इस साल इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, माननीय मंत्री महोदय। इस साल जो सी.आर.एफ. है उसमें आप उपलब्धि से भी आगे निकल गये तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इसी तरीके से एक बिंदु और, लूणकरणसर से आने वाले बड़े वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, उन्होंने अलवर की आपकी जो सड़कें थीं उसका उदाहरण दिया था, वो क्या कुछ बता रहे थे कि पर किलोमीटर बहुत महंगी पड़ रही है। तो बैठे-बैठे मैंने भी देख लिया।

इस साल से राज्य राजमार्ग एवं जिला सड़कों के लिए आपने 130 करोड़ का प्रावधान किया है केवल 30 किलोमीटर सड़क बनाने में। इसका जो एवरेज निकलकर के आया है वह 4 करोड़ 33 लाख रुपए एक किलोमीटर के लगेंगे। माननीय मंत्री महोदय, यह आपका ही आंकड़ा है। इसमें आप 14 किलोमीटर ही बना पाए हैं और उस पर 44.89 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। यह इसमें लिखा है। उसका अगर एवरेज पकड़ते हैं तो यह जो आपने 14 किलोमीटर बनाई है, उसके हर किलोमीटर पर 3 करोड़ 20 लाख लागत आई है। यह मेरे तो समझ से परे है।

सभापति महोदय, आपने लक्ष्य बहुत अच्छे अचीव किए हैं। जहां तक आप फिजिकल लैंथ ऑफ रोड्स की बात करते हैं। इस साल के प्रावधान हैं कि ग्रामीण सड़कों के लिए 1,300 करोड़ रुपए। यहां लिखा हुआ है। ग्रामीण सड़कों के आगे लिखा हुआ है। आपने भौतिक रूप से बनाने का लक्ष्य 2100 किलोमीटर सड़कों का लिया हुआ है।

मैं पिछले साल का उदाहरण आपको बता दूं। पिछले साल ग्रामीण सड़कों के लिए आपने 977 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। उसमें आपने 2425 किलोमीटर सड़कें बना दी थी। यह तो वाहवाही के लायक है। इस साल आपने प्रावधान तो कर दिया 1300 करोड़ का और लक्ष्य उससे भी कम 2100 का है। जब इसका एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज 29 लाख पर किलोमीटर निकल रहा है। 1300 करोड़ के प्रावधान में यह जो एवरेज 29

(श्री नवीन पिलानिया)
लाख पर किलोमीटर निकल रहा है, उससे सड़कें 4,480 किलोमीटर की बनती। आपने चूंकि लक्ष्य 2100 किलोमीटर का रख लिया और उसमें 1,880 आपने अचीव कर लिया। यह बताने के लिए तो आंकड़ा बहुत अच्छा है कि 89 परसेंट फिजिकल टार्गेट हमने अचीव कर लिए। लेकिन जो असलियत है उस पर थोड़ा गौर फरमाए।

सभापति महोदय, मैं तो इसलिए पीड़ा जाहिर कर रहा हूं क्योंकि गांव, ढाणियों में, ग्रामीण इलाके में सड़कों की बहुत बुरी हालत है। उसके लिए आप ही जिम्मेदार नहीं हैं। यह मेरे कहने का मतलब है। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और इसमें हजारों ढाणियां हैं। लेकिन जब हमारे पास इतना पैसा मौजूद है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ब्रिजेज कितने हैं? पुल कितने हैं उसमें?

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): यह आंकड़ा मेरे पास नहीं है। इस पर आप दिमाग लगा लीजिएगा। मुझे तो जो चीज बताई हुई है वह मैं पढ़कर के बता रहा हूं। क्या बताई हुई है? यह टेबल आपके सामने है, और क्या बतानी है?

श्री सभापति: आप आसन को संबोधित करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मुझे बिना काम डिस्टर्ब कर दिया। सभापति महोदय, मेरा एक मिनट तो चला गया इसी में। एक मिनट गया। कोई बात नहीं।

मैं दूसरी बात करता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको लेकर के भी मंत्री महोदय मुझे बड़ी चिंता है। यह जो टेबल मेरे सामने है इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है और दिसम्बर तक खर्च 226 करोड़ रुपए हुए हैं। मतलब, 573 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है। इसका अचंभा करेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साहब ऐसे नहीं, एक और बिन्दु है। माननीय मंत्री महोदय, इसमें जो लक्ष्य था, आप बाद में हंस लेना, आपको हंसने का बड़ा टाइम मिलेगा।

(श्री नवीन पिलानिया)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो लक्ष्य रखा था वह 3 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का था। इस साल का पढ़ रहा हूं। उसमें से केवल 787 किलोमीटर बनी हैं। इसको आप दिखवाएं कि कहां गड़बड़ी हो रही है। मेरे इलाके में इतनी जगह हैं आपको पैसा लगाने की कि आप मुझे दीजिए, मैं लगाकर के बिलकुल आपको बता दूंगा। खरी कमाई कराकर के बता दूंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): सभापति महोदय, बस एक बिन्दु। आखिरी बिन्दु जो कि बहुत महत्व रखता है उसको बोलूंगा और उसके बाद समाप्त कर दूंगा। एक और मुख्य बात है।

सभापति महोदय, यह आर्थिक समीक्षा का पृष्ठ 153 है, इसमें यह कहा जाता है, 'राज्य में राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम, 2004 लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पैट्रोल, डीजल पर उपकर लागू कर एक स्थाई राज्य सड़क कोष बनाया गया है। उपकर सैस की दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है तथा 15 जनवरी, 2016 से पैट्रोल पर डेढ़ रुपया तथा डीजल पर 1 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर की दर से उपकर लागू है। इस अधिनियम के तहत एकत्र धनराशि का उपयोग राज्य में सड़कों के विकास एवं रखरखाव के लिए किया जाता है'।

अब जो विकास निधि है उसकी स्थिति यह है कि 2014-15 में 123 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। 2015-16 में 394 खर्च नहीं हुआ है। यह दोनों मिलाकर के इस साल के शुरू में 572 करोड़ आपका खर्च नहीं हुआ जिसके लिए आप पैट्रोल और डीजल पर सेस लगा रहे हो। इस साल 486 करोड़ खर्च नहीं हुआ। टोटल मिलाकर के 986 करोड़ रुपया जो आपने पैट्रोल और डीजल पर सैस लगाकर के लिया है, वह आपका इस्तेमाल नहीं हुआ।

मेहरबानी करके यह पैट्रोल और डीजल पर सैस बंद करिए। यह राजस्थान प्रदेश इसको झेल नहीं सकता। वरना यह जो 1 हजार करोड़ पडा है, यह हर एक एमएलए को 5-5 करोड़ दे दीजिए। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। हम अपनी सड़कों को अपने आप ही सही कर लेंगे।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): इस पर कृपा करो। मैं सिर्फ मंत्री की तारीफ कर रहा हूं। सिर्फ आखिरी है। यह जो मंत्री महोदय हैं वह राजस्थान सरकार में सबसे झालरीदार मंत्री हैं। यह आप कम लोग समझोगे, लेकिन जो नागौर से आते हैं, वह कुछ बुजुर्ग समझ सकते हैं। मारवाड़ में नागौर के जाटों को झालरीदार जाट बोलते थे। पहले पुलिस में सेरेमोनियल एक पगड़ी होती थी जिसके झालर लटकती थी। जो केवल सैल्यूट के, गार्ड ऑफ ऑनर के काम में आती थी इसलिए यह तो वहां के झालरदार मंत्री हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री घनश्याम जी मेहर। माननीय सदस्य घनश्याम जी मेहर। (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य भँवर सिंह जी। (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य छोटू सिंह जी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 20 और 21 पर बोलने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने चाहे राजमार्गों का काम हो, चाहे गांव की रोड का काम हो, चाहे गौरव पथ रोड हों, पूर्ववर्ती सरकार से डेढ़ा बजट खर्च किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने 621 गांवों को जोड़ा। जबकि वसुन्धरा जी की वर्तमान सरकार ने 4,281 गांवों को जोड़कर 20 हजार करोड़ का बजट खर्च किया है।

मैं राजस्थान की मुखिया आदरणीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद देता हूं कि सड़क निधि के बारे में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। इससे आम जन का विकास होगा। पूरे सदन की ओर से, राजस्थान प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 20 पर मेरे क्षेत्र की बात करता हूं। आदरणीय मंत्री जी विराजे हैं। जैसलमेर शहर को गोल्डन सिटी और सोने जैसा शहर कहते हैं।

आदरणीय, उस शहर के अंदर संवत् 1212 में एक किला बसाया था महारावल जैसलजी ने, उस समय से ही प्रदेश के अंदर यह पहला किला है

(श्री छोटू सिंह)
जहां आबादी बसती है और उनकी सात पीढ़ी वहां रहते हुए हो गई है। आज हालत यह हो गई है कि उस समय में और आज के समय में परिवार बढ़ गए, एक-एक घर में दस-दस आदमियों का निवास हो रहा है। हालात यह हो रही है उस किले की, न तो सीवरेज है और न पूर्णत: लाइट की व्यवस्था है, वह लोग वहां जी रहे हैं, होटल के एहसास से जी रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ठीक इसी प्रकार से हमारा जो पुराना शहर है वह एक बाउण्ड्री वाल में रियासतकाल में बसा हुआ था, चारों दिशाओं में चार गेट है और चारों दिशाओं में कई प्रकार के बुर्ज बने हुए हैं जहां गार्ड रहते थे। वर्तमान समय के अंदर उस बाउण्ड्री वाल की और उन गेटों की हालत ऐसी है कि पुराना संग्रहालय वह खतम हो रहा है। आदरणीय, मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार से जैसलमेर के पुराने शहर के अंदर बहुत अच्छी गोल्डन जैसी हवेलियां हैं, जैसे पटवा हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली, उस समय की बनी हुई है, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। मेरा निवेदन है जैसलमेर के जो लोग निवास कर रहे हैं किले पर उनको विशेष तौर पर वहा से नीचे बसाया जाए, यदि वह नहीं बसते हैं तो किले की हालत उस वज़न से और ज्यादा गंभीर हो रही है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि जैसलमेर के चारों ओर से जमीन की कोई कमी नहीं है। पूरा प्रदेश वहां निवास कर ले तो हम स्वागत और सत्कार वहां करेंगे। वहां के लोकल निवासियों की जो पुराने शहर के अंदर बसते थे उनके लिए अलग से एक विशेष पैकेज देकर कॉलोनी बसाई जाए और बहुत मिनिमम रेट पर और विशेष कर वरीयता पहले नम्बर पर दी जाए और मुख्य मंत्री आवास योजना के अंदर भी पैकेज दिया जाए, ताकि वहा किले में निवास करने वाले लोग वहा से आराम से रह सकते हैं और हमारा जैसलमेर का किला भी सुरक्षित रह सकता है। ठीक इसी प्रकार से जो जैसलमेर शहर है वह परकोटे में बसा हुआ है उसकी सीवरेज की, उसकी लाइट की, लाइट हालांकि अंडरग्राउण्ड के टेंडर हैं, 2007 के अंदर यह घोषणाएं हुई हैं और काम भी शुरू हुए हैं लेकिन वर्तमान स्थिति में सीवरेज की ऐसी हालत है कि 2017 हुए आज तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी विराजे

(श्री छोटू सिंह)
हुए हैं, जैसलमेर के पर्यटन बिजनस को देखते हुए, जैसलमेर की नगरी को, सोने जैसी को देखते हुए इसको कैसे संरक्षित, अच्छा और स्वस्थ रखा जाए, साफ रखा जाए। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी, जो पुराना हमारा शहर है उसको हैरिटेज सिटी घोषित किया जाए ताकि वह शहर देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए हम सबके लिए देखने जैसा हो।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं मांग संख्या 19 और मांग संख्या 20 के बारे में, माननीय मंत्रीजी, विराजे हुए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि जैसलमेर के उस बड़े भू-भाग को वे बड़े भली-भांति जानते हैं। हम दो एमएलए हैं, सात और सात, चौदह किलोमीटर हमें रोड मिलती है और जैसलमेर एक ऐसा जिला है, दूसरे जिलों में जाओ और हमारे जिले में जाओ तो एक किलोमीटर की कोस्ट 25 या 30 लाख प्रति किलोमीटर आती है और दूसरे बांसवाड़ा जिले में जाओ, चाहे उदयपुर में जाओ और चाहे चित्तौड़गढ़ में जाओ, उसकी कोस्ट कम से कम 80-90 लाख रुपए प्रति किलोमीटर है। आदरणीय, 560 लाख रुपए उसका खर्चा आता है जबकि जैसलमेर के दोनों एमएलए सात किलोमीटर का दो करोड़ दस लाख रुपए आता है इसलिए किलोमीटर को नहीं जोड़ा जाए, पैसों को जोड़ा जाए। वैसे भी हम जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे वंचित रहते हैं क्योंकि भू-भाग को देखते हुए उसके क्षेत्र को देखते हुए सात किलोमीटर कोई मायना नहीं रखते हैं, दो एमएलए हैं, चौदह किलोमीटर रोड बनती है, दो साल के अंदर पाँच साल के अंदर सत्तर किलोमीटर रोड बनेगी मुश्किल से दो गांव जुड़ जाते हैं, दूसरा कोई गांव नहीं जुड़ता है। पाँच साल पहले की पूर्ववर्ती सरकार ने हमको चौदह किलोमीटर रोड दी, तो केवल एक गांव बड़ी मुश्किल से पाँच साल में जुड़ा, आज वर्तमान में भी इस प्रकार की हमारी हालत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी कोस्ट ऑफ पर किलोमीटर एस्टीमेट जो दूसरे जिलों के दूसरे एमएलएज को दिया जाता है ठीक उसी प्रकार हमें भी दिया जाए, विशेषकर जनसंख्या के अनुपात को न मानते हुए क्षेत्र के अनुपात को लिया जाए ताकि जैसलमेर के पूरे जिले का विकास हो सके।

आदरणीय, इसके साथ में मेरा निवेदन है कि जैसलमेर एक पर्यटन

(श्री छोटू सिंह)

नगरी है, जैसलमेर जो भी आता है वह सड़क से तनोट जाना चाहता है और तनोट और जैसलमेर के लिए आपका भी आशीर्वाद चाहता हूं, सरकार का भी चाहता हूं, विशेषकर हमारे विभाग ने बहुत अच्छी रोड बना दी, लोग पर्यटक जाते हैं वहां से तनोट जाते हैं, मैय्या के दर्शन करते हैं उसके बाद में बोर्डर जाते हैं, बोर्डर ऐसा है कि वाघा बोर्डर जैसा कि पूरा मरुस्थल, रेगिस्तान वहां से दिखता है। उसके बाद में 1971 का जो वार हुआ था, उस समय जो पाकिस्तान की फौजों की मशीनरी रही थी उसको भी लोग देखना चाहते हैं। जब तनोट से लोगेंवाला, लोगेंवाला से रामगढ़ जाते हैं, रामगढ़ आने के बाद वह सोचते हैं कि हम सम का सैंड ड्यून, व सनसैट जरूर देखना चाहते हैं और उसके लिए यदि तनोट से जो पर्यटक देशी और विदेशी आते हैं वह सोचते हैं कि जाएंगे तो 180 किलोमीटर रोड की दूरी तय करनी पड़ेगी। आदरणीय, यदि हमें 15 किलोमीटर रोड दी जाए क्योंकि 14 किलोमीटर आपने पूर्व में दी है, हमने वह रोड बनवा दी है और अब केवल 15-17 किलोमीटर रोड हमारी बाकी बची है, टूरिस्ट के लिए 180 किलोमीटर आदरणीय मंत्रीजी, दूरी होती है, यदि वह 17 किलोमीटर रोड दे दें तो केवल 90 किलोमीटर रोड बन जाती है, कोई भी टूरिस्ट सीधा सम्पर्क करेगा, उसमें से कई गांव जुड़ जाएंगे। आदरणीय मंत्रीजी, यह बहुत बड़े सौभाग्य का विषय होगा क्योंकि हमारे लिए भी यह है, पर्यटक के लिए भी है, आमदनी और व्यवसाय के बारे में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा।

आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके साथ में एक छोटी सी रोड और है। सात किलोमीटर आदरणीय, पोकरण एमएलए को मिली, तो उन्होंने तो भैंसड़ा से राजमथाई रोड सात किलोमीटर बनवा दी, मेरे हिस्से में सात किलोमीटर रोड आती थी वह मैंने उधर बनवा दी, रासला मेरादोद से केवल सात किलोमीटर रोड हम बनवा दें तो जैसलमेर और जोधपुर की दूरी चालीस किलोमीटर कम हो जाती है, 300 किलोमीटर दूरी है उसकी बनिस्बत दूरी 260 बन जाती है और कंजस्टेड जो जोधपुर और जैसलमेर होता हुआ जाता है वह भी कम हो जाएगा और सात किलोमीटर रोड हमें मिल जाए, छह ही होगी या सात होगी तो उससे जोधपुर की दूरी चालीस किलोमीटर कम हो जाएगी, उससे यह रोड लिंक हो जाएगा।

(श्री छोटू सिंह)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में निवेदन और भी करना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम और बहुत अच्छी आपकी सोच है। पूर्ववर्ती अपनी सरकार के समय में, 2007 के अंदर बीएडीपी सीमांत क्षेत्र में न होकर पूरे जैसलमेर में तो हमने उसी हिसाब से या पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों ने उसी हिसाब से अपने-अपने आवेदन ले लिए कि किस गांव को किस गांव से जोड़ना है, बीएडीपी के अंदर बनवा ली। पाँच, छह और सात किलोमीटर सड़कें बन गई दो-दो साल में। तीन किलोमीटर या चार किलोमीटर में वह सड़क आज भी अधूरी है, मैं कुल मिलाकर नाम नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है, दस रोडें ही हैं। यदि दो किलोमीटर या तीन किलोमीटर रोड और बन जाए तो वह पूर्णता हो जाएगी और वह गांव लिंक हो जाएंगे क्योंकि बीएडीपी की जो गाइड लाइन है वह वर्तमान समय में बोर्डर लाइन से दस, बीस, तीस किलोमीटर है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, चलो बोर्डर के गांवों को मिलाते हैं, लेकिन यदि आप दस गांवों का यदि कम से कम मुश्किल से दस गांवों के लिए तीस या चालीस किलोमीटर रोड होगी यदि यह मिल जाए तो उक्त गांवों की पूर्ववर्ती रोडें बनी हुई हैं उनका सदुपयोग हो जाएगा।

आदरणीय, इसी के साथ मेरा निवेदन है कि पूर्ववर्ती समय के डाक बंगले बने हुए हैं, रामगढ़ में बना हुआ है, मोहनगढ़ में बना हुआ है, सबमें बना हुआ है, लेकिन रखरखाव के अभाव के कारण और आवागमन के कारण या हो सकता है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, वहां कोई रह नहीं सकता, चौकीदार लगा हुआ है, खर्चा हो रहा है और किसी भी प्रकार का सदुपयोग नहीं हो रहा है। आदरणीय, मेरा निवेदन है कि जैसलमेर से तनोट जाने वाला आदमी कोई भी अधिकारी हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई मेहमान हो वह रुकना चाहता है लेकिन डाक बंगलों की ऐसी हालत है कि वहां रह नहीं सकता। मेरा निवेदन है विशेषकर कि तनोट में एक डाक बँगला नया बनाया जाए, उसके साथ में रामगढ़ और मोहनगढ़ और सम वाले डाक बंगलों की रिपेयरिंग की जाए ताकि वह यूजफुल हो सके। इसके साथ में उपखंड फतेहगढ़ है वह उपखंड हैडक्वाटर है क्योंकि जैसलमेर हमारा बहुत दूर है और यह 15 नम्बर हाइवे आदरणीय

(श्री छोटू सिंह)
मुख्य मंत्री साहिबा के द्वारा, आदरणीय नितिन गड़करीजी के द्वारा 15 नम्बर हाइवे तैयार हो गया और किसी भी प्रकार का जैसलमेर मुख्यालय से 70-80 किलोमीटर किसी भी प्रकार का कोई निवास के लिए डाक बंगलो नहीं है, रैस्ट हाउस नहीं है उसका भी निर्माण किया जाए, ज्यादा न बोलते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरी विनती सुनी, इसी के साथ मेरा निवेदन है कि जैसलमेर के भू-भाग को देखते हुए आदरणीय मंत्रीजी इस प्रकार की घोषणाएं करेंगे ताकि जैसलमेर को उसके पैकेज का विशेष फायदा मिले, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री शैतान सिंह जी।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 21 पर बोलने का मौका दिया, मैं मात्र मांग संख्या 21 पर ही बोलूंगा, ज्यादा समय सदन का खराब नहीं करूंगा। मैं सीधी मांग ही रखूंगा, क्योंकि मुझसे पहले मेरे सभी साथियों ने यह विषय रखा है जो काम किया है वह छिपा नहीं रहता है। कहते हैं घी अंदर है, लेकिन छिपा नहीं रहता है। जो भाजपा सरकार ने काम किया है, केन्द्र में वाजपेयी जी से लेकर आज तक का, वह जगजाहिर है, सभी को पता है।

मैं इस अवसर पर एक-दो विषय ही रखूंगा। एक तो मेरे क्षेत्र में, अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात रखी वह हकीकत है। मेरा विधान सभा क्षेत्र 350 किलोमीटर लम्बा और 75-80 किलोमीटर चौड़ा है। जैसलमेर मेरे से भी ज्यादा है। वहां से एमएलए मात्र दो आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अटलबिहारी जी वाजपेयी के उस निर्णय की वजह से हमारे पीएमजीएसवाई में सड़कें तो खूब बन गईं, पर उन सड़कों को 10 साल हो गये। 2006 से पहले की सड़कों की लम्बाई 200 किलोमीटर के लगभग हैं। वे सड़कें आज जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। रिन्युअल में उनका नम्बर आता नहीं है। इसलिए उन सड़कों के लिए शायद पीएमजीएसवाई में ऐसा अब लग रहा है कि वह काम अब लेंगे, फिर भी इस पर विशेष ध्यान रखें।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि जब राजस्थान कैनाल, जो अभी आईजीएनपी है, इस कैनाल के सहारे-सहारे प्रोजेक्ट में जो सड़कें बनी थीं, हमारे जैसलमेर जिले की सड़कों की लम्बाई, ये 25 वर्ष पहले की सड़कें हैं,

(श्री शैतानसिंह)

243 किलोमीटर लम्बाई हैं, 25 वर्ष पहले की सड़कें बनी हुई हैं। मार्च, 2015 में वे सड़कें पीडब्ल्यूडी को स्थानान्तरित कर दी गयी हैं। उनकी तरफ मंत्रीजी विशेष ध्यान दें। राजधर्म का निर्वाह करना अपनी ड्यूटी बनती है। ये काम राजधर्म में आते हैं। इन कामों को विशेषकर देखें क्योंकि पब्लिक ने अपने को मेंडेट इसीलिए दिया है कि अपन राजधर्म का ध्यान रखते हुए कर्म करें। मैं तो आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि इन कामों को प्रायोरिटी में लें। रोड स्थानान्तरित तो हो गयी, लेकिन उनकी कोई सुध-बुध नहीं ली जाती। जो लाइफलाइन है, किसानों की आधार रेखा है राजस्थान कैनाल, उन सड़कों की स्थिति ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस रोड पर चलने के लिए, 10 किलोमीटर पार करने के लिए कम से कम एक घंटा लगता है, यह हालत है। बाकी नीचे उतरें तो हमारे वहां का एरिया आपको ध्यान है, 4x4 गाड़ी भी नहीं चल पाती है। यह जैसलमेर की स्थिति है, ऐसी ही बीकानेर की स्थिति है। इस मामले को, पूरा सदन बैठा है, मंत्रीजी यहां विराजमान है, इस बजट में उस काम को लें। आमजन के लिए लेना अति आवश्यक है। यह किसी का निजी काम नहीं है।

इसके साथ-साथ मेरा एक छोटा-सा निवेदन है। हमारी मुखिया ने मांगणियारों को जो सड़कें दी हैं उससे मुझे अच्छा लाभ हुआ। अभी छोटूसिंह जी ने एक बात कही थी, जो 7 किलोमीटर का निर्माण हुआ उसमें 4 किलोमीटर उस नीति के तहत आयी है, बहुत उपयोगी सड़क है। उसमें 3 मैंने और दे दी, 7 किलोमीटर का मेरा हलका तो पूरा हो गया, आगे 7 किलोमीटर छोटूसिंह जी का हिस्सा बचा हुआ है। फलसूण्ड, जो हमारी उप तहसील है, जोधपुर जाने के लिए रास्ता शॉर्ट हो जाता है। वह सड़क छोटू सिंहजी वाली मिल जाए तो एक अच्छा मार्ग हो जाएगा। उससे आगे मेरे यहां भैसड़ा से भिणाजपुरा 9 किलोमीटर है, वह सड़क हो जाती है तो एक शॉर्ट रूट मिल जाता है। और कोई रास्ता नहीं है जो रोड नीति में आए, क्योंकि पीएमजीएसवाई में तो वे सब गांव जुड़े हुए हैं। एक बीच का रास्ता है। उसमें उस सड़क को भी लें।

एक निवेदन और है। मांगणियारों को दी वैसे ही बाबा रामदेव के लिए भी, हमारी मुखिया परम भक्त है। इस सदन में बैठे हुए हैं उसमें लगभग

(श्री शैतानसिंह)

90 परसेंट लोग बाबा के भक्त हैं। वहां रिखियों के लिए मैंने मांग की है, सीएम साहब को भी बताया है, उस सड़क की लम्बाई 12 किलोमीटर लगभग है। वे बाबा के भजन करते हैं। उनके लिए भी राजस्थान सरकार विचार करें तो यह उपयोगी रहेगा। मंत्री महोदय, इसको थोड़ा देखें। 12 किलोमीटर है, रामदेवरा से मेघवालों की ढाणी है, बाबा फांटा से फिटकों की ढाणी 12 किलोमीटर के लगभग है। इस सड़क को लें।

एक मेरा आदर्श गांव है, विधायक आदर्श गांव छायण है। छायण से आसकंदरा 15 किलोमीटर सड़क बन जाती है तो नाचना जाने के लिए, नाचना कॉलोनाइजेशन तहसील है, वहां कॉलोनाइजेशन के डी.सी. बैठते हैं। यह विद्युत विभाग का सब डिवीजन है। वहां लोगों को बिजली, पानी, कई मामलों को लेकर नाचना जाना पड़ता है। अभी वे लोग 70 किलोमीटर राउण्ड काटकर जाते हैं। अगर वह 15 किलोमीटर सड़क मिल जाती है तो 35 किलोमीटर नाचना के लिए एक उपयोगी रास्ता हो जाता है। वैसे भी आदर्श गांव के रूप में अपन ने उस गांव को लिया है तो उस गांव को आदर्श लेने से कुछ होगा नहीं, कुछ न कुछ करके बताएं तब तो आदर्श का अर्थ है। आदर्श का अर्थ क्या होता है यह अपन समझें। मैं बार-बार यही कहता हूं, पूरे सदन से मेरा निवेदन है, अपन सभी राजधर्म का निर्वाह करें, विधायिका का निर्वाह करें तो सब अच्छा होगा, राष्ट्र खुशहाल होगा। देश खुशहाल होगा तो सभी खुशहाल होंगे। मेरा इतना ही निवेदन है, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मंगलाराम जी।

श्री मंगल राम (कठूमर): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 19, 20 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 गौरव पथ सैंक्शन कराए हैं वे पूर्ण हो चुके हैं और 6 स्वीकृत हैं उन पर कार्य आरम्भ होने वाला है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो शेष बचे हैं उन पर, क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, उनको भी सैंक्शन कराएं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं विश्राम गृह नहीं है। यहां पर जो भी गोवर्धन, दिल्ली या

(श्री मंगल राम)

जयपुर के लिए रोड है, यहां पर जन-प्रतिनिधि या अधिकारी लोग आते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि यहां ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप वहां विश्राम गृह की व्यवस्था कराए, स्वीकृत कराए।

मेरा दूसरा निवेदन है कि कठूमर विधान सभा क्षेत्र में खेली और नगर कठूमर बस स्टैण्ड है इस पर इतना पानी है कि दोनों तरफ आने-जाने के लिए समस्या रहती है। मेरा निवेदन है कि यहां पर पीडब्ल्यूडी से जो आपकी सड़क है वहां नाला बनाया जाए ताकि वहां नाला बनने से पूरी समस्या दूर हो जाएगी। यह मेरा निवेदन है कि सड़क के साथ नाला भी सम्मिलित किया जाय।

मेरा दूसरा निवेदन है कि लक्ष्मणगढ़ से मेरे विधान सभा क्षेत्र कठूमर तक नटनी का बारा से नंद गांव के नाम से 44 स्टेट हाइवे रोड है वह सारी की सारी बनी हुई है, लेकिन लक्ष्मणगढ़ से कठूमर तक 24 किलोमीटर को पूर्व सरकार द्वारा मनरेगा में देने से वह आज भी टूटी हुई है। उसमें पहले आवागमन के लिए सरकारी बसें भी चलती थीं। आज की तारीख में 7-8 साल से एक भी सरकारी साधन नहीं चलता है। वहां मण्डी और जगह जाने के लिए आना-जाना ज्यादा बना रहता है, आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस सड़क को अतिशीघ्र कराया जाए।

दूसरा, आपने मेरे कठूमर से वाया मण्डावर व भनोगर होते हुए करीब 28 किलोमीटर सड़क स्टेट हाइवे में सैंक्शन की है, लेकिन अभी उसकी स्थिति बहुत खराब है। जब तक काम हो उन गड्ढों की मरम्मत करायी जाय क्योंकि वहां जाने में बड़ी समस्या होती है और आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस सड़क की जल्दी से जल्दी मरम्मत करायी जाय और गड्ढ़े भरवाये जाए।

तीसरा, मेरा निवेदन है कि खुदाना से वाया धौलागढ़, बसेट और खेरलीमण्डी के सभी कृषक माल बेचने के लिए मण्डी जाते हैं और उनको बड़ी समस्या होती है। इसी रास्ते में धौलागढ़ माता का मंदिर है। उसका मेला अभी सात दिन तक लगेगा। उस माता के मंदिर की आस्था दिल्ली, मथुरा, गुजरात, बहुत दूर-दूर के लोग आते हैं। वहां पर उनको आने में बड़ी

(श्री मंगल राम)

समस्या होती है। वहां पदयात्री भी आते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सड़क भी बहुत खराब हो रही है। आप इस सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक कराएं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि टीकरी, सौंप व कठूमर से मसारी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में खेड़ली से घटावावर हनुमान जी का मंदिर और कठूमर से बडका, टोडा, अड़ोली, खेड़ली और लंगरा, बंगण का नंगला, खेड़ली बाइपास से मस्ता की बगीची, खोंखर से दौसा बाईपास, खेड़ली में कुतिन सावदास और हिण्डौन रोड से गहलावता की ये सड़कें हैं जो बिलकुल खराब हैं इसलिए इनकी मरम्मत और इनकी पेचिंग कराई जाए।

खेड़ली और हिण्डौन पर एक फाटक है उससे बीमार या अन्य लोगों को आने-जाने में वो फाटक लगा रहता है इसलिए एक तो खेड़ली हिण्डौन फाटक पर पुल बनाया जाए और एक समुची, क्योंकि कई बार डिलीवरी की या ऐसी स्थिति होती है कि इधर से जाते हैं तो इधर का रास्ता बन्द हो जाता है और उधर से आते हैं तो उधर का रास्ता बन्द हो जाता है इसलिए वहां पर एक पुलिया का निर्माण कराया गया जाए। दूसरा मेरा एक निवेदन है कि मंत्री महोदय, हमारे जो ए.ईएन. ऑफिस हैं, कठूमर और खेड़ली मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही पड़ते हैं और उसके बाद में गोविन्दगढ़ है तो इनकी दूरी कम से कम 65 किलोमीटर है तो 65 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूर आपका एक्स.ईएन. बैठता है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी दूरी कम करने के लिए उपखण्ड एक्स.ईएन. ऑफिस लक्ष्मणगढ़ खोले ताकि सब की दूरी बराबर हो जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य शकुंतला जी रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 19, 20 और 21 सड़कें पुल, आवास एवं लोक निर्माण कार्य आदि के तहत आपने बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, जितनी भी मांगें की जा रही हैं क्योंकि यह कटौती प्रस्ताव है तो सभी माननीय सदस्य 70 वर्ष का जिक्र कर रहे थे कि 70 वर्षों से कोई रोड नहीं बना तो सभापति महोदय, जैसलमेर, बाड़मेर, दिल्ली, बीकानेर, अजमेर, ये रोड तीन वर्ष में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बना दिये? ऐसी कौनसी जादू की छड़ी है कि ये सारे रोड आज ही बन गये? मैं यह थोड़े ही कह रही हूं कि अटल जी ने नहीं बनाये 70 साल में तो शायद आप उनको भी भूल रहे हैं, यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। सारे रोड आपने एकदम से बना दिये तो उससे पहले क्या ये पहाड़ों पर चल रहे थे? नदी पर तैरकर चल रहे होंगे शायद और पुल वगैरह कुछ थे ही नहीं, लेकिन आज तक, हम तो पिछले तीन वर्षों से सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं.... (व्यवधान) मदन जी, आपने बना दिये क्या?

श्री सभापति: आप आसन को संबोधित करें न, आप दूसरों का ध्यान क्यों रखती हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, अभी तक का समय मदन जी ने लिया वो इनके खाते में नोट किया जाए। सभी प्रश्नों के उत्तर में यह लिख दिया जाता है कि संसाधन उपलब्ध होंगे या आगामी वर्षों में करेंगे तो तीन वर्षों में तो हुआ नहीं है फिर कब तक करेंगे? कह रहे हैं कि गड्ढ़े ही गड्ढ़े हैं और एक मुख्य सड़क को जोड़ने का मुद्दा बार-बार उठाया जा रहा है और एक माननीय सदस्य ने एक दिन कहा जब मैंने स्थगन के जरिये तो कहा कि आपकी सड़क मंजूर हो गई है। अगर मंजूर हो गई है तो हम माननीय मंत्री जी से आज चाहेंगे कि वो हो गई है या नहीं और दूसरे सदस्य ने किस आधार पर कहा वह मुझे पता नहीं है। लेकिन पहले कहा गया कि उसे पीपीपी मॉडल में डाल दिया गया है, अगले छह महीने तक बन जाएगा लेकिन तीन वर्ष हो गये। यह बहरोड़ मुख्य मार्ग से आलनपुर से बानसूर, बानसूर से नारायणपुर तक जो यह रोड है इसमें दो-दो फीट के गहरे गड्ढ़े हैं और बार-बार फोन करने पर पंचायत की तरफ से भले ही उसके गड्ढ़े भरवा दिए जाएंगे लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से उसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है बार-बार सूचित करने के बाद भी। पंचायत हैडक्वार्टर्स को, बजट में आंकड़ों में रेवेन्यू विलेजेज को जोड़ने की बात कर दी कि 500 की आबादी, 250 की आबादी की बात कर दी लेकिन कौनसा रेवेन्यू विलेज मेरे यहां जोड़ा है उसके बारे में सम्माननीय मंत्री महोदय बताएंगे और रहे हैं तो उनको कब तक जोड़ने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं?

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सभापति महोदय, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो गांवों के बीच से पी.डब्लयू.डी. के रोड गुजर रहे हैं वहां पर अन्दर गांवों में पानी और कीचड़ भरा है और वो बड़े रोड हैं, तो सी.सी. रोड बनाकर, जो अभी बहुत जोर-शोर से कहा जा रहा था तो क्यों नहीं इन गांवों में भी बनाएं जाएं। बानूसर प्रोपर बहुत बड़ा कस्बा है वहां मण्डी के पास में कोलाड़ा से आगे डूंगा का पास, अजबपुरा, गढ़ी, खरकड़ी, ये जो मुख्य बड़ी पंचायतें हैं इनके बीच में इतना कीचड़ हो रहा है और बार-बार कहने के बाद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग क्यों नहीं जाग रहा है यह पता नहीं। जो दो-तीन साल से अधूरे कार्य हैं, जिनका बोर्ड लगा दिया गया कि कार्य पूर्ण हो गया है लेकिन आज तक, सभापति महोदय, सर्वे कराया जाए, बानसूर सड़क से बूचियावास होता हुआ फतेहपुर तक, ज्ञानपुरा से मदनसिंह की ढाणी होता हुआ कूलका कुण्ड तक, जब फोन करते हैं तो वो आकर वहां उस पर रोलर खड़ा कर देंगे, मिट्टी बिछाना शुरू कर देंगे कि मैडम अब काम चालू हो गया है लेकिन तीन वर्ष हो गये और आज तक उस पर डामरीकरण नहीं हुआ है, यह शर्म की बात है आपके लिए।

ऐसी सड़कें जो अनेकों गांवों को, तहसील को, बड़ी पंचायतों को जोड़ती हैं, क्या सभापति महोदय, उन्हें बनाने का कष्ट करेंगे? सर्वे तो करवा लिया जाता है लेकिन नहीं, अभी कह रहे थे कि वहां तक बना दिया तो हमें भी कहीं बता दें और मंत्री महोदय को धन्यवाद दें कि इस गांव में रोड बना दिया गया है। आड़ी गेली से होता हुआ गढ़ी तक जो एक बहुत बड़ा 5-7 पंचायतों को जोड़ने वाला रोड है, रघुनाथपुरा से ग्वाड़ा तक जो ग्रेवल हो गये हैं, पिचिंग भी हो चुकी है सामोता स्टैण्ड से नारायणपुर तक और यह जवाब दिया जाता है जब पूछते हैं कि यह रोड अधूरा कैसे है, क्या काम चला रहे हो, बीच में क्यों रोक रहे हो तो मैडम, मंजूर हो गया है, अब यह काम शुरू हो गया है। मालोड़ी से बानसूर रोड तक, कानपुरा से डोईवाली तक, मुण्डावरा से शीतलनाथ जी तक, कानपुरा से मालियों की ढाणी तक, लादूवास का, छावड़ीवास, हमीरपुर, हाजीपुर, जेठवाला, बूजीवाली, पापड़दा की ढाणी, ईसराला ऐसे अनेकों रोड हैं जहां पर थोड़ा-थोड़ा ऐसा काम करवा रहे हैं.., क्या सभापति महोदय, थोड़ा तो बोलने दो आप।

श्री सभापति: बोलो आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): रोड बनाने की जो घोषणाएं की जाती हैं, सभापति महोदय, आंकड़ों में तो सारे बन गये, तीन पुल, जिनमें बच्चों का आवागमन रुक जाता है, माची रोड पर बिलाठ और खारी का बास, जब अपन प्रश्न लगाते हैं या कोई भी कटौती प्रस्ताव लगाते हैं तो अभी गांव में जे.ईएन., ए.ईएन. जाकर आये हैं और कह रहे हैं कि कौनसा पुलिया बनाना है लेकिन पुलिया नहीं तो कम से कम इतना तो कर दें और साइड से उसमें नाली निकाल दें कि बच्चे बारिश के समय में स्कूल आ जा सकें और उस पर आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो। सम्मानीय सभापति महोदय, अभी बड़ी पुलिया की बात हो रही थी, जैनपुरबास के पास अभी हम तीन-चार दिन पहले आ रहे थे तो वहां पर घुमाव है और पेड़ों से दिखता नहीं है जिसके कारण एक भयानक एक्सीडेंट हुआ कि एक गाड़ी कुचलते हुए चली गई और महीने में दो-चार एक्सीडेंट होते रहते हैं।

श्री सभापति: आपने गागर में सागर भर दिया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वहां लोहे का ऊपर ऐसा पुलिया बना दें जिससे पैदल जाने वाले व्यक्ति साइड चैंज कर सकें पर बार-बार देने के बाद भी उस पर कुछ नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): डाकघर या ऐसा कोई नहीं है और जो सरकारी आवासीय भवन हैं उनकी मरम्मत कराने के लिए एस.डी.एम. और तहसीलदार आदि के सरकारी आवास बनाये जाएं। नारायणपुर और बानसूर में बस स्टैण्ड का जिक्र किया जाता है वो भी नहीं है लेकिन ऐसी बड़ी पंचायतें जिनमें स्टेडियम के लिए, आंगनबाड़ी भवन हैं, चाहे स्वास्थ्य केन्द्र हैं, पशु उप केन्द्र हैं, पुलिस थाने हैं, इन भवनों की मरम्मत के नाम पर तीन वर्ष में कहीं पर कोई काम नहीं हुआ है। सभापति महोदय, ऐसा क्यों हो रहा है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, एक सैकिण्ड। अभी कह रहे थे कि इन्होंने नहीं बनाया तो अगर हम नहीं बनाते तो ये चलते किस पर यह समझ में नहीं आ रहा है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ये पतझड़ और हरियाली एक बसंत की तरह है,

ये पतझड़ और हरियाली बसंत की तरह है,

पक्ष और विपक्ष दोनों सड़क पर ही चलते हैं,

आप पक्ष में सरकार में हैं लेकिन,

पैर रखकर आपको भी सड़क पर ही चलना पड़ेगा,

सड़क पर ही चलना पड़ेगा।

आप हवा में नहीं उड़ोगे।

श्री सभापति: धन्यवाद। सार्वजनिक निर्माण मंत्री माननीय युनुस खानजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय..

(20.00 बजे)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, दो-दो मिनट और लोगों को भी बुलवा दें साहब। कल भी 11 बजे थे। आज ऐसा क्या हो गया। पाँच-पाँच मिनट का टाइम दे देते सबको, जो दो-तीन लोग बचे हैं साहब उनको। (व्यवधान) सारे आप लोग ही बोले हो। सारे आप लोग ही बोले हो आज।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सभापति महोदय, मेरा भी लगा हुआ है नम्बर।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, सुबह से इंतजार कर रहे थे। दो मिनट के लिए बाहर गये हुए थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय...

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): सभापति महोदय...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट का टाइम दे दो साहब आप हमारे को।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, दो मिनट के लिए पानी पीने बाहर गये थे। सुबह से बैठे हैं, सभापति महोदय, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों के संबंध में प्राप्त कटौती प्रस्ताव एवं दिन भर माननीय सदस्यों द्वारा की गई सार्थक बहस एवं अमूल्य सुझावों के लिए सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आज मांग संख्या-19 में कुल 172 कटौती प्रस्ताव 67 माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए। इसी प्रकार मांग संख्या-21 में 316 कटौती प्रस्ताव 90 माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए। इन सबके जवाब माननीय सदस्यों को सात दिन में दे दिये जाएगे।

माननीय सभापति महोदय, इतिहास गवाह है कि ज्यादातर मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं जहां उन्हें आवागमन, खेती, पशुपालन, व्यापार व वाणिज्य और सामाजिक संरचनाओं को मजबूत बनाने का अवसर मिला। सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद वर्तमान युग में इन पावन नदियों का स्थान ले लिया है उच्च गुणवत्ता की सड़कों ने। मानव जीवन के विकास के हर क्षेत्र को पोषित करती ये सड़कें उन सदा निरा नदियों की तरह हैं जो यातायात के अनवरत साधनों के रूप में हर समय प्रवाहित होती हैं। सड़कें समग्र आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार हैं। यात्री एवं सामग्री परिवहन, पर्यटन में सुगमता के साथ ही कृषि, औद्योगिक सुविधाओं की वृद्धि की दृष्टि से सड़कों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। सड़कों से व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। सड़कें रेलवे, हवाई एवं अन्य परिवहन साधनों की पूरक हैं। सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। अच्छी कनेक्टिविटी विकास दर को बढ़ाती है। अच्छी सड़कों के विकास मात्र से राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में लगभग डेढ़ प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जब इस सरकार का विजन 2020 रखा था, उस समय विशेष रूप से राजस्थान के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्होंने घोषणा की थी। उसी मजबूत घोषणा को फलीभूत करने के लिए वर्तमान सरकार कटिबद्ध है। माननीय सभापति महोदय, आप सबको पता है कि हम सिर्फ सड़क एवं पुल ही नहीं बनाते, बल्कि राष्ट्र का भी निर्माण करते हैं और यही हमारी सरकार की सड़क निर्माण विशेष रूप से प्राथमिकता है।

(श्री युनुस खान)

पिछले वर्ष जब मैंने आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2016-17 की अनुदान मांगों, विशेष रूप से 19 और 21 के जवाब में जब आंकड़े प्रस्तुत किये थे, उस समय जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग था, उसमें निश्चित रूप से वृद्धि हुई है और वर्तमान में अभी वैसे तो आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों बराबरी पर हैं लेकिन जो वर्तमान में घोषणाएं हुई हैं, उससे राष्ट्रीय राजमार्ग में राजस्थान आज की तारीख में प्रथम पायदान पर है। यह राजस्थान वासियों के लिए गौरव की बात है।

माननीय सभापति महोदय, राजमार्ग भी हमारे पास 15,607 किलोमीटर हैं। मुख्य जिला सड़कें भी 7,646 किलोमीटर हैं। ओडीआर भी 30,313 किलोमीटर हैं और ग्रामीण सड़कें भी 1,59,696 किलोमीटर हैं। कुल मिलाकर 2,21,430 किलोमीटर आज राजस्थान के पास सड़कें हैं।

अभी हमारी माननीय सदस्या जो बानसूर से आती हैं, उन्होंने कहा कि कोई अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो सड़कें बनाई नहीं। यह बात सही है कि सड़कों का कालान्तर से निर्माण होता रहा है। जब लोकतंत्र आया और चुनाव शुरू हुए, उससे पहले भी सड़कें थीं माननीय सभापति महोदय और सड़कों में निरन्तर विकास होता रहता है। फर्क इतना ही है माननीय सदस्या, मैं सभापति महोदय के माध्यम से बताना चाहूंगा कि उसमें किस शासन में कितनी दृढ़ इच्छाशक्ति है और किस तरीके से वह सड़कों का निर्माण करता है।

अगर मैं आंकड़ों पर जाऊं माननीय सभापति महोदय, आप यह देखिये कि 2003 से 2008 तक हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी और हमारे उस समय के माननीय मंत्री राजेन्द्रजी राठौड़ यहां बैठे हैं। उन्होंने पाँच साल में सड़कों का निर्माण किया, वह इनकी जो 1998 से 2003 की सरकार थी, उससे 54.61 प्रतिशत ज्यादा अर्थात् 38,176 किलोमीटर सड़कें अकेले उन पाँच साल में बनाई। माननीय सभापति महोदय, अगर उससे हम तुलना करें, कहां 38,176 किलोमीटर और कहां 10,315 किलोमीटर, यानी उस 2003 से 2008 के शासन में जो सड़कों का निर्माण हुआ, उसमें हम 54 प्रतिशत की वृद्धि पर थे, लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि पर थे, उसकी तुलना में ये 9.94 प्रतिशत ही वृद्धि कर पाये।

(श्री युनुस खान)

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाकर, यह आपको निवेदन करना चाहूंगा चर्चा आती है कि मुख्य मंत्रीजी ने अपना बजट रखते हुए यह कहा था कि हम 20,000 किलोमीटर सड़कों का पीपीपी में निर्माण करेंगे। यह एक घोषणा हुई। चूंकि मैंने पिछली बार भी यह निवेदन किया था कि पीपीपी में हमारे मेन रोड्स पहले चले गये, अब हमारे स्टेट हाइवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और ओडीआर को हम क्रमोन्नत करने में लगे हुए हैं। मुझे आज इस हाउस को कहते हुए खुशी हो रही है कि जो आंकड़े अभी-अभी मैंने बताये हैं दोनों सरकारों के, तो वर्तमान सरकार ने भी नवीन सड़कें हैं, माननीय सभापति महोदय, आज जब मैं इस हाउस में खड़ा हूं तो 23,294 किलोमीटर सड़कें इस सरकार के कार्यकाल में जो बनी है, जो अपने आप में तीन साल का यह इतिहास है।

माननीय सभापति महोदय, अभी सरकार के तीन साल पूरे हुए हैं और यह तीन साल पूरे होने पर हमने जो स्वीकृतियां जारी की, खाली स्वीकृतियां ही जारी नहीं की, माननीय सभापति महोदय, उनके बाकायदा टेण्डर करके, वर्कआर्डर करके, उन कामों को शुरू किया। अगर उनकी भी हम लम्बाई देखें जो अभी काम वर्तमान में चल रहा है और आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएगे तो कोई ऐसी पंचायत नहीं मिलेगी 9,894 में से, जिसमें काम नहीं चल रहा हो। लगभग 8,273 किलोमीटर की सड़कों का एक साथ काम शुरू हुआ है, यह भी 1952 से लेकर अब तक की एक ऐतिहासिक बात है। माननीय सभापति महोदय, इसमें भी हमने इनमें दोनों में जोड़कर लगभग 17,717 करोड़ रुपये की या तो स्वीकृतियां जारी कर दीं, या हमने काम पूरा कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से चर्चा आती है, नई सड़कें कनेक्टिविटी के लिए बनाते हैं। राजमार्ग बनाते हैं और सड़कों का भी, जो सड़कें बनी हुई हैं, वह टूट जाती है तो उनका नवीनीकरण भी करते हैं।

(20.08 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं उस कम्पेरिजन में नहीं जाऊंगा क्योंकि माननीय सभापति महोदय, उसमें भी सड़कों के नवीनीकरण के लिए भी पहला चरण जो हमारा आरआईडीएफ-20 और 21 का है, वह पूरा करके हमने 10,976 किलोमीटर

(श्री युनुस खान)
की सड़कों का नवीनीकरण कर दिया और वर्तमान में 5,039 किलोमीटर की सड़कों की स्वीकृतियां जारी कर दी। कुल मिलाकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 16,015 किलोमीटर सड़कें जो टूटी हुई हैं, उनमें से उनका काम हमने शुरू कर दिया है। यह भी अपने आपमें, इस पर भी लगभग 2,403 करोड़ रुपये हमारे खर्च होंगे जिसमें से 1,578 करोड़ रुपये हमने खर्च कर दिये।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे केन्द्र में प्रधान मंत्री माननीय मोदीजी और केन्द्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरीजी, उन्होंने भी इस वर्तमान राज्य सरकार को सहयोग देने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। हमारे बहुत सारे साथियों ने राजनैतिक दृष्टि से यह कहा कि साहब, कौन नम्बर वन है, कौन नम्बर टू है। कोई भी नम्बर वन और टू नहीं होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको यह कह सकता हूं कि यह राजनैतिक जुमला है लेकिन वास्तव में हमारे को काम करने का अवसर मिला है तो हमारे पास में एक सक्षम नेतृत्व है, जिसके पास अपना विजन है...

और भारत सरकार का हमारे को एक तरीके से बहुत-बड़ा सहयोग है उसकी वजह से आज हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब हो रहे हैं। उसमें भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से भी हमें लगभग 21,846 करोड़ रुपये इन तीन साल के कार्यकाल में मिले हैं जो भी अपने आप में एक इतिहास है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आज हाउस में एक चर्चा आई कि घनत्व की दृष्टि से हम कमजोर हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि घनत्व में जो जनसंख्या है वो क्षेत्रफल है और उसके साथ में जो हमारी सड़कों का निर्माण हुआ है इन तीनों को जोड़ करके जो घनत्व निकलता है उसमें राजस्थान में जब वर्तमान सरकार ने कार्यभार सँभाला उस समय 58.75 था जो अब बढ़ करके लगभग 65 वर्ग किलोमीटर हो गया जो कि ऐतिहासिक है। हमारे सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भारत का तो 166.47 है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन तीन सालों का अगर हम देखें तो उन्होंने ने भी जो वृद्धि की है वो लगभग आठ प्रतिशत की की है और हमने भी आठ प्रतिशत की है तो जो भारत का औसत है उसके साथ

(श्री युनुस खान)
राजस्थान सरकार चल रही है। चूंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है आपको भी पता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन लाख बयालीस हजार वर्ग किलोमीटर है। छितराई हुई जनसंख्या है। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह कहा कि बीकानेर चूरू से पिछड़ा हुआ है। चूरू का जो क्षेत्रफल और जनसंख्या है और जो बीकानेर का क्षेत्रफल है वो बहुत छितराया हुआ है और जैसलमेर से आने वाले दोनों माननीय सदस्यों ने भी पोकरण और जैसलमेर के माननीय सदस्यों ने भी कहा तो आप भी जानते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर भी बहुत छितराया हुआ है और कई-कई देशों से बड़ा है इसलिए वहां सड़कों का निर्माण उसी अनुपात में हो रहा है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक हमारी महत्वाकांक्षी योजना विशेष रूप से जो मुख्य मंत्रीजी ने पहले बजट में ग्रामीण गौरव पथ के रूप में घोषणा की थी कि हमारे उस समय 9,170 ग्राम पंचायतें थीं, उनके लिए उन्होंने घोषणा की थी लेकिन बाद में माननीय गुलाब जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और पुनर्गठन हुआ उसमें 9,894 ग्राम पंचायतें हो गईं उन सबको राज्य सरकार की गौरव पथ के माध्यम से मुख्यालयों को जोड़ने का जो हमने लक्ष्य रखा उसमें विशेष रूप से हमारी महिलाएं, हमारे गांववासी जो गांव में रास्ते होते हैं मुख्य मार्ग होते हैं उनमें नाली नहीं होती है, कीचड़ हो जाता है, उस कीचड़ से निजात मिले। ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण लोग गौरव कर सकें कि हमारी भी सीमेंटेड रोड्स हैं उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी और उस योजना में हमने प्रथम चरण में गौरव पथ के रूप में प्रथम चरण में हमने यह बात सही है कि 2154 ग्राम पंचायतों की स्वीकृतियां दी लेकिन बाद में माननीय सदस्यों ने उनको कन्वर्ट करा कर के कुछ परिवर्तन करा के मिसिंग लिंक ले ली, लेकिन उसमें भी प्रथम चरण में हमने 1973 ग्राम पंचायतों को जोड़ा और उनका 1972 का काम पूरा हो गया, एक में विवाद था जिसका काम निर्माणाधीन है। दूसरे चरण में 2086 जो हमारे गौरवपथ हैं उनके भी हमने टेण्डर भी कर दिये वर्क ऑर्डर भी कर दिये और बहुत सी जगह निर्माण भी हो गये और अभी तक मेरे पास रिपोर्ट जो आयी है उसके अनुसार पचास

(श्री युनुस खान)
पंचायतें ऐसी हैं जिनमें यह निर्माण का कार्य पूरा हो गया और अभी भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब ये 2017-18 का बजट रखा उसमें फिर 2000 ग्राम पंचायतों के लिए उन्होंने और स्वीकृति दी है तो मैं सोचता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम समय रहते हुए पूरा कर लेंगे और ये गौरव पथ खाली राजस्थान में ही नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाहर के लोग भी आकर के इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ये जो गौरव पथ राजस्थान सरकार ने बनाया है यह इतना अच्छा बना है तो मैं सोचता हूं कि यह लक्ष्य भी हम पूरा कर लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इसके साथ-साथ मिसिंग लिंक भी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो अपने मुख्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं, ग्राम पंचायत मुख्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो एक-दूसरे गांव से नहीं जुड़े हुए हैं तो इसकी कनेक्टिविटी के लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी, क्योंकि अब तो हमने गौरव पथ के साथ में मिसिंग लिंक भी देना शुरू कर दिया तो माननीय सदस्यों से चर्चा करके और आवश्यकतानुसार प्रथम चरण में हमने 1041 पंचायतों में यह काम दिया जिसमें 2246 किलोमीटर और 608 करोड़ रुपये का यह निर्माण कार्य पूरा हुआ है जो अपने-आप में ऐतिहासिक काम हुआ है। दूसरे चरण के लिए भी हमने 808 कार्य और 1820 किलोमीटर और 662 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की हैं।

माननीय सदस्यों ने जब सरकार के तीन वर्ष पूरे हुए उस समय मैं सोचता हूं कि सबने इनके शिलान्यास किये हैं। अब शेष हमारा जो तीसरा चरण है उसमें जो भी प्रस्ताव हमारे पास माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आएंगे, उन कार्यों को भी हम करेंगे, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने 2017-18 के बजट में यह कहा है कि हम 1200 करोड़ रुपये की लागत से 2000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम करेंगे उसमें कुछ गौरव पथ होंगे, कुछ मिसिंग लिंक होंगे वह माननीय सदस्यों से चर्चा करके हम उस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे, चूंकि सड़क निर्माण एक सतत प्रक्रिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें बनती हैं सड़कों का भी एक जीवन है और उस जीवन में वो टूटती भी हैं। यह बात सही है कि बहुत सारी

(श्री युनुस खान)

सड़कें माननीय सदस्यों ने एक मुद्दा उठाया कि बहुत सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं जिनका दस साल से भी पीरियड निकल गया लेकिन रिनुअल नहीं हुआ तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने फैसला किया कि डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान के माध्यम से हमने तीन दिन पहले तक पूरे राजस्थान की हिस्ट्री तैयार कर ली कि कौन सी रोड का कब निर्माण हुआ, कब उसका रिनुअल हुआ, आज तक उस पर पैसा लगा कि नहीं लगा। यह हिस्ट्री हमारे पास आ गयी है और उसके आधार पर अगली जो हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है उसी प्रायोरिटी के आधार पर हम उन सड़कों को लेंगे, जिससे बार-बार यह सदन में बात नहीं आये कि जिनका लंबा समय हो गया वो सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के आने के बाद में भी यह पहली बार हो रहा है।

मैं पूर्ववर्ती सरकार की ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि जो आंकड़ें उनकी सरकार के मुझे मिले हैं उसमें ज्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं है, लेकिन हमने आते ही 2014 में जो हमारा आरआईडीएफ 20 आया उसमें 1211 सड़कों को लिया और 4254 किलोमीटर सड़कें लीं और उसमें लगभग 847 करोड़ रुपये खर्च करके हमने पहला चरण पूरा कर लिया। दूसरे चरण में 694 काम लिये, 2702 किलोमीटर और 605 करोड़ रुपये की राशि से हम उन कामों को भी करीब-करीब मई तक कम्पलीट कर देंगे और यह तीसरा चरण भी हमारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेण्डर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया और मैं सोचता हूं कि यह काम भी हमारा लक्ष्य है कि 30 जून तक कर दें बारिश से पहले-पहले तो कुल मिला कर के माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमने अब तक 11,995 किलोमीटर की रिनुअल के अगेंस्ट में 2277 करोड़ रुपये दिये हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फिर चौथे चरण के रूप में हमारे को पाँच हजार किलोमीटर सड़कों के रिनुअल के लिए आठ सौ करोड़ रुपये दिये हैं तो मैं सोचता हूं कि हर वर्ष हम नयी सड़कें भी बना रहे हैं, टूटी हुई सड़कों को पूरा भी कर रहे हैं तो यह एक तरीके से सरकार का नियोजित तरीके से नयी सड़कों का बनाना, नयी कनेक्टिविटी देना, ढाणियों को जोड़ना और क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान रोड सैक्टर मॉर्डनाइजेशन प्रोजेक्ट

(श्री युनुस खान)

जो था वो पिछली सरकार ने शुरू किया था इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन चूंकि उनकी प्रवृत्ति रही कि उन्होंने जो भी काम लिये वो अंतिम वर्ष में लिये और पहले चार साल इस बात का इंतजार करते रहे कि पांचवें साल हम काम देंगे तो हमें राजनीतिक लाभ मिलेगा। वहां जाएंगे, शिलान्यास करेंगे, बोर्ड लगाएंगे, लेकिन हमने यह देखा कि जो अंतिम वर्ष में होता है तो जनता बहुत समझदार है जनता इन विषयों को समझती है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया हुआ काम है इसलिए उसका मतलब उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से कोग्नीजेंस नहीं लिया और उसका परिणाम यह हुआ कि अंतिम समय में इन्होंने जो सड़कें स्वीकृत की थी वो बजट से कहीं बहुत ज्यादा थीं और एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। इन्होंने एक योजना शुरू की मुख्य मंत्री विशेष सड़क योजना, उसमें डेढ़ सौ करोड़ का प्रोविजन किया और लगभग आठ सौ करोड़ की स्वीकृतियां जारी कर दीं। 2,242 करोड़ का इन्होंने बजटरी प्रोविजन किया और लगभग चार हजार करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी कर दीं तो ये जो प्रैक्टिस है वो भी राजनीतिक नहीं हो कर के अगर, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या चली गईं, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजनीतिक नहीं होना चाहिए, हमें स्टेट के आधारभूत ढांचे को तैयार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। इसी तरीके से जिस योजना का जिसका मैंने जिक्र किया इसमें भी हमने ...

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 990 गांव इस सरकार के कार्यकाल में जोड़े, जिसमें 2214 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ और 940 करोड़ रुपये खर्च किये, यह काम भी हमने लगभग पूरा कर दिया। आमेर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, इन्होंने आंकड़ों की चर्चा की थी, मैं उसमें निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात सही है कि जो हम प्रोविजन करते हैं उसका खर्चा आखिरी महीनों में होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं सड़कों का काम बारिश के महीनों, जुलाई, अगस्त, सितम्बर में नहीं होता है और विशेष रूप से बिटुमिन बारिश और सर्दी में नहीं होता। जनवरी के बाद जो हैल्दी मंथ्स आते हैं, उनमें ही परिणाम आते हैं। आपने पीएमजीएसवाई का विशेष रूप से जिक्र किया कि पीएमजीएसवाई में खर्च नहीं हो पाया।

(श्री युनुस खान)
हमारा जो 800 करोड़ का लक्ष्य है, उसमें से 630 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके, 3 हजार किलोमीटर सड़कों की हमने बात कही है, मैं 31 मार्च को राजस्थान की 3 हजार किलोमीटर की आपको सूची भेज दूंगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने विशेष रूप से इस देश को नई दिशा दी और वह प्रधानमंत्री हैं हमारे सबके श्रद्धेय, चाहे वह हां पक्ष हो, चाहे ना पक्ष हो, अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं सोचता हूं सारे लोग और पूरे हिन्दुस्तानी उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, वह हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनको धन्यवाद देना चाहिए, स्वर्णिम राजमार्ग भी उन्होंने शुरू किये और यह योजना भी उन्होंने शुरू की। आज हमारा देश वास्तव में देखा जाये तो सब देशों में श्रेष्ठ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने यह दोनों योजनाएं बहुत अच्छी शुरू की थीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाकर वर्तमान सरकार ने हमारे इन तीन वर्षों में विशेष रूप से प्रधान मंत्री सड़क योजना में जोड़ने का काम किया उसमें हमारी सरकार आते ही हमने 874 काम और 1480 बसावटें हमने हाथ में ली थीं। पहले फेज में हमने 874 बसावटें ली थीं और दूसरे फेज में 1480 ली थीं। जिनमें लगभग 2334 बसावटों का इस कार्यकाल में या तो हमने काम पूरा कर दिया या काम शुरू कर दिया। सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एक तो घनत्व वाले मुद्दे को उठाया, उसका भी मैंने जवाब दिया। प्रधान मंत्री सड़क योजना में आपने कहा कि 2003 का सर्वे था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारें आना जाना सत्त प्रक्रिया है, आज जो योजना इन्होंने बनाई मान लीजिए वह योजना अधूरी है, वह गांव तो राजस्थान में ही है, राजस्थान से बाहर तो नहीं है, उस प्रक्रिया को आगे ले जाने के काम में दृढ इच्छा शक्ति चाहिये, 1480 उन ढाणियों को जो मरूस्थलीय क्षेत्र में हैं, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में हैं, उनमें काम शुरू किया। हमारे कार्यकाल में, मैं स्वयं प्रपोजल लेकर गया हूं, मैं स्वयं स्वीकृत करवा कर लाया हूं। अगर हमारे मन में कोई भेदभाव होता तो मैं सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आपके फर्स्ट फेज

(श्री युनुस खान)

में 48 सड़कें हैं और दूसरे फेज में अभी 48 सड़कों का काम चल रहा है। इसी तरह से नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत हंसकर, मुस्कुरा कर कहा, इनके क्षेत्र में भी लगभग 24 सड़कों का काम चल रहा है। मैं सोचता हूं कि यह योजना बिलकुल भेदभाव से ऊपर उठकर के है, गांवों के लिये है, गांवों की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिये है। इस काम को भी हम बहुत ही त्वरित गति से कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अब तक 6910 किलोमीटर सड़कें इस कार्यकाल में स्वीकृत की हैं। अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कई जगह उपलब्धियां ज्यादा हैं। हम जो क्रेडिट ले रहे हैं वह 6910 किलोमीटर का ले रहे हैं लेकिन हमारी उपलब्धि 9072 हैं। क्योंकि कुछ कार्य पिछली सरकार शुरू नहीं कर पाई थी, वह हमारी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए, इसलिए हमारी उपलब्धि लगभग डेढ़ी है, 6910 के अगेंस्ट में हमारी उपलब्धि 9072 किलोमीटर है। इसी तरीके से जो हमारा खर्चा है वह भी दोनों में बराबर है। 2408 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, उसमें से 2389 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा प्रधान मंत्री सड़क योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया और अब द्वितीय चरण के लिये यह जो 1480 बसावटें हैं, उनके वर्क आर्डर हो गये, काम शुरू हो गये, हम क्वालीफाई हो गये। द्वितीय चरण के लिये डीआरआरपी बना दी और इस डीआरआरपी की बदौलत हमने दिल्ली को रिपोर्ट दे दी। हमारी जो पुरानी बनी हुई सडकें हैं, विशेष रूप से विलेज रोड्स और ओडीआर, उनका सर्वे करवाया है, उस पर लगभग 3465 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो हम करेंगे जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की है, उसके अनुसार और 3465 किलोमीटर के लिये भारत सरकार हमें लगभग 1500 करोड़ रुपये देगी। यह 8 हजार किलोमीटर सड़कें इस वर्ष हम और रिन्युअल करेंगे और दूसरे चरण के लिये हम क्वालीफाई होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारा स्टेट प्लान है उसमें भी हमने लगभग 73 काम, 383 किलोमीटर और 407 करोड़ रुपये का काम हमने स्टेट प्लान में भी कर

(श्री युनुस खान)

दिया। जिसमें बहुत सारी सड़कें हैं उनकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, उनके बारे में कहीं न कहीं सब सदस्यों को मालूम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट हाइवे डवलपमेंट प्रोग्राम इस सरकार के आने के बाद में 2014 में हम बिल लेकर आये थे, बिल पास किया। उसमें हमारे जितने एमडीआर थे, उन सारे एमडीआर को हमने स्टेट हाइवे घोषित कर दिया और उनका काम भी हमने योजनाबद्ध तरीके से शुरू कर दिया। आज विभिन्न माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से ना पक्ष के लोगों ने इसका जिक्र भी किया, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो वीजीएफ की सड़कें हैं, अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने विधान सभा में जो प्रश्न पूछा उसके जवाब में भी हमने आंकड़े दिये, विशेष रूप से हमारी दो सडकें 58 किलोमीटर की 109 करोड़ की हैं, जो वीजीएफ की हैं। एडीबी से 3 हजार करोड़ का जो हमारा एमओयू हुआ था, जिसका मैंने पिछली बार जिक्र किया था, उसका निर्माण काम शुरू हो गया है और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उसमें शुरुआत के रूप में 12 सड़कें 746 किलोमीटर और 18 करोड़ रुपये के काम हमने टेंडर कर दिये, वर्क आर्डर कर दिये और उनके काम भी फील्ड में कहीं न कहीं शुरू हो गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमने एडीबी से लोन लिया उसमें चार सड़कें इपीसी में हम बना रहे हैं। उनका 234 किलोमीटर 635 करोड़ रुपये और इसी 5 अप्रैल, 2017 को इसका टेंडर खोलकर शीघ्र ही इनके काम भी हम शुरू कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि 3 हजार करोड़ रुपये हम एशियन डवलपमेंट बैंक से लेंगे, 3 हजार करोड़ रुपये हम विश्व बैंक से लेंगे। विश्व बैंक में भी हमारी 9 सड़कें 766 किलोमीटर 2240 करोड़ रुपये, इसकी भी हमारे पास स्वीकृति आ गई है, इनका भी टेंडर हम अगले माह तक लगा देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान स्विस चैलेंज में जो एमओयू किये थे, उनमें भी 48 सडके 2997 किलोमीटर और 6020 करोड़ रुपये, इनकी भी बिडिंग हम नैक्सट मंथ में लगा देंगे। मैं सोचता हूं कि हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना जो हमने शुरू की थी, यह

(श्री युनुस खान)
बात सही है, इस बात को स्वीकार करने में मुझे गुरेज़ नहीं कि समय लगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि पहले डीपीआर बनाई, फिर हम डीपीआर बनाकर संबंधित बैंकों के पास गये, बजटरी प्रोविजन किया और इन सारे प्रबंधों के बाद में, जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई अब यह हमारे काम इस वर्ष से शुरू हो जाने हैं। आज हाउस में मैंने अभी तक जिन सड़कों का जिक्र किया, निश्चित रूप से हम दिसम्बर, 2018 से पहले इन सड़कों का निर्माण कर देंगे, यह मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं एक जानकारी चाह रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, एस.एच.डी.पी..।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हजारों करोड़ रुपए की घोषणा हो रही है। इतनी जोर से बोल रहे हैं। आपसे निवेदन है कि एक पानी का गिलास।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय को अगर जल की आवश्यकता है तो जल उपलब्ध करा दिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सामने वालों को पिला रहे हैं, आपको पानी की क्या जरूरत है? पानी पिये हुए हैं सामने वाला।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे आपके बगल में ही जल संसाधन मंत्री बैठे थे, इसलिए हमने यह महसूस नहीं किया कि जल की आपको आवश्यकता पड़ेगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वे सामने वालों को खूब पिलाना चाहते हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक मिनट सबसे निवेदन करना चाहूंगा। जब मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे हैं तो शांति और धैर्य से आप उनका पूरा वक्तव्य तो सुन लें। हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न रहे हैं, उनका उत्तर अंत में मिल जाए। तब तक का धैर्य तो आप लोग रखें। क्योंकि आप सब के लिए उन्होंने धैर्य रखा है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री युनुस खान)
जल संसाधन मंत्री मेरे पड़ौसी हैं और अगर ये पानी लाकर पिलाएंगे तो मैं निश्चित रूप से पीऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: फिलहाल तो आसन अभी इसकी व्यवस्था कर रहा है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं आसन को धन्यवाद दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चर्चा सी.आर.एफ. की हाउस में आई और जब आप अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे तब उन्होंने सी.आर.एफ की भी बात कही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब काम की स्वीकृति आती है, उसके बाद में डीपीआर, टेंडर, वर्क ऑर्डर और उसके बाद वह काम शुरू होता है तो खर्चा बाद में शुरू होता है। अब सारा समय खर्चे का आया है, इसलिए मैं आमेर से आने वाले माननीय सदस्य को कहूंगा कि निश्चित रूप से खर्चे के जो आंकड़ें हमने रखे हैं, वे हम हर वर्ष अचीव करेंगे। इस वर्ष भी अचीव करेंगे और अगले साल भी अचीव करेंगे, क्योंकि अब हमारा काम कम्पटीशन की ओर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2000 में यह एक्ट आया। 2000 से लेकर 2013-14 तक कांग्रेस शासन के आखिरी वर्ष तक, यानी इन 13 सालों में सी.आर.एफ. के 787 काम आए और उसमें 2290 करोड़ रुपए राजस्थान को मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, इसलिए मैंने माननीय नितिन गड़करी जी का जिक्र किया और मैंने उनको धन्यवाद भी किया। इस हाउस के माध्यम से मैं धन्यवाद भी भेजना चाहूंगा कि 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में इन तीन सालों में सिर्फ फुटकर काम नहीं दिए हैं। जो वास्तव में दिखे हैं, ऐसे काम हमने दिए हैं, 81 कामों के अगेंस्ट में, यानी तेरह सालों में 2290 करोड़ रुपए और अकेले तीन साल में 2711 करोड़ 61 लाख रुपए की स्वीकृति आई हैं। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। आज राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं। जब मैंने पिछली बार हाउस में बोला था तो उन्होंने कहा कि इतनी स्वीकृतियां तो नहीं आ सकती, मिल ही नहीं सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि स्वीकृति नहीं आई है, बल्कि हमने उनके काम कर दिए है और जो काम कर रहे हैं उनको पेमेंट भी रेगुलर दे रहे हैं, तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ-

(श्री युनुस खान)

साथ एक हमारी उपलब्धि है - अनूपगढ़ से सूरतगढ़। इसी में हमने लिया है। यह 75 किलोमीटर की सड़क है, 291 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण हो रहा है। 291 करोड़ रुपए की सी.सी. सड़क बन रही है तो वहां कौतूहल का विषय है, क्योंकि हमारे मित्रों ने वहां जाकर सात मंडियां थीं, उनको बंद कराया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो हालत यह है कि उस सड़क का निर्माण हो रहा है। लोग देखने आते हैं कि दस मीटर चौड़ी और सी.सी. रोड़ की 75 किलोमीटर बन सकती है। मैं सोचता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत सारे लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड भी काम कर रहा है और इसके काम की भी राजस्थान में काफी सराहना हो रही है। उसमें विशेष रूप से हमने भवनों का निर्माण आर.एस.आर.डी.सी. के माध्यम से कराया। लगभग 2174 करोड़ रुपए के काम हमने शुरू किए हैं, 390 काम हैं और 1107 करोड़ रुपए तो उस पर खर्च कर चुके हैं। इसी तरीके से कुछ सड़कें हैं, उसके लिए क्योंकि कई बार जो आंकड़ें आते हैं, देखते हैं, खाली यह देखते हैं कि पी.पी.पी. में कौनसी बन रही है? मैं बताना चाहूंगा कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद हमने 5 हजार 585 करोड़ रुपए की 2303 किलोमीटर लंबी सड़कें। बार-बार चर्चा आती है कि एक किलोमीटर भी नहीं बनी। अगर किसी को जाना है तो बकानी, तीनधार, मण्डावर। खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, उनके वहां का काम भी मैं सोचता हूं कि वह भी डबल सी.सी. बन रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी 2303 किलोमीटर, जिसमें 30 कार्य हैं, उनमें भी हम 25 काम पूरे करके 1550 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। इसी तरीके से इसमें आर.ओ.बी., आर.यू.बी और ब्रिज भी 647 करोड़ रुपए के हैं। आठ आर.ओ.बी., एक आर.यू.बी., और एक ब्रिज का काम भी चल रहा है। जिसमें मैंने डग-चौमहला-सीतामोह की सड़क 127 करोड़ की। मैंने मण्डावर-तीनधार-बकानी की बात करी 129 करोड़ की, भरतपुर-बयाना-हिण्डौन की 324 करोड़ की। यह जिक्र करना चाहूंगा कि यह सड़क पिछले शासन में रिडकोर में शुरू हुई थी। यह सड़क किन्हीं कारणों से रह गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिडकोर से हमने वह सड़क लेकर और

(श्री युनुस खान)

आर.एस.आर.डी.सी. को देकर..। राज्य सरकार बाकायदा 324 करोड़ रुपए देकर उस काम को पूरा करा रही है, भरतपुर-बयाना-हिण्डौन-गंगापुर सिटी में 113 किलोमीटर का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से दूदू-मालपुरा-टोडारायसिंह-छाण की भी 103 किलोमीटर की 320 करोड़ रुपए की है। प्रतापगढ़-मंदसौर भी लगभग 62 करोड़ रुपए की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो आर.एस.आर.डी.सी. है, वह भी सड़कों का निर्माण कर रहा है और जितनी सड़कें हमनें बोली है वे सारी सीमेंटेड हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर हम ज्यादातर सड़कें सीमेंटेड बना रहे हैं।

इसी तरीके से हमारा सड़क निर्माण का काम ही नहीं, भवन निर्माण का काम भी रहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्य मंत्रीजी का विजन खाली सड़कें बनाना या भवन बनाना ही नहीं। हम स्किल डवलपमेंट को किस तरीके से राजस्थान में ला सकते हैं? जब हमने 15 लाख नौकरियां देने की बात कही तो हमारे 'ना पक्ष' ने खिल्ली उड़ाई। हमें 15 लाख नौकरियां राज्य सरकार में थोड़े ही देनी है। राज्य सरकार का आंकड़ा तो आठ लाख तक रहता है। रिटायर होते हैं, आते रहते हैं। अब कौनसे शासन में कितने लोग रिटायर हुए, कितनी भर्तियां हुईं, लेकिन हमने 15 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देने का जो जिम्मा लिया था, उसमें से 12 लाख लोगों को अब तक हमने रोजगार के अवसर दिए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक हमनें जो एक साथ आई.टी.आई. खोले हैं, उसमें पी.डब्ल्यू.डी. 39 बना रही है और आर.एस.आर.डी.सी. 22 बना रही है। इसमें हम स्किल डवलपमेंट का काम करेंगे और लोगों को सुविधाएं देंगे। खाली घोषणा करने से नहीं होगा। इसलिए यह काम भी सरकार कर रही है। इसके साथ-साथ हमारे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स हैं। मैं सोचता हूं कि वे सभी विधान सभा क्षेत्रों में बन रहे हैं। हां पक्ष हो, चाहे ना पक्ष हो, सबके क्षेत्रों में बन रहे हैं। उन लगभग 134 मॉडल स्कूल्स में से 103 का निर्माण हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग कर रहा है। मॉडल स्कूल वह होगा, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूल हैं, उन्हीं की तर्ज पर वे स्कूल बनेंगे। तो मैं सोचता हूं कि वह भी राजस्थान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वह काम भी पी.डब्ल्यू.डी. कर रही है। विशेष रूप से बहुत सारी तहसीलों के भवन, बहुत सारे राजकीय भवन।

(श्री युनुस खान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि राज्य कौशल विकास आजीविका की दृष्टि से बात हो या मॉडल स्कूल बनाने की बात हो, राजकीय महाविद्‌यालय बनाने की बात हो, चिकित्सा, पशुपालन, शिक्षा, राजस्व, सामान्य प्रशासन के भवनों की बात हो, आवासीय या गैर-आवासीय हो, इनमें 536 काम 1709 करोड़ रुपए के वर्तमान सरकार कर रही है। उसमें भी गुणवत्ता हमारी प्राथमिकता है। समय पर हम पूरा करें तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं कह सकता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएँ की हैं, उनका पैरेलल बजटरी प्रोविजन भी किया है और उन कामों को शुरू भी किया। मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समय पर उन कामों को हम पूरा भी करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य विलेज रोड्स हैं, चाहे प्रधानमंत्री सड़क, चाहे ओ.डी.आर. चाहे एम.डी.आर., चाहे वे स्टेट हाइवे हैं, उनका मैंने जिक्र किया है। राष्ट्र निर्माण में नेशनल हाइवेज का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बहुत हर्ष है कि वर्तमान में भारत सरकार ने हमारा बहुत सहयोग किया है। इसका मैं बार-बार जिक्र भी करता हूं। आज भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम उनके द्‌वारा दिए हुए सहयोग की भी बात करें तो रिनुअल काम के लिए भी उन्होंने हमारे को, जो सड़कें टूटी हुई है उनके रिनुअल के लिए भी 377 करोड़ रुपये दिए। जो हमारे मूल काम है उनके लिए 2 हजार 24 करोड़ रुपये हमने लिए। लगभग एक हजार 42 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके।

इसी तरह पीपीपी की हमारे यहां 6 योजनाएं भारत सरकार की चल रही है जिनमें 2751 करोड़ के काम। उसके अलावा ईपीसी में 7 काम चल रहे हैं जिसमें 2325 करोड़ और 546 किलोमीटर। इसी तरीके से एनएचएआई वर्ल्ड बैंक के भी दो काम 667 करोड़ और एनएचएआई विशेष रूप से राजस्थान में बहुत बड़ा काम कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए यह बहुत गौरव की बात है कि जब भी हम दिल्ली जाते हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया एनएच के अलावा रिनुअल और डीपी ईपी इन सबका किया लेकिन एनएचएआई जो सड़कों का निर्माण करता है उसमें चार किलोमीटर पर-डे अभी निर्माण कर

(श्री युनुस खान)
रहा है, जो 31 जनवरी को उन्होंने आंकड़े जारी किए उसमें से तीन किलोमीटर सड़कें अकेला राजस्थान दे रहा है। यानि पूरे हिन्दुस्तान का 75 प्रतिशत काम अकेला राजस्थान दे रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी 32 काम 2767 किलोमीटर और 16 हजार 354 करोड़ यानि कुल मिलाकर यह है कि भारत सरकार के 220 काम इस सरकार के आने के बाद, 6 हजार 574 किलोमीटर और 31 हजार 72 करोड़ रुपये के काम आज राजस्थान में चल रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सड़कों का जिक्र करना चाहूंगा। उसमें विशेष रूप से, बर बिलाड़ा जोधपुर, पिछली बार मैं देख रहा था बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे वह वित्त मंत्री भी थे, उन्होंने जब बजट रखा उन्होंने दो बार अपने बजट में बर बिलाड़ा जोधपुर के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया। मैं इसके इतिहास में भी गया कि यह बार-बार घोषणा हुई, बर बिलाड़ा जोधपुर क्यों नहीं बन पाया। उन्होंने पहले राजस्थान के ही मंत्री थे दिल्ली में, उनसे एन एच घोषित करवा लिया। चूंकि वह एनएच घोषित हो गया इसलिए राज्य सरकार उस पर खर्च नहीं कर सकती थी। क्या कारण था उसमें भी नहीं जाना चाहूंगा, उन्होंने क्यों नहीं पैसे दिए उसमें भी मैं नहीं जाना चाहूंगा। उन्होंने पैसे नहीं दिए। इनके दोनों बार के बजट की घोषणाएं रह गई, तो यह काम अधूरा रह गया। यह काम पूरा नहीं हुआ। मैं सोचता हूं कि जोधपुर का काम पूरा होना जरूरी था। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य हाउस में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस सड़क के लिए विशेष रूप से मुझे और गडकरी जी को भी धन्यवाद दिया कि वास्तव में जिस काम को, हमारी यहां भी सरकार थी, वहां भी सरकार थी, हम नहीं कर पाए, उस काम को आपने 110 दस किलोमीटर 649 करोड़ रुपये का स्वीकृत कर दिया। बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, वह काम भी शुरू हो गया, यह एक बड़ी उपलब्धि है।

इसी तरह से अभी माननीय मंत्री जी आए थे। टोंक, सवाई माधोपुर 67 किलोमीटर 262 करोड़ रुपये की, उसी तरीके से सालासर-नागौर 120 किलोमीटर 532 करोड़ की, मनोहरपुर, दौसा, लालसोट, कोथून 920 करोड़ की और किशनगढ़, उदयपुर, अहमदाबाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से

(श्री युनुस खान)
किशनगढ़ सिक्स लेन है। किशनगढ़ से गुलाबपुरा, गुलाबपुरा से चित्तौड़, चित्तौड़ से उदयपुर और उदयपुर का बाइपास और उसके बाद उदयपुर से रतनपुर तक सिक्स लेन की डीपीआर थी वह कम्पलीट होने के बाद, मैं माननीय गडकरी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमको इस काम के लिए, लगभग यह 447 किलोमीटर सड़क है जो गुजरात तक जाएगी, उसके लिए 5 हजार 426 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। यह सिक्स लेन हम निश्चित रूप से 18 से 20 महीने में कम्पलीट कर देंगे। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी माननीय गडकरी साहब से अनुरोध किया है। वह शायद हमें अप्रैल महीने में समय देंगे, इसका भी हम शिलान्यास कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ रिनुअल के काम भी राजस्थान में अच्छे चल रहे हैं। जैसा मैंने उपलब्धियों में बताया कि 8 हजार 184 किलोमीटर के करीब राजस्थान का एन एच हो गया। इस सरकार के आने के बाद 713 किलोमीटर और हो गया। 7 हजार 312 किलोमीटर अब तक हमारी गवर्नमेंट आने तक राष्ट्रीय राजमार्ग था। हमारा लक्ष्य है कि हम 2018 तक, बार-बार चर्चा आती है गडकरी जी घोषणा करते हैं क्या वह सड़कें बनेगी। मैं आपके माध्यम से हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह सड़कें हम बनाएंगे। जितना अब तक 7 हजार 312 किलोमीटर राजस्थान में राजमार्ग था, हमारा लक्ष्य है कि इसको दुगना करके राजस्थान 14 हजार किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएगा। उसकी डीपीआर चल रही है। लगभग साढ़े चार हजार किलोमीटर इसमें से इनप्रिसिंपल डिक्लियर हो गया। उसकी डीपीआर बन गई।

झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चार जिले हैं। चार जिले नहीं, झुन्झुनूं बाकी था लेकिन झुन्झुनूं को भी हमने विशेष रूप से प्राथमिकता में लिया है। यह बात सही है कि आप जब मंत्री थे उस समय इसकी घोषणा हुई थी लेकिन उसकी डीपीआर भी नहीं बन पाई थी, वह डीपीआर भी हमने आकर, पीछे पड़कर, उस डीपीआर को कम्पलीट किया। मुझे झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 400 करोड़ रुपये, आपको एक या दो दिन में उसकी स्वीकृति लाकर दे देंगे, तो आप भी वंचित नहीं रहेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री युनुस खान)

माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब 33 के 33 जिले एन एच से जुड़ जाएंगे। ...(व्यवधान)... वह ताली अभी नहीं बजाएंगे, जब मैं घोषणाएं करूंगा, झुन्झुनूं का नाम और आएगा, तब बजाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरयूबी और आरओबी में भी लगभग 25 काम हमने स्वीकृत किए हैं और यह कुल डीएफसी और रेलवे के हमारे 926 करोड़ के काम प्रगतिरत हैं, या तो स्वीकृतियां हो गईं या काम शुरू हो गया। मैं सोचता हूं कि इसमें भी हमारी सरकार की कटिबद्धता है। मैं हाउस की नॉलेज में लाना चाहूंगा कि माननीय नितिन गडकरी जी ने यह कहा है कि 50 परसेंट पैसा रेलवे दे, 50 परसेंट हम देंगे। एक एमओयू हमारा उनके साथ, रेलवे, एन एच मतलब भारत सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन विभाग और राजस्थान सरकार के बीच में होने वाला है। मैं हाउस में यह कह सकता हूं कि अगले महीने में जो हमारा एमओयू होगा उसमें लगभग जिनका टीओबी एक लाख से कम है उनको भी लेकर हम लगभग चार हजार करोड़ के नये आरओबी और आरयूबी का एमओयू करके हम उस काम को शुरू करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कें बनती हैं, बसें आती है, व्हीकल्स आते हैं, निश्चित रूप से जनसंख्या भी बढ़ी है, सड़कों की क्वालिटी भी सुधरी है, वाहनों की स्पीड भी बढ़ी है। उनकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत होती है। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालो की संख्या भी ज्यादा है। तो खाली सड़क बनाकर, अच्छी सड़क पर चलना ही खुशी की बात नहीं है। वास्तव में यह बहुत ही दुख की बात है, एक तरीके से यह कहे कि यह राष्ट्रीय त्रासदी है। एक्सीडेंट एक्चुअल में बढ़ते जा रहे हैं, उसमें सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। उसके लिए जनता का, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग चाहिए। मैं इस हाउस से अपील करूंगा कि जब भी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जाएं तो कुछ समय सड़क सुरक्षा पर भी दें। अगर सड़क सुरक्षा के बारे में ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से लोगों में जन जागृति आएगी और सड़क दुर्घटनाएं रूकेंगी। उसमें कमी लाने के लिए हमने विशेष रूप से हमारे गृह मंत्री जी, पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में और उसमें मैं भी हूं, एक उप समिति सरकार ने

(श्री युनुस खान)

बनाई, बहुत सारे हमने सुझाव दिए। सड़कों के ब्लैक स्पोट है उनको दूरस्थ करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर 2013 से 2015 तक के आंकड़े देखें तो हर वर्ष मरने वालों की संख्या बढ़ती रहती है, 2015 के अंदर 10 हजार 510 लोग मरे, 2014 में लगभग 10 हजार 200 लोग मरे।

तो इस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी हमने जन जागृति की। नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी थे। झुंझुनूं में हमने एक कार्यक्रम किया था। उसमें सब दलों के लोग आये थे। ब.स.पा. के लोग भी आये थे। यह जन जागृति की। उसका प्लस पॉइण्ट एक ही हुआ कि 2016 में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, उनमें जो इन्जर्ड हैं उनमें 1006 की कमी आई और फेटैलिटिज हैं उनमें 2050 की कमी आई। एक तरीके से यह कह सकते हैं कि यह आंकड़ा पुलिस के सहयोग की वजह से, जनता के सहयोग की वजह से, जन प्रतिनिधियों के सहयोग से भी हमने किया। विशेष रूप से हमारा परिवहन विभाग है, वह भी लीड एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। रोड सेफ्टी कौंसिल भी हमने बनाई। रोड सेफ्टी स्टेयरिंग कमेटी भी हमने बनाई। उसमें विशेष रूप से जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें छह से दस तक हमने सड़क सुरक्षा का प्रोविजन भी किया। बहुत सारे रोड, सैक्टर मार्डनाइजेशन प्रोजेक्ट, जिसकी चर्चा आज शायद सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने की। वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, उसमें जो हमारे सात डिविजन हैं, उनमें सात एन.जी.ओज. को विश्व बैंक के सहयोग से और विश्व बैंक की गाइड लाइन के अनुसार हमने टेण्डर निकाले थे, अब जो उसमें क्वालिफाई हुआ, उनकी अपनी एक स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके अनुसार काम दिया है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि मान लीजिये उसके पास क्या अनुभव है, क्या नहीं है, यह मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन आप यह संज्ञान में लाये हैं तो निश्चित रूप से उसकी हम प्रोपरली मॉनिटरिंग करेंगे। यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। इस सरकार का सड़क सुरक्षा में भी विशेष रूप से ध्यान है। उस पर भी हम काम करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्य ने

(श्री युनुस खान)
बहुत आज, वैसे वे बोल तो रही थीं शांति से लेकिन गुस्से में थीं, 70 साल का जिक्र कर रही थीं। उनका क्षेत्र भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। उसमें मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की है कि हम लगभग 630 किलोमीटर के 38 कार्य, 11 विधान सभा क्षेत्र, क्योंकि अलवर में सबसे ज्यादा विधान सभा क्षेत्र 11 हैं, उन 11 के लिये उन्होंने घोषणा की है कि हम 968 करोड़ रुपये का जो हमारा एन.सी.आर.पी.बी. है, उससे हम लोन लेंगे। उसकी डी.पी.आर. का 09 करोड़ रुपये देकर हमने टेण्डर कर दिया। सड़कें भी आइडेंटीफाई कर लीं, उनका काम भी हम करेंगे। थानागाजी में लगभग हम 134 किलोमीटर, 191 करोड़ रुपये का काम करेंगे। राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में, हमारे अभी सदस्य नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई पार्शियलिटी कर रह हैं, राजगढ़ में हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है तो हम कोई इस तरीके का भेदभाव कर रहे हैं, वहां भी 56.59 करोड़ का हम काम करेंगे। किशनगढ़ बास में 155 करोड़ रुपये से लगभग 103 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेंगे। तिजारा में 89 लाख रुपये का काम करेंगे। रामगढ़ में 88 लाख का काम करेंगे। कठूमर में 100 करोड़ का काम करेंगे। अलवर ग्रामीण में 42 करोड़ का काम करेंगे। मुण्डावर में 76 करोड़ का काम और बानसूर में भी, आपको, माननीय सदस्य, कम नहीं रखा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जहां अलवर ग्रामीण में हमारा एम.एल.ए. है, वहां पर 42 करोड़ दिये हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में 82 करोड़ 29 लाख हम दे रहे हैं, जो आपकी सड़कों का निर्माण करेंगे। बहरोड़ में 46.65 ...(व्यवधान)... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर, मैं सोचता हूं, नेता, प्रतिपक्ष, आप इतनी तो अनुमति दे दें अपने सदस्यों को कि उनके क्षेत्र में काम हों, तब तो वे धन्यवाद दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ में 46 करोड़ रुपये, अलवर शहर में भी, माननीय सदस्य शायद यहां हाउस में नहीं हैं, 39 करोड़ रुपये। कुल मिला करके 968 करोड़ रुपये हम खर्च करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से हमने ग्रामीण गौरव पथ शुरू किया, मुख्य मंत्रीजी ने पिछले शासन में भी और इस कार्यकाल में भी शहरी गौरव पथ की शुरूआत की है, जिसको हमारा अरबन डवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाएंगा, लेकिन उसकी वर्किंग एजेंसी, पी.डबल्यू.डी. को उन्होंने काम दिया

(श्री युनुस खान)

है। तो यह काम भी, हमारे 190 नगर निकाय हैं, उनमें क्योंकि कुछ तो नगर-निगम हैं और कुछ यू.आई.टीज. हैं, उनको माइनस करते हुए 190 में से 179 एक साथ, चाहे वह किसी भी दल का हो वहां पर। यह नहीं देखा हमने कि वहां नगरपालिका किसकी है, किसी भी दल की हो, 179 नगर निकायों में हमने 297 किलोमीटर सीमेंटेड रोड और 446 करोड़ और 37 लाख के काम हमने खाली घोषणाएं ही नहीं कीं, उपाध्यक्ष महोदय, उनके टेण्डर करके, वर्क आर्डर करके, मैं सोचता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने उनके शिलान्यास कर दिये हैं और वे काम भी हम समय रहते पूरा करेंगे। यह विजन की बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अगर किसी सरकार में इच्छाशक्ति हो, विजन हो तो निश्चित रूप से काम होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह कहा कि सबके साथ समान व्यवहार हो। उसमें कोई कोताही हम नहीं बरतेंगे। बीकानेर चूंकि, इन्होंने पिछली बार भी यह मुद्दा उठाया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी जगह है। बड़ी जगह होने की वजह से उसमें सड़कों का घनत्व कम आता है, किलोमीटर भी, छितराई हुई जनसंख्या से कम आता है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। आपके क्षेत्र में भी, बीकानेर जिले में मैं सोचता हूं कि हमारा एक भारतमाला कार्यक्रम है, जिसमें 10 मीटर चौड़ी सड़कें बनेंगी। वह गंगानगर से लेकर गुजरात तक जो पाकिस्तान बॉर्डर है, उसमें 1500 किलोमीटर सड़क बनेगी। लगभग दस हजार करोड़ रुपये उस पर खर्च होंगे। मैं सोचता हूं कि उस क्षेत्र में भी विशेष रूप से काम होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 37 माननीय सदस्य इस सदन में बोले और उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं। अभी मुख्य मंत्रीजी ने जब बजट प्रस्तुत किया था, उस समय यह कहा था कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 9157 करोड़ रुपये खर्च हुए और अब तक हमने 20822 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके आंकड़े मुख्य मंत्रीजी ने भी बताये हैं। मैं भी सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके अलावा भी हमें जो निर्माण कार्य करने हैं, उनको हम निश्चित रूप से करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोगों के सब्र का ज्यादा इम्तिहान नहीं

(श्री युनुस खान)

लूंगा। ...(व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पड़ौसी थोड़ा दबाव बना रहे हैं। आपकी अनुमति हो तो मैं इनकी पहले घोषणा कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष: आसन भी आप पर कोई दबाव बनाए क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जो घोषणाएं, जो माननीय सदस्य, विशेष रूप से कोई भी काम पवित्र जगह से शुरू करना चाहिये। मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य एक बार मेरे को कार्यक्रम में ले गये थे, जैन समाज का मन्दिर था तो कहा कि यह काम होना चाहिये। तो आज उसके लिये हम प्रावधान करके सोजत, मारवाड़-जंक्शन में, सोजत-सिरयारी सड़क, 25 करोड़ रुपये की मैं आज यह घोषणा करता हूं। इसी तरीके से बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बूंदी बाइपास की बात कही। वह दस किलोमीटर 40 करोड़ रुपये की आज मैं घोषणा करता हूं। उसी तरह से हमारे किशनगंज में रानी बड़ौद-सोडाना में 10 करोड़ रुपये की घोषणा, बारां-अटरू में मांगरोल बाइपास में डेढ़ करोड़ की घोषणा। झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य अब तो शायद आप कहेंगे, क्योंकि मैं आपके वहां जब कार्यक्रम में गया था, तब मैंने घोषणा की थी, दो इश्यू, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां हैं। एक तो रोड नम्बर तीन बोलते हैं, वह वास्तव में टूटी हुई है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उस रोड नम्बर तीन को हम इतनी शानदार बनाएंगे कि वास्तव में एक दिन ये मजबूर हो करके इसी हाऊंस में पीठ थपथपाएंगे। उसके साथ-साथ झुंझुनूं में सगीरा सर्किल से मोड़ा पहाड़ तक चार करोड़ की, मतलब मैंने घोषणा की थी, उसका प्रावधान करके, 4 करोड़ रुपये उसके लिये देंगे। रानीवाड़ा में कूड़ा-करडा में तीन करोड़ रुपये, कोलायत में कोडमदेसर-गजनेर लिफ्ट के लिये तीन करोड़ रुपये। मण्डावा में, मण्डावा-बिसाऊ जो सड़क है, उसके लिये 10 करोड़ रुपये, वह भी सदस्य बैठे हैं। इसके साथ में, क्योंकि मण्डावा क्षेत्र में टूरिस्ट बहुत आता है, और इस सड़क की हालत ठीक नहीं है, इसलिये हमने इसको उचित समझा। इसी तरीके से मलसीसर-मंडरेला सड़क के लिये भी तीन करोड़ रुपये जो झुंझुनूं जिले में आती है। इसी तरीके से बेगूं-काटूंदा की सड़क, उसके लिये भी दस करोड़ रुपये देंगे। ...(व्यवधान)...

सर, वह आ जाएगा, सर, आ रहा है, अभी, आप वरिष्ठ लोग हैं सर, आएगा।

(21.00 बजे)

(श्री युनुस खान)

उसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पनवाड-ककवासा-शंकरपुरा- तीन करोड़ रुपये, जो हमारे खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य के लिए है। कवल्दा-खण्डी, यह माननीय खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य के लिए डेढ़ करोड़ रुपये, ढ़ाई करोड़ रुपये और पदमिया-रूपाखेड़ा वाया लोढागुढ़ा-डेढ़ करोड़ रुपये और घाटोल में माननीय, एक ग्राम पंचायत है- कानजी का गडा से ग्राम पंचायत बडियडाल गांव चौकड़ी के प्रावधान, उसके लिए भी हम चार करोड़ रुपये, गोगुन्दा में बनास नदी पर गुमान पुलिया- उसके लिए दो करोड़ रुपये और सलूम्बर में, उदयपुर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य माननीय गृह मंत्रीजी ने भी उस रोड का जिक्र किया था, जिसका माननीया मुख्य मंत्रीजी ने वह 65 किलोमीटर सड़क है, उसकी घोषणा कर दी थी लेकिन वहां सलूम्बर में एक संगेश्वर महादेव का मंदिर है, उसमें पुलिया का निर्माण बहुत जरूरी था। उसके लिए भी 24 करोड़ रुपये माननीय गृह मंत्रीजी, और हम दे रहे हैं।

उसके साथ-साथ में एक हमारा जावर-कामखेड़ा मार्ग है, परवन नदी पर पुल बनना है, मनोहरपुर थाना से आने वाले माननीय सदस्य के लिए यह 30 करोड़ रुपये।

इसी तरीके से सरड़ा-बिन्दली मार्ग पर गाडाहेड़ा में 24 करोड़ रुपये और उसके साथ-साथ कलमादिया-हरनावदा-मनोहरथाना-राजगढ़, इस पर भी तीन करोड़ रुपये, कलमादिया-हरनावदा-मनोहरथाना 46 किलोमीटर पर पुल के लिए भी दो करोड़ रुपये।

प्रतापगढ़ में एक होली हनुमानजी का मंदिर है और उस मंदिर में वहां के श्रद्धालुओं को जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है इसलिए बाकी तो मुख्य मंत्रीजी जब अपना एप्रोप्रिएशन में, मंदिरों के लिए तो वह बहुत ही दयालु रहती हैं। लेकिन यह मुझे अवसर मिला है कि मैं भी कुछ इस काम के लिए बोलूं तो होली हनुमान मंदिर के पुल निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपये।

इसी तरीके से यह राजसमंद में संघट से सहाड़ा वाया सकरोदा, राजसमंद, भावा, भाना, सरदारगढ़, कांगनी सड़क के लिए 16 करोड़ रुपये। इसी तरह सवाई माधोपुर में ओलवारा (बनास नदी) से मलमा स्टेशन तक के लिए, मैं सोचता हूं कि आज सदस्य नहीं हैं, 33 करोड़ रुपये, कीर की चौकी

(श्री युनुस खान)

से आकोला, फतेहनगर, चित्तौड़गढ़ में 60 करोड़ रुपये, माननीय, आपकी सिफारिश पर मैं, उसके अलावा रायपुर-मुंडला-गरवाड़ा-दुबलिया-करोदिया-सुनेल-सिरपोई सड़क 48 करोड़ रुपये, रायपुर-मुंडला-गरवाडा-दुबलिया-करोदिया-सुनेल-सिरपोई 50 करोड़ रुपये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चर्चा आई थी हाऊस में, उस दिन मैं नहीं था। शायद, नेता प्रतिपक्ष और आपने कहा था कि हमने जो हमारा विशेष रूप से यह मंदिर है गोवर्धन परिक्रमा उसके लिए पिछले बजट में यह बात सही है कि हमने 103 करोड़ रुपये की घोषणा की थी और जब हमने वहां दौरा किया, वहां के स्थानीय लोगों ने मांग की, श्रद्धालुओं की बात को ध्यान में दिया तो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह निर्देश दिये कि इसकी नये सिरे से आप डी.पी.आर. बनाओ। तो, मुझे आज कहते हुए यह खुशी हो रही है कि उस 103 करोड़ के अगेंस्ट के अंदर हमने वहां पर 236 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये। उसमें से 36 करोड़ के टेंडर हो गये और 199 करोड़ और 51 लाख काम की, मतलब जो है, टेंडर हमने लगा दिये, उसमें सेंत से नोरेरा यू.पी. सीमा, कोंथरा-बहज-डीग-खोह-आदिब्रदी-बरौली-धाऊ-केदारनाथजी का मंदिर- लहेसर-भोजन थाली(बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग) इस पर हम यह 236 करोड़ रुपये देंगे। अब जो श्रद्धालु जाएंगे उनके लिए कच्चा मार्ग बनाएंगे, उनके लिए प्याऊ बनाएंगे, उनके लिए 70 हैंडपम्प देंगे, उनके लिए दस धर्मशालाओं की व्यवस्था करेंगे, दस बस शैल्टर बनाएंगे। उसके साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सड़क बनेगी चौरासी कोस परिक्रमा उसमें लगभग 70 हजार पेड़ भी लगाएंगे और कच्चे मार्ग भी बनाएंगे जिससे यात्रियों को चलने में सुविधा हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ में अभी कुछ सड़कें और जो छोटी-छोटी हैं लेकिन जरूरी हैं, उनकी भी मैं कहना चाहूंगा कि केकड़ी में राजपुरा-तंकावास 15 करोड़ रुपये, माण्डलगढ़ भीलवाड़ा-मोदक में 14 करोड़ रुपये, मल्ला-सलरमाला 7 करोड़ रुपये, परसोली-मल्लीखेडा-6 करोड़ रुपये और दूदू में आसलपुर और अनन्तपुरा में एक करोड़ 25 लाख और 3 करोड़ 75 लाख, रानीवाड़ा में जलेराकला-जलेराखुर्द वादल- 6 करोड़ और भवानीमंडी में-अरोलिया- चार करोड़, भवानीमंडी में यह सवा करोड़, एप्रोच रोड नेहरावड़- 6

(श्री युनुस खान)

करोड़ और सपोटरा में, सपोटरा वाले माननीय सदस्य नहीं हैं लेकिन एप्रोच रोड लांगरा-कलाखेत-चंदली- 6 करोड़, सपोटरा में दूसरी, करनपुर-मंडरायल-चंदलीपुरा, जिसका सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य जिक्र करते रहते हैं, उसके लिए पाँच करोड़, सॉरी, सवा करोड़। उसके अलावा रामगंजमंडी-जुल्मी में ढ़ाई करोड़, और धाबादेह-कुडेला- उसके लिए भी दस करोड़ और राजसमंद में केलवा-सापोल, हमारे राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य और मंत्री ने किया, उसके लिए 12.50 करोड़। उसके साथ में खण्डार में, सवाई माधोपुर-खण्डार-शिवपुरी में 14 करोड़, टोंक-गेहलोद-जनवाली-नानेर- 6 करोड़, निवाई से, निवाई वाले माननीय सदस्य आज कैसे चले गये? चिरौंज-मंदवार में छह करोड़, उदयपुर ग्रामीण में- उदयपुर-एकलिंगपुरा-उमरदा-बगदारा- 6 करोड़, उदयपुर ग्रामीण में तीडी-जावर- 6 करोड़ और ओसियां में- डिगाडी-गगाडी-साढ़े तीन करोड़।

इस तरीके से 142 करोड़ की यह सड़कें और यह आज जो अभी यह घोषणाएं हुई हैं यह लगभग 633 करोड़ वह और 142 करोड़ रुपये का यह। ....(व्यवधान)....

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनका वह पेपर पीछे रह गया।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सर, अभी पन्ने हाथ में हैं। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अभी कहा कि जब तक मेरा भाषण पूरा नहीं हो जाए तब तक कोई मांग नहीं करें क्योंकि हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं, वह आ जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से जो आने वाले माननीय सदस्य मंत्री महोदय हैं, उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में जो सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. से निर्माण करवायी थीं तो कुछ सड़कें तो वापस नगर निकायों को दे दी लेकिन उसमें से कुल 27 सड़कें 28.95 किलोमीटर है, उनकी भी मरम्मत, वैसे तो एस्टीमेट हमारे पास आ गया लेकिन जो भी एस्टीमेट आएगा, उसको भी हम पूरा करेंगे।

इसी तरीके से रतनगढ़ में अणखोल्या से बामणिया सड़क, रणधीसर से बोथियाबास सड़क, पड़ियारा पोस्ट ऑफिस से रेलवे गेट तक सड़क और खोतड़ी से मेणासर तक सड़क, यह खोतड़ी से मेणासर की सड़क इसके लिए

(श्री युनुस खान)
डेढ़ करोड़, पड़ियारा वाली के लिए 2 करोड़, रणधीसर वाली के लिए दो करोड़, अणखोल्या के लिए पौने दो करोड़।

इसी तरीके से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो शहरी क्षेत्र में आती हैं, उनके लिए भी उसमें विशेष रूप से उदयपुर शहर में माननीय गृह मंत्रीजी भी कहते रहते हैं, कुछ पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें थीं जो हमने अभी कुछ यू.आई.टीज. को, कुछ नगर निगम को दे दी लेकिन चूंकि, वह 18.50 किलोमीटर सड़कों के सुधार के प्रस्ताव आए हैं, उसमें हम जो बाकी तो यू.आई.टी. और वह देगी, छह करोड़ रुपये उसमें पी.डब्ल्यू.डी. देगी, यह भी मैं आज आपके माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोगुंदा-ओगणा सड़क का मतलब, जो है काम के लिए भी 19 किलोमीटर जो माननीय गृह मंत्रीजी की सिफारिश थी, उसमें वह भी 18 करोड़ रुपये से हम बनाएंगे।

एक नागौर में हमारा मकराना बहुत महत्वपूर्ण शहर है और उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत भीड़ रहती है। तो यह महसूस किया गया कि वहां पर बाइपास होना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि वहां पर लगभग 26 किलोमीटर का बाइपास 30 करोड़ रुपये की लागत से हम बनाएंगे।

इसी तरीके से हमारे सबसे वरिष्ठ और पुराने माननीय सदस्य हैं, जो कान पर लगाकर बैठे हैं सुनने के लिए, उनके लिए भी पिलानी बाइपास के लिए भी जो धन की जितनी आवश्यकता है, उसका भी प्रावधान हमने कर दिया है।

इसी तरीके से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिवाना-पादरू से दहीवा मार्ग-यह करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपये, किशनगढ़ में- किशनगढ़-सलेमाबाद-करकेड़ी जो सड़क है उसके लिए 9 करोड़ रुपये, सुजानगढ़, ब्यावर, नाथद्वारा, जालौर, अहौर, परबतसर, परबतसर में विशेष रूप से बस्सी-पिपलाद सड़क के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, इन सब माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आ गये हैं, इनका भी हम बजटरी प्रोविजन कर रहे हैं और इसके लिए भी, यह मैंने बोला-नाथद्वारा, जालौर, आहौर, परबतसर, इनकी सड़कों के लिए भी हम करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा ..(व्यवधान)..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यह सदन सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर दे, विपक्ष में सहयोग है कि घोषणा मंत्री इनका नाम निकाल दें। बाकी मंत्रियों को तो घोषणा का अधिकार है नहीं। केवल एक ही मंत्री है पूरे मंत्री मंडल में जो घोषणाएं करते हैं।

राठौड़ साहब, इतना ही कहूंगा कि वह भी कुछ दौर था, यह भी कुछ दौर है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है तो मैं कहना चाहूंगा कि कल भी घोषणाएं हुई हैं। हमारे सहकारिता मंत्रीजी ने की हैं, हमारे कृषि मंत्रीजी ने की हैं और जिस-जिस मंत्री की डिमांड होगी, वह मंत्री घोषणा करेगा। आपने पिछली बार भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं। तो घोषणाएं तो माननीय सदस्यों की मांग पर और बजट में प्रोविजन है, इसलिये 54 प्रतिशत बढ़ोतरी दी है तो यह काम तो हम लोग घोषणाएं करेंगे, जब ही होगा। यह घोषणाएं इसलिये कर रहे हैं कि अभी हम घोषणा कर रहे हैं, लगभग 15 अप्रैल तक सबके टेण्डर लगा देंगे और काम शुरू करा देंगे। ऐसा नहीं है कि ये घोषणाएं ही हों।

इसी तरीके से हमारे ग्राम हरसोली से सीमली तक तीन किलोमीटर, ग्राम टारडीखेड़ा स्कूल से कसरी पलसावा तक दो किलोमीटर, ग्राम मंतादान से डेढ़ किलोमीटर, दूनी आवा नसियां सड़क का एक किलोमीटर का भी हम सुदृढ़ीकरण करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारी घोषणाएं हो गयीं, बहुत सारे लोगों ने भी मुझे लिखकर दिया। विशेष रूप से सिवाना समदड़ी की बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और आज विशेष रूप से जिन चीजों की हमने बात कही है, उसमें शहरों के लिये भी हमने पैसा दिया है। बीकानेर में भी हमने लगभग 20 करोड़ रुपये दिये हैं, जोधपुर में दिया है, अजमेर में दिया है।

अब चूंकि यू.डी.एच. मंत्री भी बोलेंगे, और निश्चित रूप से शहरों की सड़कों का भी हम काम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का भी हम काम करेंगे।

(श्री युनुस खान)

एक लास्ट में हमारे छोटू सिंहजी, जो जैसलमेर से आते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे तो 17 किलोमीटर की सड़क बन जाए तो मैं एकदम खुश हो जाऊंगा। मैं सोचता हूं कि लास्ट में यह घोषणा कि 17 किलोमीटर की मिसिंग लिंक भी हम बनाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ब्यावर का।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ब्यावर का बोल दिया मैंने।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय मंत्रीजी, जब आपने मान लिया कि बीकानेर जिला चूरू के मुकाबले भी पिछड़ा है तो कोई ठोस घोषणा करिये। मेरा निवेदन है आपसे पाँच ग्रामीण क्षेत्र हैं बीकानेर में और पांचों में आप 100-100 किलोमीटर सड़क बनाइये और 150 करोड़ रुपये की घोषणा पूरे बीकानेर जिले के लिये करिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): कपासन-बांसवाड़ा की भी करिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक सड़क आपकी लूणकरणसर से सरदारशहर का टेंडर भी हो गया, वर्क आर्डर भी हो गया, और भी आपने जो प्रस्ताव दिये हैं। हम निश्चित रूप से करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत से आने वाली माननीय सदस्या ने अभी आज बात कही थी तो जोधपुर-सोजत लेन, जो 75 किलोमीटर है, मैं उनको आज तो यही कह सकता हूं कि एशियन डवलपमेंट बैंक से इसका लोन स्वीकृत हो गया है, बाकी प्रक्रिया पूरी करके 210 करोड़ रुपये इस सड़क के लिये भी हम खर्च करेंगे।

और बहुत सारे राजमार्ग हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)...

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मंत्री महोदय, मेरा भी निवेदन है। बीकानेर क्षेत्र से बोल रहा हूं कि यह गौरव पथ बीकानेर निगम होने के कारण से, यू आई टी के कारण से क्यों बंद कर दिया? थोड़े से जो रह गये हैं, उनको भी पूरा कर दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है तो बीकानेर की पिछले बजट में हमने घोषणा की थी कि एलीवेटेड रोड बनाएंगे। एलीवेटेड रोड का

(श्री युनुस खान)

प्रजेन्टेशन भी हो गया, डी.पी.आर. भी तैयार हो गयी। माननीय सदस्य की कुछ आपत्तियां थी। तो मौके पर मैं एन.एच.आई. के सारे अधिकारी और माननीय सदस्य भी मौजूद रहेंगे तो आपकी मौजूदगी में दुरूस्त करके जिस दिन भी आप ओ.के. कर देंगे, उसी दिन हम उसकी स्वीकृति जारी कर देंगे।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय मंत्री महोदय, समदड़ी-सिवाना-कल्याणपुर की भी घोषणा कर दो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ में भी कुछ हमारे पास मांग आयी है, विशेष रूप से आर.यू.बी. की। हनुमानगढ़ के हमारे पास छह आर.यू.बी. आये हैं। उनका मैं जिक्र कर देता हूं जो हनुमानगढ़-सार्दुलशहर सैक्शन में लोहिया कालोनी का है, दूसरा गांधीनगर का है, तीसरो ठिल्लो कालोनी का है, चौथा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन का है। इनके भी हम डी.पी.आर. बनाकर इसी बजट में इनके लिये हम प्रावधान कर देंगे।

लास्ट में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय बहुत हो गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): लास्ट नहीं है, अभी उदयपुर का एलीवेटेड रोड छोड़ दिया क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोल रहा हूं साहब।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्री महोदय, कपासन से सांवरिया जी वाली सड़क। ....(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, इतना ध्यान रख लें कि केवल डेढ़ साल ही बचा है, साढ़े छह साल नहीं है। अगला समय आपको नहीं मिलने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष: एक बार मंत्री महोदय थोड़ी देर के लिये आप विराजो। थोड़ी देर के लिये विराजो आप। वैसे मंत्रिमण्डल के सदस्यों की कोई इच्छा पूर्ति में कमी रह गयी हो तो वह पहले फरमा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब तो आसन ही फरमाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आप ही फरमाए।

श्री उपाध्यक्ष: मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जितनी घोषणाओं में जिस संस्था का सबसे ज्यादा उच्चारण हुआ, उसमें भी कुछ है। हर चीज उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कर रहा हूं, मैं यह कर रहा हूं। और जितना आप लोग सीधे-सीधे निवेदन कर रहे हो, यह मांग पारित कराने के लिये आसन की आवश्यकता पड़ेगी, आप इधर देखकर भी तो मुखातिब होकर कोई बात करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं गिन रहा था इन्होंने पूरे 108 बार आपके नाम का स्मरण किया है, 108 बार उपाध्यक्ष महोदय बोले हैं यह।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, फरमाओ आप।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि आसन कभी मांग नहीं कर सकता, लेकिन यह नहीं है कि सरकार इस चीज को, शाहपुरा को भूल गयी है, शाहपुरा को भूली नहीं है। आपके क्षेत्र से जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, वह निश्चित रूप से पिछले बार पी.एम.जी.एस.वाई. ..(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप इतने ढीले-ढीले क्यों बोल रहे हैं? आप फरमाओ। मैं तो सिर्फ यह महसूस कर रहा था कि कोई अचेत नहीं हो। सब सचेत हैं क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, शाहपुरा और विराटनगर, दोनों के विशेष रूप से जो भी प्रस्ताव आएंगे, निश्चित रूप से इसी बजट में वह कर दिये जाएंगे।

श्री पब्बाराम (फलौदी): मंत्री महोदय, मैं तीन साल से एक सड़क के लिये तरस रहा हूं, साढ़े तेरह किलोमीटर की है। प्लीज उसको कराइये। तीन साल हो गये मुझे। तीन साल से लगातार आप कितनी बार कहा होगा। ..(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जायें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात को पूरा करना चाहता हूं विशेष रूप से हमारे हाड़ौती में तीन इश्यूज थे एक गेता माखीदा, जो बरसों से वहां के लोग पिछले 60-70 साल से इसकी

(श्री युनुस खान)

मांग करते रहे, तो वह हमने सारी फोर्मेलिटीज पूरी करके लगभग 120 करोड़ की राशि से उस काम को भी शुरू कर दिया।

चम्बल का हैंगिंग ब्रिज, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था, मुझे आज कहते हुए खुशी हो रही है कि सबके सहयोग से, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के शासन में उसका काम हुआ था, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना हुई और उसमें 48 लोग मर गये, और 2009 से लेकर 2014 तक काम बन्द रहा लेकिन इस मई में हमारा पहला हैंगिंग ब्रिज है चम्बल पर, उसको भी पूरा करके भारत के प्रधान मंत्रीजी से उसका उद्घाटन करा देंगे।

कोटा-दर्रा-झालावाड़ सड़क की बहुत चर्चा होती है, पहले चरण में हमने उसके लिये 621 करोड़ रुपये दिये, उसका काम चल रहा है और अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इसका दूसरा और तीसरा चरण है, जिसमें एलीवेटेड रोड भी शामिल है, उसके लिये 650 करोड़ एलीवेटेड रोड के लिये और तीसरे पैकेज के लिये, जो 48 किलोमीटर है, उसके लिये 970 करोड़ रुपये भारत सरकार से हमें दो दिन में मिल जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कही और लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कही।

एक माननीय सदस्य: माननीय मंत्री महोदय घोषणा करके आये थे खजूरिया नाले के लिये डेढ़ करोड़ रुपये की। ..(व्यवधान)...

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन साल से मेन रोड है, उसके लिये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय मंत्री महोदय, कपासन से भादसौड़ा सड़क के लिये आपने कई बार कहा है। लगातार तीन साल से मैं मांग कर रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं तीन साल से लगातार निवेदन कर रहा हूं। कपासन से भादसौड़ा-सांवरियाजी वाली सड़क के लिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य तो कम से कम से समाप्त करने दीजिए। ...(व्यवधान)... आपको इतनी जल्दी क्यों है, सम्पूर्ण रात पड़ी है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में मिसिंग लिंक के लिए, गौरव पथ के लिए और इसके अलावा माइंस रोड़ के लिए और 500 करोड़ रुपये इसके अलावा और प्रावधान किया है। तो जितने माननीय सदस्य हैं, जिनका नाम नहीं आया उन सदस्यों से सूची लेकर के और उनकी स्वीकृतियां उनकी सहमति से जारी कर देंगे।

लास्ट में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को यह कहूंगा, यह जनता है, किस को राज देती है, किस को ताज देती है, उसको फैसला करना है। कौन अगली बार इस हाऊस में आयेगा, कौन नहीं आयेगा, न तो गारंटी से ये कह सकते न गारंटी से मैं कह सकता, न गारंटी से कोई और। हमारा जो वर्क है वो करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारे को जब यह जिम्मेदारी मिली है तो हम मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में हमारे काम को पूरा करेंगे और राजस्थान के आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगे। यह तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं हम हमारे विकास के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और अगले छह साल तक हम ही स्वीकृतियां जारी करेंगे। यह आपको मैं बताना चाहता हूं।

अंत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'सब का साथ, सब का विकास' के साथ में राजस्थान अग्रणी प्रदेश बने, विकसित प्रदेश बने। श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मंत्री महोदय, हमारा भी तो नाम ले लो। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: माननीय, वो खजूरिया नाला वाला मामला ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट शांति बना कर रखें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसके लिए मैं यह मांग करूंगा कि मांग संख्या- 19 और मांग संख्या- 21 पर जो मैंने सुबह आंकड़े रखे हैं, उनको पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, आप मांग संख्या- 20, आवास के सम्बन्ध में।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था 986 करोड़ का, जिस पर मंत्री महोदय

(श्री नवीन पिलानिया)

ने एक शब्द भी नहीं बोला। कृपया कर के आप इजाजत दें तो मैं एक मिनट उसके लिए पूछ लूं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं। अब तो बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने दूसरे मंत्री को पुकार लिया। सम्माननीय सदस्य, अपनी-अपनी सीट पर वर्ना जो घोषणा हो चुकी है, वो भी वापस ले ली जाएगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या- 20 आवास के सम्बन्ध में मेरे पास 76 कटौती प्रस्ताव आये हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य, आदरणीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 76 ही कटौती प्रस्ताव के जवाब विधान सभा सचिव को भेज दिये गये हैं, वो सदस्यों को शीघ्र मिल जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए सस्ते, सुलभ मकान कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों से केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा आवासों की कमी को दूर करने के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जन आवास योजना, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी मकान उपलब्ध कराये जाते हैं, राजस्थान विशेष आवास योजना, एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम, शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं देने में आवास योजना, आश्रम विहीन व्यक्तियों के लिए आश्रम स्थल और दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत हम आवासों की व्यवस्था कराते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार 10.5 लाख आवासों की कमी का आकलन किया गया और इसके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 जो दिनांक 26.06.2015 से राज्य में लागू की गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)
योजना का उद्देश्य मैंने आपको निवेदन किया है। जहां तक मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के द्वारा और मेरे विभाग के द्वारा यह जो गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनायी गयी हैं। हालांकि, डोटासारा जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2009 में जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आप लोगों ने जारी की थी उसमें कई कमियां थी, इसी वजह से परिणाम पूरे आ नहीं आ सके। इसी को ध्यान में रखते हुए नगरीय विकास निकाय व निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाये जाने की दृष्टि से वर्तमान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हाउसिंग-फोर-ऑल मिशन के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 जो दिनांक 26.09.2015 को लागू की गयी और, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि इस योजना के लागू करने के बाद पिछले दो वर्षों की बहुत कम अवधि में 80 हजार आवास भू-खण्ड की योजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है इस राजस्थान में।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत राज्य के 19 शहरों की 29 योजनाएं, जो केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुमोदित की गयी थी, इन 29 योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के 15 हजार 517 लाभार्थी जिनको डेढ़ लाख रुपये की अनुदान राशि तथा केन्द्र सरकार से उपलब्ध करायी गयी है। इन लाभार्थियों को 4.20 लाख रुपये का आवास मात्र 2 लाख 70 हजार रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो हमारे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन योजनाओं में 10 हजार 948 अल्प आय वर्ग परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के तहत 6 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर साढ़े 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ मिल सकेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे मकान की जो लागत है वो लागत दो लाख रुपये कम हो जाएगी। इससे सब से बड़ा लाभ उन गरीबों को मिल सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही आप सबको जान कर, सदन को जान कर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य को 232.75 करोड़ रुपये अनुदान राशि के भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिये, उसके कार्य जल्दी प्रारम्भ हो रहे हैं।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 शहरों में यह योजना लागू की गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि आने वाले समय में राज्य सरकार के प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, जो हमारी मुख्यमंत्री माननीय वसुन्धरा जी का सपना है कि हर गरीब को मिले, आज मैं घोषणा करता हूं कि राजस्थान के समस्त नगरपालिका क्षेत्रों में ई.डब्ल्यू.एस. व एल.आई.जी. परिवारों को पूरे राजस्थान में इसका लाभ मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जन आवास योजना में राज्य के विभिन्न शहरों में नगरीय विकास की भूमियों पर प्रस्तावित योजनाओं में 63 हजार 704 आवासों की स्वीकृति हमने दे दी है और निजी विकासकर्ताओं की योजनाओं में भी हमने साढ़े 16 हजार आवास भू-खण्ड स्वीकृत किये हैं, जिनका निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लाभार्थियों को कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत उसकी गुणवत्ता कैसे अच्छी हो, इसके सुनिश्चित करने के लिए हमने स्वतंत्र एजेंसी को भी निरीक्षण व उसके द्वारा प्रमाणीकरण हम करा रहे हैं। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा जो सर्वेक्षण, 2022 तक के जो 10.50 लाख मकानों के लिए आवश्यकता बतायी गयी है, उसके लिए भी राज्य सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों में कुछ संशोधन विचाराधीन हैं, जिनके लागू होने से इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ सकेगी तथा आवासों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान की हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय वसुन्धरा जी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में गरीबों को आवास कैसे उपलब्घ हो, क्योंकि हमारी सब की भावना रहती है कि जो गरीब व्यक्ति कच्ची झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको आवास कैसे उपलब्ध हों, उसका उन्होंने प्रयास किया और उसी का नतीजा है कि आज मुख्यमंत्री जन आवास योजना में, हालांकि हम इसमें कुछ संशोधन भी कर रहे हैं और उससे आने वाले दो वर्षों में जो लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कोई गरीब व्यक्ति बिना आवास के नहीं

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कई योजनाएं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो हमारा वर्तमान में चल रहा है, उसके बारे में भी कई सवाल रखे हैं। हालांकि अगर आप कहें तो मैं पूरा, सारा डिटेल आपको बताऊं। बताने की जरूरत नहीं है? नहीं, नहीं, पढ़ा हुआ कैसे मान लिया जाए? विश्नोई साहब आप ज्यादा होशियार हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैंने घोषणाएं कर दी हैं। अच्छा, चलो मैं एक घोषणा करता हूं जिससे आप बहुत खुश हो जाओगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में पहली बार हो रहा होगा, ग्राम बेगस में विधवा, परित्यक्ता एवं 40 वर्ष से अधिक आयु की एकल महिलाओं के लिए जेडीए द्वारा एक विशेष योजना की हमने स्वीकृति जारी कर दी है। आपके आया कभी ध्यान में?

यह जो गौरव पथ की घोषणा माननीय यूनुस खान जी ने की हैं, शहरी गौरव पथ की यह भी हमारे डिपार्टमेंट का ही पैसा है। हालांकि उसकी चर्चा बाद में है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा भी पिछले वर्षों में काफी अच्छा काम किया है। हालांकि मैं पढ़ूंगा तो काफी लंबा वक्तव्य हो जाएगा। आज भी जैसे हमारे नागौर के माननीय सदस्य हबीबुर्रहमान जी बार-बार कह रहे हैं कि इसके बारे में बताएं। आपकी राजस्थान आवासन मंडल की डॉ. भीमराव अंबेडकर योजना, नागौर में निर्मित 1516 आवासों में से 959 का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है। 557 में से सिर्फ 63 आवास कब्जा देने की प्रक्रिया में हैं 22 आवास न्यायिक विवाद एवं 472 आवासों का आवंटन नीलामी द्वारा निस्तारण करने की स्वीकृति परीक्षाधीन है।

इनकी क्वालिटी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, उसके संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी हमने थर्ड पार्टी जांच कराई है। भारत सरकार के उपक्रम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी के माध्यम से

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

करवायी गई है। इस रिपोर्ट में कुछ अनियमितताओं के बारे में उल्लेख किया गया था। इस संदर्भ में जांच विचाराधीन है। आपको शायद जानकारी भी होगी कि इस संबंध में हमने 2 एक्स.ईएन., 2 ए.ईन. को निलंबित भी कर दिया है। शीघ्र ही इसकी जांच करके इस पर और कार्यवाही हो जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, चूरू के बारे में भी आपसे निवेदन करूंगा। हमारे विभाग के द्वारा गरीबों को आवास, आश्रय स्थल उपलब्ध कराने के लिए कई तरह की योजनाएं हैं। इसमें राजस्थान में विशेष आवास योजना के तहत 2,931 पूर्णतया क्षतिग्रस्त एवं 1,473 आंशिक क्षतिग्रस्त आवासों को पीड़ित परिवारों को जिनकी कुल राशि 1195.25 लाख रुपये है, उनको हमने वितरित कर दिया है।

राज्य सरकार द्वारा एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत दिसम्बर, 2016 तक कुल 57 शहरों की 1012.87 करोड़ की 66 परियोजनाएं जो हमने भारत सरकार को स्वीकृत करने के लिए भेजी थीं, हमें खुशी है कि उस योजना की स्वीकृति भारत सरकार ने जारी कर दी है। साथ ही 562.53 करोड़ उसमें से व्यय किए जा चुके हैं और 66 परियोजनाओं में से 8 परियोजनाएं हमने पूर्ण कर ली हैं। बाकी बची हुई परियोजनाओं की स्वीकृति 44,780 आवास जो विभिन्न नगर निकाय क्षेत्र में हैं, उनमें 26733 आवास जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है और बचे हुए 9594 मकानों का कार्य भी शीघ्र प्रगति पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक हमारी योजना और है शहरी गरीबों को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हमने 11100 मकान स्वीकृत किए थे। इनमें से अजमेर में 1,082 मकान पूर्ण हो चुके हैं। जयपुर में 5,814 मकान भी पूर्ण हो चुके हैं। इसी तरह आश्रय विहीन व्यक्तियों को आश्रय स्थल, शैल्टर उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में राज्य के समस्त 188 स्थानीय निकायों द्वारा आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना चलती है। इसके अंतर्गत 73 नवीन शैल्टर

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

निर्माण की तथा 10 पुनरुद्धार की वित्तीय स्वीकृति हमने जारी कर दी है। साथ ही निकायों में 89 आश्रय स्थलों के संचालन के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस आवास योजना में ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो काफी माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं, उनका मैं जवाब दे दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपका तो इसमें है ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा जी जिनके मन में एक ही भावना है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह नाम तो हम पूरी जिंदगी लेंगे और मरने के बाद भी लेंगे। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है।

जो बार-बार डोटासरा जी कह रहे हैं कि डेढ़ साल के बारे में बोलो, अगले 5 साल के बारे में मत बोलो। डोटासरा जी, यही बात आप उत्तर प्रदेश में कहते थे। यही बात उत्तराखंड में आप कहते थे। यही बात आप गोवा में कहते थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): कर्नाटक में भी आपकी यही स्थिति होने वाली है। मेघालय में भी यही स्थिति होने वाली है। गुजरात में भी यही स्थिति होने वाली है। राजस्थान में भी आपकी यही स्थिति होगी।

मैं आज कह रहा हूं कि 2018 में यह जो माननीय वसुन्धरा जी की मुख्यमंत्री जन आवास योजना है, इसी से ही आपकी फाइल निपट जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो-जो बात यहां पर रखी हैं, उसका जवाब वैसे तो हम भेज रहे हैं। कटौती प्रस्तावों का जवाब तो हम भेज रहे हैं। उसके अलावा भी यहां पर जो आपने अपनी समस्याओं को रखा है, उसका भी निस्तारण करने का मैं शीघ्र प्रयास करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या -20, आवास जिस पर चर्चा हुई है, उसको पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बगैर अनुमति के जो-जो सदस्य बोले हैं, उनका अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपसे तो यह अपेक्षा की जाती है कि अनुशासन का, मर्यादाओं का, परंपरा का, संविधान का, आसन का आदर करें।

मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 19,77,10,10,000/-(रुपए उन्नीस अरब सतहत्तर करोड़ दस लाख दस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20 - आवास का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 90,31,71,000/-(रुपए नब्बे करोड़ इकत्तीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 सडकें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 61,82,58,64,000/-(रुपए इकसठ अरब बयासी करोड़ अठावन लाख चौसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 22 मार्च 2017 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21:40 बजे बुधवार, दिनांक 22 मार्च 2017 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

प्रश्न संख्या 247

(स्थगित)

सीकर जिले के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्यवाही

248. श्री गोरधन (धोद): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में अरावली क्षेत्र आरक्षित है? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से खनन हो रहा है? हां, तो क्या सरकार खनन अवैध करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में कोई नई खनिज नीति बनाई गई है? यदि हां, तो इसको कब तक लागू किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धोद के मोया, हर्ष मण्डावरा, ताखरों की ढाणी, कुण्डलपुर, चोखा का बास व अन्य गांवों में निजी खातेदारी की जमीन पर खनन करने की छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सीकर जिले में अरावली क्षेत्र आरक्षित न होकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र है, जिसमें नये खनन पट्टे आवंटित नहीं किये जा रहे हैं। अवैध खनन पाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जिले में विभागीय अधिकारियों/तकनीकी कर्मचारियों द्वारा गत तीन वर्षों में अरावली क्षेत्र में निरीक्षण कर अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) सरकार द्वारा 4 जून, 2015 को राजस्थान खनिज नीति, 2015 जारी की गई है, जिसमें दिनांक 28.02.2017 को संशोधन किया गया है।

(3) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में निजी खातेदारी भूमि पर खनन करने की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त

(राज्य मंत्री, खान)

नियमों में खातेदारी भूमि में खनन पट्टा ई-नीलामी के माध्यम से खातेदार को इंकार का प्रथम अधिकार प्रदत्त करते हुए दिये जाने का प्रावधान है। यदि नीलामी में खातेदार इंकार के प्रथम अधिकार का प्रयोग नहीं करता है तो उच्चतम बोलीदाता को खातेदार से पंजीकृत सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा एवं यदि खातेदार उच्चतम बोलीदाता को खनन करने के संबंध में सहमति प्रदान नहीं करता है तो उच्चतम बोलीदाता को भी खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा मंदिर मण्डल में संचालित प्रसाद वेंडिंग मशीन

249. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नाथद्वारा मंदिर मंडल में दर्शनों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नाथद्वारा मंदिर मंडल के न्यू कॉटेज सहित अन्य आवास गृह निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किन-किन को निःशुल्क आवास गृह उपलब्ध कराये गए तथा उनसे कुल कितनी-कितनी आय प्राप्त हो सकती थी? लाभार्थी के नाम, पदनाम व आवास गृह की वसूल होने योग्य राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नाथद्वारा मंदिर मंडल द्वारा वर्तमान में कुल कितनी प्रसाद वेंडिंग मशीनों का संचालन किया जा रहा है तथा इन पर प्रति मशीन कुल कितना-कितना भुगतान किस-किसको तथा किस-किस भंडार से किया जा रहा है? प्रसाद वेंडिंग मशीनों के बिल व उनके भुगतान की रसीदों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नाथद्वारा मंदिर मंडल में दर्शनों के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना पूर्ण रूप से की जा रही है।

(2) जी हां। नाथद्वारा नगर में श्री नाथजी के दर्शनार्थ आने वाले

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

श्रद्धालु विशिष्ट महानुभावों को दर्शन के समय के मध्य अल्प विश्राम न्यू कॉटेज में उपलब्ध कराया जाता है, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। देर रात्री में आकर सुबह दर्शन करने वाले विशिष्ट महानुभाव रात्री में न्यू कोटेज में नि:शुल्क ठहरते रहे है। रात्रि विश्राम करने वाले विशिष्ट महानुभावों से शुल्क के रूप में गत पांच वर्षो कुल रु. 5,06,650/- की आय प्राप्त हो सकती थी। न्यू कोटेज के अतिरिक्त श्री दामादोर धाम एवं श्री वल्लभ विलास में किसी भी विशिष्ट महानुभाव को नि:शुल्क नहीं ठहराया जाता है। वर्ष 2012 से 2016 तक नि:शुल्क रात्री विश्राम करने वाले महानुभावों की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(3) नाथद्वारा मंदिर मंडल द्वारा वर्तमान में कुल 04 प्रसाद वैंडिग मशीनों का संचालन किया जा रहा है जिसमें से 03 मशीनें वैष्णवों द्वारा भेंट में दी गयी है तथा 01 मशीन का भुगतान मुम्बई भण्डार द्वारा किया गया है जिसके मंडल निर्णय एवं बिल की प्रतियां परिशिष्ट 2 व 3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में लोक परिवहन बसों के संचालन के मानदण्ड

250. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक परिवहन सेवा के तहत बसों के संचालन हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में राजस्थान लोक परिवहन सेवा के तहत बसों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से व कितने-कितने परमिट जारी किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बसों में रोडवेज की तरह बीमा सुविधा एवं विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को किराये में रियायत नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबू सिंह)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बसों में आम लोगों को कोई रियायत व सुरक्षा नहीं देने साथ ही इनका संचालन निर्धारित मार्गों से परे एवं बिना निर्धारित बस स्टैण्ड से किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि लोक परिवहन सेवा के संचालन पश्चात् रोड़वेज को प्रतिदिन लाखों रुपये राजस्व का घाटा हो रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कारगर कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त बसों द्वारा निर्धारित नियमों की पालना नहीं करने पर परमिट निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान लोक परिवहन सेवा के तहत बसों के संचालन हेतु एस.टी.ए. के प्रस्ताव संख्या एस.टी.ए.-03/2015 दिनांक 02.09.2015, प्रस्ताव संख्या-01/2016/615 दिनांक 13.01.2015 एवं क्रमांक एफ 9(253) परि/आरटीए/एसटीए/98-99/पार्ट-3179 दिनांक 18.02.2016 के द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। प्रस्तावों की छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। जारी किए गए परमिटों की रीजनवार सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि इन बसों में रोडवेज की तरह बीमा सुविधा एवं विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों को किराये में रियायत नहीं दी जा रही है।

(4) राज्य सरकार के स्तर पर राजस्थान राज्य में संचालित होने वाले सभी प्रकार के मंजिली वाहनों द्वारा वसूले जाने वाले अधिकतम किराये की राशि निर्धारित की जाती है। मंजिली यानों का अंतिम किराया निर्धारण अधिसूचना दिनांक 27.05.2014 द्वारा किया गया था। अधिसूचना दिनांक 27.05.2014 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। राजस्थान लोक परिवहन

(परिवहन मंत्री)

सेवा के अन्तर्गत संचालित होने वाले मंजिली यानों में यात्रियों को किराये में रियायत संबंधी कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में अधिसूचना दिनांक 31.08.2015 द्वारा संशोधन करते हुए नियम 5.19 (1) में समस्त मंजिली वाहनों हेतु GPS लगाने का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार राजस्थान लोक परिवहन सेवा के अन्तर्गत संचालित होने वाले मंजिली यानों में GPS लगाने एवं इस संबंध में तकनीकी मापदण्ड दिनांक 27.09.2016 कार्यालय आदेश 34/2016 से निर्धारित किये गये है। इसके अतिरिक्त अधिसूचना दिनांक 31.08.2015 द्वारा मंजिली वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अन्य परमिट शर्तों का भी अधिरोपण किया गया है। अधिसूचना दिनांक 31.08.2015 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

विभागीय उड़नदस्तों द्वारा नियमित रुप से निर्धारित रुट से परे संचालित बसों के संचालन की जांच की जा रही है। प्रदेश में अब तक मानदण्डों के विपरीत संचालन करने पर लोक परिवहन सेवा की 65 बसों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(6) जी हां। उक्त बसों द्वारा निर्धारित नियमों की पालना नहीं करने पर मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा परमिट निलम्बन/निरस्तीकरण करने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन

251. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रों के माध्यम से 0-3 वर्ष व 3 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं को

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

लाभान्वित किया जा रहा है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में लाभान्वित होने वाले बच्चों, किशोरियों व गर्भवती व धात्री महिलाओं का जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में गत पांच वर्षां में कितने कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान की गई? कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों व किशोरियों का योजनावार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में माह दिसम्बर, 2016 तक कुल 60666 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 54936 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 5730 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0-3 वर्ष व 3 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाओं व गर्भवती व धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार एवं अन्य सेवाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। गत पांच वर्षों में लाभान्वित होने वाले बच्चे, किशोरी बालिकाओं व गर्भवती व धात्री महिलाओं का जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा अति कुपोषित बच्चे एवं महिलाओं का प्रारम्भिक अवस्था में पता चलने पर दुगुना पूरक पोषाहार देकर उपचारित किया जाता है। साथ ही प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर दो किशोरी बालिकाओं का चयन कर दुगुना पोषाहार देकर उपचारित किया जाता है, बच्चे, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

252. श्री रमेश (सपोटरा): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रमेश)

(1) करौली जिले में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्रतिवर्ष कितने शौचालय बनाने के लक्ष्य के विरुद्ध कितने शौचालय बनाये गये?

(2) क्या प्रत्येक वर्ष लक्ष्य अनुसार शौचालयों का निर्माण किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा निश्चित समय में लक्ष्य पूरा नहीं करने पर संबंधित दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार सभी जिलों के समान जिला करौली में भी लक्ष्य अनुसार शौचालय निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत करौली जिले में 2015-16 एवं 2016-17 में शौचालय बनाने के लक्ष्य के विरुद्ध बनाये गये शौचालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**नगर निकाय का नाम**	**शौचालय निर्माण का लक्ष्य**	**शौचालयों का निर्माण पूर्ण**	**निर्माणाधीन**
1	करौली	4500	489	2495
2	हिण्डौन	6203	1020	626
3	टोडाभीम	2143	784	612

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्धारित लक्ष्य 69145 व्यक्तिगत शौचालय के विरुद्ध ऑनलाइन भौतिक प्रगति की रिपोर्ट 65541 व्यक्तिगत शौचालय की रही।

वर्ष 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य 131504 के विरुद्ध अब तक ऑनलाइन भौतिक प्रगति की रिपोर्ट 39308 शौचालय रही है।

निर्मित शौचालयों की पंचायत समितिवार भौतिक प्रगति की रिपोर्ट परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) करौली जिले के ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 94 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किये गये एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 अब तक 30 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किये गये है। व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण प्रगति पर है। माह मार्च, 2018 तक नगर निकायों को ओडीएफ करने का लक्ष्य है। करौली जिले की नगरीय निकायों में 17.84 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किये गये है एवं 29.5 प्रतिशत शौचालय निर्माण प्रगतिरत है।

(3) जिले में शौचालय निर्माण के लक्ष्य अर्जित करने हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में प्रगति जारी है।

(4) जी हां। माह मार्च 2018 तक जिला करौली को ओडीएफ करने का लक्ष्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों में नाबार्ड के सहयोग से अतिरिक्त राशि दिलाने की योजना

253. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में किन-किन संस्थाओं द्वारा किस-किस स्तर पर कितनी-कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? गत वित्तीय वर्ष में कुल कितनी सब्सिडी प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में केन्द्र सरकार के सहयोग से नाबार्ड संस्था द्वारा दुग्ध उत्पादन के निमित्त डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) के माध्यम से बी.एम.सी. (बल्क मिल्क कूलर) एवं एम.सी.सी. (मिल्क चिलिंग सेन्टर) की स्थापना एवं संचालन हेतु सब्सिडी प्रदान की जाती है? यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनी-कितनी सब्सिडी का प्रावधान बी.एम.सी. एवं एम.सी.सी. की स्थापना एवं संचालन हेतु किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की विकास दर को बढ़ाने के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अतिरिक्त सहयोग राशि

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्धारा केन्द्र सरकार के सहयोग से दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना डवलपमेन्ट एण्ड स्ट्रेन्थनिंग ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसेलिटीज फॉर प्रोडक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीडस अन्तर्गत बीज विधायन संयन्त्र, बीकानेर पर दो बीज गोदामों के सिविल निर्माण कार्य हेतु 100 प्रतिशत एवं नेशनल लाईव स्टॉक मिशन सब मिशन फोडर एण्ड फीड डवलपमेन्ट अन्तर्गत फोडर सीड्स प्रोडक्शन/प्रोक्योरमेन्ट एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन एवं हस्तचलित चाफ कटर वितरण हेतु भारत सरकार से 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

गत वित्तीय वर्ष 2015 -16 में भारत सरकार से राज्य सरकार के माध्यम से आरसीडीएफ को प्राप्त अनुदान का योजनावार विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**राशि**
1	फोडर सीड्स प्रोडक्शन/प्रोक्योरमेंट एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन	290.73
2	हस्तचलित चाफ कटर विवरण	48.08
3	नये बीज विधायन संयन्त्र, बीकानेर पर बीज गोदामों के सिविल निर्माण कार्य हेतु	43.97
	कुल योग	**382.78**

इसके अतिरिक्त डेयरी विकास हेतु भारत सरकार की योजनाओं में नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डवलपमेंन्ट (एनपीडीडी), गुणवत्ता एवं ढांचागत विकास स्वच्छ दुग्ध कार्यक्रम (एसआईक्यू- सीएमपी) में स्वीकृत परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से अंशदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(डेयरी मंत्री)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	दुग्ध संघ	योजना का नाम	राशि
1	अलवर	एनपीडीडी	33.90
2	भीलवाड़ा	एनपीडीडी	58.22
3	पाली	एसआईक्यू सीएमपी	189.00
	कुल योग		**281.12**

(2) 1. डेयरी उद्यिमता विकास योजना (डीईडीएस)के अन्तर्गत पांच हजार लीटर क्षमता तक का बी.एम.सी./ मिल्किंग मशीन/मिल्को टैस्टर की स्थापना हेतु रु. 20 लाख इकाई लागत मानते हुए सामान्य श्रेणी के किसानों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानो को 33.33 प्रतिशत अनुदान बैक एण्डेड कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें सामान्य श्रेणी के किसानों के लिये रु. 5 लाख एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानो के लिए अधिकतम सीमा रु. 6.67 लाख अथवा वास्तविक जो भी कम हो अनुदान देय है।

2. योजनान्तर्गत एम.सी.सी. (मिल्क चिलिंग सेन्टर) की स्थापना हेतु सीधे तौर पर प्रावधान नहीं है। योजना का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) भारत सरकार के वर्ष 2017-18 के बजट में नाबार्ड के माध्यम से रु. 2 हजार करोड़ की दुग्ध प्रसंस्करण आधारभूत सुविधा विकास निधि (डीआईडीएफ) के गठन का प्रस्ताव है जिसे बढाकर 3 वर्षो में रु. 8 हजार करोड़ किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव से दुग्ध प्रस्संकरण का कार्य करने वाली दुग्ध सहकारी समितियों और अन्य निकाय अपनी टेक्नोलांजी को उन्नत बनाने में समर्थ होगें जिससे किसानो को सीधे लाभ पहुंचेगा। इस निधि के दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक इस निधि का परिचालन शुरू हो सकता है। नाबार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पालनहार योजना के तहत लाभान्वितों का भौतिक सत्यापन

254. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पालनहार योजना में करोड़ों रुपयों का भुगतान ऐसे अनाथ बच्चों का नाम देकर कर चुके हैं, जिनका रिकार्ड विभाग में उपलब्ध ही नहीं है और न ही वो भौतिक रूप से अस्तित्व में है? हां, तो क्यों? गत 5 वर्षों में पालनहार योजना में जिलेवार किये गये भुगतान व लाभान्वितों की संख्या सूची व इस सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पालनहार योजना में जिलेवार लाभान्वितों का भौतिक सत्यापन कराकर अनाथ बच्चों के नाम से की गई अनियमितता के लिये जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा इनकी मदद से जिन अपात्र बैंक खातों में ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है, उनके विरुद्ध जांच करवाकर नियमानुसार एसीबी और पुलिस कार्यवाही कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। पालनहार योजना में विभाग द्वारा विगत 5 वर्षो में ऐसे किसी भी व्यक्ति को बिना आवेदन प्रस्तुत किये लाभान्वित नही किया गया है। योजनान्तर्गत विगत 5 वर्षो में किये गये भुगतान एवं लाभान्वित पालनहारों का विवरण परिशिष्ट अ पर सलंग्न है। लाभान्वित किये गये सभी पालनहारों के आवेदन कार्यालयों में उपलब्ध है। बाड़मेर जिले के संदर्भ में समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 04.07.2016 को प्रकाशित समाचार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसके अनुसार सभी पालनहारों के दस्तावेजो का सत्यापन कर भुगतान किया गया है एवं सभी पालनहारों के आवेदन पत्र जिला कार्यालय में उपलब्ध है।

(2) योजनान्तर्गत लाभान्वित हो रहे पालनहारो का भौतिक सत्यापन करवाया जाना एक नियमित प्रक्रिया है। जिसके तहत समय समय पर

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

आवेदकों का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण करवाया जाता है। योजनान्तर्गत किसी भी अपात्र को भुगतान करने की शिकायत प्राप्त नही हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिकराय में ओवरहैड टैंकों का निर्माण

255. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की क्पा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय के गांवों व कस्बों (घूमणा, टोरड़ा एवं बहरावण्डा) में पेयजल आपूर्ति हेतु वर्तमान में कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बहरावंडा एवं टोरड़ा में सरकार द्वारा दिसंबर, 2013 से दिसंबर, 2016 तक कितने ओवर हेड टैंक बनवाए गए उक्त कार्यों हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? क्या उक्त कार्यों को समय पर पूर्ण कर सप्लाई चालू कर दी गई? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 198 ग्रामों में से 8 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 26 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना, 36 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना (11 ग्राम जनता जल योजना में सम्मिलित) तथा 128 ग्राम हैण्डपम्प योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

क्षेत्र के ग्राम घुमणा हैण्डपम्प योजना से, ग्राम टोरडा़ एवं बहरावण्डा पम्प एवं टैंक जल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। ग्राम टोरड़ा की जल योजना का संचालन एवं संधारण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जनता जल योजना अंतर्गत किया जा रहा है। इन ग्रामों सहित उक्त क्षेत्र के समस्त ग्रामों में जल योजनाओं से की जा रही पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम बहरावण्डा एवं टोरड़ा की पुनर्गठित जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभाग की

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

एस.एल.एस.एस.सी. की 9वीं बैठक दिनांक 19.10.2012 द्वारा क्रमशः राशि रुपये 31.71 लाख एवं रुपये 31.71 लाख की जारी की गई।

उक्त ग्रामों की स्वीकृत दोनों योजनाओं में प्रत्येक में जल स्रोत (नलकूप), राईजिंग पाइप लाइन एवं अन्य कार्यों सहित एक-एक उच्च जलाशय के निर्माण का प्रावधान सम्मिलित था। इन योजनाओं से संबंधित संवेदक द्वारा प्रत्येक ग्राम में एक-एक नलकूप, एक-एक उच्च जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण एवं ग्राम बहरावण्डा में राईजिंग पाइप लाइन बिछाने का आंशिक कार्य ही पूर्ण किया गया है। योजनाओं के शेष कार्य संवेदक द्वारा अधूरे छोड़ दिये जाने के कारण इनसे पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ नहीं हो पाई है। योजनावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संबंधित संवेदक को बार-बार नोटिस जारी करने के उपरांत भी कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार क्लॉज -2 एवं 3 के तहत कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बांध निर्माण के लिए लागत लाभ अनुपात कानून को बदलने की कार्यवाही

256. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्रिटिश शासन के समय से बांध निर्माण के लिए लागत - लाभ अनुपात का कानून बना हुआ है? यदि हां, तो उक्त कानून के बाद अब तक प्रदेश के छोटे-बड़े कितने बांधों की फिजिबिलिटी नहीं बन पायी है? बांधवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में उक्त कानून को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ब्रिटिश शासन काल के दौरान वित्तीय वापसी (Financial Return) के आधार पर सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की जाती थीं।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियाजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार द्‌वारा जारी गाइडलाइन अनुसार किये जाने से राज्य सरकार स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु राज्य सरकार द्‌वारा छूट प्रदान किये जाने के प्रावधान होने से संशोधन विचाराधीन नही है।

प्रदेश में राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद् का गठन

257. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नियम उपनियम बनाने व सरकार को राय देने हेतु पंचायती राज विस्तार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य-स्तरीय आदिवासी परिषद् का गठन किया गया है? यदि हां तो कब?

(2) क्या उक्त परिषद एक संवैधानिक संस्था है? यदि हां, तो इसकी कार्यशैली एवं कार्यपद्‌धति क्या है? क्या इस परिषद ने नियम-उपनियमों के सम्बन्ध में कोई अनुशंसा की है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त परिषद की अनुशंसा पर सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नियम उपनियम बनाने व सरकार को राय देने हेतु पंचायतीराज विस्तार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद के गठन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अत: प्रश्न के शेष भाग की सूचना शून्य है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के क्रम में सूचना शून्य है।

(3) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर के क्रम में सूचना शून्य है।

भरतपुर जिले में अवैध खनन

258. श्रीमती अनीता (नगर): क्या खान राज्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अनीता)

क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में अत्यधिक मात्रा में अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। यह सही नहीं है कि भरतपुर जिले में अत्यधिक मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। भरतपुर जिले के कई क्षेत्रों में अवैध खनन की समस्या है जिसमें विभाग द्वारा समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही की गई है। जिले में अवैध खनन मुख्य रूप से तहसील - रूपवास के ग्राम बंशीपहाड़पुर, तहसील - बयाना के बंधबारेठा, कोटबांगर्रा, कोडापुरा तथा बुडवार क्षेत्र में होना पाया गया है, जो कि वन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त तहसील - रूपवास के राजस्व ग्राम मैरथा, सामरी, महलपुरचूरा, दाहिना, गुर्जरबलाई, होरीपुरा, तहसील - वैर के जसवर, अलीपुर, सलेमपुर, रामनगर, तहसील - पहाड़ी के गाधानेर, नांगल, छपरा, गंगोरा, मौठूका, डाठेट, घौलेट, मूँगस्का, बिजासना, चिनावडा एवं तहसील - नदवई के उसेर, कबई, सिरसई, तहसील - नगर के रसिया में होना पाया गया है।

नवलगढ़ में गौरव पथ का निर्माण

259. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गौरव पथ योजना कब तथा किस उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी तथा उक्त योजना के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रदेश के कितने गांवों को उक्त योजना से जोड़कर गौरव पथ निर्मित कराये गये? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में उक्त योजना में कितने गौरव पथ कहां के लिए स्वीकृत किये गये और उनमें से कितने गौरव पथ कितनी राशि व्यय कर कहां-कहां निर्मित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में गौरव पथ निर्माण की स्वीकृति में भेदभाव बरता गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में ग्रामीण गौरव पथ योजना वर्ष 2014-15 से शुरू की गई, जिसका उद्‌देश्य प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सुदृढ़ सीमेन्ट कंक्रीट सड़क का निर्माण व पानी निकासी हेतु नाली निर्माण करना है। इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 में स्वीकृत 1972 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण किया जा चुका है। एक कार्य प्रगति पर है। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

वर्ष 2016-17 में 2086 कार्य स्वीकृत कर कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 8 ग्रामीण गौरव पथ राशि रु. 400.00 लाख के स्वीकृत किये गये, जिनको राशि रु. 358.03 लाख व्यय कर पूर्ण कर दिया गया। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में आंगनबाड़ी केन्द्रों द्‌वारा जागरूकता अभियान

260. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्‌वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के प्रत्येक सुपरवाइजर एवं सहायिका का ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 तक किस-किस विषय में लोगों को जागरूक किया एवं किस-किस प्रकार की योजनाओं से ग्रामवासियों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत 02 परियोजनाए क्रमश: बाल विकास परियोजना बस्सी एवं चाकसू संचालित है। परियोजना बस्सी के 290, चाकसू के 26 इस प्रकार कुल 316 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्दों के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त क्षेत्र के प्रत्येक सुपरवाइजर एवं सहायिका का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "अ" में ही समाहित है।

(4) उक्त प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर वर्ष जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 तक विभागीय योजनाओं से लाभान्वित एवं जागरूक किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर में नगर विकास न्यास की स्थापना

261. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर नगर परिषद क्षेत्र में जिला मुख्यालय पर सरकार नगर विकास न्यास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार नगर परिषद नागौर और नगर पालिका मूण्डवा (नागौर) को नियमित बजट के अतिरिक्त विशेष बजट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी राशि कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जिला मुख्यालय नागौर के ऐतिहासिक बखतसागर तालाब के सौन्दर्यकरण, रख-रखाव एवं उपयोगिता के लिए और गाजी खाडा क्षेत्र को गंदगी से मुक्त करने एवं मीठे पानी के सबसे बडे तालाब गिन्नाणी के लिए राशि आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है, परन्तु नगर परिषद नागौर द्वारा स्वंय के संसाधनों द्वारा निम्नानुसार तालाबों का सौन्दर्यकरण एवं रख-रखाव का कार्य किया गया है।

(अ) बख्तसागर तालाब:-

1. बख्तसागर तालाब के उत्तर की तरफ दीवार का निर्माण कार्य राशि 843490/-
2. बख्तसागर तालाब में मिट्टी खुदाई का कार्य राशि 772112/-
3. बख्तसागर तालाब में सड़क के दक्षिण की तरफ रिटेनिंग वॉल का निर्माण राशि 1786228/-

(ब) गिन्नाणी तालाब:-

गिन्नाणी तालाब की दीवार मरम्मत कार्य राशि 326621/-

2. गिन्नाणी तालाब की खुदाई का कार्य राशि 700996/-
3. गिन्नाणी तालाब में आने वाले गन्दे पानी को रोकने के लिये दीवार निर्माण कार्य राशि 113630/-

प्रश्न संख्या 262

(स्थगित)

बारां जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्राप्त आवेदन

263. श्री रामपाल (बारां-अटरू): क्या सामाजिक न्याय एव अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले में गत दो वर्षों में ग्राम पंचायतवार विधवा/परित्यकता/वृद्धावस्था पेंशन के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पात्र आवेदनकर्ताओं को सरकार द्वारा अब तक पेंशन जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक जारी कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत जिला बांरा में विगत दो वर्षों में पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त आवेदनों की ग्राम पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं। सभी पात्र आवेदनों को पेंशन स्वीकृत कर दी गई है, कोई पेंशन आवेदन पत्र स्वीकृति करने से शेष नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने हेतु डी.पी.आर.

264. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पृथ्वीराज नगर योजना में बीसलपुर पेयजल योजना हेतु डी.पी.आर. के लिए किसी कंपनी से करार किया है? यदि हां, तो किस-किस कंपनी से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कम्पनियों से डी.पी.आर. का करार कब किया गया तथा कब तक डीपीआर पर कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी? क्या अब तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग को पृथ्वीराज नगर में बीसलपुर पेयजल योजना के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो कब व कुल कितनी राशि के? क्या जयुपर विकास प्राधिकरण द्वारा पेयजल योजना के लिए अपनी सहमति दी है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार पृथ्वीराज नगर को अब कब तक बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार सांगानेर (जयपुर) के पेयजल से वंचित हिस्सों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार के द्वारा सांगानेर के शेष हिस्सों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने के लिए कोई डी.पी.आर. तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या डी.पी.आर. प्राप्त हो गई हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पृथ्वीराज नगर एवं सांगानेर क्षेत्र के वार्ड संख्या 33, 34 एवं 35 (आंशिक) तथा आस-पास के क्षेत्र में सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सर्वेक्षण, अनुसंधान, अभिकल्पन एवं ड्राईंग्स, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) इत्यादि तैयार करने हेतु निम्न वर्णित दो फर्मों को कार्यादेश जारी किया जाकर करार किया गया।

(अ) मैसर्स याशी कन्सलटिंग सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर - अजमेर रोड से सीकर रोड के मध्य के क्षेत्र (पृथ्वीराज नगर, उत्तर) हेतु कार्यादेश राशि रुपये 137.91 लाख दिनांक 04.10.2013 एवं करार दिनांक 14.10.2013।

(ब) मैसर्स पीडीकोर लिमिटेड, जयपुर - डिग्गी रोड से अजमेर रोड के मध्य के क्षेत्र (पृथ्वीराज नगर, दक्षिण) हेतु कार्यादेश राशि रुपये 135.00 लाख दिनांक 13.04.2016 एवं करार दिनांक 16.06.2016।

(2) उपरोक्तानुसार। कार्यादेश अनुसार मैसर्स याशी कंसल्टिंग सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा ट्रांसफर प्रणाली एवं उत्तर भाग की वितरण प्रणाली की डी.पी.आर. दिनांक 13.01.2014 को प्रस्तुत करनी थी जिसे फर्म द्वारा दिनांक 29.04.15 को प्रस्तुत किया गया।

पृथ्वीराज नगर, दक्षिण के वितरण तंत्र लिए कार्यादेश अनुसार मैसर्स पीडीकोर लिमिटेड, जयपुर द्वारा डी.पी.आर. दिनांक 22.10.2016 को प्रस्तुत करनी थी। फर्म द्वारा ड्रॉफ्ट डी.पी.आर. दिनांक 23.02.2017 को प्रस्तुत की गई है।

(3) दिनांक 09.01.2015 को राज्य सरकार स्तर पर हुई बैठक में लिए गये निर्णय की अनुपालना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 04.02.2015 को उक्त पेयजल परियोजना हेतु बीसलुपर योजना हिस्सा राशि एवं मूलभूत संरचनाओं के कार्यों की वास्तविक राशि के आंकलन होने तक विभाग में रुपये 60.00 करोड़ प्रति छह माह की दर से (2 वर्ष तक) जमा कराने बाबत लिखा गया। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रुपये 60.00 करोड़ की राशि विभाग को दिनांक 27.03.2015 को जमा कराई गई है। तत्पश्चात् कोई राशि जमा नहीं कराई गई है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त परियोजना के लिए प्रस्तावित मुख्य हैडवर्क्स की भूमि आवंटन/चिन्हीकरण सुनिश्चित होने पर ट्रांसफर प्रणाली की डी.पी.आर. राशि रुपये 343.07 करोड़ की जारी करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण को शेष राशि रुपये 283.07 करोड़ जमा कराने हेतु विभाग के पत्र दिनांक 10.06.2016 द्वारा लिखा गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 23.06.2016 द्वारा केवल पृथ्वीराज नगर क्षेत्र की हिस्सा राशि से अवगत कराने हेतु लिखा गया। तत्पश्चात् विभाग द्वारा सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाकर पत्र दिनांक 01.03.2017 के द्वारा बीसलपुर परियोजना एवं ट्रांसफर प्रणाली की हिस्सा राशि रुपये 348.86 करोड़ विभाग में जमा कराने हेतु लिखा गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण से उक्त बाबत सहमति/राशि प्राप्त होना शेष है।

(4) पृथ्वीराज नगर हेतु प्रस्तावित ट्रांसफर प्रणाली की राशि जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने एवं उक्त सम्पूर्ण परियोजना हेतु आवश्यक 72 स्थानों पर (39 स्थानों पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण) भूमि आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा।

(5) जी हां। पृथ्वीराज नगर के अतिरिक्त सांगानेर क्षेत्र के वार्ड संख्या 33, 34 एवं 35 के आंशिक भाग को उक्त परियोजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त वार्ड संख्या 35, 36 एवं 37 के शेष अलाभान्वित भाग हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु राशि रुपये 63.47 लाख के बनाये गये प्रस्ताव स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच प्रक्रिया में है।

(6) उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में बरसाती पानी के संरक्षण की योजना

265. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जल संरक्षण की क्या नीति/नियम हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में बरसाती पानी के संरक्षण हेतु क्या योजना लागू की

(श्री कन्हैयालाल)

गयी है व इस हेतु वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कितने कार्य स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में बरसाती जल के संरक्षण हेतु कोई एनिकट एवं चैकडेम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण हेतु 10 फरवरी, 2010 में राज्य जल नीति स्वीकृत की गयी है, प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बरसाती पानी के संरक्षण के लिए ग्रामों में जल उपलब्धता की गणना कर आवश्यक जल की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अधिशेष जल को रोकने हेतु जल संरक्षण कार्य करवाने की योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एवं फोर वाटर कान्सेप्ट के अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे हैं। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण में 10 कार्य पूर्ण किये गये हैं व द्वितीय चरण में 19 कार्य प्रगतिरत है तथा एक कार्य विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) के अन्तर्गत प्रगतिरत है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इनके अतिरिक्त पंचायत समिति टोडारायसिंह एवं मालपुरा में नरेगा योजनान्तर्गत कार्य करवाये जा रहे हैं। स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में बरसाती जल संरक्षण हेतु एनीकट एवं चैक डेम बनाने हेतु विभागीय गाइडलाइन अनुसार प्रस्ताव फिजिबल पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार अग्रिम कारवाई की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद् की अनुशंसा पर कार्यवाही

266. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

(1) क्या राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद एक संवैधानिक संस्था है? यदि हां, तो इसकी कार्यशैली एवं कार्य पद्धति क्या है? क्या उक्त परिषद ने नियम-उपनियमों के सम्बन्ध में कोई अनुशंसा की है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परिषद की अनुशंसा पर अब तक सरकार ने कोई कार्यवाही की है? यदि हां तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान में राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद के गठन के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। अत: प्रश्न के शेष भाग की सूचना शून्य है।

(2) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर अनुसार सूचना शून्य है।

बयाना में घाटोली से मिल्सवा तक सड़क का निर्माण

267. श्री बच्चू सिंह (बयाना): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बयाना के घाटोली से मिल्सवा तक सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र की घाटोली से मिल्सवा एवं रूपवास-बयाना से गूजर बलाई तक सड़क बनाने का प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खान विभाग को भिजवाया गया था? यदि हां, तो खान विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अब तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना के घाटोली से मिल्सवा तक सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त प्रस्तावों का विभागीय स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरान्त खान उपागमन सड़क होने की पुष्टि होने पर उक्त सड़क का निर्माण कराया जा सकता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बयाना के अन्तर्गत आने वाली घाटोली से

(राज्य मंत्री, खान)

मिल्सवा एवं रूपवास बयाना रोड़ से गूजर बलाई तक सड़क बनाने का प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग से तखमीना सहित हाल ही में खान विभाग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कराया जाकर इन सड़कों के खान उपागमन सड़क होने की पुष्टि होने पर इन सड़कों का निर्माण कराया जा सकता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में संचालित मां-बाड़ी केन्द्र

263. श्री नवनीत लाल (घाटोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में हर जिले में मां-बाड़ी केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मां-बाड़ी केन्द्रों में बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है? यदि हां, तो प्रदेश के प्रत्येक मां-बाडी केन्द्रों में बालक-बालिकाओं की संख्या की पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में हर जिले में मां बाड़ी केन्द्र संचालित नहीं किए जा रहे है। जिन जिलों में मां बाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे है उनकी पंचायत समिति वार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। मां-बाड़ी में बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश की प्रत्येक मां-बाड़ी में बालक-बालिकाओं की संख्या की पृथक्-पृथक् सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दूदू में माडा योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

264. श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता मद के अन्तर्गत माडा/ बिखरी/ माडा कलस्टर क्षेत्र के जनजाति बी.पी.एल. कृषकों को डीजल पम्प सैट/फव्वारा हेतु दिये जाने वाले अनुदान पर रोक लगा दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बी.पी.एल. कृषकों को डीजल पम्प सैट/ फव्वारा हेतु अनुदान से वंचित करने पर सरकार द्वारा विद्युत कनेक्शन व कुएं/बोरिंग विहीन बी.पी.एल. कृषकों के लिए सिंचाई हेतु क्या योजना प्रस्तावित है? क्या सरकार डीजल पम्प सैट/फव्वारा हेतु अनुदान को पुन: जारी रखने का विचार

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा माडा योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? क्या विधान सभा क्षेत्र दूदू में भी उक्त योजनान्तर्गत गांव आते हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे तथा उक्त योजनान्तर्गत कौन-कौनसे कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत माडा/बिखरी/माडा कलस्टर क्षेत्र में जनजाति बी.पी.एल. कृषकों को डीजल पम्प सैट/फव्वारा हेतु अनुदान पर रोक लगा दी गयी। इसका मुख्य कारण यह है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 मे विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत केवल कृषि कुओं का विद्युतीकरण तथा विद्युत पम्प सैट/सोलर पम्प सैट उपलब्ध कराने की योजना का ही अनुमोदन किया गया था।

इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में वर्ष 2015-16 के लिए राशि आवंटन हेतु Project Appraisal कमेटी की दिनांक 27.03.15 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण जो दिनांक 24.04.15 को जारी किया गया था संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) जनजाति बी.पी.एल. कृषकों को सरकार द्वारा उनके कृषि कुओं पर विद्युत कनेक्शन हेतु अधिकतम 10,000 रुपये तथा विद्युत पम्प सैट मय एसेसरीज हेतु अधिकतम 15,000 रुपये की सहायता दिये जाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है (परिशिष्ट-ब)। डीजल पम्प सैट/फव्वारा हेतु सहायता की योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।

(3) माडा योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु निर्धारित मानदण्ड की प्रति (परिशिष्ट-स) पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र दूदू में कोई भी गांव माडा क्षेत्र में सम्मिलित नही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर की सड़कों की मरम्मत

265. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में गत 2 वर्षों में कितनी व किन-किन सड़कों का डामरीकरण/नवीनीकरण/पेचवर्क कराया गया? सड़क व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति बडी दयनीय है? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों का पुन: निर्माण/डामरीकरण/पेचवर्क का कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में गत 2 वर्षों में किये गये सड़कों के डामरीकरण/नवीनीकरण का विवरण परिशिष्ट-1 पर व पेच मरम्मत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर में अतिवृष्टि के कारण 23 सड़कें 142.00 किमी. सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिन पर आपदा मद में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं एवं मरम्मत कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त 55.50 किमी. लम्बाई की नॉन पेचेबल सड़कें हैं जिनमें से 22.50 किमी. नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है। नॉन पेचेबल सड़कों की सूची परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। शेष सड़कों पर डामरीकरण/नवीनीकरण/मरम्मत कार्य करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गजपुरा (श्रीडूंगरगढ़) में टोल प्लाजा हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

266. श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री किशनाराम)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर बीकानेर हाइवे पर ग्राम गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ में टोल प्लाजा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 मई 2013 के तहत बनाया गया है? यदि हां, तो यह प्लाजा बनाने हेतु किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त किसानों को वर्ष 2013 में अवाप्त की गई कृषि भूमि का डी. एल. सी. दर से मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन किसानों की कितनी-कितनी कृषि भूमि अवाप्त की गई एवं भूमि की कितनी रेट से कितनी कितनी-राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन किसानों की भूमि औद्योगिक कृषि भूमि के रूप में रूपान्तरण थी, को औद्योगिक कृषि भूमि की दर से डी.एल. सी. दर से मुआवजा राशि दी गई थी? यदि हां, तो किस-किस दर से किन-किन किसानों को कितनी-कितनी भूमि की कितनी-कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त किसानों को औद्योगिक कृषि भूमि की दर से मुआवजा राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर बीकानेर हाइवे पर ग्राम गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ में टोल प्लाजा भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 8 मई 2013 के तहत बनाया गया है। किसानों की अवाप्त भूमि की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त किसानों को वर्ष 2013 में अवाप्त की गई भूमि की डी एल सी रेट किस्म अनुसार यथा कृषि, औद्योगिक एवं आबादी दर से जैसा अवाप्त भूमि पर लागू होने से मुआवजा दिया गया है। किसानों की अवाप्त भूमि एवं मुआवजे की सूची परिशिष्ट-1 में समाविष्ट है।

(3) ग्राम गजपुरा के टोल प्लाजा के आसपास कोई ओद्योगिक क्षेत्र

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तथा आबादी क्षेत्र स्थित नहीं है। अत: औद्योगिक भूमि दर उस क्षेत्र की कृषि भूमि दर से दुगुनी मानकर निर्धारण किया गया। श्री किशनाराम पुत्र भैराराम जाति जाट साकिन मूंड़सर तहसील बीकानेर की 3250 वर्गमीटर एवं श्री अशोक कुमार पुत्र कुशलाराम, श्री कृष्ण पुत्र दूलाराम जाति ब्राह्मण साकिन हेमासर की 3250 वर्गमीटर औद्योगिक भूमि टोल प्लाजा गजपुरा हेतु अवाप्त की गई है। क्षेत्रफल एवं दी गई मुआवजा राशि की सूची परिशिष्ट-1 में समाविष्ट है।

(4) भूमि का मुआवजा सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि की किस्म यथा कृषि, औद्योगिक एवं आबादी दर से जैसा अवाप्त भूमि पर लागू हो, के अनुसार निर्धारित डी.एल.सी. से निर्धारित किया गया है, जिसके लिए सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी एन.एच. एक्ट-1956 के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार स्वयं अधिकृत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी के कुतकपुर से बादलपुर तक पक्की सड़क का निर्माण

267. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की पंचायत समिति बाड़ी के अन्तर्गत आने वाले ग्राम कुतकपुर से बादलपुर तक (लगभग 2 किमी.) आवागमन हेतु कोई पक्का सड़क मार्ग नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार कुतकपुर से बादलपुर तक पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। ग्राम कुतुकपुर (467) एवं बहादुरपुर (1634) दोनों गांव अन्य डामर सड़कों से जुड़े हुए हैं। इन दोनों गांवों को आपस में जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

सोजत की जर्जर मिसिंग लिंक सड़कों का पुनर्निर्माण

268. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत व रायपुर तहसील के सोजत विधान सभा में आने वाली पंचायतों में मिसिंग लिंक रोड सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013 से 2017 तक कितनी सड़कें स्वीकृत की गयी? राशिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के अनेक गांवों में मिसिंग लिंक सड़कें जर्जर अवस्था में हैं? यदि हां, तो उन सड़कों का निर्माण कब-कब करवाया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों में बनाई गयी कौन-कौनसी सड़कें वर्तमान में खराब हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्रेवल सड़कें बनाई गयी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों का? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सोजत विधान सभा क्षेत्र में आने वाले पंचायतों में मिसिंग लिंक रोड सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013 से 2017 तक निर्मित सड़कों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। सोजत विधान सभा क्षेत्र में आने वाली कोई भी मिसिंग लिंक सड़क जर्जर अवस्था में नहीं है। सोजत विधान सभा क्षेत्र में निम्न मिसिंग लिंक सड़कें मरम्मत योग्य हैं:-

(1) सारंगवास से हरियामाली किमी. 0/0 से 2/500 (निर्माण वर्ष 2012)

(2) गुडिया से सिंगपुरा किमी. 0/0 से 3/300 (निर्माण वर्ष 2012)

उपरोक्त दोनों सड़कों के मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं। सोजत विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण 5 वर्ष की समय अवधि होने के बावजूद सड़कें खराब नहीं हैं एवं सभी सड़कों की समय पर मरम्मत कर दी गयी है।

(4) जी हां। सोजत विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा महानरेगा योजना में निर्मित ग्रेवल सड़कों की सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। उक्त सड़कों पर डामरीकरण हेतु वर्तमान में ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत प्रदेश को प्राप्त राशि

269. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत प्रत्येक वर्ष मिलने वाली राशि की मात्रा निर्धारित है? यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक प्रदेश को कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा उसमें से कितनी राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था पर किस प्रकार किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रत्येक वर्ष मिलने वाली निर्धारित राशि में कटौती की गई है? यदि हां, तो कब एवं कितनी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2016-17 (माह फरवरी, 2017 तक) की अवधि में राज्य सरकार को वर्षवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि एवं इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु किया गया। व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

अंतर्गत राज्य सरकार को प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि की मात्रा नियत नहीं हैं। वित्तीय वर्षवार उपलब्ध राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आक्षेपों पर कार्यवाही

270. डॉ. मंजू बाघमार (जायल): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत दस वर्षों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अंकेक्षण विभाग द्वारा जलदाय विभाग के वित्तीय लेखों व स्टाक का कब-कब परीक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लेखों के परीक्षणों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा क्या-क्या आक्षेप/अनियमितताएं उजागर की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग द्वारा उक्त अंकेक्षण आक्षेप/अनियमितताओं पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) हाल ही में विभाग में उजागर हुई अनियमितताओं के लिये किन-किन दोषी व्यक्तियों/ फर्मों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत दस वर्षों के दौरान नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा जलदाय विभाग के वित्तीय लेखों का कोई परीक्षण नहीं किया गया है क्योंकि वित्तीय लेखे नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अपने स्तर पर तैयार किये जाकर प्रकाशित किये जाते हैं। निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा मुख्यालय स्थित भंडार लेखों का विगत 10 वर्षों में दो बार निरीक्षण किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्यालय	प्रतिवेदन संख्या	वर्ष
1.	मु. अभि.(मु.)	405/10-11	2010-11
2.	मु. अभि.(मु.)	336/12-13	2012-13
3.	मु. अभि.(ग्रा.)	329/12-13	2012-13

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) वित्तीय लेखों में कोई आक्षेप नहीं लिया गया है। अत: उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(3) वित्तीय लेखों में कोई आक्षेप नहीं लिया गया है। अत: उत्तर अपेक्षित नहीं है।

(4) हाल ही में विभाग में एल.ई.डी. लाइटें अधिक दरों पर क्रय किये जाने का प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में आने पर प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर की गई जांच अंतर्गत प्राप्त अंतरिम रिपोर्ट में तत्कालीन वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), जयपुर को दोषपूर्ण एवं भ्रामक राय प्रदत्त करने का उल्लेख करते हुए विस्तृत जांच हेतु दिनांक 31.01.2017 को दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसी प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा सूत्र सूचना 23/2016 विरुद्ध अधिकारीगण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर तदनुसार कार्यवाई की जायेगी।

रेहड़िया बांध से बांदीकुई शहर को पेयजल की आपूर्ति

271. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में रेहड़िया बांध में जलस्तर बढ़ा है? यदि हां, तो कितना व गत 3 वर्षों में कितने जलस्तर का भराव रहा? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बांध से बांदीकुई शहर को पेयजल की आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत वर्षो के दौरान बांध में इसके पूर्व के वर्षों के तुलना में पानी की आवक में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी विगत 10 वर्षों में बांध पूर्ण भराव क्षमता 187 Mcft तक एक बार ही भरा है। गत तीन वर्षों के दौरान बांध में पानी की आवक का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) जी नहीं। दौसा जिले के समस्त शहर/कस्बें एवं ग्रामों को ईसरदा पेयजल परियोजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित होने से रेहडिया बांध से बांदीकुई शहर को पीने के पानी की आपूर्ति किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में वृहत् सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

272. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि करौली जिले में असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने के लिए जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण किसान वर्ग को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है?

(2) क्या सरकार करौली जिले में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने हेतु वृहत् सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कहां से व नहीं, तो क्यों? प्रस्तावित कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रस्तावित "राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना" से निर्मित कालीसिल, पांचना एवं जग्गर बांध में पानी डाला जाना परिकल्पित है। इस परियोजना की डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। डी.पी.आर. तैयार होने के बाद वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पायलट प्रोजेक्ट के कार्य

273. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की साहवा, कोलायत, गजनेर, फलौदी, पोकरण व बागडसर लिफ्ट योजनाओं के पायलट प्रोजेक्ट में कार्य कब-कब प्रारम्भ किये गये और किस-किस लिफ्ट में पायलट प्रोजेक्ट का कार्य पूरा हो चुका है व किस-किस लिफ्ट में उक्त प्रोजेक्ट का कार्य वर्तमान में लम्बित है? लिफ्टवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(2) उक्त योजनाओं के द्वारा कितनी भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जानी थी व वर्तमान में प्रत्येक योजना का सिंचित क्षेत्र कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पायलट प्रोजेक्ट के कार्य, साहवा लिफ्ट योजना में मार्च, 2008, कोलायत लिफ्ट योजना में जनवरी, 2008, गजनेर लिफ्ट योजना में जनवरी 2008, फलौदी लिफ्ट योजना में जनवरी 2008, पोकरण लिफ्ट योजना में फरवरी, 2008, व बांगडसर लिफ्ट योजना में फरवरी 2008 में प्रारम्भ किये गये। उक्त 6 लिफ्टों में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पायलट प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत साहवा लिफ्ट में 8541 हैक्टेयर, कोलायत लिफ्ट में 7545 हैक्टेयर, गजनेर लिफ्ट में 4592 हैक्टेयर, फलौदी लिफ्ट में 3143 हैक्टेयर, पोकरण लिफ्ट में 1598 हैक्टेयर एवं बांगडसर लिफ्ट में 2030 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी जानी थी।

परियोजना में कुल 16.17 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र के अनुसार साहवा लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 102622 हैक्टेयर, कोलायत लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 101461 हैक्टेयर, गजनेर लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 71202 हैक्टेयर, फलौदी लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 35604 हैक्टेयर, पोकरण लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 26327 हैक्टेयर एवं बांगडसर लिफ्ट योजना का सिंचित क्षेत्र 10350 हैक्टेयर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में सचिवालय नगर विस्तार योजना के भू-खण्ड धारियों को भू-खण्ड के कब्जे

274. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जयपुर स्थित मुहाना मण्डी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सचिवालय नगर विस्तार योजना के नाम से आवासीय योजना

(श्री अशोक डोगरा)

के पट्टे कई वर्ष पूर्व जारी करने के उपरान्त भी अब तक पट्टेधारियों को भू-खण्ड के कब्जे नहीं दिये गये हैं? क्या सरकार उक्त योजना के भू-खण्ड धारियों को भू-खण्ड के कब्जे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में समिति अवसायनाधीन होने के कारण समिति में सहकारी विभाग का अधिकारी समापक नियुक्त है। समिति के लगभग 25 से अधिक न्यायिक प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण पर ही समापक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

कोटा में सरस बूथ की लम्बित एन.ओ.सी.

275. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, कोटा में सरस बूथ की एन.ओ.सी. हेतु आवेदन लम्बित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर जरूरतमंद लोगों को सरस बूथ की एन.ओ.सी जारी करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) गत तीन वर्षों में कितने लोगों को सरस बूथ लगाने के लिए एन.ओ.सी जारी की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जी हां। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) विगत तीन वर्षों में कोटा में सरस बूथ लगाने के लिए जारी की गईएन.ओ.सी. का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	बूथ आवंटीत का नाम	एन.ओ.सी. क्रमांक	जारी एन.ओ.सी. का स्थान
1.	देवेन्द्र शर्मा	2 8 3 4 / 25.03.15	दादाबाड़ी बसन्त बिहार लिंक रोड, मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम, कोटा।

(डेयरी मंत्री)

2.	सुरेश शर्मा	2835/ 15.03.15	पैट्रोल पम्प के पीछे, नाले की बाउण्ड्री के पास, जवाहर नगर डिस्ट्रिक सेन्टर, कोटा।
3.	सुदीप चतुर्वेदी	2833/ 12.03.15	शिला चौधरी रोड, एयरपोर्ट की बाउण्ड्री के कोने पर, जवाहर नगर रोड, तलव्डी कोटा।

टोंक जिले के ईसरदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने की योजना

276. श्री हीरालाल (निवाई): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार टोंक जिले को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ईसरदा बांध की ऊचाई बढाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ईसरदा बांध का निर्माण केवल पेयजल हेतु ही किया जाना है। दौसा जिले के समस्त 5 शहर क्रमशः दौसा, बांदीकुई, बसवा, महुवा एवं लालसोट तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार समस्त 1079 ग्रामों की पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक समाधान के अंतर्गत इस बांध के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को राशि रुपये 530.00 करोड़ की जारी हुई थी।

ईसरदा बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग के माध्यम से डिपोजिट कार्य के अंतर्गत कराया जाना है तथा इसके निर्माण हेतु राशि रुपये 541.00 करोड़ की निविदा आमंत्रित की गई। जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु वर्ष 2013 में स्वीकृति उपरान्त नये भूमि अवाप्ति एक्ट-2013 के लागू होने, बी.एस.आर. 2012 के स्थान पर बी.एस.आर. 2014 के अनुसार दरें लिये जाने एवं बांध की लम्बाई बढ़ जाने के कारण बांध की संशोधित अनुमानित लागत रुपये 1856.49 करोड़ होना अवगत कराया है।

वित्त विभाग को उक्त राशि के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाकर निर्देशानुसार प्रस्तावित राशि की वर्षवार व्यवस्था एवं आयोजना विभाग की सहमति बाबत् कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

टोंक जिले के 6 शहर/कस्बों तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 990

(जल संसाधन मंत्री)

ग्रामों को बीसलपुर बाँध आधारित 5 वृहत् पेयजल परियोजनाओं से लाभान्वित किया जाना स्वीकृत है। इन परियोजनाओं से अब तक 3 शहर एवं 438 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष 3 शहर एवं 552 ग्रामों को लाभान्वित करने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

बीसलपुर बांध आधारित वृहत् पेयजल परियोजनाओं से उक्तानुसार टोंक जिले के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित किये जाने के कारण ईसरदा बांध का निर्माण टोंक जिले की पेयजल आपूर्ति हेतु विचाराधीन नहीं है

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लम्बित आवेदन

277. श्री कैलाश भंशाली (जोधपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में वर्ष 2013 से 2017 तक वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन के कितने आवेदन कब-कब प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने आवेदकों को पेंशन जारी कर दी गई है और कितने आवेदन लम्बित हैं? लम्बित रहे प्रकरणों की पेंशन कब तक जारी कर दी जावेगी? लम्बित रहे प्रकरणों का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2013 से जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन श्रेणियों में प्राप्त आवेदनों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या		
	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
2013	4191	1610	485
2014	123	54	25

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

2015	386	149	32
2016	312	180	40
2017 (6 फरवरी 17 तक	47	45	08

(2) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2013 से जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन श्रेणियों में प्राप्त आवेदनों में से स्वीकृत/जारी आवेदनों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्वीकृत/जारी आवेदनों की संख्या		
	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
2013	4191	1610	485
2014	123	54	25
2015	386	149	32
2016	312	180	40
2017	47	45	08

आज दिनांक तक प्राप्त आवेदनों में कोई पेंशन आवेदन लम्बित नही है।

प्रदेश में केन्द्र सरकार के सहयोग से अल्पसंख्यकों हेतु संचालित योजनाएं

278. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के माध्यम से कौन-कौनसी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2017 तक कुल कितने अल्पसंख्यकों को किस-किस योजना में किस-किस प्रकार से लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं:-

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित:-

1. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) (CSS)
2. साइबर ग्राम योजना
3. छात्रवृति योजना
4. अनुप्रति योजना
5. अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास की योजना

राज्य सरकार द्वारा संचालित:-

6. अल्पसंख्यक छात्रावास योजना
7. कौशल विकास प्रशिक्षण योजना
8. राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम योजना

अल्पसंख्यकों हेतु संचालित केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रावधान परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) राज्य में 1 जनवरी, 2014 से 28 फरवरी 2017 तक अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अन्तर्गत संचालित:-

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:-

क्रम संख्या योजना	लाभार्थियों की संख्या	राशि
1. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	-	14719.5 लाखों में
2. साईबर ग्राम योजना	7384	67.34 लाखों में
3. छात्रवृति योजना	402340	9630.84 लाखों में
4. अनुप्रति योजना	226	62,02,500.00
5. अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास की योजना	5075	केन्द्र सरकार द्वारा राशि का भुगतान सीधे ही स्वैच्छिक संस्थाओं को किया जाता है।

राज्य सरकार प्रवर्तित योजनाएं:-

6. अल्पसंख्यक छात्रावास योजना	5584	516.58 लाखों में

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

7. कौशल विकास प्रशिक्षण योजना	3240	212.89 लाखों में
8. राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम योजना	13351	74,73,75,869.00

योजनाओं का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में निवासरत अल्पसंख्यक समुदाय हेतु विशेष योजना

279. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को क्या-क्या सुविधाएं किस-किस योजना के तहत दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की शिक्षा हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं? प्रत्येक योजना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रदान करने हेतु क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं? प्रत्येक योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हेतु कोई विशेष योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं:-

<u>केन्द्र सरकार द्वारा संचालित:-</u>

1. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP)(CSS)
2. साइबर ग्राम योजना
3. छात्रवृति योजना

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

4. अनुप्रति योजना

5. अल्पसंख्यक महिलाओं हेतु नेतृत्व विकास की योजना

<u>राज्य सरकार द्वारा संचालित:-</u>

6. अल्पसंख्यक छात्रावास योजना

7. कौशल विकास प्रशिक्षण योजना

8. राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम योजना

विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न हैं।

(2) सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की शिक्षा हेतु निम्न योजनाएं संचालित हैं:-

1. बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 6 से 10 तक के 10400 विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत चयनित ब्लॉक्स एवं कस्बों में साइबर ग्राम योजना के तहत डिजिटली साक्षर किया जा रहा हैं। चयनित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	**जिला**	**ब्लॉक**	**कस्बा**
1	अलवर	किशनगढ़बास	
2		लक्ष्मणगढ़	
3		रामगढ़	
4		तिजारा	
5	भरतपुर	कामां	
6		नगर	
7	बाड़मेर	चौहटन	
8	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	
9	जैसलमेर	सम	
10		साकड़ा	
11	नागौर		मकराना
12	सवाई माधोपुर		गंगापुर सिटी
13	टोंक		टोंक

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

2. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स योजना अन्तर्गत छात्रवृति दी जाती हैं। विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न हैं।

3. अनुप्रति योजनान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं IIT"s AIIMS, IIS (Bangalore), AICTE certified NIT,s CLAT, IIM"s, IISAR (Kolkata &Bangalore), GOI/MCI Certified मेडिकल कॉलेजों आदि में प्रवेश हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती हैं। विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न हैं।

4. अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए सभी जिला मुख्यालय एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स में छात्रावास की सुविधा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से दी जाती हैं। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रतिमाह प्रति विद्याथी रुपयें 2000/- का अनुदान दिया जाता हैं। जयपुर में विभाग द्वारा 100 बैड की क्षमता का बालिका छात्रावास संचालित किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न हैं।

5. केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षा हेतु फ्री कोचिंग एवं एलाईड योजना संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट य पर संलग्न हैं।

6. राज्य सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवाये जाने हेतु शिक्षा सहयोगी उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्तमान में मदरसा बोर्ड से 3202 मदरसे पंजीकृत हैं। जिनमें 6465 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं।

(3) 1. कौशल विकास प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को आरएसएलडीसी के माध्यम से निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता हैं। जुलाई, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक 3420 युवाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित किया जा चुका हैं।

2. राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवक-यूवतियों को रोजगार प्रदान करने हेतु टर्म लोन एवं माईक्रो फाइनेन्स ऋण योजना

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट र पर संलग्न हैं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हेतु कोई विशेष योजना संचालित किया जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। अल्पसंख्यक समुदाय हेतु चलाई जा रही सभी योजना सम्पूर्ण राजस्थान के लिए होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय निवासी भी उक्त योजनाओं का लाभ उठाने के पात्र है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आवासों का निर्माण

280. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जारी की गयी थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2018 तक कितने आवास आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है व अब तक कितने आवासों का आवंटन किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी दिनांक 24 सितम्बर 2015 से जारी की गयी थी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 पॉलिसी की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत वर्ष 2018 तक आवास आवंटित करने का लक्ष्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	**लक्ष्य**		
	राज्य सरकार द्वारा (50 प्रतिशत)	निजी विकासकर्ताओं द्वारा (50 प्रतिशत)	कुल
2015-16	47300	47300	94600
2016-17	48250	48250	96500

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वर्ष	लक्ष्य		
	राज्य सरकार द्वारा (50 प्रतिशत)	निजी विकासकर्ताओं द्वारा (50 प्रतिशत)	कुल
2017-18	61800	61800	123600
कुल	**157350**	**157350**	**314700**

उक्त लक्ष्यों के विरुद्ध किये गये आवासों के आवंटन का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में नियमन से वंचित भू-खण्डों का नियमन

281. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नियमन हो चुकी कॉलोनियों में शेष बचे मकान व भूमि का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कृषि भूमि नियमन पर वर्तमान में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। नगर पालिका सलूम्बर में नियमन हो चुकी कॉलोनियों में वर्तमान में कोई पट्टा दिया जाना शेष नही है।

बगरू की अनुमोदित कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं

282. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कॉलोनियों में पानी, पार्क व सड़कों आदि सुविधाओं का अभाव है? क्या सरकार अनुमोदित कॉलोनियों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सांगानेर क्षेत्र के बुद्धसिंहपुरा में स्थित मानसागर विस्तार व बुद्धविहार कॉलोनी वर्ष 2007 से जयपुर विकास

(श्रीमती गीता वर्मा)

प्राधिकरण के अधीन है? क्या उक्त कॉलोनियों में पानी, बिजली, रोड लाइट्स व सड़कों आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में बुद्धविहार व मानसागर विस्तार को जोडने वाली सड़क की चौड़ाई कितनी है एवं प्राधिकरण द्वारा कितनी चौड़ाई की सड़क का निर्माण किस वर्ष किया गया व कितनी राशि उक्त कार्य पर व्यय की गई? उक्त सड़क की गारंटी अवधि कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह कहना सही नही है कि विधानसभा क्षेत्र बगरू में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाऐं जैसे पानी, पार्क, सडकें आदि सुविधाओं का अभाव है। अनुमोदित कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवानें के संबंध में स्थिति यह है कि विधानसभा क्षेत्र बगरू में सहकारी समिति की अनुमोदित कॉलोनियां जिनमें सडक कार्य करवा दिया गया है। करवाया जा रहा है एवं करवाया जाना प्रस्तावित है का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। शेष कॉलोनियों में विकास कार्य नियमानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध संसाधन व प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाता है।

गृह निर्माण सहाकरी समिति की योजना में पेयजल, विद्युतीकरण का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण का दायित्व नहीं है। निजी खातेदारी की कॉलोनियों में आन्तरिक विकास कार्य राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश एवं निर्धारित निर्देशानुसार मूलभूत सुविधा यथा सडक, बिजली इत्यादि समस्त आन्तरिक कार्य प्रावधानानुसार स्वयं निजी विकासकर्ता द्वारा करवाये जाते है।

पानी की आपूर्ति के संदर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं की सृजित कॉलोनियों में ही पेयजल आपूर्ति संबंधी कार्य करवाया जाता है। निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति संबंधी कार्य निजी विकासकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर ही किये जाते है। इसके अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण के परिक्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित/गैर अनुमोदित क्षेत्र में पेयजल कार्य जन स्वास्थ्य

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ही करवाये जाते हैं।

अनुमोदित कॉलोनियों में पार्क विकसित करने की प्रक्रिया सतत् है। बगरू विधान सभा क्षेत्र की आबादी वाली कॉलोनियों में इस वर्ष 23 पार्क विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें अब तक 13 पार्क विकसित किये जा चुके है तथा शेष पार्कों को विकसित किये जाने का कार्य प्रगति पर है। मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रेषित जवाब में विधानसभा क्षेत्र बगरू के नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले वार्ड में वर्तमान पेयजल वितरण व्यवस्था परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कॉलोनियों में पेयजल सुविधा हेतु दीर्घकालिक उपायों के तहत वार्ड संख्या 47, 48, 49, 50 एवं 51 में निम्न योजनाऐं स्वीकृत/प्रस्तावित है:-

जगतपुरा प्रतापनगर एवं महल रोड के आस-पास के क्षेत्र (वार्ड संख्या 47, 48) को बीसलपुर पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में आधारभूत संरचनाओं की निर्माण कार्य हेतु विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 के द्वारा राशि रु.152.02 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी। इस स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य को तीन पैकेजों में विभक्त किया जाकर पैकेजवार प्रगति विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) पैकेज संख्या-जवाहर सर्किल पम्पिंग स्टेशन पर 3 पम्पिंग सेट्स बदलनें का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(ब) पैकेज संख्या-मुख्य परिवहन पाइप लाइन, राईजिंग मेन तथा परियोजना सीमा पर रिंग मेन पाइप लाइन बिछाने व जोडने के कार्य हेतु बनाये गये संशोधित तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच प्रक्रिया में है।

(स) पैकेज संख्या-पम्प हाउस एवं विभिन्न जलाशयों के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 14.08.2014 को राशि रुपये 48.99 करोड़ का जारी किया गया था परन्तु फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर आपत्ति प्राप्त होने के कारण कार्यादेश को दिनांक 12.10.2015 को निरस्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

खण्डपीठ द्वारा दिनांक 12.07.2016 को पारित निर्णय एवं विभागीय वित्त समिति की 713वीं बैठक दिनांक 21.12.2016 को लिये गये निर्णय की पालना में उक्त कार्य को पुन:प्रारम्भ करने हेतु पत्र दिनांक 13.01.2017 द्वारा पूर्व में जारी कार्यादेश दिनांक 14.08.2014 को बहाल किया गया। इस पैकेज का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा यह कार्य दो वर्ष में पूर्ण करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में पेयजल वितरण तंत्र विकसित करने हेतु राशि रु. 89.19 करोड़ की बनाई गई योजना के प्रस्तावों पर विभागीय तकनीकी समिति की 649वीं बैठक दिनांक 08.02.2017 द्वारा तकनीकी सहमति जारी की गई है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जाकर क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जायेगा।

खो-नागोरियान क्षेत्र (वार्ड संख्या 49 व 50) को आंशिक रूप से लाभान्वित करने हेतु प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कॉलोनियों में पाइप लाइन बिछाने का कार्य एवं गैर अनुमोदित कॉलोनियों में पी.एस.पी. लगाने का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना को आस-पास के अलाभान्वित जनता के विरोध के कारण पेयजल वितरण हेतु शुरू नहीं किया जा सका है। वार्ड संख्या 49 व 50 के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं 51 के आंशिक भाग को लाभान्वित करने की योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राशि रु. 68.41 करोड़ तैयारी की गई है। प्रस्तावों पर विभागीय तकनीकी समिति की 646वीं बैठक दिनांक 28.11.2016 द्वारा तकनीकी सहमति जारी की गई। आवश्यक भूमि आवंटन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार किया जाकर क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) सांगानेर बुद्धसिंहपुरा में स्थित मानसागर विस्तार व बुद्धविहार कॉलोनी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाएं है। उक्त दोनों कॉलोनियों में सडक निर्माण कार्य हाल ही में करा दिया गया है। गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना में पेयजल, विद्युतीकरण एवं रोड लाईट्स का कार्य

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जयपुर विकास प्राधिकरण का दायित्व नहीं है। नगर निगम जयपुर द्वारा बुद्धसिंह में पानी की टंकी के सामने सीताराम जी मंदिर से जाटों की ढाणी तक सडक निर्माण कार्य वर्ष 2013-2014 में कराया गया है। सांगानेर बुद्धविहार में स्थित कॉलोनी मानसागर विस्तार, बुद्धविहार कॉलोनी वर्तमान में निम्नानुसार रोड लाईटें लगी हुई है:-

बुद्धविहार T/L - 23 नग, S.L. - 13 नग

मानसागर T/L - 32 नग, S.L. - 10 नग

उक्त लाईटों का संधारण विद्युत शाखा नगर निगम द्वारा किया जाता है। उक्त लाईटें वर्तमान में चालू है।

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रेषित जवाब में सांगानेर बुद्धसिहंपुरा में स्थित कॉलोनी मानसागर विस्तार के आंशिक भाग में पेयजल व्यवस्था है एवं इस कॉलोनी का शेष क्षेत्र एवं बुद्धविहार कॉलोनी अभी पेयजल सुविधा से अलाभान्वित है। इस क्षेत्र में बीसलपुर परियोजना से पेयजल वितरण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है।

(3) सैक्टर प्लान के अनुसार उक्त सड़क की चौड़ाई 80 फीट है। इस सड़क पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य सम्पादित नहीं कराया गया है। मौके पर प्राप्त जानकारी के अनुसार मौजूद सड़क का निर्माण कार्य नगर निगम, जयपुर द्वारा करवाया गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त सड़क की चौड़ाई सैक्ट प्लान अनुसार 80 फीट है। नगर निगम द्वारा वर्ष 2013-14 में बिन्दु संख्या 02 में वर्णित स्थान पर लगभग 12 फीट चौड़ाई में सड़क निर्माण कार्य किया गया था, जिस पर 14.80 लाख का व्यय हुआ था। उक्त कार्य की गारंटी अवधि दिनांक 09.05.2016 तक थी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कॉलोनी, जयपुर की भूमि का नियमन प्रकरण

283. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) क्या माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर द्वारा सिविल रिट संख्या 12781/2014 (डॉ. जय सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य) में पारित आदेशानुसार एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कॉलोनी, जयपुर की भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराया गया था? यदि हां, तो उक्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की जोन 5 की तकनीकी रूप से अनुमोदित, एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कॉलोनी, की भूमि, पृथ्वीराज नगर की सीमाएं, जिसकी अधिसूचना दिनांक 03-07-1984 द्वारा राजस्थान राजपत्र में दिनांक 12-07-1984 को प्रकाशित की गयी थी, से भौतिक रुप से बाहर है व उक्त अधिसूचना के अनुसार पृथ्वीराज नगर का भाग नहीं है?

(3) क्या पृथ्वीराज नगर की अधिसूचना दिनांक 03-07-1984 द्वारा अधिसूचित सीमाओं में बदलाव के लिये कोई संशोधित अधिसूचना कभी भी राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित की गयी है? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, जयपुर के मास्टर प्लान 2025, जो वर्ष 2014 से प्रभावी है, के अनुसार ही अगर जोन 5 की तकनीकी रूप से अनुमोदित एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कॉलोनी को पृथ्वीराज नगर के सैक्टर प्लान 'जी' के प्रकाशित मानचित्र के विपरीत भी अगर इस कॉलोनी को सैक्टर प्लान 'जी' का भाग माना जा रहा है, तो इस कॉलोनी की आवासीय भूमि को कृषि भूमि मानते हुए अवाप्ति की कार्यवाही धारा 4 के अन्तर्गत दिनांक 7 अगस्त, 1988 व धारा 6 के अन्तर्गत दिनांक 31 जुलाई, 1989 को क्यों की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर द्वारा सिविल रिट संख्या 12781/2014 (डॉ. जय सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 11.12.2014 की पालना में जविप्रा की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 04.05.2015 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के संयुक्त निरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कॉलोनी की आवासीय भूमि JDA द्वारा धारा 39(1) JDA Act के तहत जारी PRN हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 03.07.84 के द्वारा निर्धारित सीमा से बाहर माना है किन्तु यहा यह भी उल्लेखनीय है कि अरविन्द गृ.नि.स.स. की योजना एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कॉलोनी नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर के खसरा नं. 29/203 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 29/219 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल आराजी 13 बीघा 07 बिस्वा पर स्थित है। इन दोनों खसरा नम्बरों की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पृथ्वीराज नगर हेतु धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 06.01.1988 को जारी हुई एवं धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 28.07.1989 को जारी की गई। इन दोनों खसरा नम्बरान के अवार्ड की घोषणा दिनांक 18.05.1996 को राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् की गई। अत: एस.बी.बी.जे. ऑफिसर्स कॉलोनी में स्थित उक्त दोनों खसरा नम्बरान पृथ्वीराज नगर योजना के भाग है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.07.1984 को जारी अधिसूचना जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 39(1) के अनुसार पृथ्वीराज नगर योजना की (प्रोजेक्ट) की परियोजना तैयार करने के आशय की घोषणा मात्र है। संशोधित अधिसूचना जारी नहीं हुई। घोषणा में उस क्षेत्र का उल्लेख होता है, जिसकी सीमाओं में योजना प्रस्तावित है। इस घोषणा के पश्चात् उक्त दोनों खसरा नम्बरों की अवाप्ति की कार्यवाही केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत की गयी है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर के मास्टर प्लान 2025 जो सन् 2014 से प्रभावी नहीं होकर सन् 2011 से प्रभावी है, उक्त खसरा नम्बर जो सेक्टर प्लान "जी" का भाग है। तत्कालीन राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार कृषि भूमि होने के कारण कृषि मानते हुए अवाप्ति की कार्यवाही की गई है (परिशिष्ट "ब")।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की फल सब्जी मण्डी लालकोठी से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

284. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि फल एवं सब्जी मण्डी, लालकोठी, जयपुर शहर में भारी संख्या में अतिक्रमण हो रहा है और मण्डी में काफी संख्या में सुअरों को पाला जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अवैध कार्यवाहियों की रोकथाम के क्या प्रयास किए जा रहे हैं एवं अब तक इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के स्वच्छता अभियान के विरुद्ध उक्त मण्डी में भारी गन्दगी व्याप्त है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और निरन्तर फैलती गन्दगी के लिए कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मण्डी में अतिक्रमण, सुअरों के पालन एवं फैलती गन्दगी की रोकथाम के लिए स्थाई समाधान/कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लालकोठी सब्जी मण्डी में फल-सब्जी वालों द्वारा रोड पर ठेले इत्यादि लगाकर अस्थायी अतिक्रमण कर लिया जाता है। जिसको समय-समय पर सामूहिक अभियान चलाकर हटाया जाता है। जो कि एक सतत् प्रक्रिया है। लालकोठी जयपुर स्थित फल एवं सब्जी मण्डी प्रांगण में सूअर पालन नहीं हो रहा है।

(2) जी नहीं। नगर निगम जयपुर द्वारा मण्डी में चार जगहों पर कचरा डिपो बना रखे है। जहां से नियमित रूप से नगर निगम द्वारा कचरा उठाया जाता है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय बैठक दिनांक 16.07.2015 के निर्णयानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निगम द्वारा किसान मण्डी में बैठाये गये व्यक्तियों की सूची कृषि विपणन विभाग को उपलब्ध कराने के साथ-साथ नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने हेतु कृषि विपणन निदेशालय के पत्र दिनांक 16.09.2015 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी है। कमेटी स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

जयपुर शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की योजना

285. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की योजना लागू की गयी है? यदि हां, तो किन-किन वार्डों में कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डोर टू डोर कचरा संग्रहण योजना में उपभोक्ताओं से किस दर से वसूली व किस माध्यम से की जा रही है अथवा की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना से वंचित वार्डों में सरकार कब तक यह व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के सभी 91 वार्डों में घर-घर कचरा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण एवं परिवहन करने हेतु तीन पैकेजों में विभक्त किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। उक्त वार्डों में कार्य करवाये जाने हेतु निविदा जारी कर सम्बंधित फर्म को एल.ओ.ए. जारी कर दिया गया है तथा अनुबन्ध करने एवं कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जयपुर शहर के सभी 91 वार्डों में घर-घर कचरा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण एवं परिवहन एमएसडब्ल्यू (मेनेजमेन्ट एण्ड हैन्डिंग) रूल्स के अनुसार कार्य करने हेतु उपभोक्ताओं से यूजर चार्जेज राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.03.2015 के अनुसार वसूल किया जाएगा। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) उक्त योजना जयपुर नगर निगम के सभी 91 वार्डों के लिए है, तथा उक्त योजना में 91 वार्डों में से कोई भी वार्ड वंचित नहीं है तथा कार्यादेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा तथा तीन माह में यह व्यवस्था सभी वार्डों में पूरी तरह से (पूर्णतया) लागू की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर परिषद सवाई माधोपुर द्वारा किरायेदारों को दुकानों का विक्रय

286. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद सवाई माधोपुर द्वारा दुकानें किराये पर दी गई हैं? यदि हां, तो कब? किरायेदारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानें लम्बी अवधि से किराये पर होने के कारण नगर परिषद द्वारा उक्त दुकानें किरायेदारों को विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि पर विक्रय की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। किरायेदारों का विवरण मय तिथिवार परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर को सुरक्षा हेतु अनुदान

287. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर की सुरक्षा हेतु अनुदान देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कल्याणसिंह चौहान)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं देने के उपरांत भी उक्त मंदिर मंडल पर रेप्सार एक्ट लागू किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री नाथजी मंदिर एक बोर्ड है। बोर्ड को सरकार द्वारा अनुदान देने का कोई नियमों में प्रावधान नहीं है।

(2) श्री नाथद्वारा मंदिर मंडल, नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959 से गवर्न होता है, और नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, 1959 भारतीय संविधान के अन्तर्गत बनाया गया है। रेप्सार अधिनियम, 1999 The Rajasthan (Regulation of Appointments to Public Service and Rationatisation of Staff) Act 1999 के प्रावधान संख्या 2(v) सभी लोक सेवकों पर लागू होता है।

गोगामेड़ी मेले की व्यवस्थाओं पर व्यय राशि

288. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में लोक देवता गोगाजी के श्रद्धास्थल गोगामेड़ी में प्रतिवर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उनके द्वारा मन्दिर में चढ़ावे के रूप में एवं अन्य स्रातों से सरकार को काफी आय होती है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितने श्रद्धालु प्रतिवर्ष गोगामेड़ी में आए तथा सरकार को कितनी आय हुई? वर्षवार आए श्रद्धालुओं की संख्या व प्राप्त आय का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में सरकार ने गोगामेड़ी मेले के विकास एवं व्यवस्थाओं पर कितना-कितना व्यय किस-किस कार्य पर किया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में गोगामेडी में आये श्रद्धालुओं की संख्या व प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

क्र. सं.	वर्ष	मेले में आये श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या	5 वर्ष की वार्षिक आय का वर्षवार विवरण (रुपयों में)
1	2012-13	20 लाख	2,70,70,394
2	2013-14	20 लाख	4,36,20,296
3	2014-15	20 लाख	4,11,82,144
4	2015-16	20 लाख	4,37,52,265
5	2016-17	20 लाख	5,33,70,615

(2) गत 5 वर्षों में गोगामेडी मेले के विकास एवं व्यवस्थाओं पर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

मद/वर्ष	2012-13 (रुपयों में)	2013-14 (रुपयों में)	2014-15 (रुपयों में)	2015-16 (रुपयों में)	2016-17 जनवरी 2017 तक (रुपयों में)
बिजली व्यवस्था	1926324	2549614	2593442	2044131	1050685
फर्राश व्यवस्था	1751261	3179571	3549525	4071777	2597254
सफाई/ अन्य अस्थाई कार्मिक	307500	1143900	2139110	1716991	1355164
बेरेकेटिंग व्यवस्था	441374	487000	1323262	108262	725796
आरोग्य	78396	79657	194816	94251	84767
कीटनाशक	198000	228000	261870	51213	328434
सी.सी.टी.वी.	151103	349818	583080	827119	1292922
पानी व्यवस्था	430677	489987	405159	432533	65000

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

वाहन व्यवस्था	170038	265007	218388	390112	-
मरम्मत व अन्य	791091	1140215	1049417	1083016	866377
योग	6245784	9912769	12318069	10819405	8366399

बड़ी सादड़ी में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

289. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बडी सादड़ी में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के अनेक आंगनबाड़ी केन्द्र बिना भवन के/किराये के भवन में या किसी दूसरे विभाग के भवन में संचालित किए जा रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत 02 परियोजनाऐं क्रमश: बाल विकास परियोजना बड़ी सादड़ी एवं प्रतापगढ द्वितीय संचालित है, जिसके अन्तर्गत बड़ी सादड़ी के 143 तथा प्रतापगढ़ द्वितीय के 137 कुल 280 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। आंगनबाड़ी केन्द्रवार वर्तमान स्थिति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। किराये के भवनों में एवं अन्य विभागीय भवनों संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट "अ" में ही समाहित है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आशा सहयोगिनियों को मानदेय

290. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में आशा सहयोगिनियों के कितने पद स्वीकृत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम स्तर पर आशा सहयोगिनियों की क्या भूमिका है व इनके मानदेय का भुगतान किस आधार पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आशा सहयोगिनियों को प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो अब तक कितनी आशा सहयोगिनियों को उक्त किट उपलब्ध कराये गये तथा किट में क्या-क्या सामग्री व उपकरण दिए गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में आशा सहयोगिनियों के 55710 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) ग्राम स्तर पर आशा सहयोगिनियों की भूमिका एवं कार्यों के आधार पर दिये जाने वाले मानदेय का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। चिकित्सा विभाग द्वारा दी जाने वाले प्रेरक राशि का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) जी हां। आशा सहयोगिनियों को उपलब्ध कराये जाने वाले प्राथमिक उपचार किट में सामग्री का विवरण परिशिष्ट "द" पर एवं आशा सहयोगिनियों को उपलब्ध कराये गये किटों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मावली की जे.के. सीमेन्ट फैक्ट्री के संचालित क्रेशर प्लांट

291. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में स्थित जे.के.सीमेन्ट फैक्ट्री को कितनी माईनिंग लीज आवंटित की गई? उक्त आवंटित भूमि का कितना क्षेत्रफल (आबादी/ बिलानाम/ चरनोट/गोचर) किस भूमि का है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सीमेन्ट कम्पनी के क्रेशर प्लांट कहां-कहां पर किस भूमि पर संचालित हैं? खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स लिमिटेड का सीमेन्ट प्लान्ट स्थित है। उक्त कम्पनी को तहसील वल्लभनगर में कुल दो खनन पट्टे निकट ग्राम दरोली, मन्देरिया जसपुरा व बिछावेडा में आवंटित किये गये हैं। तहसीलदार द्वारा प्रदत्त राजस्व प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त खननपट्टे में आने वाली भूमि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स लि. का क्रेशर प्लांट राजस्व ग्राम मन्देसर के आराजी संख्या 404 में स्थित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 292

(स्थगित)

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये मूंग का किसानों को तत्काल भुगतान

महोदय,

निवेदन है कि प्रदेश के कृषि मण्डियों में की जा रही मूंग की खरीद व खरीदे गये मूंगों के भुगतान में देरी व भयंकर अनियमितता बरती जा रही है। आए दिन प्रदेश के किसान सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद के लिए स्थायी केन्द्र बनाने के बावजूद भी कृषि मण्डी के अधिकारियों की मनमानी से परेशान हैं। आज कृषि मण्डियों में जिस दिन की खरीद की तारीख किसान को दी जाती है, उस दिन भी खरीद में आनाकानी की जा रही है। आज जब हम किसानों के हितों का संरक्षण नहीं करेंगे, तो प्रदेश की आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीद में किस्म निरीक्षकों द्वारा मनमर्जी से किसानों के मूंगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है जो किसानों के साथ अन्याय है। राज्य के किसान कभी प्राकृतिक आपदा, तो कभी उपज का सही मूल्य नहीं मिलने से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पा रहा है और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी होती है, कि वो किसान हितों का संरक्षण करे। मगर आज सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की घोषणा करने और खरीद शुरू करने के बाद भी कृषि मण्डियों में जिस तरह किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस तरह के मामलों में सरकार को गम्भीर होने की आवश्यकता है। सकार कृषि मण्डियों के अधिकारियों को निर्देशित करे कि इस प्रकार की अव्यवस्था न हो और किसान हितो को अनदेखा नही किया जाए।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए किसान के खरीद किए गए मूंगों का तत्काल भुगतान किया जाए, साथ ही सरकार जिस दिन समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की घोषणा करती है, उसी दिन से स्थानी खरीद के अंदर बनाया जाए, साथ ही फसलों की बढती आवक को मद्देनजर रखते हुए अन्य फसलों को भी समर्थन मूल्य पर खरीद करने की घोषणा की जाए, ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

हनुमान बेनीवाल
(खींवसर)

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग को आरक्षित श्रेणी में कृषि कनेक्शन

महोदय,

जालौर जिले सहित प्रदेश में अनु. जनजाति (भील आदि) वर्ग निवास करता है। जो कृषि पर ही निर्भर है, इस वर्ग की आर्थिक स्थिति अत्यन्त ही खराब है। कृषि के लिये भूमि तो हे, मगर कृषि कनेक्शन नहीं, जिसका कारण उनको कृषि कनेक्शन में आरक्षित वर्ग में नहीं रखा जाकर सामान्य वर्ग में रखा गया है।

अनु. जनजाति की राजस्थान में 2011 की जनसंख्या 92 लाख 38 हजार 534 है। जिसमें जालौर जिला जो कि पिछड़ा जिला है जिसमें अनु. जनजाति की आबादी 1 लाख 78 हजार है। जिसमें वर्ष 2001 की तुलना में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

अनु. जनजाति वर्ग को कृषि कनेक्शन की आवश्यकता होने पर उसके आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी के उपभोक्ता के रूप में आवेदन पत्र जमा किया जाता है और वह अपनी पत्रावली के नम्बर आने का इन्तेजार करता है। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अनु. जनजाति वर्ग की वर्तमान में करीब 350 पत्रावलियां कृषि कनेक्शन के पेण्डिंग पड़ी हैं। अनु. जनजाति वर्ग के द्वारा प्रतिवर्ष करीब 100 पत्रावली प्रत्येक जिले में कृषि कनेक्शन के लिये जमा होती है।

अत: निवेदन है कि जालौर जिले सहित प्रदेश के कृषि कनेक्शन के लिये अनु. जनजाति वर्ग की जमा कृषि कनेक्शन की पत्रावलियों की सूची विधानसभा क्षेत्रवार मंगवाई जाकर उस अनुसार आरक्षण श्रेणी से कृषि कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता है।

नारायण सिंह देवल
(रानीवाड़ा)

आहौर के सियाणा कस्बे का उप तहसील में क्रमोन्नयन

महोदय,

आहौर विधानसभा क्षेत्र के सियाणा को उप तहसील करने की जो सिरोही जिले के बोर्डर पर है एवं आहौर केन्द्र से 70 किलोमीटर दूरी पर तथा जालौर से 42 किलोमीटर दूरी पर है और आसपास में 40 गांव आते हैं। यहां पर सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र है वहां की जनता की मांग एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सियाणा अपने आप में बड़ा कस्बा है एवं आहौर विधानसभा का सबसे बड़ा कस्बा है। सियाणा एवं आसपास के गांवों के लोग को अपने तहसील स्तर के कामों हेतु 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

इसलिए मान्यवर सियाणा को जनता के हित में उप तहसील बनाने हेतु आदेश कराएं। यह करने पर सियाणा एवं उसके आसपास की जनता आपकी आभारी रहेगी।

धन्यवाद

शंकर सिंह राजपुरोहित
(आहौर)

बीकानेर के सुजानदेसर में पानी की निकासी व करमीसर में टंकी निर्माण

महोदय जी,

महोदय निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्थित सुजानदेसर जहां पानी के जमा होने की पुरानी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। सुजानदेसर व लालखां की बाड़ी के पास सामान्य दिनों में काफी मात्रा में पानी जमा हो जाता है व पानी अधिक होने पर यहां के लोगों के घरों में प्रवेश कर जाता है एवं घरों की नींव कमजोर करता है। बारिश के दिनों में इस क्षेत्र में भारी मात्रा में पानी फैलने पर स्थिति काफी विकट हो जाती है एवं लोगों को काफी परेशानी होती है, जिस कारण काफी लोग तो यहां से पलायन कर चुके हैं एवं कुछ मजबूर लोग मजबूरी वश यहां ठहरे हुए हैं। यहां इकट्ठे हो रहे पानी से काफी भयानक बीमारियां फैलती हैं।

नगर विकास न्यास द्वारा यहां नाले का निर्माण शुरु किया गया था, लेकिन ये निर्माण काफी समय से बंद पड़ा है एवं वर्तमान में यहां कोई कार्य नहीं हो रहा है व इस समस्या का लोगों को आए दिन सामना करना पड़ता है। नगर-निगम द्वारा भी इस हेतु कोई समाधान नहीं निकाला गया।

वहीं दूसरी ओर सुजानदेसर के पास ही स्थित करमीसर क्षेत्र में पानी की टंकी की क्षेत्रवासियों द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही है। यह क्षेत्र पहले कोलायत विधानसभा के अन्तर्गत आता था, लेकिन अब यह बीकानेर पश्चिम के अन्तर्गत है। इस क्षेत्र की आबादी ग्रामीण बहुल है तथा लम्बे समय से जनसंख्या तथा पशुओं की संख्या में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन पेयजल साधनों में विकास नही हो पाया है। इसलिए इस क्षेत्र के निवासियों की पानी की टंकी को लेकर लगातार मांग बनी हुई है।

अत: आप इस समस्या की जानकारी लेकर उचित समाधान करवाने की कृपा करें जिससे यहां के निवासी अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें।

सादर

श्री गोपाल कृष्ण
(बीकानेर पश्चिम)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन में रोगी शय्या वृद्धिकरण की क्रियान्विति में विलंब

महोदय,

राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2012-13 की अनुपालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग द्वारा जारी आदेशांक: प.25(5)चिस्वा/ग्रुप-2/169/2012 दिनांक: 21.03.2013 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौहटन (बाड़मेर) में 20 रोगी शय्या बढाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसका भौतिक क्रियान्वयन तकरीबन चार वर्ष बीतने के उपरांत भी लंबित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन की रोगी शय्या बढ़ाने संबंधी उक्त आदेश के क्रियान्वयन में हो रहा अनावश्यक विलंब

विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को दर्शा रहा है और चौहटन क्षेत्र के एकमात्र बड़े राजकीय अस्पताल में दूर-दराज से आ रहे मरीजों की परेशानियों को बढ़ाने वाला है। मौसमी बीमारियों के समय अक्सर चौहटन सीएचसी पर मरीजों की कतारें लग जाती हैं और पर्याप्त शय्या नहीं होने की वजह से समुचित इलाज में परेशानी रहती है।

चौहटन क्षेत्र के मरीजों को समुचित सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन में रोगी शय्या क्षमता बढ़ाने के उक्त आदेश का शीघ्र क्रियान्वयन करवाना नितांत आवश्यक है। इस संबंध में मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि चौहटन क्षेत्र की आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश का क्रियान्वयन शीघ्र करवाते हुए चौहटन सीएचसी पर रोगी शय्या की संख्या में बढ़ोतरी करवाया जाना राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित करवाया जाए।

तरुण राय कागा
(चौहटन)

कोटपूतली क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के कारण क्षतिग्रस्त सड़कें एवं दुर्घटनाओं में निरन्तर बढ़ोतरी

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं मेरे क्षेत्र से संबंधित एक अत्यन्त ही गम्भीर एवं लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार एवं परिवहन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि कोटपूतली तहसील में एन.एच. 8 को छोड़ कर किसी भी सड़क पर 16 टन से अधिक वजन का वाहन चलाया जाना गैर कानूनी है और कुछ सड़कों को छोड़ कर अधिकांश सड़कों पर 9 टन से अधिक वजन का वाहन चलाना गैर कानूनी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते अवैध रूप से ओवरलोड वाहनों का चलना निरन्तर जारी है। मेरे द्वारा विधान सभा के पिछले सत्रों में भी अनेक माध्यमों से

यह मामला उठाया गया परंतु परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई, मंत्री महोदय काफी चुस्त-दुरस्त हैं लेकिन ओवरलोड वाहनों को रोकने में उनकी भी शायद कोई रुचि नहीं है।

हालात इतने भयानक हैं कि 72 करोड़ रुपये की लागत से बना एलिवेटेड ब्रिज ओवरलोड वाहनों के दबाव से दो बार टूट चुका है जिसके कारण पन्द्रह दिन से अधिक वहां पर जाम रहा और लाखों लोग परेशान हुए तथा ब्रिज टूटने से राष्ट्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम एक हजार करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ओवरलोड वाहनों के चलते करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई सर्विस लाइन भी कई बार टूट चुकी है, वहां की सड़कें पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़े भी कोटपूतली की अत्यधिक भयावह स्थिति को उजागर करते हैं। कोटपूतली सर्किल में जनवरी 2005 से जुलाई, 2016 तक सड़क दुर्घटनाओं को लेकर 4054 एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं जिनमें 1373 लोगों की मृत्यु हुई है और पांच हजार के लगभग व्यक्ति घायल हुए हैं। इन सब तथ्यों के बावजूद सरकार यदि ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने में अपने आपको अक्षम पा रही है तो यह मेरे कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के साथ ही प्रदेश का दुर्भाग्य होगा।

मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि कोटपूतली क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के चलने को रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने की घोषणा आज ही इस पवित्र सदन में की जाए और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए कि अगर एक भी वाहन क्षमता से अधिक भार ढ़ोते हुए पाया गया तो उनको सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, तभी जाकर इस भयावह स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है।

धन्यवाद, जय हिन्द।

राजेन्द्र सिंह यादव
(कोटपूतली)

अटरू उपखण्ड मुख्यालय पर महाविद्यालय

महोदय,

मेरे विधानसभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय अटरू में 35000 के लगभग जनसंख्या सहित उपखण्ड क्षेत्र में आस पास डेढ़ लाख जनता निवास करती है फिर भी उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है। पूरे उपखण्ड क्षेत्र में 55 से अधिक उच्च मा. विद्यालय संचालित हैं हर वर्ष 1200 से 1500 छात्र/छात्राएं उच्च मा. विद्यालय की परीक्षा पास कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कॉलेज में पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं परन्तु क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं होने के कारण 35 से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर कॉलेज जाना पड़ता है ऐसी स्थिति में गरीब माता-पिता के बालक बालिकाएं रोजाना कॉलेज आने जाने का व किराये के कमरे का व्यय नहीं उठा पाते हैं। साथ ही अभिभावक बालिकाओं को दूरी पर कॉलेज होने से 12वीं पास के बाद ही पढ़ाई बंद करवा देते हैं। निजि विद्यालय में भी खर्च अधिक होने के कारण प्रवेश नहीं ले पाते, इस कारण अधिकतर छात्र/छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। क्षेत्र के बालक/बालिकाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। क्षेत्र के लोगों की महाविद्यालय खोलने की मांग वर्षों से चली आ रही है। कई बार विधार्थियों के द्वारा भी ज्ञापन दिये गये हैं। क्षेत्र की यह मुख्य मांग है।

अत: अटरू उपखण्ड मुख्यालय पर कॉलेज की मांग को स्वीकार क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाए।

धन्यवाद।

रामपाल

(बारां-अटरू)

टोडारायसिंह में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शय्याओं की वृद्धि

महोदय,

मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडारायसिंह में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है जिसमें सभी ग्राम पंचायतों के लोग इलाज कराने आते हैं। बजट घोषणा वर्ष 2012-13 के बिन्दु संख्या 43 के अनुसरण में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह में बैडों (शैय्याओं) की वृद्धि 20 होने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में उक्त सामुदायिक केन्द्र में शैय्याओं की संख्या 30 है, अब शैय्याओं की संख्या 50 हो चुकी है। उक्त स्वास्थय केन्द्र में ओपीडी 600-700 प्रतिदिन है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए शैय्याओं की संख्या में वृद्धि की प्रशासनिक स्वीकृति तो हो चुकी है लेकिन अभी तक भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है और न ही बजट आवंटन हुआ है। यदि वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाती है तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञों की पूर्ति हो जाएगी और अन्य कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होगी जिससे क्षेत्र की जनता को इलाज कराने के लिए अन्य अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान में अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी है। इसी वजह से एक्सीडेन्टल केसेज में डॉक्टर सर्जरी नहीं करा पाते हैं और मजबूरन आगे के चिकित्सालयों में रैफर कर दिया जाता है। महिला डॉक्टर के नहीं होने से नवजात शिशुओं तथा जच्चा व बच्चा दोनों को प्रेग्नेन्सी के बाद इलाज के लिए 50 किमी दूर जिला मुख्यालय पर ले जाना पड़ता है, इससे महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शैय्याओं की संख्या वृद्धि की वित्तीय स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें, जिससे पद व बजट आबंटन हो सके और जनता को राहत मिल सके।

कन्हैयालाल

(मालपुरा)

गंगापुर सिटी कृषि उपज मण्डी में किसानों के साथ अन्याय

मान्यवर,

कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में वर्तमान में सरसों की बेहद आवक आ रही है परन्तु वर्तमान सचिव, श्री कैलाश चन्द द्वारा आम किसान के साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है जिसके संबंध में, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मण्डी समिति, सचिव श्री कैलाश चन्द द्वारा किसानों की सरसों की आवक की नीलामी को बंद करवा दिया गया है तथा चन्द बिचौलियों के माध्यम से माल बेचा जा रहा है जिसका किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं सचिव द्वारा सरकारी लैब में सरसों की जांच नहीं करवाकर कुछ निजी लैबों से सरसों की जांच कर किसानों के अधिकारों पर खुलेआम कुठाराघात किया जा रहा है। जबकि मण्डी समिति, गंगापुर सिटी में सरकारी लैब हेतु गत वर्षों में बजट भी आ चुका है परन्तु उक्त स्वीकृत लैब आज दिन तक भी स्थापित नहीं गई है और न ही किसान का माल भरतपुर व जयपुर की सरकारी लैबोरेट्री में जांच हेतु भिजवाया जा रहा है जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि गरीब किसानों को मण्डियों में उनकी फसल का उचित मूल्य मिले उसके लिये किसानों की सरसों की फसल जो गंगापुर सिटी मण्डी में वर्तमान में नीलामी हेतु रखी है उसका अविलम्ब सरकारी लैबोरेट्री में जांच करवाने एवं सचिव को खुली नीलामी के माध्यम से बेचने हेतु पाबन्द करते हुये प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए ताकि किसान को अपनी फसल का उचित लाभ मिल सके तथा इस प्रकार से गरीब किसान के साथ किये गये कृत्य के लिये वर्तमान सचिव, मण्डी समिति एवं स्थानीय बिचौलियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए।

घनश्याम

(टोडाभीम)

रामगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कें

महोदय,

मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में खनन के कारण भारी डम्परों एवं वाहनों के आवागमन के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जिन्हें बनवाया जाना अत्यावश्यक है।

मुख्य मार्गों में निम्नलिखित मार्गों का निर्माण आवागमन की दृष्टि से अत्यावश्यक है जिनके प्रस्ताव दिये जाने के बाद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो पायी है।

1. बीजवा-कारोली खालसा-ओडेला-माणकी-अलावड़ा-मालपुर सड़क
2. रामगढ़ गोविन्दगढ़ रोड से बिलासपुर-सैथली-चावण्ड-अलवर भरतपुर मुख्य मार्ग पर मिलान करते हुये सड़क निर्माण।
3. नौगांवा-मुबारिकपुर-अतरिया-गढ़ी-धनेटा घाटी- पापड़ी -मेगा हाइवे अलवर भिवाड़ी जबलपुर रोड तक सड़क

उपरोक्त मुख्य मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है जिसके कारण ग्रामीणों में रोष है एवं आवागमन के साधनों का अभाव भी होता जा रहा है। अत: राज्य सरकार इन्हें स्वीकृत कर जनहित में बनवाये जाने का श्रम कराए।

ज्ञानदेव आहूजा
(रामगढ़)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ के खेल स्टेडियम की जर्जर स्थिति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजगढ़ में एक खेल स्टेडियम पुराने समय से बना हुआ है। उस खेल ग्राउण्ड में भारत देश के गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस एवं अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं। एवं राजगढ़ तहसील खेल जगत में विश्व पटल पर अपना नाम दर्ज करा चुका

है। राजगढ़ तहसील में एकमात्र खेल का स्टेडियम बना हुआ है, जिनकी बहुत ही जर्जर स्थिति हो चुका है और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उसके उपयोग पर अपनी रिपोर्ट में लिखा जा चुकी है कि इसका उपयोग न किया जाए, जिससे कभी भी जन हानि हो सकती है। इस स्टेडियम के निर्माण हेतु पूर्व में मेरे द्वारा खेल विभाग के प्रमुख शासन सचिव महोदय को 2 बार लिख कर दिया जा चुका है एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ के द्वारा सहमति भी खेल विभाग को भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस खेल स्टेडियम के निर्माण की कोई प्रगति नहीं हुई है।

अत: माननीय खेल मंत्री महोदय एवं शिक्षा मंत्री महोदय से विशेष आग्रह एवं गुजारिश है कि हमारे उक्त स्टेडियम का तुरंत प्रभाव से निर्माण कराकर खेल जगत में प्रसिद्ध राजगढ़ तहसील को एक तोहफा देकर हमारी ऊँचाइयों को और आगे बढ़ाने में आपका योगदान भी शामिल हो जाएगा।

अत: तुरंत प्रभाव से इसका निर्माण कराएंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद।

मनोज कुमार
(सादुलपुर)

जैसलमेर जिले में गौ संरक्षण

महोदय,

जैसलमेर जिला पशु बाहुल्य क्षेत्र है तथा जिले में लाखों की संख्या में गौवंश है। पीढ़ियों से स्थानीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन रहा है पाश्चात्यकरण एवं अंधानुकरण के फलस्वरूप प्रशासनिक बेरुखी व लापरवाहियों से दिन-प्रतिदिन पशुपालन एवं गौपालन के प्रति स्थानीय लोगों की रुचि कम होती जा रही है जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही स्थिति रही तो आने वाले समय में पशुपालन व्यवसाय ही समाप्त हो जाएगा। जैसलमेर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल पीढ़ियों से गोवंश के लिए शरणस्थली रहा है जिले में लाखों बीघा भूमि पर प्राकृतिक चारागाह तथा सेवण घास मौजूद रहा है तथा हजारों बीघा भूमि पर ओरण संरक्षित

रहा है। प्रशासनिक तानशाही के कारण सेवण घास सम्पन्न प्राकृतिक चारागाह एवं ओरण क्षेत्र का रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया। कारण यह बताया गया कि नियमों में प्रावधान नहीं है जबकि यही प्रशासनिक अमला विभिन्न कम्पनियों के लिए मनमाफिक रूप से नियमों में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव समय-समय पर भेजता आ रहा है परन्तु ओरण व गौचर के प्रस्ताव भेजने में उन्हें कोई तात्कालिक लाभ नहीं दिखाई देता है। इस कारण दिनोंदिन प्राकृतिक ओरण व चारागाह क्षेत्र कम होता जा रहा है। जो बचा हुआ क्षेत्र है वह भी लोगों की जनभावनाओं से जुड़ा होने के कारण आज तक बच पाया है। प्रशासन व सरकारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए कागजों में गौशालाएं खोली हुई हैं, जिस पर कोई प्रशासनिक नियन्त्रण नहीं है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से ओरण एवं चरागाह (सेवण घास) के विपुल भण्डार मौजूद हैं जिनकी खसरावार सूची जिला कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध है। उन क्षेत्रों को आरक्षित एवं संरक्षित कर रिकॉर्ड में अंकन किया जाए तथा उस क्षेत्र में राज्य सरकार के गौपालन विभाग की ओर से अथवा प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से गौशालाएं खोली जाकर गौमाता का संरक्षण किया जाए।

छोटूसिंह भाटी

(जैसलमेर)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19 - मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय सेखाला में नवीन डाक बंगले का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में तहसील बालेसर एवं शेरगढ़ के तहसील भवन का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन पंचायतवार सृजित पटवार सर्किल हेतु पटवारघर निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. उपखण्ड शेरगढ़ एवं बालेसर के डाक बंगलों का नवीनीकरण एवं विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में बालेसर उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय का भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

6. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में डाक बंगले का निर्माण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय एवं तहसील कार्यालय भवनों के अपूर्ण कार्य को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

8. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में मुख्य सड़कों पर सीवरेज लाईन डालने के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

9. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में लोक निर्माण कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

10. विधान सभा क्षेत्र वैर में डाक बंगला निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

11. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की पंचायत समिति समदड़ी मुख्यालय पर सहायक अभियंता सा.नि.वि. के कार्यालय भवन का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
13. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नव सृजित पटवार मण्डलों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी में निर्मित डाक बंगला के विस्तार एवं समदड़ी मुख्यालय पर नवीन डाक बंगला निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में उपस्वास्थ्य केन्द्रों के जर्जर भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

16. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के सरकारी अस्पताल एवं अन्य सरकारी भवनों का जीर्णोद्धार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

17. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में उपखण्ड व तहसील कार्यालयों के भवनों के नवीनीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
18. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के डाक बंगला का जीर्णोद्धार करने एवं नवीन कक्षों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

19. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के राजकीय आवासों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में राजकीय पशु चिकित्सालय (प्रथम श्रेणी) फलौदी के भवन का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखण्ड मुख्यालय बाप में डाक बंगला के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखण्ड मुख्यालय फलौदी में डाक बंगला के भवन में अतिरिक्त कमरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उपखण्ड मुख्यालय फलौदी में आबकारी पुलिस थाने के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर):

24. विधान सभा क्षेत्र सीकर में सीकर शहर मोचीवाड़ा रोड स्थित जर्जर तहसील भवन के पुनर्निर्माण एवं मिनी सचिवालय भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र सीकर में सीकर शहर में अवस्थित डाक बंगले का जीर्णोद्धार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

26. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अज.) में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नवीन खण्ड कार्यालय की स्थापना की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अज.) शहरी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले में सामुदायिक कम्यूनिटी हॉल एवं कमरों का निर्माण कराने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नवीन विश्रान्ती गृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

29. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में रामगंजमण्डी नगर, सुकेत, चेचट, सातल खेड़ी, ढाबादेह व मोडक गांव में बस स्टेण्ड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी नगरपालिका क्षेत्र में आधुनिक युक्त सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी नगर पालिका क्षेत्र में आधुनिक युक्त नेशनल लेवल का स्टेडियम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

32. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में डाक बंगला रायसिंहनगर की मरम्मत एवं संधारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर में डाक बंगले की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

34. विधान सभा क्षेत्र टोंक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलुम्बर):

35. विधान सभा क्षेत्र सलुम्बर में डाक बंगला भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र सलुम्बर के तहसील सराड़ा के चावण्ड में डाक बंगला निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र सलुम्बर के जयसमन्द झील के ऊपर डाक बंगला निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र सलुम्बर की तहसील सेमारी में डाक बंगले का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र सलुम्बर में सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक बंगला निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

40. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के शहर में PWD विभाग के क्षतिग्रस्त विश्राम गृह की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) में माणकसर चौराहा पर थर्मल पावर स्टेशन का रेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

42. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थित विभिन्न सरकारी भवनों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में बागावास अहिरान एवं मैंड पुलिस चौकी के भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड कार्यालय कोटपूतली के अधिशासी अभियंता के भवन निर्माण पावटा में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विराटनगर नगर पालिका के क्षेत्र में बस डिपो के भवन निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विभाग के बेकार पड़े भवनों की देख-रेख के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

47. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में रोड़वेज का नया बस स्टैण्ड भवन व शेड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

49. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के नायब तहसील मुख्यालय खातौली में विश्राम गृह के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के इटावा कस्बे में सीएडी विभाग द्वारा

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित की गई भूमि पर विश्राम गृह के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के खातौली कस्बे में सार्वजनिक निर्माण विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. मंजू बाघमार (जायल):</u>

52. विधान सभा क्षेत्र जायल में उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र जायल उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन बस स्टैण्ड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हीरालाल नागर (सांगोद):</u>

54. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय उपखण्ड देवली के भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कनवास उपखण्ड मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपखण्ड सहायक अभियन्ता कार्यालय के भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के कनवास उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगला निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):</u>

57. विधान सभा क्षेत्र कपासन में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता को ठीक करने हेतु समय-समय पर अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):</u>

58. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ डाक बंगले की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री मनोज कुमार)

59. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राजगढ़ तहसील में सरकारी भवन को तोड़कर जगह खाली करने के संबंध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ शहर में नगर पालिका राजगढ़ द्वारा तोड़ा गया सरकारी भवन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ न्यायालय का नया भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. प्रदेश में डाक बंगले सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

63. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निविदाधारी द्वारा निर्मित राजकीय भवनों की उचित गुणवत्ता का सत्यापन कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

64. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राजकीय चिकित्सालय, नवलगढ़ तथा राजकीय महाविद्यालय, नवलगढ़ का भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कवंर (मसूदा):

65. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में उपखण्ड मसूदा में नवीन डाक बंगले की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास)

66. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में उपखण्ड मुख्यालय कोट कासिम में मिनी सचिवालय के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ बास एवं कोट कासिम में डाक बंगला निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

68. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर के कोटा में नया अदालत भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

69. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम इन्दोल गाम पंचायत माधोगढ़ तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में डाक बंगला स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम पंचायत मालाखेड़ा जिला अलवर में स्टेट हाईवे नं. 44 पर डाक बंगला स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

71. तहसील लूणी एवं उप-तहसील झंवर, जिला जोधपुर के कार्यालयों के भवनों एवं आवासीय क्वाटर्स का निर्माण, उपखण्ड मुख्यालय लूणी में डाक बंगले का निर्माण एवं आई.टी.आई लूणी के भवन के विस्तार व मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित 124 भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण, उप स्वास्थ्य केन्द्रों व नवीन पशु उप केन्द्रों खुडाला, भाण्डू कलां, शिकारपुरा, दईपडा खिचियान्, जानादेसर, रोहिचा कलां, रोहिचा खुर्द, नारवा खिचियान् एवं नवीन पशु चिकित्सा मोगड़ा कलां के भवनों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र लूणी में भवन विहीन पटवार घरों के भवनों के निर्माण पटवार सर्कल पाल, धवा, बाणियावास, गुड़ा विश्नोईयान्, खाराबेरा पुरोहितान, मोगड़ा कलां, कैरू, पोपावास, कड़वड़, माणकलाव, सुबदण्ड, पीपरली, करनीयाली, दुन्दाड़ा, बोरानाड़ा, रोहिचा कलां के भवनों की मरम्मत, इन पटवार घरों में मूलभूत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा केलिये।

74. विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला जोधपुर में सार्वजनिक निर्माण खण्ड द्वितीय जोधपुर के अधीन उपखण्ड लूणी, धवा, गुडा विश्नोईयान,

(श्री जोगाराम पटेल)

मण्डोर कार्यालय हेतु संबंधित स्थानों पर भूमि आवंटन कर उनके भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र लूणी के पुलिस थाना लूणी एवं झंवर के भवनों की मरम्मत, पुलिस कर्मियों के आवासीय क्वार्ट्स निर्माण करने, राउमावि. दुन्दाड़ा (छात्र-छात्रा), पोपावास, केरू, परिहारों की ढाणी, सतलाना, लोरड़ी देजगरा, रोहिला कलां एवं रामावि. लूणावास खारा, सिनली, जोलियाली, खेजड़ली कलां, शहनाई, उत्तेसर, पीपरली, सर, मनणा बस्ती मोड़ी जोशियान, नान्दड़ा कलां विद्यालय भवनों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):</u>

76. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्वीकृत नर्सिंग छात्रावास का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर श्रमिक सुविधा केन्द्र का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):</u>

78. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित डाक बंगला एवं पीपाड़ शहर में गेगंहट को डाक बंगला घोषित कर इन भवनों की विशेष मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पंचायत समिति /तहसील मुख्यालय पर उप कोष कार्यालय भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में उपखण्ड मुख्यालय बिलाड़ा/पीपाड़ शहर पर कार्यालयों एवं आवास भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. प्रदेश में प्रत्येक विधान सभा मुख्यालयों पर विधायक हेतु Year mark विधायक कार्यालय मय आवास भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सांसद कार्यालय की तर्ज पर कलेक्ट्रेट

(श्री अर्जुनलाल)

ऑफिस में विधायक कार्यालय भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोरधन (धौद):</u>

83. विधान सभा क्षेत्र धौद के नगर पालिका क्षेत्र लोसल में डाक बंगले का भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):</u>

84. सांचौर शहर में बने राजकीय डाक बंगले का नवीनीकरण एवं चारदीवारी की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):</u>

85. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढ़ागौड़जी कस्बे में डाक बंगले का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री मंगलराम (कठूमर):</u>

86. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में उपखण्ड मुख्यालय कठूमर में मिनी सचिवालय का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कस्बा खेड़ली व कठूमर में डाक बंगला निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (भीम):</u>

88. विधान सभा क्षेत्र भीम में देवगढ़, भीम, जस्साखेड़ा एवं छापली डाक बंगलों को होटल हेतु आवंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कार्यालय एवं निवास, भवन की व्यवस्था कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र भीम में सभी राजकीय विद्यालयों में जर्जर, कक्षा कक्षों के पुन: निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

91. सभी जिला मुख्यालय में सांसदों की तरह विधायकों को भी कार्यालय दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):</u>

92. प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में विधायक कार्यालय एवं आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री छोटू सिंह)

93. जैसलमेर जिले में चिकित्सा एवं पशु चिकित्सालय के भवनों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में सरकारी भवनों के रख-रखाव एवं सरकारी कर्मचारियों के आवास निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाडौल):

95. विधान सभा क्षेत्र झाडौल (फ) के सरकारी कार्यालय भवनों के निर्माण व मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

96. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सभी सरकारी स्कूलों के भवनों एवं कक्षा कक्ष बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सभी सरकारी चिकित्सालयों के भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पंचायत समिति गिर्वा की बाउण्ड्रीवाल बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

99. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ की स्कूलों में कक्षा कक्षों एवं चार दीवारी निर्माण/मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ (चूरू) में स्थित डाक बंगले का विस्तार, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में स्वीकृत विभिन्न विभागों के नवीन कार्यालयो के भवनों एवं इनके कार्मिकों के आवास निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

102. कोलायत उपखण्ड में राजकीय मॉडल आदर्श विद्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भंवरसिंह)

103. उपखण्ड मुख्यालय कोलायत में राजकीय स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता कार्यालयों हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. कोलायत में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृह को सुसज्जित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. कोलायत उपखण्ड मुख्यालय पर अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग का पद व कार्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संजीव कुमार (भादरा):</u>

107. प्रदेश में सर्किट हाऊसों एवं डाक बंगलों का रख-रखाव बेहतर तरीके से करवाया जाकर आगन्तुकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

108. भादरा स्थित डाक बंगले के ढंग से रख-रखाव करने, मरम्मत, सौन्दर्यकरण एवं जीर्णोद्धार करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

109. भादरा में सैनिक विश्राम गृह का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. P.W.D. उपखण्ड कार्यालय भादरा में सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. भादरा में P.W.D. उपखण्ड कार्यालय का जीर्णोद्धार एवं अधिकारियों के आवास निर्माण करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री रामपाल (बारां अटरू):</u>

112. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अटरूं उपखण्ड मुख्यालय पर बस स्टैण्ड बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):</u>

113. नागौर शहर में सीवरेज कार्य को पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

114. विधान सभा क्षेत्र दौसा में आबकारी, भवन दौसा के माल गोदाम के लिए भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

115. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ नोगांवा में बाइपास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

116. जिला मुख्यालय झुंझुनूं पर स्थित राजकीय भवनों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा):

117. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के उपखण्ड देवली में अधिशासी अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

118. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने/मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में भवन रहित राजकीय विद्यालयों में भवन व चार दीवारी बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में खेल स्टेडियम का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ीसादड़ी):

121. विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी के थाना डुंगला के दलवास ग्राम में स्वीकृत पुलिस चौकी के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी के मंगलवाड़ चौराहा पर डाक बंगला निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी के प्रतापगढ़ जिले में थाना धमोतट का नवीन भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी में पशु उपकेन्द्र एवं पशु चिकित्सालयां के भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री गोतम कुमार)

125. विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी के उपखण्ड डुंगला में उपखण्ड अधिकारी एव तहसीलदार के आवास निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

126. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढ़ागौड़जी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय भवन का निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

127. विधायक नगर पश्चिम जयपुर के आवासों में छतों से टपक रहे पानी व चूहों की भरमार व सफाई के संबंध में चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के फतेहपुर कस्बे में बस स्टैण्ड का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

129. फतहपुर में एडीजे कोर्ट का भवन निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में अधिकारी व कर्मचारियों के आवासीय भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के रामगढ़ कस्बे में डाक बंगला बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

132. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में P.W.D. विभाग का ऑफिस बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में उपखण्ड अधिकारियों का आवास बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में डाक बंगला बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

135. उपखण्ड मुख्यालय बायतू में विभाग का डाक बंगला/विश्राम गृह का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री कैलाश चौधरी)

136. उपखण्ड अधिकारी, बायतू के कार्यालय भवन का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र बायतू में तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय गिड़ा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का विश्राम गृह बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

138. बायतु में रोड़वेज बस स्टेण्ड का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

139. अधिशासी अभियंता कार्यालय, बायतू के भवन का विस्तार करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):</u>

140. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में किशनगढ़-रेनवाल एवं नरैना में नये डाक बंगले का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं सांभर स्थित डाक बंगलों का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री रमेश (सपोटरा):</u>

142. जिला करौली के लोक निर्माण कार्यों के लिये बजट राशि बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

143. जिला करौली में नवीन कार्यों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी):</u>

144. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की ग्राम पंचायत बस्सी में सार्वजनिक पार्क निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):</u>

145. बीकानेर पश्चिम में सार्वजनिक पार्कों के जीर्णोद्धार के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):</u>

146. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के रंगपुर ग्राम पंचायत में P.W.D.

(श्री संदीप शर्मा)

के अधीन प्राचीन धरोहर डाक बंगले की मरम्मत कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

147. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में न्यायालय भवन बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में मिनी सचिवालय बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

149. नगर पालिका बाड़ी के लिए नवीन कार्यालय भवन बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर):

150. विधान सभा क्षेत्र नगर में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र नगर में पुलिस चौकी निर्माण में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र डीग स्थित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय का भवन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र नगर में नगर शहर स्थित डाक बंगलों में एक हॉल व किचन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

154. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के जहाजपुर नगर में सहायक कलेक्टर कार्यालय भवन निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

155. विधान सभा क्षेत्र दौसा में थाना कोतवाली के लिए भवन निर्माण एवं मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. महिला थाना, दौसा के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

157. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के पास कंसखाल नाले का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

158. प्रदेश में विभाग के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

159. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के प्रतयेक CHC व PHC में मरीजों के परिजन हेतु विश्राम गृह की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ग्राम-पंचायत मुख्यालयों के बस स्टेण्डों पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. नागौर जिले में स्थित लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरवाल गांव में श्रद्धालुओं के लिये धर्मशाला का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

162. खींवसर में राजकीय कॉलेज का भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. उपखण्ड व तहसील मुख्यालय खींवसर में डाक बंगला निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

164. श्रीमाधोपुर (सीकर) में उपखण्ड कार्यालय भवन के निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. श्रीमाधोपुर (सीकर) में डाक बंगले के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

166. घड़साना में सार्वजनिक निर्माण विभाग का AEN कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

167. घड़साना में सर्किट हाउस बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

168. अनूपगढ़ स्थित XEN कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग की चारदीवारी निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्रीमती शिमला बावरी)

169. अनूपगढ़ में स्थित सार्वजनिक विश्राम गृह की मरम्मत कराने एवं सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):</u>

170. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में उपखण्ड कार्यालय भवन में नये कमरे बनवाने एवं मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

171. खेतड़ी के डाक बंगले की मरम्मत एवं नये कमरे बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):</u>

172. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम गीजगढ़ में स्वीकृत सहायक अभियन्ता कार्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 20 - आवास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 20 - मुख्य शीर्षक आवास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/ करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में इन्दिरा आवास योजना की बकाया किश्त का भुगतान करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में वंचित रहे आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

3. प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना अन्तर्गत समयबद्ध निर्माण कार्य पूर्ण कर आमजन को आवास उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

4. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में मुख्य मंत्री जन आवास के अन्तर्गत आवास बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

5. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में आवासन मण्डल द्वारा पूर्व निर्मित भवनों को जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा खुली जेल में उपयोग लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत घुमन्तु गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय भूमि पर आवासन मण्डल की नई योजना बनाकर आवासीय कॉलोनी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री हमीरसिंह भायल)

8. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नगर परिषद बालोतरा में अल्प आय वर्ग हेतु आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

<u>श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):</u>

9. प्रदेश में हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित भवनों के नवीनीकरण व मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में मुख्य मंत्री आवास योजना अन्तर्गत भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):</u>

11. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अज.) शहरी क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की समुचित उपलब्धता कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अज.) स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड में कनिष्ठ अभियन्ताओं, मंत्रालयिक कार्मिकों के मानदण्डानुसार पदों की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):</u>

13. कोटा शहर, रामगंजमण्डी नगर में स्थित राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित नगरों में जनोपयोगी कार्य कराने पर चर्चा के लिये।

14. राजस्थान आवासन मण्डल में द्वितीय पक्ष के खरीददारों को सीधी रजिस्ट्री कराने हेतु छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत रामगंजमण्डी नगर एवं सातलखेडी में बहुमंजिला आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. रामगंजमण्डी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित स्वामी विवेकानंद नगर के बकाया मकानों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा को आवासीय योजना बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

18. राजस्थान आवासन मण्डल, टोंक को एल.ई.डी. लाईट से जोडने के संबंध में चर्चा के लिये।
19. राजस्थान आवासन मण्डल, टोंक में स्थित सामुदायिक भवन की मरम्मत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
20. राजस्थान आवासन मण्डल, टोंक में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
21. राजस्थान आवासन मण्डल, टोंक के सेक्टर नं. 1 में जमीन आवंटन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
22. राजस्थान आवासन मण्डल, टोंक को नगर परिषद, टोंक में हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

23. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के नगर पालिका इटावा में गरीबों के लिये अर्फोडेबल हाउसिंग योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
24. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम गणेशगंज में स्वीकृत इन्दिरा आवास कॉलोनी के क्षतिग्रस्त आवासों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
25. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में ग्रामीण आवास योजना में आवास स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
26. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्वीकृत ग्रामीण आवासीय योजनाओं में हुई अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।
27. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में ग्रामीण आवास योजना में स्वीकृत आवासों पर जारी की गई राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

28. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के नगर पालिका सागोद में आवासन मण्डल द्वारा आवास निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पं.स. सलूम्बर, सराडा, सेभारी एवं झल्लारा के केलूपोस मकानों को पक्के बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर, सराडा, सेभारी एवं झल्लास में आवासन मण्डल द्वारा बहुमंजिला आवास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में आवासीय कॉलोनी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

32. प्रदेश में निर्मित आवासों का आवंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

33. प्रदेश के गरीब परिवारों को आवास मुहैया कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. प्रदेश में आवासों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में आवासन मण्डल द्वारा समय पर भवन निर्माण नहीं कराने से उनकी बढी हुई कीमत की वसूली जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. प्रदेश में गरीब लोगों को आवासन मण्डल द्वारा भवन उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

37. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के केलूपोश कच्चे मकानों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. प्रदेश में आवासों की बकाया किश्तों का निर्धारित समयावधि में गरीब आवास लाभार्थी को भुगतान कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

39. प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आवास विहीन परिवारों

(श्री नाना लाल अहारी)

को चिन्हित करने के पश्चात् आवास उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. विधान सभ क्षेत्र खैरवाड़ा में मुख्यमंत्री आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना में वास्तविक बीपीएल सर्वेक्षणानुसार आवास से वंचित लाभार्थियों को आवास सुविधा मुहैया कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):</u>

41. प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित योग्य अभ्यार्थियों का चयन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

42. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गाडोलिया लौहारों के आवास निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री सुखराम विश्नोई (सांचोर):</u>

43. विधान सभा क्षेत्र सांचोर में नगरपालिका क्षेत्र में भूमि अवाप्त कर आवासीय कॉलोनी बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):</u>

44. प्रदेश में सामान्य श्रेणी क गरीब असहाय व जरूरतमंद लोगों को इंदिरा आवास स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):</u>

45. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में आवास योजना को सफल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में जनजाति क्षेत्र में पट्टे जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र उदयुपर ग्रामीण में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना से वंचित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):

48. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में आवासन मण्डल द्वारा योजना न काटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में इंदिरा एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की बकाया किश्तों के भुगतान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में गरीब मजूदरों के आवास की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ):

51. सुजानगढ एवं बीदासर (चूरू) में निर्धन व्यक्तियों के लिये सस्ते आवास बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

52. नगर विकास न्यास, बीकानेर की आवासीय कॉलोनियों में सड़क, नाली आदि निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. बीकानेर शहर में आवासन मण्डल की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में आवासन मण्डल की शिवबाडी आवासीय योजना का कार्य पूर्ण कर लोगों को भू-खण्ड आवंटन करने तथा अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हबिबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):

55. नागौर में आवासन मण्डल द्वारा बनाये गये मकान आवंटियों को देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बडीसादड़ी):

56. विधान सभा क्षेत्र बडीसादड़ी में बीपीएल परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

57. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के बीपीएल व खाद्य सुरक्षा से जुडे परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना व अर्फोडेबल हाउसिंग योजना में आवास उपलब्ध कराने के संबंध में।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

58. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में आवास विहीन परिवारों को आवासन देने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. प्रदेश में बनने वाले आवासों में वर्षाजल संग्रहण बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

60. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में आवासन मण्डल की कॉलोनियों में खाली पडे भू-खण्ड़ों को निलामी के जरिये बेचे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

61. प्रदेश में शहीद परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा):

63. राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष 2020 तक आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

64. स्वामी विवेकानंद नगर, कोटा में रजिस्ट्रेशन धारियों को आवास उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. कोटा शहर में विभिन्न स्थानों पर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में आवंटित कब्जाशुदा खाली मकानों से हो रही समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

66. बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में आवासन मण्डल द्वारा आवासीय भवन बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

67. भीलवाडा शहर की नेहरू विहार योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों

(श्री धीरज गुर्जर)

के संबंध में सरकारी लापरवाही के कारण बढी हुई कीमतों की वसूली आवंटियों से वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. उपखण्ड मुख्यालय कोटडी पर अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत आवासों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. नगरपालिका जहाजपुर में अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):</u>

70. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में गरीबों के लिए 20,000 अर्फोडेबल मकान बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):</u>

71. मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दौसा जिला मुख्यालय एवं नजदीकी क्षेत्र में आवास उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):</u>

72. नागौर जिला मुख्यालय स्थित भीमराव अम्बेडकर आवासीय कॉलोनी के निर्माण में बरती गई लापरवाही में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

73. जिला मुख्यालय नागौर की बढ़ती आबादी व विस्तार को मध्यनजर रखते हुए अर्फोडेबल हाउसिंग योजना की नई आवासीय कॉलोनी विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. नागौर में कॉलेज रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवरेज लाईन का कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

75. उपखण्ड मुख्यालय खींवसर व तहसील मुख्यालय मुण्डवा जिला नागौर में हाउसिंग बोर्ड की आवासीय कॉलोनी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):</u>

76. आबू पर्वत पर वर्षो पुराने रहवासिए मकानों के पटटे दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 4

मांग संख्या 21 - सड़कें एवं पुल पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21 - मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के धार्मिक स्थलों के लिए डामर सड़क स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में डामर सड़कों से वंचित राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. जोधपुर से देचू वाया तिंवरी-चेराई-चामू सड़क को रामदेवरा पैदल यात्रियों के अत्यधिक आवागमन व असुविधा को मध्यनजर रखते हुए उक्त सड़क को तीन-लेन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों के पेचवर्क एवं नोन-पेचेबल सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्रामीण गौरव पथ से वंचित ग्राम पंचायतों एवं नवसृजित ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

6. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में खराब सड़कों का नवीनीकरण नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

7. अलवर शहर में दाउदपुर रेल्वे फाटक पर अण्डरपास (RUB) बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर):

8. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में ब्यावर से पिन्डवाड़ा 4 लेन रोड पर

(श्री शंकर सिंह)

जालिया पुलिया के दोनो तरफ सर्विस रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में ब्यावर शहर में अजमेर रोड पुलिया से पाली बोर्डर वाया चांग गेट मुख्य सड़क को 6 लेन में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जस्साखेडा से दुधालेश्वर तक 30 कि.मी. सड़क की चौड़ाई 7 (सात) मीटर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर):

11. विधान सभा क्षेत्र वैर में विभाग के कनिष्ठ व सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र वैर की जर्जर सड़कों का नवीनीकरण/डामरीकरण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

13. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जिले से जिला जोड़ने वाली प्रमुख सड़क पादरू से दहिवा वाला मार्ग जालौर सरहद तक 09 कि.मी. सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिवाना समदड़ी कल्याणपुर सड़क मार्ग 51 कि.मी. नवीनीकरण एवं 07 मीटर चौड़ाई करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कोटड़ी में भानावास में पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बरसात के समय में टूट गये पुल/रपट के मिसिंग सी.डी. पक्के डामर के बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम पंचायत सिणधरी, समदड़ी एवं सिवाना में सभी खस्ताहालत सड़को के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

18. सिरोही जिले में धार्मिक एवं देवस्थानों को सड़को से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में रेवदर व मण्डार बाईपास निकलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. रेवदर तहसील की जर्जर सड़को का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंशाली (जोधपुर):

22. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर राजबाग खलिया चौहराये से पावटा तक 10.25 किलोमीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर में बाईजी तलाब जालौरी बाड़ी से पुलिस चौक सोजती गेट तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

24. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की सड़कों की मरम्मत/डामरीकरण व नवीनीकरण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम लयावली, नागलभया नाले पर पुल निर्माण व ग्राम केमला गडुआ पर व गुढ़ाचन्द्रजी टोडाभीम रोड पर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

26. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के गांवों व ढाणियों में ग्रामीण पथ योजना में सड़के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में ग्राम रघुनाथपुरा, कंवरपुरा, भेखुपुर,

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

खेड़कीवीभान व दो अन्य जगह पर NH8 पर अण्डरपास व फ्लाईओवर केन्द्र सरकार से वार्ता कर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम व ढाणियों में सड़के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

30. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के पंचायत समिति बाप में टेकरा से धोलिया सड़क मार्ग 13.5 कि.मी. के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़):

31. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में अतिवृष्टि से खराब हुई सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमू):

32. विधान सभा क्षेत्र चौमू में धाना का बास से जालिम सिंह का बास तक मिसिंग सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र चौमू में बधाल - सड़क से खण्डेला सीमा वाया गीदा का बास तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र चौमू में सरगोठ से कल्याण मोड़ (सींगोद कलां) तक मिसिंग सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र चौमू में गोविन्दगढ़ से विकास नगर (गोविन्दगढ़) तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र चौमू में विमलपुरा से जालिम सिंह का बास तक मिसिंग सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर):

37. सीकर जिला मुख्यालय पर जयपुर नेशनल हाइवे पर रामू का बास से भडाढ़र तक रिंग रोड़ का निर्माण कर फोरलेन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री रतन लाल जलधारी)

38. सीकर शहर की नवलगढ़ रोड पर स्थित पुलिया को चौड़ा कर आवागमन को सुगम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर):

39. विधान सभा क्षेत्र आहोर में साँडेराव से मोकलसर सड़क MDR रोड को चौड़ा एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

40. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के शहरी क्षेत्र में कृष्णापुरी-ऊटडा रोड पर स्थित रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण की महत्ति आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) से मालपुरा (टोंक) तक के 70 किलोमीटर के सड़क मार्ग का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित जयपुर रोड आर.के. कम्यूनिटी सेन्टर से वैष्णों देवी मन्दिर तक सड़क मार्ग पर सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 के किशनगढ़-जयपुर खण्ड मार्ग पर स्थित बांदर सिदरी गांव के मुख्य चौराहे पर एक नवीन ओवरब्रिज निर्माण की महत्ति आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) से हनुमानगढ़ तक मेगा हाइवे मार्ग को फोरलेन में परिवर्तित कर विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

45. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के खैराबाद-रिछडिया सड़क के चौड़ाई करण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के चेचट-खेडली सी.सी. सड़क एवं पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के चेचट-आलोद सड़क एम.डी.आर. 110 के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

48. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्ड़ी के चेचट-खेडारूद्वा सड़क स्टेट हाइवे 9ए के निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्ड़ी की रिंग रोड के निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

50. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में ग्रामीण गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक सड़कों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. श्रीगंगानगर जिले की सुरतगढ़ शाखा पर 8 एसटीबी से 5 एसटीबी को जोड़ने हेतु पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के पंचायत मुख्यालय के 90 जीबी को कृषि उपज मण्डी समिति अनूपगढ़ से जोड़ने हेतु घघ्घर नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सड़क विहिन ग्रामों में सड़क सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

55. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम बम्बलू से राणीसर व राणीसर से कटरियासर के विख्यात जसनाथ मंदिर तक सड़क के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम खोडाला से ग्राम सुई 12 किलोमीटर, ग्राम शेरेंरा से ग्राम गुसाईसर (जो एन.एच. 11 पर स्थित है) 09 किलोमीटर ग्राम खारड़ा के ग्राम कालू 11 किलोमीटर एवं ग्राम शेरपुरा से ग्राम जैतपुर तक 14 कि.मी. नई सड़क सी.आर.एफ. में बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. बीकानेर जिले में सड़कों की लम्बाई संभाग के अन्य जिलों की तुलना में काफी पीछे होने के कारण बीकानरे जिले को उनके समकक्ष लाए जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

58. लूणकरणसर व महाजन एन.एच. 15 के पास के ग्राम बड़ेरण से मनोहरिदा के मध्य 6 किलोमीटर सड़क के नवनिर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. ग्राम महाजन से ग्राम सुई 20 किलोमीटर व ग्राम सुई से आगे 8 किलोमीटर हनुमानगढ़-किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग तक की सड़क को स्टेट हाइवे घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

60. विधान सभा क्षेत्र टोंक में राष्ट्रीय राजमार्ग 116 में किलोमीटर 8 में स्थित पुलिया निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र टोंक में क्षतिग्रस्त के पुनर्निमाण के संबंध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र टोंक के गेलोय घाट के क्षतिग्रस्त रपटे के पुनर्निमाण के संबंध में चर्चा के लिए।

63. प्रदेश में सड़कें एवं पुल निर्माण की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

64. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के धारेश्वर रेलवे स्टेशन से बाली पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की 03 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में मुख्य मंत्री की घोषणा वाली सड़क नारलाई से केसुली की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार बांता से पांचेटीया की सड़क स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम राणावास की नदी पर पुल का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री केसाराम चौधरी)

68. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जोधपुर से कालीघाटी स्टेट हाइवे 61 नम्बर, मारवाड़ जंक्शन रेलवे पर ओवरब्रिज एवं स्टेट हाइवे नम्बर 62 की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

69. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सूरतगढ़ से मोजेवाले के लिए सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 6 जीडीएम अर्जुनोतपुरा वाया 4 जीडीएम की 7-8 किलोमीटर की सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के ग्राम सूरजनसर गांव को कुपली रोड से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. सूरतगढ़ शाखा के 196 आर.डी. से घमन्डिया पंचायत मुख्यालय सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन से 145 पी.डी. सरदारपुरा खर्वा के मध्य घघ्घर नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

74. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में समेल से कैलाई हाइवे तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पीचूपाडा खुर्द से प्रतापपुरा तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में समेल-वैरवा स्कूल से ढ़िगारिया टप्पा कोलेश्वर तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आभानेरी रोड से कलाली का बास वाया रानी का बास सड़क निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती अलका सिंह)

78. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में सीलोज से भेदाड़ी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

79. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पीपल्दा समेल रोड से सांगाहेडी तक रोड स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के खण्ड इटावा में नोनेरा से नारायणपुरा तक रोड स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सीआरएफ योजना में इटावा से गैंता तक सड़क स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरएफ योजना में खातौली से कैथूदा तक सड़क स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कालीसिंध नदी पर ग्राम बॉक्या से टीगोद के मध्य पुलिया स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. मंजू बाघमार (जायल):

84. विधान सभा क्षेत्र जायल में रूपाथल-नराघना-बोड़वा-सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र जायल में सिलारिया (ग्राम पंचायत-दोविडा) में सीसी रोड व नाली निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में रोटू से टोकीघोरा-5 किमी धार्मिक सड़क के डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

87. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कैथून से राजपुरा बालाजी की धाक तक एम.डी.आर. सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के लक्ष्मीपुरा, खजुरी, पनवाड़ा जिला

(श्री हीरालाल नागर)

झालावाड़ को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के देवली से ढोरी (सांसद आदर्श ग्राम) सम्पर्क सड़क सिमल्या से पी.एम.जी.एस.वाई. योजना में सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की कैथुन से राजपुरा, बालाजी धाक एम.डी.आर. 185 और देवली ढ़ोरी से सीमल्या एम.डी.आर. 184 सड़क पर पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की कुन्दनपुर-लक्ष्मीपुरा-अमृत कुआ-पनवाड़ सड़क एम.डी.आर. (186) पर पुलिया निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

92. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में धार्मिक स्थलों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पुलिया निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ढ़ाणी, फलों, मंजरो के दुर्गम क्षेत्रों में डामरीकरण सड़कों का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

96. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के नदी नालों पर नवीन तकनीकी एवं गुणवत्ता पूर्ण पुल निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए ।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

97. विधान सभा क्षेत्र कपासन में नान पेचेबल 128 किलोमीटर सड़क के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

98. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के अच्छापुर बस स्टेण्ड से जगमाल की ढ़ाणी तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री मनोज कुमार)

99. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ से पिलानी रोड एन.एच. 109A का कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ से बहल सड़क पर 10-15 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रड़वा से कान्धराण जाने वाली सड़क एवं एन.एच. 65 से लुटाणा सदासुख जाने वाले रेलवे रास्ते पर अण्डरपास बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राजगढ़ तहसील की सभी ग्रामीण सड़कों का डामरीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री भँवरसिंह (कोलायत):

103. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में बीकानेर से जैसलमेर सड़क मार्ग पर फोरलेन निर्माण से पूर्व गांधी प्याऊ, गजनेर फांटा, दरबारी फांटा, नवोदय विद्यालय के पास मोडिया माणसर फांटा, खारा फांटा, टेचरी फांटा, सांखला फांटा पर सड़क ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के अन्तर्गत आने वाले कोलायत झझू, पलाना तथा देशनोक रेल फाटकों पर ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

105. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में एम.डी.आर. सड़क संख्या-35 ओसियां से दासूड़ी को ओसियां से बीकानेर तक एम.डी.आर. 35 घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में इ.गा.न.प. से सा.नि.वि. को हस्तांरित सड़के 0 से 32 किमी चारणवाला वितरिका सड़क, 0 से 32 कोलायत वितरिका सड़क, गजनेर लिफ्ट सड़क का नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. राज्य राजमार्ग संख्या 87-A (रणजीतपुरा से ओसियां सड़क) के 0 किमी से 110 किमी का नवीनीकरण व सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

108. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़को की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में दुर्गम क्षेत्र के सर्वेक्षणानुसार सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में स्वीकृत सड़कों के संबंध में चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में पंचायत मुख्यालय के अलावा वास्तविक भोगोलिक परिस्थितियों के आधार पर गौरव पथ का निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में नवीन पुलिया निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़):

113. सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्यापत भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्ष 2013 में सड़क निर्माण संबंधी जारी की गई स्वीकृतियों को निरस्त कर आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सड़कों की जर्जर स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर):

116. विधान सभा क्षेत्र तारानगर के ग्राम लसेड़ी, लुटाना, काघरान की रेल्वे लाइन पर अण्डरपास बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा):

117. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में वर्ष 2016 में विजयनगर से ग्राम नगर तक नवीन सड़क 6 माह में ही क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में मिसिंग लिंक सड़कों की लम्बाई बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्रीमती सुशील कंवर)

119. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में गौरव पथ में बनी सड़कों की जांच कराने एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर अधूरे पड़े गौरव पथ सड़क को पूर्ण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में गारण्टी पिरियड में ही सड़के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की नगर पालिका विजय नगर में सप्तातीस मील चौराहा पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास):

122. अलवर जिले के शेष रहे राजस्व ग्रामों को डामर सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त सड़कों को सही कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कस्बा खैरथल व किशनगढ़ बास में बाईपास बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

126. अलवर जिले में एन.सी.आर. द्वारा सड़कों की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

127. ग्राम रूपबास तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में सड़क निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

128. मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ रोड जिला अलवर में सुकडी नदी पर पुल बनवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

129. नटनी का बास मालाखेडा रोड जिला अलवर ग्राम सारगपुरा, मानपुरा के बीच पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

130. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ओडीआर-69 सर-दुन्दाडा, ओडीआर-67 बोरानाडा-चिचडली, वीआर-धवा-दुन्दाडा, वीआर-उत्तेसर से भाचरना, वीआर-सतलाना-माधोपुरा-रेन्दड़ी-भाकरी, वीआर सालावास से शिकारपुरा, वीआर-भाण्डू-बड़लिया, सिनली, वीआर-धवा-परिहारों की ढ़ाणी, एआर-कैरू से सालोड़ी, एआर से कराणी एवं बनाड से उचियाड़ा सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित राज्य मार्ग संख्या 58, 61 व 68 एवं एम.डी.आर. झालामण्ड-लालकी की चौड़ाई बढ़ाने, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. जोधपुर-सालावास-सर-फीच-दुन्दाड़ा-घाणा-विशनगढ़-जालोर के मध्य चलने वाले ओडीआर-69 को नया राज्य मार्ग घोषित करने व एम.डी.आर. झालामण्ड-गुड़ा-लालकी को क्रमोन्नत कर राज्य मार्ग घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित ओडीआर-69 पर स्थित चार जिलों (जोधपुर, बाड़मेर, पाली व जालोर) के संगम पर स्थित ग्राम दुन्दाड़ा में लूणी नदी पर जीर्ण-शीर्ण रपट के स्थान पर नवीन पुल का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम कैरू से ग्राम सालोड़ी, ग्राम सिनली से रोहिचा खुर्द, धवा से कालीजाल, कालीजाल से फीच, लूणी से धांधिया, सरेचा खेड़ा से शिकारपुरा, खाराबेरा भीमावन्ता से कलाली सरहद तक, बड़लिया से रोहिचा कला की सरहद, चिचड़ली से परिहारों की ढ़ाणी, कडवड़ से उजलिया सरहद, डोली से देवल होते हुए बासनी सिलावटा, नारनाडी से नान्दवान, झंवर में नई नाडी से खुडाला बालाजी, बेरू से महादेव नगर सड़कों का नव निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

135. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर से ग्रामीण गौरव पथ से वंचित ग्राम

(श्री मेवाराम जैन)

पंचायत मुख्यालयों पर गौरव पथ का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. बाड़मेर शहर में चौहटन रोड रेल्वे फाटक एवं शास्त्रीनगर रेलवे फाटक पर अण्डरपास का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में मिसिंग लिंक, एप्रोच एवं धार्मिक सड़कों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

139. विधान सभा क्षेत्र आमेर में खस्ताहाल ग्रामणी सड़कों को सुधारने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

140. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में एम.डी.आर.-90-भावी से खींवसर वाया पीपाड़ शहर भोपालगढ़ सड़क की स्ट्रेथिनिंग और चौड़ाईकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा रेल्वे स्टेशन से बिलाड़ा शहर की रेल्वे क्रोसिंग सी-133 पर 2011-12 से स्वीकृत (RUB) रोड अण्डरपास के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित मिसिंग लिंक सड़क जिला सीमा तक के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की नोन पेचेबल सड़कों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-112) पर स्थित बर-बिलाड़ा-जोधपुर सड़क के किमी 41/0 से 51/0 की मरम्मत करने एवं फोरलेन सड़क का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री गोरधन (धोद):</u>

145. विधान सभा क्षेत्र धोद में शाहपुरा से सवदबड़ी तक सड़क का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र धोद में सिगरावर से धोद मुख्यालय सड़क SH-30B को जोड़ने वाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र धोद में काशी का बास से पुराबड़ी 3.00 किमी सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र धोद में तोषीणा मौलासर से सीकर एस एच सड़क को शीघ्र बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र धोद में सरवड़ी से जस्सुपुरा बिजासी मिसिंग लिंक सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):</u>

150. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में गलीफा से मेडा, मरटवा एवं केसूरी से भादरण सड़क पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में कोरिया से चारवीय चूढ़वा से टेम्बी से टांपी से स्वासरनी मार्ग पर पुलिया निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):</u>

152. विधान सभा क्षेत्र दौसा में मिसिंग लिंक लवाण से पूरणवास वाया बीनावाली बावड़ी जसोता से खुर्री, होदायली से सिंगपुरा वाया बालाजी, सीतापुरा से खुर्री, चावन्डेडा पांच दुकान से सैंथन रोड मालगवास पुलिया तक के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र दौसा में नगर परिषद क्षेत्र में PWD की बरकत स्टेच्यू से लालसोट बाईपास वाया बाबाजी की छावनी, गणेश मन्दिर लालसोट बस स्टेण्ड से नया कटला वाया अनाज मंडी, लालसोट रोड खादी प्लाजा से गेटोलाव तक की सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

154. जयपुर से दौसा प्रवेश एवं आगरा रोड आगरा से दौसा में प्रवेश तिराहे पर अण्डरपास निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश धाकड (बेगूं):

155. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में जावदा, चेंची एवं धांगण मऊ पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में बेगूं-काटूंदा फोरलेन, बेगूं-चेंची-सामरों का लेवा एवं बसनी-आंबा-फलौदी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

157. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढ़ा-इडिया-जैतपुरा-इन्द्रपुरा 15.5 किमी नोन पेचेबल सड़क के नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के चंवरा चौफुल्या से ताल मण्डावरा वाया पौख, मुडा, मणकसास, जहाज, एम.डी.आर.-159 (22 किमी) नोन पेचेबल सड़क के नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में माणकसास से बागोली-पचलंगी-झड़ाया-ओडीआर (16 किमी.) नोन पेचेबल सड़क के नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की गुढ़ा-चवरा-चवरा कैम्प-खेतड़ी सीमा तक 23 किमी (स्टेट हाइवे 82) के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

161. झुंझुनूं जिले के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 एवं 709 का कार्य शीघ्र शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं की झाझोत से टकुडोत, गिडानिया से खेमु की ढ़ाणी एवं कुमनसर खुर्द से हमिरवास लाम्बा की अत्यधिक टूटी हुई सड़कों के नवीनकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

163. झुंझुनूं शहर की रोड नं. 3 का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

164. राज्य राजमार्ग संख्या 8 पर पुलिस लाइन झुंझुनूं के पास आर.ओ.बी. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंगलराम (कठूमर):

165. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कस्बा कठूमर में बाईपास बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में एन.सी.आर. द्वारा सड़कों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में खेडली से वगल का नगल क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त सड़कों को सही कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

170. विधान सभा क्षेत्र भीम में एन.एच. 8 ब्यावर से गोमती फोरलेन अधूरे पड़े कार्य प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र भीम के प्राचीन मंदिरों को सड़कों से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

172. विधान सभा क्षेत्र भीम में 100 से 250 की आबादी वाले ग्रामों को डामर की सड़कों से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र भीम में नगरपालिका देवगढ़ में स्वीकृत गौरव पथ को पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्राम पंचायत कालादेह पुलिया व केसरपुरा पुलिया (समेलिया) का निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

175. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पी.एम.जी.एस.वाई. योजना के

(श्री छोटू सिंह)

अन्तर्गत बनी सड़कों का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में नहरी क्षेत्र की जो चक आबादी एवं क्षेत्र की सड़कों के पुन: निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

177. जैसलमेर झिझनीमाली रोड जो की एम.जी.आर. को 5.5 मीटर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178. जैसलमेर पर्यटक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तनोट जाने वाले दर्शनार्थियों के रामगढ़ से नेतजी हेमा हेते हुए पुनमगार तक रोड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179. जैसलमेर BADP के द्वारा अधूरी सड़कों को पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हीरा लाल दरांगी (झाडौल):</u>

180. विधान सभा क्षेत्र झाडौल के अन्तर्गत विभिन्न क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र झाडौल के तहत विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र झाडौल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में घटिया सामग्री का उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र झाडौल की खस्ताहाल सड़कों के संबंध में चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र झाडौल में नवीन पुलों का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):</u>

185. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में एकलिंगपुर से उमरडा तक रोड को चौड़ा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

186. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में उदयपुर से सलूम्बर वाली रोड से गातोड बाबजि डाकन कोटड़ा से आरीया फला तक रोड सही करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री फूलसिंह मीणा)

187. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जावर माइन्स से टीडी तक रोड बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में उदयपुर से उबेश्वर होते हुए झाडौल रोड के बीच पुलियाओं को ऊँची करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

189. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में अहमदाबाद रोड खरपीणा से छोटी उन्दरी तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर):</u>

190. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सड़कों के नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर सड़कों से वंचित राजस्व गावों में पक्के सड़क मार्गो के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नोन-पेचेबल सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में PMGSY स्टेट हाइवे की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में प्रागपुरा से पांछुडाला सड़क के नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक डोगरा (बूंदी):</u>

195. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के ग्राम अलकोदिया ग्राम पंचायत गुमानपुरा पंचायत समिति बून्दी में टूटी हुई पुलिया का पुन:निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

196. बून्दी से नैनवा रोड पर बाईपास को निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के ग्राम गुढ़ा ग्राम पंचायत राजपुरा पंचायत समिति तालेडा पर ऐरू नदी पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री खेमाराम (सुजानगढ़):</u>

198. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में सांडबा से पारेवडा, सुजानगढ़, चुंगी नाका से हेमासर गोलाई तक, बागसरा अगूजा से एन.एच. 65, चरला से सांडबा, कौलासर से भीमसर प्याऊ एवं मलसीसर से धां तक मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ की सड़कों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

200. सुजानगढ़ स्थित रेल्वे फाटकों पर अण्डर पास/ओवर ब्रिज निर्माण करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

201. सुजानगढ़ बाईपास रोड (छापर मेगा हाइवे से बोबासर प्याऊ एन.एच. 65 पर) निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

202. बीदासर बाईपास रोड (बीदासर पुलिस चौकी, छापर रोड से डटेरू परसेनऊ रोड तक) का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री संजीव कुमार (भादरा):</u>

203. विधान सभा क्षेत्र भादरा में क्षतिग्रस्त भादरा-साहवा सड़क की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

204. भादरा शहर में रेल्वे के सीमान परिवर्तन के उपरान्त उत्पन्न हुई जन समस्या के निराकरण हेतु C-64 पर R.U.B. निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र भादरा में आदमपुर-भादरा-साहवा सड़क को पी.पी.पी. मोड पर देकर नवीनीकरण-सुदृढ़ीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र भादरा में लोक देवता गोगाजी की श्रद्धा स्थली गोगामेड़ी से गोगाजी की जन्म स्थली ददरेवा (जिला चूरू) तक सीधी सड़क का निर्माण करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र भादरा में क्षतिग्रस्त विभिन्न सड़कों की मरम्मत एवं रिकार्पेट कार्य शीघ्र चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामपाल (बारां-अटरू):

208. मेगा हाइवे बारां झालावाड़ रोड चौकी से एन.एच. 90 बारां इकलेरा रोड मेरमाचाह तक सड़क की चौड़ाई 07 मीटर करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के निमोदा फाटक से हानीहेड़ा 03 किमी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में बरानी गांव के पास पुलिया निमार्ण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

211. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में बहलावन से कुन्जैड के बीच परवन नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में लिसाडिया से माथना चौराहा (बारां) खेमजी बाग होता हुआ 4.5 किमी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):

213. विधान सभा क्षेत्र नागौर में मुडवा से दूण व टालनपुर होते हुए बिलाडा हाइवे के संबंध में चर्चा के लिए।

214. नागौर में फाटर नटवर 61 में अन्डर पास बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र नागौर में मानासर फाटक पर अण्डर पास बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र नागौर में फलौदी से नीदड़ वाया नागौर तरनाऊ-खाटू स्टेट हाइवे-19 का सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

217. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं की अत्यधिक टूटी हुई सम्पर्क सड़कों के पुन:निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा):

218. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरूस्त करवाने एवं पेचवर्क कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

219. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की ग्रेवल रोड/सड़कों का डामरीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामढ़):

220. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम पंचायत बीरासना में ग्राम शकपुरा सड़क से काचावाला भैरूजी के मंदिर तक सड़क निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

221. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मिसिग लिंक सड़के बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में टूटी-फूटी/जीर्ण-शीर्ण सड़कों का नवीनीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जमवारामगढ़ बांध से उप तहसील आंधी तक सड़क का चौड़ाईकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बडीसादड़ी):

224. विधान सभा क्षेत्र बडीसादड़ी में पंचायत समिति बडीसादड़ी में विनोदड़ा से भीमलोढ़ के बीच पुलिया निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

225. विधान सभा क्षेत्र बडीसादड़ी के प्रतापगढ़ जिले में काजली खेड़ा से कनघटी के बीच रेतम नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226. विधान सभा क्षेत्र बडीसादड़ी के प्रतापगढ़ जिले में सारीपिपली उठाखेडा के बीच जाखम नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

227. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के जाखल-धमोरा-धोलाखेड़ा-स्टेट हाइवे 37 तक (13.5 किमी.) ओडीआर सड़क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

228. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में फतेहपुर कस्बे में कोतवाली तिराहे से लेकर दो जांटी बालाजी तक सड़क, एन.एच.-65 (फतेहपुर से सालासर) का कार्य पूर्ण करने एवं एन.एच.-11 (फतेहपुर से झुंझुनूं) तक का कार्य शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्रामों में जालेऊ से दाडुन्दा तक सड़क, गारिण्डा से हरसावा छोटा तक, बिकूसिया की ढ़ाणी से माण्डेला बड़ा तक, चुवास में रिणाऊ-बीबीपरु मैन रोड से नाथ जी के आश्रम तक, ढ़ाढ़ण से जानवा तक, सांझासर में मैन रोड से गुवाड़ तक, बारी से सरदारपुरा तक व जलालसर से सुवा का बास, खटकड़ों का बास व चाहरों की ढ़ाणी होते हुए अठवास तक सड़क निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में दीनारपुरा से ढ़ाणी रामपुरा, गौडपुरा से बेसवा माण्डेला छोटा से फतेहपुर, नगरदास से दाडून्दा, बीबीपुर बड़ा से नयाबास एवं ढ़ाकाली से दीनवा लाडखानी तक मिसिंग लिंक सड़के बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

231. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में रेल्वे के अण्डरपासों में PWD की बनी सड़कों पर पानी भराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

232. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में आलनपुर से बानसूर, बानसूर से नारायणपुर तक डबल रोड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ग्राम पंचायत रामपुर में ग्राम खारी का बास पर पुल निर्माण एवं ग्राम पंचायत कोल्याडा से आगे डूंगा का बास से पहले सीसी सड़क व नाली निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम बिसालू से आगे बिलाठ में माची रोड पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में बुटेरी से कोटपूतली रोड, बबेरा से

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

कोटपूतली एवं बलबा के बास से मन्शापुर होता हुआ सबलपुरा काली पहाड़ी, कल्याणपुरा तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में आडी गेली से कोठिया होता हुआ गढ़ी तक सामोता स्टेण्ड से नारायणपुर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई):

237. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू तहसील निवाई के ग्राम नला से सिरस, डांगरथल से बगड़ी, बारेड़ा से बस्सी सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

238. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू पीपलू उप खंड के गेलोद रपटा बनास, राणोली से बिसालू झिराना से नानेर तक सड़क, नानेर से हनोतिया, सटोदरा नदी पर क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

239. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के ग्राम जैपला व अन्य गांवों को जोड़ने वाली जैपला नदी पर पुल बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

240. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पाटोदी से परेऊ सड़क का नव निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र बायतू के खारडी से थोब सड़क का नव निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242. बायतू से बोडवा सड़क का नव निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

243. पचपदरा से पटोदी सड़क मार्ग का डबल लेन में परिवर्तित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. बाटाडू-कोलू सड़क का नव निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

245. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जोबनेर से नरियासर मोड़ (वाया फुलेरा) तक सड़क की मरम्मत/ पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

246. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फुलेरा पांच बत्ती चौराहे से हबसपुरा, जावली, आदरवा तक सड़क का पुनर्निर्माण कराने एवं चौड़ाईकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

247. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल स्थित रेल्वे फाटक LC-128 पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

248. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा लूणियावास से खाटूश्यामजी के लिए सड़क का निर्माण एवं रेनवाल से पचार मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

249. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल कस्बे में करड़ जाने वाले मार्ग पर सी.सी. सड़क का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

250. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में गोगुन्दा से ओगणा सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति सायरा की गुमान पुलिया निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश (सपोटरा):

252. जिला करौली में क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

253. जिला करौली में नवीन सड़कों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी):

254. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में बांसखोह सम्पर्क सड़क से

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

रामजीपुरा वाया दो ढ़ोलियों की ढ़ाणी तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

255. तहसील बस्सी में तुंगा से लवाण वाया भुडला तक सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

256. तहसील बस्सी में गुमानपुरा से बावड़ी का बास सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

257. ग्राम पंचायत गढ़ में तुंगा सम्पर्क सड़क से भैरू जी मन्दिर तक वाया बाला जी मन्दिर गौरव पथ योजना में सड़क निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

258. तहसील बस्सी के ग्राम खोखावाला के समस्त ग्राम में सड़क निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

259. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के अन्दरूनी शहर की जर्जर सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

260. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के बंगला नगर, चौपड़ा बाड़ी, मुरलीधर व्यास कॉलोनी में सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर):

261. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत मोरोली कलां के ग्राम नंगला माना में आम रास्ता बनाये जाने एवं सड़क निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

262. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की टूटी पड़ी हुई सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

263. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के शीघ्र निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

264. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्राम पंचायत जघीना से सैंथरा तक सड़के बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

265. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में ऐरोड्राम चौहराय कोटा में यातायात के दबाव से उत्पन्न हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

266. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के गुमानपुरा स्थित इंदिरा गांधी चौराहे पर यातायात के दबाव के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

267. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बाड़ी से सैपऊ बसई नवाब यू.पी. बार्डर तक जर्जर सड़क का नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

268. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में बसई नवाब में बाईपास बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

269. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सैपऊ में बाईपास बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

270. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में यातायात के दबाव के कारण बाड़ी में रिंग रोड बनवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

271. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सैपऊ बाड़ी मार्ग के पार्वती नदी पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

272. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर से घाटाराणी धार्मिक स्थल तक सड़क का चौड़ाईकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

273. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बनास नदी पर अभयपुर व बागुदार तथा घेवरिया व कांटी के मध्य पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

274. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में एमडीआर-54-कोटड़ी-पारोली के बीच में घुटा टुकर कोठाज से रोपा तक 13 किमी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री धीरज गुर्जर)

275. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में रोपा से बेरी व देवरा से उप तहसील पारोली के नजदीक एमडीआर-54 तक मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

276. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में नोन पेचेबल सड़क एमडीआर-7 पर आमल्दा चौराहे से मानपुरा, आमल्दा, गोलेछा माईन्स से होते हुए आसावरी होकर कोठाज चौराहे (कोटडी-पारोली) एमडीआर-54 तक क्षतिग्रस्त सड़क का पुन: निर्माण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर):

277. विधान सभा क्षेत्र नगर में भरतपुर से अलवर रोड पर अभी तक स्पीड ब्रेकर व दिशा सूचक न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

278. विधान सभा क्षेत्र नगर में सहीदन मोड से फूवकी व दीदावली से पसोपा की क्षतिग्रस्त सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

279. विधान सभा क्षेत्र नगर मे नगर-सीकरी रोड से बेरू जय श्री-सीकरी रोड की पुन:निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

280. विधान सभा क्षेत्र नगर में नगर से सारंगपुर तरोडर सड़क के टूटने से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

281. विधान सभा क्षेत्र नगर में नगर सीकरी रोड पर रेल्वे फाटक पर आरओबी बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़):

282. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में रूपारेल नदी पर सैंथली ग्राम से निजाम नगर रोड तक पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

283. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में नोन पेचेबल घोषित सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

284. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्माणाधीन गौरव-पथ सड़कों व मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण निर्धारित मापदण्ड से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

285. जिला मुख्यालय नागौर में मानासर तथा बीकानेर रोड पर स्थित रेल्वे फाटकों तथा नागौर के मेड़ता रोड़ में रूण सड़क की तरफ रेल्वे फाटक पर शीघ्रता से आरओबी का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

286. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के धार्मिक लोकदेवताओं व पर्यटन स्थलों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

287. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की बदहाल व खस्ताहाल सड़कों के सुदृढ़ीकरण व डामरीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

288. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के डाबिच से डीडावता, माधोरापुरा से चांदमाकलां, चंदलाई से बाजड़ोली वाया कुम्हारियावास एवं देहलाला से कोटखावदा वाया नरोत्तमपुरा सड़कों का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

289. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में गरूडवासी से ताजपुरा, ठीकरिया मीणान से बास रघुनाथपुरा श्रीपुरा होते हुए द्वारकापुरा सुमेल, सदारामपुरा से करेड़ा एवं ग्राम सांपला से देवकीनंदनपुरा तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

290. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर की कल्याणपुरा-गीदावला पूर्णत: हुई क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

291. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर की नीम का थाना-चीपलाटा-अजमेरी रायपुर जागीर-शाहपुरा की पूर्णत: क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

292. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में लादीका बास-पाटन वाया काला खेड़ा सड़क के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

293. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत 2011-12 में स्वीकृत एम.डी.आर 114 सड़क के बकाया निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

294. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर की 250-500 की आबादी की बकाया प्रधान मंत्री ग्रामणी सड़क योजना के प्रस्तावों की स्वीकति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):</u>

295. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में अनूपगढ-रायसिंह नगर सड़क पर अनूपगढ़ के नजदीक बने घग्घर नदी के पुल को नया बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

296. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में रावला-खानूवाली सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

297. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में अनूपगढ़ शाखा पर बने पुलों की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

298. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना से छत्तरगढ़ होते हुए बीकानेर सड़क को नवीन बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):</u>

299. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू में भावरी नदी एवं कोजरा नदी पर पुल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):</u>

300. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में नवीन सड़के एवं क्षतिग्रस्त सड़कों का पुन:निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सुखाराम (मेड़ता):</u>

301. बिलाड़ा-देसूरी-बाली-पिण्डवाड़ा सड़का का राष्ट्रीय राजमार्ग गामीयन में मूणडवा-खजवाना-रूण-गोटन-बोरूंदा-बिलाड़ा को जोड़कर (मूण्डवा-बिलाड़ा-बाली-पिण्डवाड़ा को) राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

302. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में धोली से कलमण्डा व बागड़ी से अड़ूस्या वाया लाम्बाहरि सिंह तहसील मालपुरा रोड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

303. बारां जिले के विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में शाहाबाद तहसील की बमनगवां से कस्बाथाना एवं संदोकड़ा से टांड़ा अहिरान किशनगंज तहसील में कांकड़दा से आंकोदिया सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):

304. विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में 500 से अधिक आबादी वाले वंचित गांवों को सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर के प्रसिद्ध मन्दिरों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

306. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल की नोन पेचेबल सड़के बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी):

307. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कोलीहान नगर से ढ़ाणी कुंडाल होते हुए धूपलैडी तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

308. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के नगली में मेघवाल समाज कल्याण भवन से चौधरियों की ढ़ाणी तक 2 किमी की सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

309. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के खाखला की ढ़ाणी से कृष्ण नगर चौराहे तक 02 किमी. सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

310. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ढ़ाणी बाढ़ा से गोरधनपुरा-जोधी की ढ़ाणी तक 04 किमी. की सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

311. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के स्टेट हाइवे S13 पर के पुल चौड़े करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय):

312. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम गीजगढ़ में-SH-25 पैट्रोल पम्प से गोला की ढ़ाणी राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक डामर सड़क की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

313. विधान सभा क्षेत्र सिकराय के ग्राम पंचायत खवारावजी के गांव मोरोली से होते हुए धार्मिक स्थान पपलाज माता के स्थान तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

314. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में मानवास से हरीयाणा बार्डर तक नई सड़क बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

315. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में दाणा से वोराहा वाले कुए तक टूटी सड़क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

316. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में समस्त गावों की रोड पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।